(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 10 ] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का 11 वां दिवस [ संख्या 6



बृहस्पतिवार,

दिनांक 15 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन )

## शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

### भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्रीदामोदरलाल व्यास के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री हरिदेव जोशी ( मुख्यमंत्री ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक ऐसी दुःखद घटना घटी है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती। इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य, राजस्थान के राजनैतिक जीवन के एक महारथी, राजस्थान के सार्वजनिक जीवन के एक स्तम्भ और कांग्रेस के महान कार्यकर्ता, नेता श्री दामोदरजी व्यास हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं कि किन शब्दों में हम सब की भावनाओं को व्यक्त करूं।

जैसा कि हम सब को विदित है कि श्री दामोदरजी व्यास एक बहुत अच्छे विधिवेत्ता, अच्छे एडवोकेट रहे, उस प्रोफेशन में उन्होंने काफी ख्याति अर्जित की और सार्वजनिक जीवन में वह आये। रियासती जमाने में रियासती जनता की राजाशाही से मुक्ति का संघर्ष प्रजा मण्डलों की मार्फत लड़ा जा रहा था। उस जमाने में प्रजा मण्डलों का सदस्य बनना अपने आप में साहस का काम था। श्री दामोदरजी व्यास जयपुर राज्य प्रजा मण्डल के शुरू के वर्षों में सदस्य बनने वालों में से एक थे, और बाद में उस संघर्ष के मंझधार में चलने वालों में से थे। देश की आजादी के बाद उनकी प्रतिभा और भी मुखरित हुई और वे राजस्थान सरकार के एक मंत्री के रूप में लम्बे अर्से तक राज्य की सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों के संचालकों में से एक रहे। श्री दामोदरजी व्यास एक मंत्री के साथ साथ विशेष कर राजस्व मंत्री के रूप में बहुत ज्यादा याद किये जायेंगे क्योंकि उन्होंने राजस्थान में भूमि सुधारों के काम को गति दी, प्रेरणा दी, विचार दिये। अध्यक्ष महोदय, वे दृढ़ निश्चयी, प्रतिभासम्पन्न राजनेता थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उनके रूप में हमने एक महान् साथी, महान् दोस्त और एक महान् नेता खोया है। वे अपनी दृढ़ता के लिए, अपने सौहार्द्र के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए हमेशा हमेशा याद किये जायेंगे।

# Page No 2

②



(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, श्री दामोदरजी व्यास के निधन से राजस्थान के राजनैतिक गगन में से एक महान् नक्षत्र चला गया है। इसके साथ ही साथ एक महान् साथी और महान् दोस्त भी गया है। वे दोस्तों के दोस्त थे और अपनेपन को निभाते थे। इस सदन के एक माननीय सदस्य के पिता के रूप में ही हमने उन्हें नहीं खोया है बल्कि हमने अपने अनन्य साथी के रूप में उन्हें खोया है। उनका परिवार शोक संतप्त है ही किन्तु उनके मित्र भी उतने ही दुखी हैं। मैं अपने अनन्य साथी, मित्र, राजनेता, प्रखर विधिवेत्ता, कुशल प्रशासक श्री दामोदरजी व्यास की पुण्य-स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस शोक को बरदाश्त करने की उनके परिवार को शक्ति दे एवं भगवान् उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** अध्यक्ष महोदय, श्री दामोदरजी व्यास के निधन की सूचना मुझे आज ही सवेरे मिली। मुझे इस बात का कतई खयाल भी नहीं था कि हम अपने एक साथी को, अपने प्रान्त के एक नेता को अचानक अपने बीच में से खो देंगे। अभी कुछ दिन पहले उनके सुपुत्र जो एक विधायक भी है उनसे भी उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई थी और उससे ऐसा आभास हुआ था, कि अभी वह कुछ अपने स्वास्थ्य को और ठीक दिशा में लेते जा रहे हैं। परन्तु अचानक यह घटना सुनकर बहुत दुख: हुआ।

अध्यक्ष महोदय, श्री दामोदरजी व्यास राजस्थान के कुछ उन नेताओं में से रहे हैं जिनके ऊपर राजस्थान के निर्माण की जिम्मेदारियां आईं और जिनको उन्होंने अपनी कुशलता से और लगन से निभाने की कोशिश की। जो आज का राजस्थान है उसमें श्री दामोदरजी व्यास का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा विशेषतौर से एक राजस्व मंत्री के रूप में लैण्ड रिफार्म्स का राजस्थान में लागू करने की दिशा में जो उन्होने परिश्रम और कार्य किया है और जिस तरीके से वास्तव में भूमि सुधारों को वास्तविक रूप देने की कोशिश की है, वह चिरस्मरणीय रहेगा। उनके द्वारा सीलिंग के संबंध में जो कमेटी नियुक्त की गई थी, और उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो उस कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की उससे साफ झलक दिखती है कि किस तरह राजस्थान के भूमिहीन लोगों के लिए अधिक से अधिक भूमि मिले ताकि हम इस भूमि का बंटवारा सहीतौर से करके गरीब लोगों की जमीन के लिए भूख मिटा सकें। उसके लिए उनके दिल में कितनी तड़फन थी वह उस रिपोर्ट से बहुत साफ मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रांगण में वे उनकी अपनी योग्यता से जिस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देते थे, जैसे वे डिबेटर थे और जिस प्रकार से बहुत गम्भीरता से समस्याओं का वे अध्ययन करके और इस सदन में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे उसके लिए हम सब पर उनका बहुत ही भारी प्रभाव रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रस्तुत करता हूं।

# Page No 3

(3)



श्री अजीतसिंह ( टोंक ) : अध्यक्ष महोदय, जहां कांग्रेस ने अपना एक योग्य कार्यकर्त्ता, योग्य प्रशासक और एक अच्छा साथी खोया है, वहां हमने हमारे जिले के एक बहुत ही अच्छे गरीबों के सहायक और सब के शुभचिंतक और हर अच्छी बुरी बात में मदद करने वाले एक योग्य नेता को खोया है । व्यासजी की मृत्यु पर हमारे जिले के अन्दर बहुत ही शोक व्याप्त है । ज्यों ही यह समाचार कल प्राप्त हुआ जिले में, वहां से कई एक कार्यकर्त्ता कांग्रेस के और दूसरे शुभचिंतक जो भी थे, उनकी शव-यात्रा में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। इससे स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय, कि जनता के अन्दर वे कितने लोकप्रिय थे। उनकी जितनी भी तारीफ की जाय, जितना भी गुणगान किया जाय वह बहुत ही कम है । उनके कार्य बड़े ही अच्छे और योग्य थे और बड़ी योग्यता के साथ सम्पन्न किए गए थे और उसका लाभ हमें, अध्यक्ष महोदय, गरीब जनता को होता था उससे आज हम वंचित हुए और इसके लिए हमें हार्दिक दुःख है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन के मामले के अन्दर भी काफी होशियार और वाकचतुर थे। उन्होंने बड़े प्रजातांत्रिक तरीके से उनका संचालन किया और कभी ऐसी बात पैदा नहीं होने दी, जिससे प्रजातंत्र के प्रति आस्था उठती । उन्होंने हर इलेक्शन के अन्दर, चाहे बड़े टफ इलेक्शन हों, महारानी गायत्रीदेवी साहिबा के साथ भी उनका सीधा इलेक्शन हुआ, मैं तो उनका संचालन करता था, उनके साथ था उस वक्त भी उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि अप्रजातांत्रिक तरीकों से, दबाव से या और किसी तरह से हमारा विरोध करें। वे प्रजातन्त्र के बड़े भारी हामी थे इसलिए उनको लोग हमारे जिले में काफी अच्छा समझते थे और अच्छी बुरी बात हो पक्ष की हो या विपक्ष की हो बड़े धैर्य से सुनते थे, और हमारी समस्याओं का निदान करते थे। हमारे जिले के ऊपर उनके अहसानात रहे हैं। उसके लिए मैं मेरी पार्टी की ओर से, मेरे जिले की ओर से और मेरी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही माननीय व्यासजी की मृत्यु का समाचार सुना, जिले में ही नहीं सारे राजस्थान की जनता में एक भारी शोक की लहर दौड़ गई। श्री व्यासजी अपने समय के उन प्रशासकों में से थे जो सही बात कहने में नहीं चूकते थे भले ही उनके साथी रुष्ट हो जायें। वह पार्टी के ही नहीं, गरीबों के नेता थे । उनको जो कोई भी निर्णय लेना होता था वे हिचक निर्णय लिया करते थे और उसी निर्णय के कारण आज भी गरीबों को उस निर्णय का बहुत फायदा पहुंचा है । अध्यक्ष महोदय, व्यासजी ने क्षेत्रीयवाद या जातिवाद से बिल्कुल परे होकर सभी राजस्थान की जनता के लिए बहुत कुछ किया और उनकी याद में और उनके कार्य-कलाप को लेकर हम आज भी उनके दिखाये मार्ग पर चल रहे हैं।

माननीय नेता ने जो उनके प्रति शोक शब्द कहे हैं, मैं मेरी व निर्दलीय सदस्यों की ओर से शोक शब्द सम्मिलित करता हुआ भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और शोक-संतप्त परिवार को इस महान् क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे।

५



**श्री अध्यक्ष :** आज दामोदरलाल जी व्यास हमारे बीच में नहीं रहे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव काफी व्यापक रहा है और हम लोग धारासभा के सदस्य हैं उनसे काफी निकटता का सम्बन्ध रहा है। उन्होंने इस सदन में ऐसी नीतियां अपनाई थीं कि जिनका प्रभाव चिर-स्थायी रहने वाला है और इसीलिए जो महत्वपूर्ण बातें इस विधान सभा में हुईं, इस विधान सभा में निर्णय हुए हैं उनमें दामोदरलाल जी व्यास का भाग भी खूब रहा है यह हम बेखटके कह सकते हैं। पहले तो वो बहुत लम्बे अर्से के साथी थे, करीब 40 साल के साथी थे। जब मैं यह कह रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने बहुत सारी बातें उस जमाने की आती हैं जिनमें जाने का समय नहीं। लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद हम लोग काफी साथ रहे हैं। दुनिया के उतार चढ़ाव में शामिल रहे हैं। बुरा भला जमाना दोनों ने ही देखा है। वे प्रजा मण्डल में थे। सन् 37–38 की बात बताता हूं आपको, उस वक्त जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा उस जमाने में प्रजामण्डल का सदस्य बनना कोई साधारण बात नहीं थी खासतौर से देशी राज्यों में जहां दमन के कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, और ज्यादा भी कोई सिर उठाता तो बराबर कुचलने की कोशिश की जाती थी। इतने पुराने अर्से से दामोदरलालजी व्यास प्रजामण्डल के सदस्य हुए, सक्रिय भाग भी लिया, मालपुरा के अध्यक्ष भी रहे प्रजामण्डल के और उनके द्वारा काफी सहयोग रहा। वे कांग्रेस के या प्रजामण्डल के न केवल सदस्य ही रहे, सक्रिय सदस्य रहे, कर्मठ सदस्य रहे, जागरूक सदस्य रहे और आजादी तक बराबर निरन्तर देश की सेवा में योगदान देते रहे।

आजादी के बाद सन् 1952 में पहला चुनाव हुआ तो धारासभा में वह चुन कर आए और तब से बराबर काफी लम्बे अर्से तक उनका इस सदन से सम्बन्ध रहा। मेरा उनका संगठन में भी बहुत संबंध रहा, रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत सम्बन्ध रहा, और प्रशासन में भी बहुत सम्बन्ध रहा। सम्माननीय सुखाड़िया साहब जब नवम्बर सन् 1954 में चीफ मिनिस्टर हुए उससे कुछ थोड़े अर्से बाद ही यानि दिसम्बर के आखिर में दामोदरजी व्यास केबिनेट रतर के मंत्री हो गए थे, और जैसा अभी आपके सामने आया राजस्व विभाग उनके पास रहा। उस वक्त राजस्व विभाग की बड़ी अहमियत थी। आज जितनी अहमियत है उससे उस जमाने में बहुत ज्यादा थी। पहला टिनेन्सी एक्ट, जो बिल तैयार हुआ वह पहला टिनेंसी बिल दामोदरलालजी व्यास का बनाया हुआ था जो यहां से पास हुआ 55–56 के आस पास। राजस्व के मामले में विशेषतौर से जो कुछ भी उन्होंने दिलचस्पी ली, भूमि सुधारों के मामलों में, वह स्थायीरूप से स्मरणीय रहने वाली है। वे एक बहुत कुशल प्रशासक, बारीक बुद्धि से देखने वाले, वक्त पर मदद करने वाले, कानून का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले, जो कोई उनके पास गया, उसकी मदद करने वाले रहे हैं। मैं उनके बारे में ऐसा मानता हूं, जो कोई आदमी उनके पास चला गया किसी भी काम के लिए, चाहे वो उनके महकमे से या उनके पोर्टफोलियो से ताल्लुक नहीं रखता था, चाहे किसी का हो, उसमें भी वे उसकी मदद करते रहे, चाहे वह उनसे संबंधित हो या न हो। जो भी कोई उनको जानने वाला होगा, बराबर उसकी मदद करते रहे। गवर्नमेन्ट में उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा। किसी भी महकमे से संबंधित

(श्री अध्यक्ष)

हो, बराबर उसकी मदद करते रहने की कोशिश करते थे। चाहे सीधा संबंध रखने वाला हो, चाहे मित्रों से संबंध रखने वाला हो, उन्होंने बात सही समझी तो उसकी मदद करते थे। वे दोस्तों के दोस्त थे और दुश्मनों के दुश्मन भी। जो गड़बड़ी करता था उसको सख्ती के साथ देखते थे। बहुत बातें उस जमाने की हैं परन्तु उन्हें यहां कहने का समय नहीं है। इत्तफाक से हम राजनीति में तीन व्यास थे। एक बदकिस्मती से आज भी रह गया। एक जयनारायण जी व्यास थे, एक दामोदर लालजी व्यास थे और जब तक जयनारायण जी व्यास रहे मैं व्यास कभी रहा नहीं। वे कहते थे जहां मैं मौजूद हूं, वहां तो मैं ही व्यास हूं, तुम लोग नहीं रहोगे। मेरी एबसेन्स में तुम व्यास कह सकते हो। ऐसा मेरा और दामोदरलालजी का चलता था। चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, चाहे प्रशासक की दृष्टि से देखें, चाहे नीति वक्ता की दृष्टि से देखें, चाहे संगठनकर्त्ता की दृष्टि से देखें, चाहे द्रष्टा की दृष्टि से देखें, चाहे और किसी दृष्टि से देखें, चाहे गरीब आदमियों को मदद करने वाले की दृष्टि से देखें, वे सब कसौटियों पर सही उतरे हैं। उनका असर, स्नेह, प्रेम निश्चित ही बहुत लोगों के मन पर रहेगा। बहुतों के दिलों में उनकी याद रहने वाली है।

तू नहीं लेकिन तेरी उलफत अब भी दिल में है,
तू नहीं लेकिन तेरी उलफत अब भी दिल में है,
बुझ गई है शमा लेकिन रोशनी महफिल में है।

हम सब लोगों के दिमाग पर प्रभाव डाले हुए हैं वह रोशनी। उनके न होते हुए भी, वह रोशनी हमारे दिलों में रहेगी। उनके पीछे पूरा परिवार है। उनके बड़े सुपुत्र हमारे यहां के सदस्य हैं। भगवान् उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और मैं भी आपने जो भाव व्यक्त किए उनमें सम्मिलित होता हूं और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

दो मिनिट उनकी याद में मौन खड़े रहेंगे ......

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

अब हम आधे घंटे के लिए एडजोर्न होते हैं। 12 बजे मिलेंगे।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 25 मिनिट पर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा की बैठक मध्याह्न 12-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, सिंचाई, सहकारिता, कृषि, खनिज, आबकारी, खादी, ग्रामोद्योग, सा. निर्माण, नगर आयोजना, पुनर्वास विभाग)

श्री अध्यक्ष : Now we come to regular business.

प्रश्न। श्री मोहनराज।

### शराब बन्दी के लिए 12 सूत्री कार्यक्रम

100. श्री मोहनराज (जालौ) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है, कि गत 2 अक्टूबर, 1975 को भारत सरकार ने सम्पूर्ण शराब बन्दी की दिशा में प्रथम

# Page No 6



(श्री मोहनराज)

चरण के रूप में एक 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस 12 सूत्री कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस 12 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ? यदि इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किए गए हों तो कृपया उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**राज्य मंत्री आबकारी** (श्री जुझारसिंह): 1. समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार देश में पूर्ण शराब बन्दी का वातावरण तैयार करने की दिशा में भारत सरकार से राज्य सरकार को अभी तक अधिकृतरूप से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उक्त कार्यक्रम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2) भारत सरकार से 12 सूत्री कार्यक्रम की रूप रेखा प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकेगा।

**श्री मोहनराज** : जो समाचार-पत्रों में आपने 12 सूत्री कार्यक्रम के बारे में पढ़ा है, क्या इस सम्बन्ध में और मंत्रालय या आबकारी मंत्रालय, भारत सरकार से कोई जानकारी चाही है ?

**श्री जुझारसिंह** : भारत सरकार अधिकृतरूप से अपने आप सूचना भेज देती है। अखबारों में पढ़ा है, वह 12 पाइन्ट पढ़े हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार द्वारा आलरेडी हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती।

**श्री मोहनराज** : प्रधान मंत्री ने 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, क्या राज्य सरकार उसको अधिकृत घोषणा नहीं मानती ?

**श्री जुझारसिंह** : न्यूजपेपर में आया है, उसको राज्य सरकार ने पढ़ा है और नोट भी लिया है। अधिकृतरूप से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अधिकृतरूप से सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दिया जा सकता है, कापी भी तभी दी जा सकती है।

**श्री शंकरलाल** (पाली) : जहां से घोषणा होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का 21 सूत्री प्रोग्राम है, यह इम्पोर्टेन्ट है इसकी घोषणा हुई है। राज्य सरकार इसके बारे में जानकारी नहीं करना चाहती कि स्टेट क्या करे, क्या न करे ? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं होने पर भी आलरेडी राज्य सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है। आप बतायें कि राज्य सरकार क्या कर रही है ? हम बतावेंगे कि आलरेडी कुछ भी नहीं कर रही है। आप इसके बारे में सीरियस नहीं हैं। आप बताइये कि क्या कर रहे हैं ?

**श्री ओंकारलाल चौहान** (डग) : मैं यह जानना चाहूंगा कि अधिकृत जानकारी कब तक आ जायगी ?

**श्री जुझारसिंह** : यह कैसे बताया जा सकता है कि कब आयेगी।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट !

**श्री शंकरलाल** : जवाब नहीं आया, इनकी इच्छा क्या है ?

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): आपने बताया कि 12 सूत्री कार्यक्रम है उस पर पहले से अमल किया जा रहा है। यह बताने का कष्ट करें कि कौन कौन से सूत्र पर क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो समाचार पत्रों से जानकारी मिली है, उनमें जो 12 सूत्री कार्यक्रम प्रकाशित हुआ है, वह इस प्रकार से है :—

— शराब के विज्ञापनों तथा ऐसे सारे प्रदर्शनों पर रोक, जिससे पीने के प्रति आकर्षण पैदा होता हो। हमारे यहां आलरेडी विज्ञापन नहीं करते हैं या प्रदर्शन के ऊपर पहले से ही रोक लगी हुई है। यह जो पहला सूत्र बताया गया है उस पर राज्य सरकार ऑलरेडी अमल कर रही है।

— सार्वजनिक स्थानों, होटलों, रेस्तराओं, क्लबों तथा सार्वजनिक समारोहों में मद्य-पान पर प्रतिबंध। राज्य सरकार ने पहले से ही होटलों, रेस्तराओं, क्लबों, सार्वजनिक समारोहों पर पाबन्दी लगाई हुई है। इस पर पहले से अमल हो रहा है।

— औद्योगिक, सिंचाई तथा अन्य विकास परियोजनाओं के निकट शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबन्ध, ताकि श्रमिकों को मद्य-पान से दूर रखा जा सके। इस पर राज्य सरकार आलरेडी अमल कर रही है।

— प्रमुख रास्तों और गांवों तथा शहरों में बस्तियों के बीच और शिक्षा संस्थानों, मन्दिरों और श्रमिक बस्तियों में शराब की दुकानें खोलने पर रोक। इस पर भी ऑलरेडी अमल हो रहा है।

श्री केशरीमल : एक भी दुकान बाकी नहीं रहेगी अगर इसको मान लेंगे।

श्री जुझारसिंह : वेतन दिनों पर सभी क्षेत्रों में शराब बन्दी। यह भी लागू है।

— मोटर तथा विमान चालकों के मद्य-पान पर रोक। नियमों की अवहेलना करने पर लम्बे समय के लिए लाइसेन्स रद्द करने की व्यवस्था। यह भी यहां आलरेडी लागू है।

— सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनमें सरकारी उद्योग के कर्मचारी भी शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से मद्य-पान वर्जित रहेगा। शराब पीकर काम पर आने वालों पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान किया जायेगा। यह भी राज्य में पहले से लागू है।

— देश के किसी भी भाग में केवल अधिक आबकारी राजस्व जुटाने की दृष्टि से कोई नई दुकान नहीं खोली जायगी। यह भी राज्य सरकार में लागू है। 1974 के बाद कोई नई दुकान नहीं खोली गई है।

— केवल निर्यात को छोड़ कर वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायगी। यह भी राज्य सरकार में लागू हो रहा है।

— वर्तमान कानून को और अधिक सख्ती से लागू करने की व्यवस्था व पुलिस दस्तों का गठन। इसको भी लागू कर दिया है।

— सरकारी और गैरसरकारी एजेंसियों की ओर से शराब की बुराइयों के खिलाफ संगठित प्रचार। यह भी ऑलरेडी हो रहा है।

**श्री ललितसिंह** ( बड़ी सादड़ी ) : सिविल लाइन में बैठ कर शराब पीते हैं उस पर क्या हो रहा है ?

**श्री जुझारसिंह** : असरदार नेता लोगों को प्रेरणा देने के लिए व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करें ।

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या यह बतायेंगे······

**श्री शंकरलाल** : आपने कहा कि श्रमिक बस्तियों और सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगाई गई है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, पाली के अन्दर मिल एरिया श्रमिक बस्ती में दुकान शराब की है । वहां दरवाजा सूरज पोल में है, सिनेमा है, उसके सामने दूकान है । लोग पीते है और आते जाते लोग देखते हैं । मैं यह नोटिस में लाया हूं और मैंने चिट्ठी लिखी है लेकिन वहां से दुकान नहीं हटाई गई है । सिनेमा के सामने सिन्धी की दुकान है और मिल एरिया में कलाल की दुकान है । मजदूरों को तनख्वाह मिलती है तो वह सीधे तनख्वाह लेकर वहां पहुंच जाते हैं । आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यह केवल कागजों में हो रहा है । आपको सूचना गलत दी जा रही है ।

**श्री गोपाल जोशी** : आपने कहा कि किसी होटल, रेस्तरां, क्लब को लाइसेन्स नहीं दिया गया है । क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि किसी होटल, रेस्तरां या क्लब को लाइसेन्स नहीं दिया गया है ?

**श्री केशरीमल** ( ब्यावर ): ब्यावर में मिल एरिया में दुकान लगी हुई है ।

**श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : आपने जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह केवल कागजों में है । कागजों में कर दिया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है । इस ओर प्रगति करने के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं ? गरीबों से इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । आज लोग बरबाद हो रहे हैं, शराब पीकर ।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : क्या मंत्री महोदय यह घोषणा करने की हिम्मत कर सकते हैं कि 12 सूत्र में से तीन सूत्र का पालन करने की बात करेंगे ? इस बात की सदन में घोषणा करें । मैं दाद दूंगा कि आपने 12 सूत्र पढ़ दिये हैं जब कि एक पर भी अमल नहीं हो रहा है । आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने 12 सूत्र पढ़ कर सुना दिये ।

**श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : शराबबन्दी इस वर्ष जिन जिलों के अन्दर की गई है वहां पर चैन की बन्शी बज रही थी । देशी शराब की दुकानें समाप्त हो गई थीं । लेकिन उन जिलों में अंग्रेजी शराब का बहाना लेकर शराब की दुकानें खोल कर शराब महंगी कर दी गई है । यह है आपकी शराबबन्दी की घोषणा !

**श्री अध्यक्ष** : ( श्री मोहनराज से ) आप भी पूछ लीजिये, फिर जवाब आ जायगा ।

**श्री मोहनराज** : जैसा मंत्री महोदय ने बताया, शराब के विज्ञापनों पर, प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है । मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि शराब की दुकानों पर रंग बिरंगी रोशनी करके आकर्षक विज्ञापन किये गये हैं जिससे लोग आकर्षित हों । सड़कों के किनारे, दुकानों पर साइन बोर्ड लगाये जाते हैं । यह सभी जगह प्रचलित हैं । क्या यह विज्ञापन आकर्षण पैदा करने की तारीफ में नहीं आते हैं ?

(श्री मोहनराज)

दूसरी बात, आपने कहा होटलों और क्लबों में शराब का उपयोग पहले से ही बन्द है। आपने कई होटलों और क्लबों को लाइसेंसेज दिए हैं जहां शराब पी जाती है। क्या उन लाइसेंसों को रद्द करने की बात सोचेंगे ?

तीसरी बात, औद्योगिक बस्तियों और विकास परियोजनाओं के निकट शराब की सभी दुकानें खुली हुई हैं और आप उनको नहीं हटवा रहे हैं। आपने तो कह दिया कि पहले से ही इन सूत्रों पर अमल हो रहा है और दुकानें बदस्तूर चल रही हैं। चौथी बात, आपकी शिक्षण संस्थायें, मंदिर, सिनेमा घर, आम रास्ते व आवासीय क्षेत्र हैं वहां पर भी जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं सारी की सारी बदस्तूर चल रही हैं। कई तरह की चीजें लिखित रूप में आपके नोटिस में लाई गई हैं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री जुझारसिंह : निजी दुकानों का नाम विज्ञापन की कैटेगरी में नहीं आता। विज्ञापन का मतलब कोई एडवर्टाइज करे, सड़क पर प्रचार करे तो वह विज्ञापन की तारीफ में आता है। प्रचार करता है या विज्ञापन देता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

13 होटलों को लाइसेंस दिए गए हैं, फॉरेन पर्यटक आते हैं, जैसे फाइव स्टार होटल्स हैं, ऐसी 13 होटलों को बार लाइसेंस दिए हुए हैं जो बार रूम्स में या डाइनिंग रूम्स में बैठकर पी सकते हैं। जो पाइन्ट्स उनके लिए तय की गई हैं उन जगहों पर ही पी सकते हैं, सब होटलों में इजाजत नहीं है।

श्री मोहनराज : राजस्थान में कुल 13 होटलों को लाइसेंस दिए हैं ?

श्री जुझारसिंह : जी हां। औद्योगिक बस्तियों या लेबर कॉलोनीज में 250 मीटर्स तक कोई नहीं पी सकता है उसके आगे पी सकता है। शिक्षण संस्थाओं से 200 मीटर के फासले पर कोई दुकान नहीं हो सकती, उसके नजदीक पर पाबन्दी है। जो छोटे स्कूल्स हैं उनके स्कूल आवर्स के एक घन्टे के बाद दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन कालेज वगैरह की हालत में 200 मीटर्स का फासला रखा गया है। इस पाबन्दी पर अमल किया जा रहा है उसके बावजूद भी अगर कहीं पर अमल नहीं किया जा सका है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। कोई केस ऐसा आपकी निगाह में हो तो अवश्य पाइन्ट आउट करें।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): जिन जिलों में आपने शराबबन्दी कर रखी है जैसे एक माननीय सदस्य ने पूछा, उन जिलों के अन्दर देशी शराबबन्दी या विदेशी शराबबन्दी कर रखी है ?

श्री जुझारसिंह : देशी शराबबन्दी है। विदेशी शराब वाले लाइसेंस होल्डर्स हैं वे देशी शराब नहीं बेच सकते।

श्री गौरीशंकर मुनीम ( खानपुर ) : हमारे यहां एक ड्राइवर है जो शराब बेच रहा है, खूब पैसा कमा रहा है।

प्रश्न संख्या 101

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

# Page No 10

(10)



**शहरी क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय भू-खण्ड**

102. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग को आवासीय भूखंड दे रही है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जिनके पास आवासीय भूखंड नहीं हैं, देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिए राज्य सरकार की क्या योजनायें हैं ? यदि कोई योजना नहीं है, तो क्यों ?

**नगर आयोजना मन्त्री** ( श्री राम नारायण चौधरी ) : राजस्थान सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, जो नगरपालिका क्षेत्रों में रहते हैं तथा जिनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं है, आवासीय भूखंड देने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं जानना चाहता हूं कि आपकी योजनायें क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं ?

**श्री केशरीमल** : नगर परिषद के क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जो जमीन के लिए लालायित हैं, हजारों लोग बेघर हैं, सड़कों पर सोते हैं, इसलिए नगरपालिका व नगर-परिषद् क्षेत्रों में जो शिड्यूल्ड कास्ट या गरीब तबके के लोग हैं उनको बसाने के लिए आपने क्या योजना बनाई है ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : एक एक का जवाब आजाए वरना हम शहर के लोग यूं ही मकान के बिना ही रह जायेंगे।

**श्री माणकचन्द सोगाणी** ( अजमेर पूर्व ) : एक तो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दूसरे जो बाढ़ से पीड़ित हैं। मैं अजमेर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग जमीन पर 100 साल से रह रहे हैं उनको जमीन दिलाने में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है ताकि सर्दी से हजारों आदमियों को राहत मिले ?

**श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : नगरपालिका और नगर विकास न्यास, अलग अलग होते हैं। आपने नगरपालिकाओं के बारे में निर्णय लिया है परन्तु यू० आइ० टीज० के बारे में निर्णय नहीं लिया है। मैं पूछना चाहती हूं ऐसे क्षेत्र जहां पर नगरपालिका की कोई जमीन नहीं है मात्र यू० आइ० टी० है, क्या राज्य सरकार उसके लिए नियम बनाने जा रही है ? यू० आइ० टी० जमीन देगा ?

**श्री किशन मोटवानी** ( अजमेर पश्चिम) : सोगानी जी ने बाढ़ पीड़ितों के बारे में पूछ लिया। मंत्रीजी ने कहा कि हम भूखंड देते हैं लेकिन जिन जमीनों पर कमजोर वर्ग के लोग थे, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग थे, बागरी थे, उनकी अपनी जमीन थी उनको हटाकर नगरपालिका ने दूसरी जगह जमीन देने का वायदा किया। आज 3 साल से मामला डी० एल० बी० में पड़ा हुआ है। क्या आप नीति क्रियान्वित करने जा रहे हैं उसमें इन लोगों के लिए भी आदेश प्रदान करेंगे ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मेरे प्रश्न का उत्तर चौधरी साहब देंगे ही नहीं।

**श्री दीपंकर** (लाडनूं) : गांवों में जो भूमिहीन लोगों को मुफ्त में पट्टे दिये गए

(श्री दीपंकर)

है और नगरपालिका क्षेत्रों में जो भूखंड मिल रहे हैं वे दो दो तीन तीन रुपये प्रति गज के हिसाब से दिये जा रहे हैं जब कि पड़ौस के गांव में मुफ्त में हरिजनों को जमीन मिली और नगरपालिका क्षेत्र में पैसे से, इस तरह दो तीन रुपये प्रति गज का फर्क है यह असंतोष की बात है। मैं समझता हूं भूमिहीन तो भूमिहीन ही हैं, हरिजन तो हरिजन ही हैं। ऐसी स्थिति में चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, कोई अंतर नहीं है। नीति यह होनी चाहिए कि शहर और गांव में कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भूखंड रहने के लिए दे रहे हैं उनकी एक ही रेट होनी चाहिए।

श्री गोपाल जोशी : जैसे बरकत साहब ने घोषणा की थी कि जिन लोगों का 21 अगस्त, 1971 से पहले नगरपालिका और नगरपरिषद् क्षेत्रों में कब्जा था उनका नियमन कर दिया जाएगा। क्या उनका नियमन कर दिया गया है? उसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्ग के लोगों को जो पट्टे दिये जाने की बात थी उन सबको किस एक्ट के तहत पट्टे दिये जा चुके हैं और उसके अलावा भी जो नियम बनाए गए हैं शहरों में वीकर सेक्शन्स को पट्टे दिये जाने के और आवासीय भूखंड देने के, क्या उनको पूरा कर दिया गया है? नहीं, तो कब तक करेंगे?

श्री अध्यक्ष : (श्री मोहम्मद गफ्फार अली के खड़े होने पर) फिर तो प्रश्न-काल ही रहेगा, उत्तर काल नहीं रहेगा।

श्री शंकरलाल : एक एक का उत्तर आने दो।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार ने सभी नगरपालिकाओं को आदेश दिये हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में योजनायें तैयार करें जिनके आधार पर वहां के कमजोर वर्ग के लोगों को तथा दूसरे लोगों को आवासीय भूखंड उपलब्ध हो सकें। वे योजनायें इस प्रकार हैं एक तो नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में योजना तैयार करके, उस योजना में से 50 प्रतिशत प्लाट्स ऑक्शन के द्वारा बेचे जायेंगे, 25 पर्सेंट रिजर्व प्राइस पर होंगे और 25 पर्सेंट कमजोर वर्ग के लोगों को नामीनल कास्ट पर दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि शहरों में जहां पर नगरपालिकायें हैं और यू० आइ० टी०-दोनों हैं वहां पर राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि यू० आइ० टी० इनके बारे में योजनायें बनाकर लोगों को भूखंड दें क्योंकि नगरपालिकाओं के पास तो भूखंड हैं इसलिये राज्य सरकार ने यू० आइ० टीज० को इसके बारे में आदेश दिये हैं और जहां पर यू. आइ. टीज नहीं हैं और सिर्फ नगरपालिकायें ही हैं उन्हें राज्य सरकार ने ऐसे आदेश दिये हैं कि वह इस बारे में योजनायें बनाकर लोगों को जो कि भूमिहीन हैं जिनके पास आवासीय भूमि नहीं है उन्हें इस प्रकार की योजनायें बनाकर भूखंड आवंटित करें। राज्य सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टतौर से आदेश दिया है कि कमजोर वर्ग को भूखंड उपलब्ध कराये जायं।

अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला ने यह घोषणा की थी कि 21-8-71 तक जो

# Page No 12

(12)



( श्री रामनारायण चौधरी )

लोग कमजोर वर्ग के हैं और जिनके पास जमीन नहीं हैं और जो लोग जिस जमीन पर काबिज हैं उनको वह जमीन दे दी जायेगी, तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने किसी भी व्यक्ति को, जो जिस जमीन पर 21-8-71 से काबिज था, नहीं हटाया है। और उन्हें वह भूमि नियमन कर दी जायगी। राज्य सरकार उन लोगों के लिये यह कार्यवाही कर रही है कि जो लोग कच्ची बस्ती में रह रहे हैं और कमजोर वर्ग के हैं उन लोगों के लिये यह आदेश देने की कार्यवाही कर रही है कि वह जमीन उन्हीं लोगों के पास रहेगी। उन्हें वहां से नहीं हटाया जायेगा। ऐसे आदेश दे दिये गये हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता तो मैं हूं और मेरे मूल प्रश्न का इसमें जवाब नहीं आया है। मैं मंत्री महोदय से पहला प्रश्न तो यह जानना चाहता हूं कि आपने जो अभी यह आदेश देने की बात कही है वह आदेश आपने कब दिये थे ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर शहर में 12 हजार लोगों की एप्लीकेशन्स हाउसिंग बोर्ड में मकानों के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरे इसके अलावा जयपुर शहर के करीब दस हजार लोगों की एप्लीकेशन्स यू. आइ. टी. के आफिस में पेंडिंग मकानों के प्लॉट के लिये पड़ी हुई हैं। इस तरह से करीब 30 हजार लोगों की एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं। इनमें से जो यू. आइ. टी. के अन्दर दस हजार लोगों की एप्लीकेशन्स प्लाट्स के लिए पड़ी थीं उनको तो आपने रद्द कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सभी लोग करीब तीस हजार परिवार हैं। सभी बिना मकानों के हैं। उनके लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ? मैं तो यह जानना चाहता हूं। इनमें अधिकतर गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, यह सभी लोग बेघरबार के ही हैं। उनके लिए आपने क्या योजना बनायी है यह बतायें। जैसा कि अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि राज्य सरकार ने करीब 6 लाख भूखण्ड आवंटित कर दिये हैं। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में आपने जिस प्रकार 6 लाख भूखण्ड आवंटित किये हैं उसी प्रकार शहरों में भी जिनके मकान नहीं है उनको भूखण्ड आवंटित करने की कोई योजना बना रहे हैं। इसके लिये आपने योजना कब बनायी और इसकी अन्तिम तिथि कौनसी है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कहा कि इसके लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं तो क्या आपके यह आदेश सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिये ही हैं या दूसरों के लिये ? अगर आपने दूसरे वर्ग के लिये आदेश किये हैं तो क्या हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका सूत्र नम्बर 11 है उसका उसमें उल्लंघन नहीं होता है ? इस प्रकार आप अगर जमीन को नीलाम करते हैं तो आप सूत्र नम्बर 11 का विरोध कर रहे हैं। सूत्र नम्बर 11 में साफतौर से दिया हुआ है कि जमीन का समाजीकरण किया जा रहा है और जमीन सिर्फ गरीब तबके के लोगों, जिनके पास भूखण्ड नहीं है, को ही आवंटित की जाय। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सूत्र नम्बर 11 का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह नहीं है। इसमें तो मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि 60 प्रतिशत जमीन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जमीन बेचने का सवाल क्यों पैदा हो ? वह तो गरीब और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को दी जानी चाहिये। नहीं तो सूत्र नम्बर 11 का उल्लंघन हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयपुर से आने वाले ने यह पूछा कि इस प्रकार के आदेश कब दिये गये हैं, उसके लिये यह निवेदन है कि 13-11-75 को ऐसे आदेश दिये गये हैं और 19-11-75 से इसकी क्रियान्विति शुरू हो गयी है और मेरा खयाल है कि योजना के अनुसार 26 जनवरी से पहले काफी नगरपालिकाओं द्वारा इस कार्य को पूरा कर लिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, करीब 60 नगरपालिकायें ऐसी होंगी जिन्होंने कार्य अभी तक शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि 26 जनवरी, 1976 तक काफी लोगों को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा दूसरा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शहरों में सिर्फ यू. आइ. टीज. ही योजनाओं की क्रियान्विति करेंगी, नगरपालिकाओं के पास कोई स्कीम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि 13-11-75 को नगरपालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्र में कार्यवाही करदी गई है। लेकिन मेरा तो यह निवेदन है कि शहरी क्षेत्र में जहां नगरपालिकाओं के पास भूखण्ड नहीं हैं उनके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने यह बताया कि 13-11-75 से नगरपालिकाओं द्वारा कार्यवाही की जा रही है और शहरों में यू. आइ टीज. कर रही हैं तो मेरा निवेदन यह है कि अगर आप जमीनों को नीलाम करेंगे तो हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसके सूत्र 11 का क्या आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ? हमें तो शहरी जमीन का समाजीकरण करना है और जो गरीब और शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग हैं जो हरिजन हैं उनके लिये आप जमीन कब दे रहे हैं ? आप गरीबों के लिये क्या कर रहे हैं ? उसके लिये आपने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है वह पूर्ण है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मेरा प्रश्न तो आपसे यह है कि आपने 50 प्रतिशत जमीन तो नीलामी के लिये शहरी क्षेत्र में रख दी है और 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लिये और बाकी 25 प्रतिशत आपने पिछड़े क्षेत्र वाले लोगों के लिये, तो मैं समझता हूं कि जिन तीस हजार लोगों ने मकानों के लिये अर्जियां दी हैं वह सभी कमजोर वर्ग के लोग ही हैं क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। बाकी जो मालदार लोग थे उन्होंने तो पहले ही जमीनें बारह आने गज और रुपये गज में जयपुर में खरीद ली थीं। तो मेरे अनुसार तो वह सभी लोग गरीब हैं उनके लिये आप शहरी क्षेत्र में जमीन देने के क्या प्रयास कर रहे हैं ? उनके लिये क्या आपने कोई योजना बनायी है ? उसके लिये आप थोड़ा प्रकाश डालें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार के पास सूचना थी, वह मैंने माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करदी है। इसके अलावा मेरे ख्याल से राज्य सरकार के पास दूसरी कोई नयी योजना नहीं है जिसमें शहरी नगरपालिकाओं के पास आवासीय जमीन नहीं है और कोई योजना हो। मेरे ख्याल से राज्य सरकार ने जो आदेश दिये हैं उनके अनुसार फिर शायद ही कोई परिवार होगा शहरी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जिनके पास कि आवासीय भूमि नहीं हो।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को मैं चैलेन्ज से कह सकता हूं कि ऐसे हजारों व्यक्ति बाद में रहेंगे जिनके पास कि आवासीय भूमि शहरी क्षेत्रों में नहीं होगी।

(व्यवधान : अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल को आगे चलने दीजिये।

**प्रश्न संख्या 103**

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री गुरदयाल सिंह संधु।

## भारत पाक युद्ध में सीमावर्ती क्षेत्र में फसलों की हुई हानि का मुआवजा

104. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भारत पाक युद्ध 1971 के समय सीमावर्ती क्षेत्र में फसलों की हुई क्षति का मिलने वाला मुआवजा जिला श्री गंगानगर का कितना था और आज तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है ? तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार से यह मुआवजा वसूल कर चुकी है और किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है ? यदि हां, तो यह मुआवजा राज्य सरकार कब तक देगी ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)**: (1) भारत पाक युद्ध 1971 के समय सीमावर्ती क्षेत्र में खरीफ फसलों की क्षति का जिला गंगानगर का मुआवजा 1,47,00,560 रुपया राशि का था, जिसमें से 63,05,220 रुपये राशि का भुगतान किया जा चुका है। 85 लाख रुपये की राशि जिलाधीश, गंगानगर को और स्वीकृत कर दी है, जिसकी वितरण की कार्यवाही चालू है। तहसीलवार क्षति का ब्यौरा निम्न है:-

| तहसील | राशि |
|---|---|
| 1. तहसील गंगानगर | 67, 06, 840 रुपये |
| 2. करणपुर | 60, 35, 920 रुपये |
| 3. पदमपुर | 57, 850 रुपये |
| 4. श्री रायसिंह नगर | 17, 92, 560 रुपये |
| 5. अनूपगढ़ | 1, 07, 390 रुपये |
| योग | 1, 47,00,560 रुपये |

(2) जी नहीं। भारत सरकार से अब तक फसल क्षति के मुआवजे हेतु 136 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जो जिलाधीश, गंगानगर व बाड़मेर को आवंटित

(श्री परसराम मदेरणा)

कर दी गई है और वितरित हो रही है। अब तक जिला गंगानगर में 53, 04, 220 राशि का वितरण हो चुका है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। वहां कोई मुआवजा अभी तक वितरित नहीं हो रहा है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कोई धनराशि अभी तक मुआवजे के रूप में नहीं दी गयी है। आज पांच साल हो गये पर अभी तक राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र के अन्दर जो फसलों की क्षति हुई थी उसके लिये मुआवजा नहीं दिया है। इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के अन्दर मुआवजे के वितरण की कार्यवाही चालू कर दी गयी है। माननीय सदस्य शायद पदमपुर के बारे में बात करते होंगे। वहां पर शायद शुरू नहीं हुआ होगा उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने यह स्पष्ट आदेश दिये थे कि रेवेन्यू रेकार्ड देख कर बाद में मुआवजा दिया जाना चाहिये। तो वहां के जो हाइ रेवेन्यू अधिकारी हैं वह लोग खसरा नम्बर देखकर ही मुआवजा देंगे इसमें कॉरसपोन्डेन्स में थोड़ी देरी हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नुकसान हुआ था वह खरीफ की फसल का हुआ था। इसमें यह सही बात है कि देरी जरूर हुई है लेकिन यह कहना बिलकुल गलत है कि किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है। केवल गंगानगर जिले में खरीफ की फसल का 1, 47, 00, 560 रुपये का टोटल हुआ था जिसमें 53 लाख चार हजार दो सौ बीस रुपये की राशि का भुगतान गंगानगर जिले के लोगों को हो चुका है और अभी भी कार्यवाही चालू है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, यह कहना सरासर गलत है कि लोगों को मुआवजा दिया गया है। क्या इसके लिये राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकती है कि गंगानगर जिले के लोगों को, जिनकी खरीफ की फसल में नुकसान हुआ है, पहले अपने खजाने में से रकम दे दे और बाद में राज्य सरकार भारत सरकार से वसूल करले ? अध्यक्ष महोदय, आज पांच साल हो गये हैं और लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। राज्य सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही किस तरह से न्याय संगत कही जा सकेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान सरकार तो 2 करोड़ 50 लाख की राशि फसल की क्षति के फलस्वरूप भारत सरकार से ग्रान्ट के रूप में प्राप्त में से देगी। उन्होंने कुछ शर्तें लगायी हैं और उसका वेरिफिकेशन रेवेन्यू रिकार्ड से होना होता है जो भी क्षति पायी है उसका तो मुआवजा भारत सरकार ने दे दिया।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : समय पर जानकारी नहीं दे सके यही कारण है कि मुआवजे की रकम नहीं मिल सकी।

श्री अध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

## राज्य में शराब की दुकानें

105. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

(1) राज्य सरकार ने किस किस नगर में कितनी कितनी शराब की दुकानें वर्ष 1975 में प्रारम्भ की हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार का बड़े पैमाने पर शराब का व्यापार करना मद्य निषेध की घोषित नीति के विपरीत है ?

(3) क्या राज्य सरकार बड़े पैमाने में शराब के व्यापार में इन्वोल्व होने की वर्तमान नीति पर पुनः विचार करेगी ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री जुझार-सिंह) : (1) राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से जयपुर एवं कोटा तथा इन दोनों नगरों के निकटवर्ती कस्बों अथवा गांवों में 42 दुकानें चलाई जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय, कोटा में आपके डिपार्टमेंट ने नगर-परिषद की एक दुकान पर जबरदस्ती कब्जा करके शराब की दुकान खोल दी और नगर परिषद् की 40 दुकानें खाली पड़ी रही हैं, न किरायेदार आते हैं और न कुछ। यह शराब की दुकान स्कूल के पास भी है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको खाली कर दें। मंत्री महोदय, यह भी आप से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह राज्य सरकार बड़े पैमाने पर शराब के व्यापार में इन्वोल्व हो रही है, 12 सूत्री और 21 सूत्री दोनों मिला कर 33 सूत्री कार्यक्रम का कान्ट्रेडिक्शन नहीं है ? जानबूझ कर राज्य सरकार शराब-बन्दी की नीति को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है।

श्री जुझार सिंह : मैंने निवेदन किया कि बड़े स्केल पर इन्वोल्व नहीं हो रही है। मैंने निवेदन किया कि कोटा और जयपुर में 42 दुकानें राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं। पर्टीकुलर दुकान के बारे में शिकायत को, उसकी मैं जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या स्कूल के पास दुकान है उसको बन्द कर देंगे ?

श्री जुझार सिंह : नियमों के अगेंस्ट है तो बन्द कर दी जावेगी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : और ऐसी कोई दुकान आपके ध्यान में है जो कि स्कूल के पास में है और नियमों के विरुद्ध है ?

श्री जुझार सिंह : ऐसी कोई जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्र सिंह।

## राजस्थान में पर्यटन विकास की योजना

106. श्री राजेन्द्रसिंह ( उनियारा ): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में पर्यटन विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जिससे कि पर्यटकों की संख्या बढ़ सके ? गत 3 वर्षों के आंकड़े दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या राजस्थान के दर्शनीय स्थलों के विकास के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या नाहरगढ़ को भी विकसित करने की कोई योजना है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन विभाग (श्री जुझारसिंह) : (1) पर्यटन विकास के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। गत तीन वर्षों के पर्यटकों के आंकड़े भी सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(2) जी हां। योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 1 देखिये)

**श्री राजेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे सूची दी गयी है, जयपुर नगर को सुन्दर बनाने के लिये, सुन्दरीकरण करने के लिये, मंत्री महोदय ने बताया कि 10 लाख रुपया रखा गया है। क्या केवल गुलाबी रंग पोतने के लिये रखा है अथवा और कोई योजना है ?

**श्री जुझार सिंह** : पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें गुलाबी नगरी का ही प्रश्न नहीं है। पेड़ भी लगाये गये हैं एरोड्रोम से लेकर सिविल लाइन्स तक, राम निवास बाग तक, फुव्वारे लगाये गये हैं सड़कों वगैरह को डेवलप किया गया है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

**श्री गोपाल जोशी** : माननीय सदस्य ने कहा सुन्दरीकरण। सौन्दर्यकरण और सुन्दरीकरण में क्या अन्तर है ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : श्री गोपाल जोशी को बता देवें।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ हो रहा है। उसके लिए तो धन्यवाद। आगरा में फोरिनर्स आते हैं उनकी संख्या डेढ़ लाख है और जयपुर में आते है, उनकी संख्या है केवल 40 हजार। कुछ अच्छा डवलपमेंट नहीं करने का कारण वहां की संख्या के अनुपात में यहां अन्तर है। नाहरगढ़ पर आप अधिक ध्यान दें। नाहरगढ़, जल महल आदि जो योजनायें हैं उनकी क्रियान्विति हेतु आप क्या कदम उठा रहे हैं ? हरियाणा में, पंजाब में प्राकृतिक दृश्य नहीं थे वहां पर भी उन्होंने बनवा कर टूरिस्ट्स को आकर्षित किया है। सारे राजस्थान में तो काफी प्राकृतिक दृश्य हैं। राजस्थान ऐतिहासिक स्थान भी रहा है। अपने यहां पर टूरिज्म को डवलप करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं ? विस्तार से सदन को बतायें।

**श्री माणकचन्द सोगानी** : जयपुर में जिस प्रकार खर्चा किया जा रहा है, अजमेर में भी काफी प्राकृतिक जगह हैं जिनका डवलपमेंट किया जाना आवश्यक है। वहां पुष्करराज है, अनासागर झील आदि कई प्राकृतिक स्थान है वहां पर भी किसी प्रकार की रकम खर्च की जा रही है या नहीं ?

**श्री राजेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि

(श्री राजेन्द्र सिंह)

उन्होंने जो योजना बनाई है, 3, 4 जगहों के लिए हों वे, क्या राजस्थान में तीन चार ही स्थान हैं टूरिस्ट की दृष्टि से ? और भी स्थान हैं, कोटा में है, बूंदी में हैं, रणकपुर में हैं इनको भी डवलप करने के लिए क्या योजना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बूंदी के लिए तो पूछ लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में फरमाया कि एरोड्रोम से लेकर सिविल लाइन्स तक पेड़ लगाये गये हैं तो क्या सिविल लाइन्स में पेड़ लगाने से ही सुन्दरता आगई ? जयपुर में जौहरी बाजार और दूसरी इम्पोर्टेन्ट जगह हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनको भी सिविल लाइन्स में मिलवाने की व्यवस्था की जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सिविल लाइन्स और इनको ज्यादा डवलप न किया जाये।

श्री जुझारसिंह : मैंने वहीं करेक्ट कर दिया था कि एरोड्रोम से रामनिवास बाग तक लगाये गए हैं पेड़।

एक माननीय सदस्य : पेड़ तो पी. डब्ल्यू. डी. लगाता है।

श्री जुझार सिंह : आपने विकास के लिए पूछा। इस वर्ष योजना में दो करोड़ रुपया पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रखे हैं। ब्रेक-अप आपके पास पहुंच गया है। अकमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए हैं, टूरिस्ट बंगलो वगैरह। कोटा के लिए पूछा, 75 जगह आलरेडी डवलप हो चुकी है, कोटा का डवलपमेंट बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : बूंदी के लिए ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनको सिविल लाइन्स में मिलवा दीजिये।

श्री जुझार सिंह : टूरिस्ट बंगले बना दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : बूंदी के लिए तो कुछ फरमायें।

श्री राजेन्द्र सिंह : नाहरगढ़ के लिए ?

श्री जुझार सिंह : नाहरगढ़ तक सड़क बनाने के लिए योजना भारत सरकार को भेजी हुई है वहां से मंजूर हो जाने पर हाथ में ली जावेगी। दूसरी जगहों पर टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट वान की भी व्यवस्था हो जावेगी। दो बसें आजाने के बाद जयपुर से आगरा तक प्लाई करेंगी इससे टूरिस्ट को भी सुविधा होगी। टूरिस्ट्स की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी। जैसे जैसे साधन उपलब्ध होते जावेंगे त्यों-त्यों इस ओर विकास किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री ललित सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी व्यवस्था बिलकुल डिफेक्टिव है। 75 पर्सेन्ट लोगों को रहने और ठहरने की व्यवस्था नहीं है। मिसाल के तौर पर टूरिस्ट्स उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाते हैं। वहां पर उसको कोई फेसिलिटी भी नहीं है उसको 1 घण्टे का भी रेस्ट नहीं मिलता। यदि टूरिस्ट्स को अट्रेक्ट करता है तो आप उनको पहले सुविधायें तो दीजिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : टूरिस्ट बंगला है चित्तौड़गढ़ में।

श्री ललित सिंह : हरियाणा और पंजाब में जाते हैं, वहां किस तरह से डवलप किया है, दिमाग लगाकर सोचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(व्यवधान, अश्रव्य)

और आगे बढ़ें बहुत हो गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह : टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिये आपने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे फॉरेन टूरिस्ट अट्रेक्ट हों, कोई डाक्यूमेन्टरी फिल्म ही। आपकी जो सूची देखी है उसमें तो होम टूरिस्ट की संख्या है वे तो आते ही हैं लेकिन फॉरेन टूरिस्ट 53 हजार, 55 हजार की संख्या में आते हैं इसलिये फॉरेन टूरिस्ट को अट्रेक्ट करने के लिये योजना बनानी चाहिये। राजस्थान में कई देखने योग्य रमणीक स्थान हैं उनको डवलप किया जाना चाहिये। इसकी कोई योजना है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री जुझारसिंह : माननीय सदस्य को यह भ्रम हो गया है कि फॉरेन टूरिस्ट कम आ रहे हैं राजस्थान में हरियाणा, पंजाब के मुकाबले काफी टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा तो एक ऐसी जगह पर बसा है जो काश्मीर के रास्ते में है तो चाय वगैरह पीने के लिये ठहर जायं, वह बात दूसरी है। राजस्थान में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि बहुत बड़े शहर हैं उनकी फैसिलिटी ज्यादा है अतः हमको उससे तो कम्पेयर नहीं करना चाहिये बल्कि दूसरी जगह से राजस्थान में काफी टूरिज्म डवलप हुआ है और उसके लिये अभी उदयपुर से बोइंग सर्विस हो जायगी तो वहां भी फॉरेन टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। फॉरेन टूरिस्ट हिन्दुस्तान में अधिक दिन नहीं ठहरते हैं। वे केवल 15-20 दिन ठहरते हैं। उनके पास टाइम की शार्टेज होती है इसलिये उनके लिये ट्रान्सपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तब तक कोई विकास करना ठीक नहीं है। यह फैसिलिटी हो जाय तो मैं समझता हूं, राजस्थान में टूरिस्ट का काफी अट्रेक्शन हो जायेगा।

प्रश्न संख्या 107

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री गोपाल जोशी : प्रश्न सं० 107। अध्यक्ष महोदय, मौखिक स्वीकृति है। मैं बीकानेर से आया हूं, यदि आप आज्ञा दें तो····

श्री अध्यक्ष : जो साहबान मौजूद हैं, पहले उनके प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री मूलचन्द।

## दौसा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड का गठन।

108. श्री मूलचंद सामरिया (दौसा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा बुनकर सहकारी संघ लि० का गठन किस तिथि को हुआ एवं इसकी सदस्य संख्या कुल क्या थी ?

(2) उक्त संघ के चुनावों में कौन व्यक्ति कार्यकारिणी के सदस्य चुने गये ? आज तक हुए प्रत्येक चुनाव की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संघ के बाइलॉज के अनुसार क्या कार्यकारिणी के सभी पदों का चुनाव होना चाहिये या मनोनयन भी सम्भव है ? यदि मनोनयन भी हो सकता है तो किस पद के लिये ?

(4) क्या बाइलॉज के अनुसार ही उक्त संघ के चुनाव सम्पन्न हुए अथवा मनोनयन द्वारा ? बाइलॉज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त संघ के गठन के बाद किस किस संस्था से कितनी कितनी राशि ऋण अनुदान आदि के रूप में प्राप्त हुई व कितनी अंश पूंजी थी ? सम्बन्धित ऋण, अनुदान आदि के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त संघ के गठन के बाद नियमानुसार कितनी अवधि के अन्तर से आडिट होना आवश्यक था ? क्या उक्त नियमानुसार इसका ओडिट बराबर होता रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो हर ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) वर्तमान में उक्त संघ का ऑडिट किन किन लोगों से करवाया जा रहा है और अब वह किस स्टेज पर है ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, स्थगन की प्रार्थना की गई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले सत्र में भी पूछा गया था। इस संस्था की केश बुक देखकर यह बताना था कि कितने रुपयों का गबन है। 60 हजार का गबन है, इसका जवाब कब तक देंगे ?

(व्यवधानः अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : देखिये, प्रश्न लिया नहीं है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को गत तीन साल से उठाया जा रहा है। क्यों नहीं इसका जवाब आया ?

श्री अध्यक्ष : समझने की बात है, वह आप समझलें।

नैक्स्ट।

श्री मीठालाल : तीन साल से बराबर उठाया जा रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकारी रकम का दुरुपयोग है और 10 साल से ऑडिट नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न मेरे सामने ही नहीं है और आप बहस कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : कब दे दिया जायगा इसका जवाब ?

श्री अध्यक्ष : कब दे पायेंगे जवाब आप ?

श्री मीठालाल : तीन साल से बराबर पूछा जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप स्थगित कर दीजिए, मैं इसी सत्र में जवाब देने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट।

**राजस्थान नहर व चम्बल क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि।**

109. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): [श्री केदारनाथ (गंगानगर) की अनुपस्थिति में] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र व चंबल क्षेत्र में सी. ए. डी. के नाम से विश्व बैंक से कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई ?

(2) इस दौरान कितने बार विश्वबैंक की ओर से जांच दल (स्टैंडी टीम) आया और उसने क्या कमेन्ट्स दिये ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) वर्ष 1974-75 में सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग ने विश्व बैंक से पुनर्भरण हेतु निम्न प्रकार क्लेम भारत सरकार को भेजे:—राजस्थान नहर, 1,34,07,000 रु. चम्बल क्षेत्र 70,79,000 रु० भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को क्रमशः 1,33,07,000 व 70,64,000 रु० के क्लेम्स प्रस्तुत किये गये, ये राशि भारत सरकार को विश्व बैंक से प्राप्त होती है। अतः विश्व बैंक से इस पुनर्भरण के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई, यह जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। वर्ष 1975-76 में भी सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग ने विश्व बैंक से पुनर्भरण हेतु निम्न प्रकार अपने क्लेम्स भारत सरकार को भेजे हैं:—राजस्थान नहर क्षेत्र 64,49,000 रु० चम्बल क्षेत्र 2,32,10,000 रु० भारत सरकार द्वारा चम्बल क्षेत्र के सम्पूर्ण क्लेम्स विश्व बैंक को भेज दिये हैं जब कि अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान नहर क्षेत्र के बाबत 9,11,000 के क्लेम्स ही भेजे गये हैं।

(2) ये परियोजना जुलाई, 1974 से चालू हुई हैं और अब तक विश्व बैंक की ओर से 3 दल अध्ययन एवं मूल्यांकन (स्टडी) हेतु आ चुके हैं उनके केवल दो दलों द्वारा दी गई विभिन्न टिप्पणियों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। शेष एक दल द्वारा कोई टिप्पणियां नहीं दी गई हैं। इस दल ने राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार विमर्श किया था।

(टिप्पणियां-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये दल जो राजस्थान में विश्व बैंक की तरफ

# Page No 22

(22)



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से आया यह कब कब आया और कौन कौन से क्षेत्रों का दौरा किया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया एक दल 6-11-74 से 11-11-74 तक आया था और अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया और उस दल ने कोई टिप्पणी नहीं की है । केवल जो विजिट किया उसके बारे में गवर्नमेंट आफिसियल से बात की है । एक दल डब्ल्यू. जी. ओफर की अध्यक्षता में आया जिसने 20-3-74 से 29-3-74 तक दौरा किया और राजस्थान केनाल क्षेत्र का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट 15-11-76 को सरकार का प्राप्त हुई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह जो दल आया इन्होंने सीमान्त क्षेत्रों का भी दौरा किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं । राजस्थान केनाल क्षेत्र का और चम्बल कमान्ड क्षेत्र का ही दौरा किया है ।

एक माननीय सदस्य : क्या राजस्थान केनाल क्षेत्र का एरिया सीमान्त क्षेत्र में नहीं आता है ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जिन 85 गांवों का सर्वे है और जो सीमा के साथ लगते हैं, उनका दौरा उन्होंने किया है....

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में गये होंगे वहां सीमा आती होगी, हमारे अधिकारी भी साथ थे ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरा प्रश्न साफ है । इस रिपोर्ट में लिखा है, जून, 1975 में 85 गांवों का सर्वे हो चुका था और वे सीमा के साथ लगते थे । क्या उन गांवों का प्लान दिया गया जिनका सर्वे हुआ है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं । एक तो जो दौरे हुए हैं वे इनके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में थे क्या जो क्षेत्र उन्होंने ओब्जर्व किये ? नम्बर दो, प्रश्न यह है कि आपके सी.ए.डी. के घोषित क्षेत्र जिनको डवलप करना है, केवल उसी क्षेत्र में जा सकते थे या दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते थे ? और तीसरा, जिन क्षेत्रों का दौरा किया क्या वे सीमान्त क्षेत्र के 30-30 मील में स्थित नहीं हैं ? चौथे, क्या जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स हैं उनमें आवश्यक नहीं था कि सारे अकाउन्ट्स, सारे मैप, सारा सी. ए. डी. का घोषित क्षेत्र सारे कन्ट्रर्स इनको दिये जायं ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीधा सा सवाल है वर्ल्ड बैंक के जो मेम्बर्स आते हैं और जो हमारा एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक से उसके लिये आते हैं यह देखने के लिए कि उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है । उसमें एक तो लेवलिंग ऑफ दी लेन्ड है दूसरा डवलपमेंट ऑफ दी एरिया और तीसरा डिगिंग वगैरह का है और केवल उन्हीं जगह पर जाते हैं जो प्रोग्राम के अनुसार होते हैं । उन जगहों पर ही गये थे । कन्टूर्स देने के सवाल पर भारत सरकार को सूचना दी है वह शुरू में दी गई थी । उनकी जानकारी के लिये होती है कि कैसी लैन्ड है, कैसा रिकमेन्डेशन करना है, कहां वाटर का लेवलिंग करना है । इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी थी वह दी गई थी और जो रिपोर्ट दी है उसमें इनको क्या दिक्कतें आ

(श्री शिवचरण माथुर)

रही हैं वह रखी हैं । उसी के तौर पर बताया है कि लैन्ड लेवलिंग का काम हो रहा है या नहीं, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि मशीनों से काम किया जाय । हमने कहा राजस्थान केनाल के एरिया में किसान अपने तौर पर कर सकते हैं इस बात को दोहराया गया है कि मौके पर किसान अपने आप लैन्ड की लेवलिंग करने में सक्षम होते हैं । उस क्षेत्र में कोयले की कमी थी जो लाइम का काम होता है वह ईंटें बनाने में होता है और उसके लिये कोयले की जरूरत होती है । उस क्षेत्र में कोयले की बहुत ज्यादा कमी थी । भारत सरकार के रेल मंत्रालय को लिखा था और माननीय कमलापतिजी त्रिपाठी से मैं खुद भी मिलने गया था उसके बाद उस क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर कोयले की सप्लाई हुई है । तो यह जो काम के सिलसिले में उन्होंने कहा जहां तक हमारा ख्याल है माननीय सदस्य जानते हैं कि हम सीमाओं के प्रति सजग हैं । जो समझौता हुआ है उसमें राज्य सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी इनवाल्व्ड है और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ग्राफ फारेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स इसमें इनवाल्व्ड है इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे वाली बात के लिए हम खुद सतर्क हैं ।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, जो 85 गांवों का सर्वे हुआ ...

श्री अध्यक्ष : वह तो कहा है न मंत्री महोदय ने । उसके लिए ना नहीं कहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी जो अमेरिकन सीनेट के अन्दर सी. आइ. ए. के संबंध में जांच चल रही है उसमें मालूम हुआ है कि सी. आइ. ए. इस प्रकार से एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स, विश्व बैंक, मोनेटरी फण्ड्स वगैरह के जरिये और उनके एक्सपर्ट्स के जरिये इनमें भेजकर दूसरे मुल्कों के मिलिट्री सीक्रेट्स लेती है और माननीय श्री हर्षदेव मालवीय, जो एम. पी. हैं और जो आपके ही दल के सदस्य हैं, सी. आइ. ए. की एक्टीविटीज के संबंध में पुस्तक लिखी है जो कि आपके कांग्रेस के 75वें अधिवेशन में भी आपको मिली होगी और एन्टी फासिस्ट रेली के समय भी आपको वह पुस्तक दी गई थी और उसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार सी. आइ. ए. का केन्द्र इन्डिया बना हुआ है और इन्डिया के अन्दर वह किस तरह से अपना जाल बिछा रहे हैं । तो क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आये या जो भी दल आया और जो उसके परसोनल्स थे वह किसी प्रकार सी. आइ. ए. से संबंधित नहीं थे ? क्या पहले से ही इस प्रकार की जांच पड़ताल कर ली गई थी ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह बिलकुल अलग से प्रश्न है । हमारा तो सीधा सा सवाल है कि जो विश्व बैंक से हमारा समझौता हुआ वह सीधे राजस्थान सरकार ने नहीं किया और भारत सरकार के कई मंत्रालय उसमें इनवाल्व्ड हैं और बहुत ही छानबीन के बाद ...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : जब उन्होंने विज़िट किया तो भारत सरकार के आफिसर्स उनके साथ थे क्या ?

**श्री शिवचरण माथुर** : भारत सरकार के आफिसर्स नहीं भी हों तो भी क्या होता है, हमारे आफिसर्स तो थे ।

तो मैं यह कह रहा था कि सी. आई. ए. के एजेन्ट्स की क्या एक्टीविटीज हैं यह दूसरा प्रश्न है लेकिन जहां तक इस मिशन का सवाल है मेरी जानकारी नहीं है कि उनमें कोई सी.आइ.ए. का एजेन्ट था और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जो भी दल आता है उसकी क्लियरेन्स भारत सरकार से पहले होती है । वह वर्ल्ड बैंक के पेड एम्प्लाईज हैं जो हमेशा ही आते हैं और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही थी उस समय भी आते थे और लगातार रिव्यू के लिए आ रहे हैं । तो जहां तक यह प्रश्न है कि वह सी.आइ.ए. के एजेन्ट हैं या नहीं इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इनमें भारत सरकार इनवाल्व्ड है और उनके मंत्रालयों से क्लियरेन्स लेकर वह यहां आते हैं और हमारा जो नेशनल इन्टरेस्ट है उसको हम पूरी तरह से सेफगार्ड करते हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय आपने एग्रीमेंट किया उस समय हमारे और अमेरिका के रिलेशन्स दूसरी किस्म के थे और अब भी जो रिलेशन्स चल रहे हैं आपने भी देखा होगा और हमारी प्रधान मंत्री ने भी वक्तव्य दिया था कि जिन फोर्सेस ने चिली में सबवर्शन किया वही सी. आइ. ए. हमारे देश में भी एक्टिव है और हमको उसके प्रति विजिलेन्ट रहना है । इस प्रकार की बार बार उन्होंने चेतावनी दी है । तो क्या मंत्री महोदय इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि क्या हम वर्ल्ड बैंक से इस एग्रीमेंट को इन स्ट्रेण्ड रिलेशन्स और अमेरिका की इस प्रकार की स्ट्रेटेजी के व्यू में हमको जारी रखना चाहिए ? इस पर मंत्री महोदय को पुनर्विचार करना चाहिए ।

**श्री शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय, समझौते के ऊपर पुनर्विचार करना राज्य सरकार के क्षमता की बात नहीं है । यह भारत सरकार के भी नॉलेज में है और अमेरिका से स्ट्रेण्ड रिलेशन्स के बारे में वह भी जानते हैं और प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि उसके लिए हमें सतर्क रहना है । हम एक खेमे में बैठकर विचार नहीं कर सकते । यह सब बातें उनके दिमाग में हैं और मैं समझता हूं कि भारत सरकार बहुत गम्भीरता से सोचती है । यह विश्व बैंक केवल अमेरिकन बैंक ही नहीं है बल्कि इसमें 56 राष्ट्रों का पैसा लगा हुआ है...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : 70 पर्सेन्ट उनका है ।

**श्री शिवचरण माथुर** : तो इसके ऊपर भारत सरकार पूर्णरूप से जागरूक है और मान लें कि हमको हमारे टर्म्स पर पैसा मिलता है और हमारे विकास के लिए मदद मिलती है और हम अपनी तरफ से जागरूक होते हुए उसका उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुरी बात होने वाली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामगोपाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न है। एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न पूछेंगे और वही उत्तर आयेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक जानकारी चाहता हूं कि कन्टूर्स और मैप्स हमारे इलाके के वह ले गये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया। आपने सुना नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में लाइनिंग ऑफ दी केनाल और वाटर कोर्सेस को पक्का करना है तो क्या थानीवाली जो कि बोर्डर से करीब दो मील दूरी पर है आपके डब्लू. जी. साहब ने वहां पर पड़ाव नहीं किया ? वहां की लाइनिंग नहीं देखी और वहां का वाटर कोर्स नहीं देखा ? और आपकी टोपोग्राफी की डिटेल्स में क्या वह नहीं गये ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को भूलते हैं कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि जहां भी कमाण्ड एरिया डवलपमेंट में जगह होगी वह उनको देखनी पड़ेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो क्या उनके सुरखाब के पर थे कि वह सी. आइ. ए. के एजेन्ट नहीं हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस नाले के जरिये वह आये थे क्या इस प्रकार के सीक्रेट्स नालों को देखने का उनको मौका नहीं मिलता है क्या ? आपके अधिकारी थे उनके साथ तब भी क्या स्ट्रेटेजिक पाइन्ट्स को वह नहीं देखेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह थानूवली रहे....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री रामगोपाल।

## छीपाबड़ौद–सालपुरा रोड पर मवासा नदी की पुलिया

110. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद सालपुरा रोड, जिला कोटा में मवासा नदी की पुलिया टूट चुकी है जिससे आने वाली बरसात में यातायात अवरुद्ध होने की पूरी पूरी सम्भावना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग निकट भविष्य में क्या कदम उठा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : मवासा नदी के कॉजवे की एक तरफ की आधी दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। इसकी मरम्मत के प्रयास जारी हैं

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, यह योजना कब पूरी हो जायेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, बरसात से पहले पूरी हो जाये इस प्रकार का प्रबन्ध हो जायेगा।

श्री रामगोपाल : क्या बरसात के पहले पहले पूरी बना देगें ?

# Page No 26



श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यही कहा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

( शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखिये )

## अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

### सालपुरा से छबड़ा सड़क की मरम्मत

101. श्री जगमोहनसिंह ( छबड़ा ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सालपुरा से छबड़ा कस्बे को जाने वाली सड़क की मरम्मत पिछले कई वर्षों से नहीं कराई गई है और टूटते-टूटते इस सड़क के अवशेष ही शेष रह गये हैं ?

(2) यदि हां, तो इस तहसील की एक-मात्र-सड़क का पुनः निर्माण कब तक कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) उपलब्ध धनराशि के अनुसार प्रति-वर्ष साधारण मरम्मत की गई है । सड़क की दशा अच्छी नहीं है ।

(2) धनाभाव के कारण अभी इसका पुनः निर्माण सम्भव नहीं है ।

### पंचायत समिति झोटवाड़ा में कुक्कुट पालन का यूनिट

103. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति झोटवाड़ा में कुक्कुट पालन का युनिट था ? यदि हां, तो उसको सरकार ने किन कारणों से हटा लिया ?

(2) इस युनिट में सरकार का कितना इन्वेस्टमेंट था ?

(3) राज्य सरकार की नीति और प्रधान मन्त्री के कृषि कार्यक्रम के अनुसार यह कुक्कुट पालन केन्द्र खाद्य सामग्री के आल्टर-नेटिव के रूप में उभर रहा था ? इसके बन्द हो जाने से क्या खाद्य सामग्री का संकट नहीं होगा ? क्या सरकार इसको वापिस शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

मितव्ययिता के फलःस्वरूप इस युनिट को समाप्त किया गया है ।

(2) इस युनिट में 14,000/–मुर्गी-घर बनाने पर लगाये गये तथा युनिट को चलाने के लिए सन् 1967-68 से 1974-75 तक कुल 1,08,105/–रुपये पंचायत समिति को अनुदान के रूप में दिये गये । इस प्रकार इस युनिट को चलाने पर लगभग 1,22,105/–खर्च हुए हैं ।

(3) कुक्कुट केन्द्र, झोटवाड़ा जो एक बहुत छोटा केन्द्र था, के बन्द हो जाने से अण्डों आदि की उपलब्धि पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

## लूणकरणसर-बीकानेर लिफ्ट सिंचाई योजना की उप-शाखाओं का कार्य

107. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

लूणकरणसर - बीकानेर लिफ्ट सिंचाई योजना की उप-शाखाएं माइनर्स एवं वाटर कोर्सेज का कार्य कब तक सम्पूर्ण कराने का लक्ष्य है तथा अब तक की प्रगति रफ्तार को ध्यान में रखते हुए क्या यह लक्ष्य प्राप्ति सम्भव होगी ?

### उत्तर

लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट सिंचाई योजना की उप-शाखाओं व माईनर्स का कार्य वर्ष 76-77 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पक्के खालों (वाटर कोर्सेज) को 1977-78 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। अभी की प्रगति को देखते हुए व भविष्य में समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर लक्ष्य प्राप्त करने की पूर्ण सम्भावना है।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

## बाड़मेर जिले में कृषि अधिकारी का कार्यालय

21. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कहां-कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले के विशाल क्षेत्र को देखते हुये एवं सिवाना, बालोतरा, धोरीमना और सिणधरी पंचायत समितियों में जहां रबी की फसल होती है, के काश्तकारों को फसल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढ़ाने के लिये और डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में कृषि कार्यक्रम को सुचारुरूप से संचालन के लिये जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलना आवश्यक और वाजिब समझती है ? यदि हां, तो वहां जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय जल्दी स्थापित न करके जिले की उपेक्षा क्यों की जा रही है ?

### उत्तर

(1) राजस्थान में स्थित जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण। डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के संचालन के लिये जिले में पृथक व्यवस्था उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

## कोटपूतली कृषि उपज मंडी के कर्मचारी

22. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली कृषि उपज मंडी के लिए कितने स्टाफ की स्वीकृति है तथा इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) उपरोक्त कृषि उपज मंडी में कौन कौन कर्मचारी किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं ? पूर्ण विवरण वेतन व नियुक्ति की तिथि दर्शाते हुए सदन के टेबल पर रखें।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा):

(3) उपरोक्त कर्मचारियों का चयन किस आधार पर किस व्यक्ति द्वारा किया गया तथा नियोजन कार्यालय की सूची में इनका नाम था या नहीं ?

(4) कृषि उपज मंडी के किस किस कर्मचारी को किन कारणों से मोअत्तिल व सेवा-निवृत्त किया गया तथा क्या उन्हें पुनः सेवा में लिया गया ? यदि हां, तो किस कारण से ?

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कर्मचारियों के चयन सम्बन्धी सूचना भी उक्त तालिका में उपलब्ध है।

(4) कृषि उपज मंडी समिति कोटपूतली के किसी भी नियमित कर्मचारी को मोअत्तिल या सेवा–मुक्त नहीं किया गया है केवल फसल के समय लगाये गये अतिरिक्त कर्मचारियों को ही फसल के समय के बाद आवश्यकता न होने पर हटा दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

## लालसोट तहसील को आर. ए. सी. स्कीम का सर्वे

23. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) तहसील की एक आर. ए. सी. स्कीम का सर्वे आदि कार्य होकर पिछले काफी समय से सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो भविष्य में कब तक स्वीकृति कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, पंचायत समिति लालसोट (जयपुर) की लघु सिंचाई योजना जिलाधीश, जयपुर से जुलाई, 1975 में प्राप्त हुई है। योजना से सम्बन्धित विभिन्न आंकड़ों की पर्याप्त सूचना जिलाधीश द्वारा योजना प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं करायी गई थी। ये सभी वांछित सूचनायें तहसीलदार एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति लालसोट से दिसम्बर, 1975 में विभाग को प्राप्त हुई हैं। अब उनके आधार पर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

## बीकानेर जिले के गांवों में बारानी भूमि का अलाटमेंट

24. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोलायत, लूणकरणसर, बीकानेर व नोखा में किन-किन व्यक्तियों को किस-किस गांव में कितनी कितनी बारानी भूमि 1975 में आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग में प्राप्त हुई भूमि भूमिहीन लोगों को अलाट नहीं करके उन्हीं भू-स्वामियों के परिवार

# Page No 29

(29)



(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

के लोगों को ही अलॉट की गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?"

(स्थगित किया गया।)

## पटवारियों को होम तहसील में रखने की कार्यवाही।

25. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पटवारियों को होम तहसील में रखने के सम्बन्ध में गत सत्र में सदन में यह कहा गया था कि इनको होम तहसील में रखने की कार्यवाही की जा रही है ? अगर हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश अब तक क्यों नहीं निकाले गये ?

उत्तर

जी नहीं। पटवारियों को होम तहसील में रखने के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ है। मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## भूमि सुधारों की देखरेख के लिए हाई पावर कमेटी का गठन

26. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार भूमि सुधारों की देख-रेख के लिए सन् 1970 में एक हाइ पावर कमेटी का गठन किया था ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के कौन कौन सदस्य थे ?

(2) उक्त कमेटी की कितनी कितनी बैठक कब कब हुई और उनमें क्या निर्णय लिये गये ? सभी बैठकों की कार्यवाही का विवरण देते हुए जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। कमेटी के निम्न सदस्य थे:—

| | |
|---|---|
| 1. मुख्यमंत्री | अध्यक्ष |
| 2. राजस्व मंत्री | सदस्य |
| 3. उपनिवेशन मंत्री | ,, |
| 4. उप-राजस्व मंत्री | ,, |
| 5. श्री रघुनाथ विश्नोई, एम.एल.ए. | ,, |
| 6. श्री शंकरलाल (जैतारण) ,, | ,, |
| 7. श्री यशवन्तसिंह नाहर ,, | ,, |
| 8. श्री जयनारायण (लसाड़िया) ,, | ,, |
| 9. श्री शिवनाथसिंह ,, | ,, |
| 10. श्री रामानन्द अग्रवाल ,, | ,, |
| 11. श्री रामकिशन ,, | ,, |
| 12. श्री बद्री प्रसाद ,, | ,, |
| 13. श्री कृष्णकुमार गोयल ,, | ,, |
| 14. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) ,, | ,, |
| 15. श्री हंसराज आर्य ,, | ,, |
| 16. राजस्व सचिव | सदस्य सचिव |

(2) उक्त कमेटी की केवल एक बैठक दिनांक 26 अक्टूबर, सन् 1970 को हुई थी। बैठक की कार्यवाही एवं उसमें लिये गये निर्णय संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:—

मुख्य मंत्रीजी ने भूमि सुधार हेतु उठाये गये कदमों का संक्षेप में उल्लेख किया एवं सदस्यों से इस बाबत सुझाव आमंत्रित किये।

# Page No 30

(30)



(राजस्व मंत्री)

सुझाव पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न निर्णय लिए गए :— (1) कृषि प्रयोजन हेतु भूमि के आवंटन में प्रगति:—

इस विषय पर विचार होकर निम्न निर्णय लिये गये:—

(i) भूतपूर्व राजाओं की भूमि को अधिग्रहण करने के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय लिया जाय।

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आवंटित भूमि का हस्तांतरण रोकने के लिये कदम उठाये जावें एवं जरूरी हो तो कानूनी प्रावधान किये जावें। इसी प्रकार ठेका पद्धति भी समाप्त की जावे।

(iii) गैरमुमकिन के रूप में दर्ज भूमि यदि काबिल काश्त हो तो उसका आवंटन किया जावे।

(iv) धारा 91 के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जावे।

(v) अतिक्रमियों को भी भूमि आवंटन के योग्य माना जावे।

(vi) जागीर पुनर्ग्रहण के समय जिन तालाबों को जागीरदारों के कब्जे में छोड़ दिया गया था, को अधिग्रहण करने के मामले पर विचार किया जावे।

(2) खातेदारी अधिकार:— जितने काश्तकारान खातेदारी के हक पाने के अधिकारी हैं उन सबको खातेदारी अधिकार देने के विषय पर शीघ्रता से विचार किया जावे और जरूरी हो तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में संशोधन किया जावे।

(3) भूमि की अधिकतम सीमा कानून का क्रियान्वयन:— इस कानून को शीघ्रता से लागू किया जावे एवं आवश्यक हो तो अतिरिक्त स्टाफ इस हेतु लगाया जावे।

(4) अन्य विषय:— 1. पास बुकें शीघ्रता से बांटी जावें।

2. बिचौलियों को समाप्त किया जावे।

3. अतिक्रमण के मामलों को नियमित करने के हेतु स्पष्ट निर्देश दिये जावें।

4. सरकार ने यह निर्णय पूर्व से लिया था कि जोत की भूमि का बंटवारा करने की इजाजत दी जावेगी चाहे इसके परिणामस्वरूप टुकड़े न्यूनतम निर्धारित रकबे से कम रह जावे। इस निर्णय को क्रियान्वयन किया जाना चाहिए एवं इस हेतु जरूरी संशोधन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में किया जाना चाहिये।

5. कुछ पांच छः साल से बन्दोबस्त कार्य चालू है जिससे नामान्तरकरण नहीं किये जा रहे है। इस स्थिति को पुनः देखा जावे एवं आवश्यक कदम उठाये जावें।

6. पेटाकाश्त की भूमि के मामलों को पूरी तरह फिर से जांचा जाना चाहिये।

### तहसील छबड़ा-छीपा बड़ौद में भूमि का आवंटन

27. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में भूमिहीन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है?

(2) उपरोक्त क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को अब तक भू-आवंटन किया गया है और कितनों को करना शेष है?

(3) उपरोक्त क्षेत्र के शेष भूमिहीन व्यक्तियों को राज्य सरकार कब तक भूमि दे देगी? और यह भूमि कहां से उपलब्ध होगी?

Page No 31

(31)



उत्तर

(1) तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 1632 व 3747 है।

(2) तहसील छबड़ा व छीपा बड़ौद में अब तक क्रमशः 1332 व 1640 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा दोनों तहसीलों में कुल 2407 भूमिहीनों को आवंटन करना शेष है।

(3) उपरोक्त क्षेत्र में शेष भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन हेतु अब सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं रही है। इसलिए भूमि जंगलात से राजस्व में रिलीज करने हेतु संबंधित तहसीलदारों से भूमि के खसरा नम्बर व क्षेत्रफल इत्यादि की सूचना जिलाधीश द्वारा एकत्रित की जा रही है ताकि भूमिहीनों को भूमि आवंटन किया जा सके।

### भूतल-जल मण्डल द्वारा खोदे गये नलकूप

28. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या भूतल जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान प्रान्त के विभिन्न जिलों में भू-जल मंण्डल के गठन के पश्चात् राजस्थान सरकार के लिये कुल कितने नलकूप खोदे व उनमें से कितनों में पर्याप्त मात्रा में उपयोगी जल प्राप्त हुआ? जिलेवार सूची-प्रत्येक नलकूप की मात्रा दर्शाते हुए प्रस्तुत करने की कृपा करें।

( स्थगित किया गया )

### सांचोर-हाड़ेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं

29. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर-हाड़ेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा सब ग्रामों में अब तक पीने के पानी की पूरी सप्लाई नहीं की जा रही है? अगर हां, तो क्यों? अब उक्त योजना के तहत सांचोर के आसपास नए ट्यूब वैल या ओपन वैल्स द्वारा पानी लिया जाकर सब गांवों में पूरा पीने का पानी कब तक सप्लाई किया जा सकेगा?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त योजना में नगरपालिका क्षेत्र सांचोर को अलग पानी सप्लाई की दृष्टि से अलग क्षेत्र करना उचित समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा? अगर नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सत्य है कि गलीफा के सरहद में रामदेवजी के मन्दिर के पास बने हुए हौज में अभी तक जल प्रदाय योजना हाड़ेचा के अन्तर्गत पानी सप्लाई शुरू नहीं की गई है? अगर हां, तो क्या विभाग ग्राम गलीफा में बने हौज में पानी न देकर उसी लाइन को रामदेवजी के स्थान पर सार्वजनिक हौज में निकाल कर उक्त स्थान को जोड़ना उचित समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा?

(4) सांचोर तहसील की देवड़ा—भाव वगैरह ग्रामों की क्षेत्रीय नल योजना, सांकड़ पालडीपुर क्षेत्रीय जल योजना एवं सीलगोलासण वगैरह क्षेत्रीय जल योजनाओं की क्रियान्विति कब तक की जाकर इसके अंतर्गत आए हुए ग्रामों में पानी सप्लाई शुरू कर दी जावेगी? निश्चित अवधि बताने की कृपा करावें।

(5) तहसील सांचोर में क्षेपड खारे पानी के क्षेत्र में स्वच्छ मीठे पानी का सप्लाई की व्यवस्था सरकार कब तक कर सकेगी?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इस क्षेत्र में अब तक कौनसी योजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है एवं उन योजनाओं की मंजूरी कब तक करवा दी जावेगी ? इस क्षेत्र के कुल ऐसे कितने ग्राम हैं जहां पीने के पानी का गम्भीर संकट है एवं इससे लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं ? इन ग्रामों में पीने के पानी का संकट कब तक दूर किया जावेगा ?

(6) तहसील सांचोर में अन्य कितने ग्रामों में पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है ? उन ग्रामों में क्षेत्रीय जल योजनाओं द्वारा कब तक स्कीमें मंजूर की जाकर पीने के पानी का संकट दूर कर दिया जावेगा ? किन ग्रामों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हाथ में ली जा रही हैं ?

(स्थगित किया गया)

## कस्बा सीकरी (भरतपुर) की जल प्रदाय योजना से सड़कों एवं गलियों की क्षति

30. श्री करनसिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले के किन-किन कस्बों की जल प्रदाय योजना से सड़कों एवं गलियों को क्षति हुई एवं इसके लिए कितनी-कितनी धनराशि पंचायतों को दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा सीकरी, जिला भरतपुर की सीमेंट की सड़कों एवं गलियों को लगभग 70,000 रु. की क्षति पहुंची है और इसके प्रमाणित एस्टीमेट जिलाधीश एवं विभाग के पास आ चुके हैं और विभाग ने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक यह धनराशि सीकरी पंचायत को दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जहां भी जल प्रदाय विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना का कार्य किया जाता है वहां सड़क एवं गली को क्षति पहुंचती है। साधारणतः उक्त क्षति को विभाग द्वारा ठीक करवा दिया जाता है। इससे ग्राम पंचायत नगर को नगर ग्राम में हुई क्षति की मरम्मत के लिए 6000/- रु० जन स्वा० अभि० विभाग द्वारा भुगतान किया गया।

(2) कस्बा सीकरी जिला भरतपुर की सड़कों की क्षति का अनुमान 70 हजार रु. नहीं है। सड़कों की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा ठेकेदार को 3604/- रु. के कार्य आदेश दिये जा चुके हैं। सड़कों की मरम्मत विभाग द्वारा ही करवा दी जावेगी अतः राशि पंचायत को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## बीकानेर में पाइप लाइनों के फटने से मकानों को क्षति

31. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष पूर्व बीकानेर में कई स्थानों पर जलदाय विभाग की पाइप लाइनों के फटने से कई मकान क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त हुए ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले में विभाग के उच्च अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो इस अधिकारी ने बीकानेर के किन-किन स्थानों पर कब-कब किस तरह की जांच की? जांच परिणाम की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हुए मकान मालिकों को किसी तरह का मुआवजा देने का इरादा रखती है?

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। पाइप लाइन फटने के कारण कोई मकान क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त नहीं हुये हैं।

(2) जी हां। विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 4 मई, 1975 को मकानों के ढहने के बाबत जांच की गई थी जिसमें उन्होंने मोहता का चौक एवं कीकाणी व्यासों के चौक की जांच की। उन्होंने मौके पर मकानों की हुई क्षति की जांच की एवं जलदाय विभाग के कर्मचारी एवं स्थानीय निवासियों से जानकारी प्राप्त की। उनके जांच परिणाम के अनुसार मकानों की क्षति पाइप लाइन फटने के कारण नहीं हुई।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

## जयपुर जिले में जल-प्रदाय योजनाओं पर खर्चा

32. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर जिले में जनवरी, 1972 से अब तक कौन-कौन सी तहसील में किन-किन जल-प्रदाय योजनाओं पर कितना कितना खर्चा किया गया है? सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

## लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में भूतपूर्व न्याय पंचायतों के लेखकों के बकाया वेतन का भुगतान

33. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या पचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट (जयपुर) पंचायत समिति क्षेत्र में भूतपूर्व न्याय पचायतों के किन-किन लेखकों का कितना-कितना वेतन बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भुगतान के बारे में राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे लेखकों को ग्राम पंचायतों के क्लर्कों अथवा अन्य नौकरियों में कोई प्राथमिकता देगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

## पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था

34. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत-समिति सांचोर क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था ठीक नहीं है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो इस क्षेत्र में कुल कितनी प्राथमिक शालाएं हैं? इनमें से कितनी पाठशालाओं के भवन बने हुए हैं एवं कितनी पाठशालाओं में भवनों का अभाव है? सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त प्राथमिक पाठशालाओं में से कितनी पाठशालाएं शिक्षकों के अभाव में कब से बन्द पड़ी हैं? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त पाठशालाओं में से कितनी पाठशालाओं में लड़कों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों का अभाव है? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कब तक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करवा दिया जावेगा ? उक्त पाठशालाओं में शिक्षकों का अभाव कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में इस वर्ष एक भी नई प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई ? अगर हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम नलदरा में ग्रामवासियों की तरफ से पाठशाला भवन एवं शिक्षक के रहने का मकान काफी अर्से पहिले से बनवा दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि पहिले कुछ समय तक पंचायत समिति द्वारा एक शिक्षक भी लगाया गया था ? अगर हां, तो कब एवं कितने समय तक ? उक्त शिक्षक फिर उक्त पाठशाला से क्यों हटाया गया ? अब दुबारा उक्त पाठशाला में शिक्षक कब तक लगवा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करावें ।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत समिति में कई पाठशालाओं में ब्लेक बोर्ड एवं टाट पट्टियां एवं कई आवश्यक सामान भी उपलब्ध नहीं है ? अगर हां, तो कितनी पाठशालाओं में कब से उक्त सामान की कमी है ? उक्त सामान की सप्लाई उक्त पाठशालाओं में कब तक करवा दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करावें । उक्त सामान की कमी वाली पाठशालाओं की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में नेहड़ क्षेत्र में स्थित कई पाठशाला भवन अत्यधिक बाढ़ के कारण नष्ट हो गये थे ? अगर हां, तो कब व कितनी पाठशालाओं के भवन बाढ़ में बह गये थे ? उन भवनों का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया ? सरकार द्वारा उक्त भवनों के निर्माण के लिये क्या सहायता दी गई है ? उक्त पाठशाला भवनों का पुनर्निर्माण अब तक नहीं करवाया गया है तो फिर कब तक करवा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया।)

### केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर द्वारा ऋण

35. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर की ऋण देने की क्षमता जिला जालोर में काश्तकारों की मांग के अनुसार नहीं है ? अगर हां, तो इसके कारण क्या हैं ? तथा इन कारणों को कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(2) उक्त बैंक का संचालक मण्डल सन् 1972 से लेकर आज दिनांक तक पंचायत समितिवार सहकारी समितियों को ऋण देने एवं ऋण वसूली के लिये किस हद तक जिम्मेवार है ? इस जिम्मेवारी को क्या संचालक मण्डल ने पूर्ण रूप से निभाया है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त बैंक की ऋण वसूली में बैंक कर्मचारियों एवं सहकारी विभाग के कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है ?

(4) क्या यह सही है कि सेवरिया सहकारी समिति को 18000 रु० का ऋण बिना किसी विभागीय अफसर की सिफारिश के दिया गया था ? अगर हां, तो कब एवं क्यों ? क्या उक्त बैंक के ऋण की वसूली

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कर ली गई है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो अब कब तक वसूली कर ली जावेगी?

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जालोर, आहोर एवं सायला से केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर की ऋण वसूली बहुत कम हुई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब इस बैंक की ऋण वसूली पूरी कब तक कर ली जावेगी ?

(6) क्या यह सही है कि बैंक कर्मचारियों, सहकारी विभाग के कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल में आपसी सहयोग न होने से उक्त बैंक ऋण वसूली एवं ऋण देने में काफी कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं ? अगर हां, तो अब यह कठिनाई किस प्रकार दूर की जा सकेगी ?

(7) क्या यह भी सही है कि अब उक्त बैंक में एक ऋण निरीक्षक कम कर दिया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? ऋण वसूली की स्थिति देखते हुए क्या ऋण निरीक्षक कम करना अनुचित नहीं है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर के ऋण देने की क्षमता पर्याप्त न होने के निम्नांकित कारण हैं:—

1. अवधि पार ऋण एवं शीर्ष बैंक का डिफाल्टर होना।
2. वसूली का कम होना।
3. जमानतें एवं बैंक के स्वयं के फण्ड्स की कमी होना।

अगर वसूली अच्छी होती रही तथा संचालक मण्डल के सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा तो चालू वर्ष के अन्त तक स्थिति के सुधरने की आशा की जाती है।

(2) संचालक मण्डल वांछित उत्तरदायित्व नहीं निभा पाया है। बैंक की वसूली व ऋण वितरण में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण नहीं किया गया।

(3) वसूली का प्रतिशत वर्ष 72-73 में 32%, 73-74 में 44 % व 74-75 में 48 % रहा है जिसके देखने से विदित होता है कि वसूली में कर्मचारियों द्वारा भी शिथिलता बरती गई है।

(4) संदरिया सहकारी समिति का उक्त ऋण सम्बंधित अधिकारी की सिफारिश पर स्वीकार किया गया था। शेष बातों के बारे में प्रश्न नहीं उठता। वसूली दिनांक 30-6-76 तक करने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) जी हां। ऐसा प्रतीत होता है कि वसूली के लिये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूरे प्रयास नहीं किये गये। वसूली कराने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्देश सम्बन्धित पक्षों को दिये जा रहे हैं कि ऋण की वसूली सक्रियता से की जाये तथा प्रगति का विवरण समय समय पर दिया जाता रहे।

(6) राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(7) ऋण निरीक्षक का पद कम नहीं किया गया, बल्कि स्थान रिक्त है।

ग्राम पंचायत लालसोट के मोटर स्टेण्ड का किराया

*36. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत लालसोट (जयपुर) के मोटर स्टेण्ड के प्राइवेट बस मोटरों के (सवारी) मालिकों पर 1965-66 से 31 दिसम्बर, 1972

(श्री मीठालाल मीणा)

तक 35304.05 पैसे किराये के बकाया चले आ रहे हैं ?

(2) क्या यह सच है कि 1972 के पश्चात् भी आज तक उक्त किराया बराबर बाकी चला आ रहा है ? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक उक्त धनराशि कितनी हो जावेगी ? कृपया अलग-अलग बसों की बकाया राशि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार का कभी उक्त बकाया की वसूली करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक तथा कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, चालू वर्ष के अन्त तक बकाया राशि 52872-65 रु. हो जायेगी। बसों की बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 66 व राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 115 के अन्तर्गत पंचायत को ही यह वसूली का अधिकार है। ग्राम पंचायत को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

### जयपुर सवाई माधोपुर जिले के कस्बों व ग्रामों को नगरपालिकाएं बनाने का मामला

37. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत को नगरपालिका बनाने का क्या आधार है ? जयपुर व सवाई माधोपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में किन किन पंचायतों की नगरपालिकाएं बनाई गई हैं तथा उनकी जनसंख्या क्या है ?

(2) जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में ऐसे कौन कौन से ग्राम व कस्बे हैं जो जनसंख्या व अन्य सभी प्रकार से नगरपालिका बनाने योग्य हैं, फिर भी वहां नगरपालिकाएं नहीं बनाई जा रही हैं ? पूर्ण गांव व कस्बों की जनसंख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त स्थानों पर कब तक नगरपालिकाएं बना दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट व सवाई माधोपुर जिले के कस्बे बामनवास की पट्टी खुर्द व पट्टी कलां दोनों ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नगरपालिका बनाने का मामला पिछले काफी समय से राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक देरी होने का क्या कारण है ? भविष्य में कब तक उक्त कस्बों में नगरपालिकाएं बना दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अन्तर्गत ऐसे ग्रामों के स्थानीय क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र जिनकी आबादी 8 हजार या इससे अधिक हो तो वहां नगरपालिका बनाई जा सकती है। नगरपालिका बनाते समय यह भी देखा जाता है कि उक्त क्षेत्र शहरीकरण के लिए उपयुक्त है या नहीं ? जयपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में सांगानेर ग्राम पंचायत व नरायना ग्राम पंचायत को नगरपालिकाएं बनाई गई, जिनकी जनसंख्या क्रमशः

(स्वायत्त शासन मंत्री)

7605 व 11043 है। सवाई माधोपुर जिले की किसी भी पंचायत क्षेत्र को नगरपालिका नहीं बनाई गई है।

(2) जयपुर व सवाई माधोपुर जिले में जिन ग्रामों व कस्बों की आबादी 8 हजार से अधिक है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक मामले में स्थानीय स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(3) रैनवाल किशनगढ़ व बामनवास के मामले विचाराधीन हैं। राज० न० पा० अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। इस संबंध में संबंधित जिलाधीशों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(4) जी हां। बाकी उत्तर भाग (3) में शामिल है।

( कृपया परिशिष्ट 6 देखिये )

## राज्य के जिलों में बिजली की खपत

38. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में सालाना कितने युनिट बिजली की खपत होती है ?

(2) राज्य के विभिन्न जिलों में डोमेस्टिक, कामर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लोड कितना है ? अलग-अलग जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) टोंक जिले में एग्रीकल्चर कनेक्शन देना क्यों बन्द कर रखा है और अब कब तक देना चालू कर दिया जावेगा ?

### उत्तर

(1) राज्य में बिजली की वर्ष 1974-75 में कुल 1564·410 लाख युनिट की खपत हुई है।

(2) राज्य में वर्ष 1974-75 में निम्नलिखित मदों का सम्बन्ध भार व बिजली की खपत इस प्रकार से है। अलग अलग जिलेवार सूचना संकलित नहीं की जाती:—

| क्रम संख्या | मदों का नाम | सम्बन्ध भार (किलोवाट) | बिजली की खपत (लाख युनिट) |
|---|---|---|---|
| (1) | डोमेस्टिक | 250743 | 102.587 |
| (2) | कॉमर्शियल | 98955 | 80.234 |
| (3) | इन्डस्ट्रियल | 590003 | 869.908 |
| (4) | एग्रीकल्चर | 440407 | 345.330 |

(3) जिले की आर. ई. सी. योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले विद्युतिकृत गांवों में कनेक्शन दिये जा रहे है। जिले के अन्य विद्युतिकृत गांवों में धनाभाव के कारण सीमित संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व छोटे कृषकों को कनेक्शन दिये जा सके हैं। अन्य प्रार्थी एडवान्स डिपोजिट स्कीम में कनेक्शन ले सकते हैं।

## जयपुर जिले में सड़कों व मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि

39. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

# Page No 38

(38)



(श्री मीठालाल मीणा)

(1) जयपुर जिले को चालू वित्तीय वर्ष (1975-76) में सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य के लिये अलग-अलग कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से किस-किस तहसील में किस 2 सड़क पर कितना 2 रुपया खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि लालसोट व चाकसू तहसीलों में नई सड़क बनाने व मरम्मत का कार्य करने में बहुत कम पैसा खर्च किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार आगामी वर्ष उक्त तहसीलों को अधिक धन राशि प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची 'क' प्रस्तुत है।

(2) तहसीलवार व्यय के आंकड़े विभाग मे नहीं रखे जाते हैं। सड़कवार व्यय के आंकड़े सूची 'क' व 'ख' में अंकित हैं ।

(3) तहसीलवार व्यय के आंकड़े विभाग में नहीं रखे जाते हैं, अतः तहसीलवार तुलना संभव नहीं है ।

(4) योजना धनराशि तथा मरम्मत धनराशि का आवंटन तहसीलवार नहीं किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## ग्रामीण विद्युतिकरण योजना लालसोट में कार्य करने वाले कर्मचारी

40. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना लालसोट (जयपुर) जिसका इस समय कार्य चालू है, मस्टर रोल पर कार्य करने वाले कुल कितने कर्मचारी हैं ? इन कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व स्थानीय लोगों का कितना प्रतिशत है ? कृपया निम्न तालिका के आधार पर पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

1) नाम, 2) पिता का नाम, 3) जाति, 4) उम्र, 5) मूल निवास व पता ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मस्टर रोल पर लगे कर्मचारियों को कार्यालय में लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो, प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त मस्टर रोल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों में सहायक अभियन्ता, लालसोट व अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर के रिश्तेदार भी हैं जो कार्यालय में ही कार्यरत हैं, और लेबर का काम नहीं करते ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो ट्रक के साथ चलने वाले कर्मचारी व चौकीदार को आराम देने वाले कर्मचारी कौन कौन है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही हैं कि जितने कर्मचारी रजिस्टरों में मस्टररोल पर दैनिक

(श्री मीठालाल मीणा)

रूप में दिखाये जाते हैं, वे सभी काम पर नहीं होते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार सारे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत लालसोट (जिला जयपुर) पंचायत समिति की योजना को क्रियान्वित करने हेतु मस्टर रोल पर इस समय 27 व्यक्ति कार्यरत हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व स्थानीय लोगों का प्रतिशत क्रमशः 11.1, 7.4, 6.3 है। चाही गई सूचना संलग्न सूची 'अ' में दर्शायी गई है।

(2) जी नहीं। मस्टर रोल पर रखे गये 27 व्यक्तियों में से एक ट्रक चालक के साथ व एक चौकीदार का कार्य करता है बाकी व्यक्ति लाइनों पर कार्य कर रहे हैं।

(3) जी नहीं। कौन कहां कार्य करता है, प्रश्न 2 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है।

(4) जी नहीं। जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

## पंचायत समिति शाहबाद में सिंचाई योजना पर स्वीकृत धनराशि

41. श्री रामगोपाल (किशनगंज): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति, शाहबाद, जिला कोटा में किस-किस सिंचाई योजना पर कितनी-कितनी धन राशि सन् 75-76 में स्वीकृत हुई और अब तक कितनी खर्च की गई है? समस्त सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

शाहबाद पंचायत समिति के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की तीन योजनाओं पर कार्य चल रहा है। जिनके लिए वर्ष 1975-76 में प्रावधान व खर्च निम्न प्रकार है।

| क्रमांक | योजना | प्रावधान वर्ष 1975-76 (रु० लाखों में) | व्यय दिसम्बर 1975 तक (रु० लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | गोपालपुरा | 64.00 | 11.16 |
| 2. | मोहीदरी | 8.00 | 2.90 |
| 3. | छत्रपुरा | 4.20 | 1.61 |

## मासलपुर (करौली) के ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए आर० ई० सी० स्कीम

42. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मासलपुर सब-तहसील करौली के ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए एक आर. ई. सी. स्कीम ए. ई. एन. करौली द्वारा बना कर प्रस्तुत की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कीम को तुरन्त स्वीकृति प्रदान करेगी?

# Page No 40

(५०)



(विद्युत मंत्री)

उत्तर

जी नहीं। नियमानुसार मासलपुर की आर. ई. सी. योजना का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

## करौली में 33 के० वी० का सब-स्टेशन

43. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली पंचायत समिति क्षेत्र में रबी की फसल को कम वॉल्टेज मिलने के कारण भारी कठिनाई हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि 33 के. वी. सब-स्टेशन करौली में पूर्ण तैयार होने पर भी उसे चालू नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस कारण ?

(3) सब-स्टेशन चालू करने के क्या सरकार शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी 27-12-75 को करौली में एक नया 1000 के. वी. ए. क्षमता का 33/11 के. वी. सब-स्टेशन चालू किया गया है जिससे निःसन्देह वोल्टेज में सुधार हुआ है।

(2) 33 के. वी. सब-स्टेशन चालू हो चुका है।

(3) 33 के. वी. सब-स्टेशन चालू हो चुका है।

## ग्राम पंचायत संथली (टौंक) के आकोड़िया बांध का सर्वे

44. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत संथली तहसील देवली, जिला टौंक के आकोड़िया बांध का कार्य आज दिन तक पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और अब इसका कार्य कब पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(2) जी हां। धनाभाव के कारण इस परियोजना पर कार्य करना संभव नहीं हो सका है। पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्य को किया जायेगा।

## चाकसू एवं फागी तहसील में सड़कें बनाने की मन्जूरी

45. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चाकसू एवं फागी तहसील में वित्तीय वर्ष 1975-76 में कितनी सड़कें बनाने की मंजूरी दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंजूर की गई सड़कों का कार्य चालू हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) चाकसू एवम फागी तहसील में वर्ष 1975-76 में सड़क निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

Page No 41

(41)



## राजस्थान में गरीबी की रेखा से कम आमदनी वाले व्यक्तियों का जीवन-स्तर

46. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) राजस्थान में वर्तमान में गरीबी की रेखा (पावर्टी लाइन) तक आमदनी वाले कितने व्यक्ति हैं ?

(2) क्या गत 5 वर्षों में उपरोक्त संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ? कृपया हर वर्ष के आंकड़े सदन के पटल पर रखें ।

(3) राजस्थान में गरीबी की रेखा से कम आमदनी वाले व्यक्तियों के जीवन-स्तर व आमदनी को बढ़ाने में राज्य सरकार के असफल होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) गरीबी सापेक्षपद (रिलेटिव टर्म) है अतः कोई स्वीकृत मापदण्ड लिया जाना सम्भव नहीं है। मोटेतौर पर भारत सरकार ने चौथी योजना दस्तावेज में 1960-61 के मूल्यों पर उपभोग के निम्नतर स्तर को 20/-प्रति व्यक्ति प्रति मास माना है जिसका भारत सरकार की पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में भी जिक्र है। इसी आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मोटे रूप में लगभग 1 करोड़ 64 लाख व्यक्ति उपभोग के निम्नतर स्तर के नीचे पांचवीं योजना के प्रारम्भ के आंके गये हैं। इसमें लगभग 25 लाख शहरी एवं 1 करोड़ 39 लाख ग्रामीण हैं।

(2) गत पांच वर्षों में उपरोक्त संख्या वृद्धि या ह्रास के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) गरीब जनता के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिये प्रति व्यक्ति आय तथा उपयोग क्षमता के वृद्धि के उपाय सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं। इसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में विशेष रोजगार कार्यक्रमों को चलाया गया जिससे निम्न वर्ग के लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने में सहायता मिली। पांचवीं योजना में कृषि, पशुपालन एवं सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष महत्व दिया जा रहा है चूंकि प्रदेश की अधिकांश जनता कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रमों को भी गरीबों के निम्नतर स्तर को ऊपर उठाने के लिये क्रियान्वित किया जा रहा है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये विशेष योजना इसी उद्देश्य से तैयार की गई है व क्रियान्वित की जा रही है। गरीबी की समस्या अत्यन्त व्यापक एवं जटिल है। अतएव एक ही योजना की अवधि में उसका उन्मूलन सम्भव नहीं। वर्तमान परिस्थिति में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को इस प्रकार का मोड़ दिया जा रहा है जिससे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

## अलवर जिले के ओवरसियर के वार्षिक इन्क्रीमेन्ट व फिक्सेशन का मामला

47. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(1) क्या यह सही है कि श्री रामजी लाल विजय, ओवरसियर, जो इस समय अलवर जिले में कार्य कर रहा है, को गत 1965 से वार्षिक इन्क्रीमेंट व फिक्सेशन आदि नहीं मिला है जिसके कारण उसे भयंकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ओवरसियर ने बार-बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे हैं जिनमें उसने उसकी सर्विस बुक मंगाकर उसकी पूर्ति करके उसको वार्षिक इन्क्रीमेंट देने और फिक्सेशन करने के लिए निवेदन किया है ? यदि हां, तो उक्त ओवरसियर ने ये पत्र किस किस अधिकारी को कौन 2 सी तारीखों में लिखे और उस पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में एक लिखित तारांकित प्रश्न विधान सभा के गत बजट अधिवेशन में भी भेजा गया था ? क्या उस प्रश्न के बाद उक्त कर्मचारी को राहत देने के लिए कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी की यह शिकायत दूर करने के लिए मेरी ओर से माननीय मंत्री, भवन एवं पथ निर्माण विभाग, राजस्थान को दिनांक 19-4-74 को पत्र लिखा गया था और उसके रिमाइन्डर्स दिनांक 9-10-74, 9-4-75 और 3-10-75 को भेजे गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र और रिमाइन्डरों के बावजूद उक्त कर्मचारी को राहत नहीं मिली है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को वार्षिक इन्क्रीमेंट न दिये जाने और फिक्सेशन न होने का कारण उसकी सर्विस बुक मुकम्मिल न होना है और सर्विस बुक को मुकम्मिल करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी है ? यदि हां, तो इस सर्विस बुक को मुकम्मिल न करने के लिए कौन 2 अधिकारी जिम्मेवार हैं ? क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

(6) क्या उक्त कर्मचारी की सर्विस बुक मुकम्मिल कराकर उसे राहत देने के लिये किसी विशेष अधिकारी अथवा कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी गई ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

(7) उक्त कर्मचारी के वार्षिक इन्क्रीमेंट और फिक्सेशन का निपटारा कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) श्री रामजीलाल विजय कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन निर्धारण नहीं हुआ है । अतः वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं हुई है ।

(2) इस विभाग को केवल एक पत्र बिना तारीख का मास जनवरी, 1971 को प्राप्त हुआ किन्तु इससे पूर्व ही सेवा पुस्तिका मंगवाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी थी ।

(3) जी हां । सेवा पुस्तिका पूर्ण करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना को भिजवा दी है, और विकास अधिकारी बयाना ने अपने पत्र दिनांक

( सार्वजनिक निर्माण मंत्री )

11-8-75 द्वारा विकास अधिकारी तिजारा को सेवा पुस्तिका पूर्ण करने हेतु भिजवा दी है। इस विभाग द्वारा पुनः विकास अधिकारी को स्मरण-पत्र भिजवा दिये गये हैं।

(4) श्री रामानन्द जी अग्रवाल विधायक के पत्र दिनांक 9-4-75 एवम् 3-10-75 प्राप्त हुये हैं, जिस पर श्री रामजी लाल विजय की सेवा पुस्तिका पूर्ण शीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की गई है।

(5) सेवा पुस्तिका में पूर्ति समय पर न करने की जिम्मेदारी पंचायत समितियों की है।

(6) पंचायत समिति से सर्विस बुक पूर्ति हेतु एक लिपिक को भेजा जा रहा है।

(7) सेवा पुस्तिका का पंचायत समितियों द्वारा पूर्ण होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि एवम् फिक्सेशन का निपटारा अविलम्ब कर दिया जावेगा।

## तहसील गंगानगर के चक 7 वाई के खाले का मामला

48. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि करीब चार वर्ष पहले चक सात वाई तहसील गंगानगर में स. जगीरसिंह के मुरब्बे में विभाग द्वारा एक खाला मन्जूर किया गया था? और उसके सम्बन्ध में 500 रुपये जमा भी करवाये जा चुके हैं और इसी तरह चक 2 एन. की पानी की बारी के सम्बन्ध में एस. ई. श्री गंगानगर के निर्णय के आधार पर आज तक उस चक को पानी की बारी नहीं बनाई गई? यदि हां, तो क्यों? और यह कार्य अब कब तक करा दिया जायेगा?

### उत्तर

श्री जगीरसिंह सम्बन्धित (प्रस्तावित) खाले में आपत्तिकर्ता है। इस खाले के विषय में मांग कर्ता से 500) मुआवजे के रूप में जमा करवाये गये थे परन्तु आपत्तिकर्ता नकद मुआवजे अथवा भूमि के लिए भूमि, किसी भी रूप में मुआवजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अतः भूमि अवाप्ति हेतु जिलाधीश, गंगानगर को लिखा गया है। भूमि अवाप्ति उपरान्त ही खाले को चालू कराना सम्भव हो सकेगा।

चक 2 एन. की वारी अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्री गंगानगर के आदेशानुसार स्वीकृत कर चक में चालू कर दी गई है।

## विधायी कार्य

## विधेयकों का पुरः स्थापन

## राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

(४४)



**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान साहूकार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 14, सन् 1975) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट।

**राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976**

**श्री परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 21, सन् 1975) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट।

**राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976**

**श्री परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 12, सन् 1975) और राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 23, सन् 1975) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट।

## राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976

**श्री रामनारायण चौधरी** (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 15 सन् 1975) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976

**श्री अध्यक्ष** : विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। परिनियत संकल्प।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर।

**श्री दीपंकर** (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक राज्य सरकार द्वारा सदन के समक्ष रखा गया है उसकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं और भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। फिर भी कुछ ऐसी बातें और थी कि थोड़ा समय और मिले और जनता की इसके बारे में और राय जानें। सरकार अपने में ही नहीं बल्कि देश में इस बारे में बहुत प्रगतिशील मानी जाती है, इसलिए जो भूमि बीस साल तक, दस साल तक लम्बे समय तक लीज पर रहे और बराए नाम उसका मालिक हो और असली मालिक कोई और ही हो और वह जमीन को भोगबन्धक करे और सीमित दायरे में बांध दिया जावे तो उसकी अवधि घटा दी जाय ...

**श्री अध्यक्ष** : आप जरा मूव कर दें।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जावे।

**श्री अध्यक्ष** : Now you can take.

### विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक माह / एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।]"

**श्री दीपंकर** : तो यह अपने आप में बहुत बड़ा भारी प्रगतिशील कदम है और

(श्री दीपंकर)

जिस तरह से सदन में सम्माननीय सदस्यों के समक्ष बीस सूत्री, इक्कीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो चुकी है, उसी तरह इसको भी एक हिस्सा माना जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। इसको भी उसका पार्ट मानें। इससे कुछ भूमि मिलेगी और कुछ ऐसे लोगों को भी भूमि मिल सकती है जिनको नहीं मिल रही थी। यह एक बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम होगा, इसलिए इस अध्यादेश की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। परन्तु जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का मैंने प्रस्ताव किया है, वह इसलिए किया है कि इसमें दो तीन बातें और हैं जिनकी ओर तवज्जह दी जानी चाहिए और वह तवज्जह इस रूप में कि हर गांव में जहां कि पेटा काश्त है और गंवाई काश्त है वहां के रहने वाले लोगों के लिए काश्त करना उनका जीवन है, उसी से उनकी जीविका चलती है। वह कहां रहें और क्या करें। यह उनके सामने जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से थोड़ा सा जरूर माना है कि अपने खेत में जहां थोड़ा सा नीचे से मोड़ निकाल सकता है और कुछ पत्थर भी होता है, माईनिंग डिपार्टमेंट उसको खान नहीं मान सकता। वह किसी तरह की खान नहीं होती, है। जिसे कोई लीज पर नहीं देता है, उस जगह पर यदि खोदने का अधिकार दे दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। काश्तकारों के पास में केवल काश्त के अलावा जीविका का एक कार्य और है। उसके पास भेड़ है, बकरी है, छोटे मोटे बच्चे हैं और उसके छोटे बच्चे जो पढने नहीं जाते हैं, घर पर ही रह कर उसके काम में सहयोग देते हैं वह कहां पर खड़े होंगे। इस तरह की चरागाह की पड़त भूमि है, कुछ इस तरह की भूमि है। उन काश्तकारों के लिए कोई न कोई तरीके की परिभाषा बनावें तो काश्तकारों के हित में होगा और ऐसे लोगों होंगे जिस तरह से आपने माना है कई तरह के ट्रेसपासर्स होंगे, उन पर पेनल्टी करेंगे, उनको सजा भी करेंगे, सब कुछ है लेकिन इसमें विशेष प्रावधान भी होना चाहिए कि जो सार्वजनिक अहित करते हैं उस सार्वजनिक अहित करने वाले को भी दण्ड मिलना चाहिए। इस तरह की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह का निवेदन है, आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूं कि गांव वाले यह समझेंगे कि न केवल सरकार चलाने वाले आदमी हमारी आजीविका की, रहने और काश्त की भूमि की परवाह करते हैं बल्कि हमारी सार्वजनिक प्रवृत्तियों के लिए, जहां कि जो स्थान हमें चाहिए, जहां से पत्थर निकालते हैं, रहने के लिए निजी खुद अपने मकान बनाते हैं, हम अपना गारा निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं वह निकाल सकें और पटवारी जो उसका नीलाम कर देता है वह रुक सकेगा।

( 1.05 म. प. )

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जहां एक काश्तकार खेत में टीलों को ठीक करता है, पत्थर निकालता है, मोड़ निकालता है तो उसको पेनेलाइज करते हैं वह नहीं होतके इसका प्रावधान इसमें करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था का जाय यह बात आपके नोटिस में लाने के लिए, आपके ध्यान में लाने के लिए मैंने यह

(श्री दीपंकर)

जनमत जानने का प्रस्ताव किया है जिससे लोगों को पूरी तरह से फायदा मिल सके और यह फायदा दिलाने की आप कृपा करें तो मैं समझता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

इसके अलावा एक निवेदन और है कि आपने सागड़ी प्रथा के बारे में अलग से विधेयक बनाया है लेकिन जिस व्यक्ति ने लिखित में नहीं रख कर अलिखित में अपनी भूमि को बन्धक रखा है उसका भविष्य क्या होगा ? दूसरे मैं अब अपने आप अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि वे ट्रेसपासर्स हैं उन ट्रेसपासर को आप हर तरह से काबिज बनायें तो उसकी अवधि क्या हो। वह अवधि आपने निर्धारित नहीं की है जिसका होना जरूरी है। इस तरह की बातें अस्पष्ट हैं जो स्पष्ट हो जायं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जितनी प्रोग्रेसिव विचारधारा से, जितना गरीबों के हित में, जितना काश्तकारों के हित में, जितना राजस्थान के हित में आपने यह संशोधन पेश किया है उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं और यह अपनी भावना व्यक्त करने के लिए ही मैंने यह जनमत जानने हेतु यह जरिया लेकर यह प्रस्ताव रखा है और जो बातें मैंने निवेदन की है उनका आप प्रावधान करें तो यह काश्तकारों के बहुत हित में होगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह राठौड़ (अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने राजस्थान कृषि सम्बन्धी विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 15 साल के अन्दर जो भी जमीन बन्धक रखी गई है उसको पांच साल के बाद ज्योंही पांच साल पूरे होंगे, भार से मुक्त कर दिया जाएगा काश्तकार के हक में। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप एक तरफ से जो काश्तकार का जमीन का हक है गिरवी रखने का हक है उसको छीन लिया है। क्योंकि ज्योंहीं पांच साल पूरे होंगे, उसने रुपया लिया है वह उससे मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह पांच साल के कर्जे के लिए ही लीज पर जमीन को रख सकता है बाकी उसको जो अधिकार था उससे उसको वंचित कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी काश्तकार गिरवी नहीं रख सकते थे। राजाओं के समय के कानून को आप लागू करें, किराया वाला कानून आप लागू करें तो वह किराये पर अपनी जमीन को दे सकता है। एक बार गिरवी रख देने पर 5 साल के लिए वह बाध्य हो गया है। 5 साल के लिए बधक रखी है। 5 साल के बाद ही छुड़ायेगा तो उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा यह आपने कानून में व्यवस्था रखी है। मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करेंगे तो फायदा होगा। मेरी यह मान्यता है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बजाय दो तीन साल का प्रावधान रखते तो उचित होता। वरना उसको पांच साल के बाद ही मुक्ति मिलेगी। आशा है आप इसके ऊपर विचार करेंगे और जवाब देंगे तो इसको गंभीरता से समझायेंगे। यह उचित व्यवस्था नहीं है।

## विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव भी इसके साथ ले लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

[ निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान काश्तकारी ( संशोधन ) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन तीस दिन/एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)] "

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के अन्दर एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत जिसकी जमीन दस साल से रहन है, केवल पांच साल वह जमीन रहन रह चुकी है तो उस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार यह काफी प्रगतिशील कानून है, एक प्रगतिशील कदम है और ऐसे हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो दस साल से इसके इन्तजार में बैठे हुए थे। बढ़ी हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए 5 साल में ही उनकी धरती को मुक्ति प्रदान की है। टिनेन्सी एक्ट में यहां और वहां संशोधन लाकर मुक्ति देने के बजाय नया टिनेन्सी बिल, लाते जो कि प्रोसेस हो चुका है और जिस पर सलेक्ट कमेटी ने भी अपनी ओपीनियन दे दी है, तो इस बात की आज आवश्यकता है, इक्कीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करें उसके लिए। नया टिनेन्सी बिल आवे और एक्ट बने और केवल टिनेन्सी एक्ट को एक धारा में अमेन्डमेंट की आवश्यकता नहीं है। काफी धाराओं में तो मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता है। आज हजारों लोग हैं, जो शिकमी काश्तकार हैं, सब-टिनेन्ट हैं और वास्तव में सब-टिनेन्ट हैं, उनको खेतिहर मजदूर बताया गया है। यह ठीक है कि कई सालों तक सरकार ने गश्त गिरदावरी करना बन्द कर दिया था और अब इनका नाम गश्त गिरदावरी में दर्ज करना आरम्भ कर दिया है जिससे लाखों सब-टिनेन्ट्स, शिकमी काश्तकारों का नाम दर्ज हो सकेगा। इससे एक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, एक गंभीर वर्ग संघर्ष समाज में छिड़ा है। गश्त गिरदावरी के लिए एक आन्दोलन हुआ। आज सवेरे ही अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री को एक तार प्राप्त हुआ है। सेठ सुगनचन्द ने अपने एक काश्तकार को, सब टिनेन्ट को गंगानगर में अपने मकान में बन्द करके बेरहमी से पीटा और उसको जमीन कब्जे में नहीं लेने दी। चाहे बड़े काश्तकार हों, चाहे फाईव स्टार होटल के मालिक हों, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री नाथ, हों जो राव वीरेन्द्रसिंह की केबिनेट में मंत्री रहे हैं, चाहे राजदादी जोधपुर हों, सेठ बांगड़ हों, मालपाणी हों, जब भी गश्त गिरदावरी, शिकमी काश्तकारों के नाम दर्ज करने का प्रश्न पैदा होता है, वे मारपीट कर इन लोगों को अपने फार्म से निकाल देते हैं। वे इस सारे रिकार्ड को डेस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अन्दर समाज के पूंजीपति और भूपति सारे सम्मिलित होकर के एक हो गये हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर इश्यू कर देने से ही, शिकमी काश्तकारों के नाम गिरदावरी में दर्ज हो जाने से उनको खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं हो जाते हैं। जब तक एक नया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

टिनेन्सी एक्ट लाकर खातेदारी राइट नहीं दिये जाते हैं, एक सिद्धान्त नहीं बनाया जाता है, इसके बिना आप इस 21 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते, विशेष करके इस कार्यक्रम से खेतिहर मजदूरों को लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। शिकमी काश्तकारों को इस कानून के बिना लाभान्वित नहीं कर सकते हैं।

फिर, उपाध्यक्ष महोदय, धारा 15-ए ने एक और भ्रांति पैदा कर दी है। आज बड़े बड़े महाराजा विशेषकर जोधपुर की राजदादी, बांगड़, मालपाणी अपने केसेज को सुप्रीम कोर्ट में ले गये हैं। राजस्व मंत्री महोदय जानते हैं दस हजार ऐसे केसेज हैं जो कि दो सौ चार साल पुराने काश्तकारों के हैं जिनके कि खातेदारी राइट्स केवल इस 15-ए के कारण रुके हुए हैं। आज इन काश्तकारों के गले में यह हड्डी फंसी हुई है। 15-ए को हटाते हैं तो सारे के सारे राइट्स राजाओं के एक्रू होते हैं और दूसरी तरफ 15-ए को नहीं हटाते हैं तो दस हजार काश्तकारों को खातेदारी राइट्स नहीं मिलते हैं। आज ऐसे काश्तकार हजारों की संख्या में मौजूद हैं जिनको कि आपको खातेदारी राइट्स एक्रू कराने पड़ेंगे।

इसी प्रकार 55-ए अलाटमेंट ऑफ रूल्स डिस्क्रिमीनेटरी था। मैं भी एलाटमेंट कमेटी का सदस्य रहा हूं। उसमें मैंने एक नोट ऑफ डिसेन्ट दिया था। दो प्रकार के रूल्स आपने बना दिये एक ही प्रकार के अलाटमेंट के लिये। यह सिस्टम गलत है। सन् 55 की 1 अप्रेल को जो व्यक्ति पैदा हुआ उसको दो मुरब्बा जमीन मिलेगी, एलॉट की जाएगी और एक अप्रेल की रात को 12 बजे जो पैदा हुआ उस व्यक्ति को एक मुरब्बा जमीन आप एलॉट करेंगे। यह डिस्क्रिमीनेशन आप नहीं कर सकते। डिस्क्रिमीनेशन आप करेंगे तो यह लॉ बोगस होगा। इसमें लेकूना है और कभी भी यह सेट असाइड हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हुआ भी यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्क्रिमीनेशन को देखा और एक युनिफार्म लॉ बनाने की बात कही। आपने लॉ बनाया और आज भी इस लॉ के अन्दर जबरदस्त डिस्क्रिमीनेशन है। 55 से पहले के एडल्ट का पजेशन एलॉटमेंट के जरिये होगा और उसके बाद वालों को पजेशन बाइ लाटरी सिस्टम से होगा, बाइ एलाटमेन्ट नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी डिस्क्रिमीनेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, पोस्ट 55 के जितने भी केसेज हैं वे तीस दिन के अन्दर एप्लीकेशन देकर अपने पजेशन ले लेते हैं तो राइट्स गेन कर लेंगे। खातेदारी राइट्स भी आप देंगे इस कानून के अन्दर। इस प्रकार बड़े किसानों के प्रति हमदर्दी इसमें मौजूद है और छोटे किसानों के प्रति यह डिस्क्रिमीनेशन है। 8 अगस्त 75 का आपका यह नया अलाटमेंट रूल है जिसमें कि प्री और पोस्ट को युनिफोर्म किया है और इस प्रकार के अलाटमेंट रूल्स बना दिये हैं। यह एक्ट बनाया जिससे कि टिनेन्सी एक्ट में इन सारे डिफरेन्ट केसेज को कवर करने की परम आवश्यकता है। इसके बावजूद भी 400/500 भू-पति आकर के रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और इस कानून के बावजूद चार हजार मुरब्बा जमीन, 60 हजार बीघा जमीन रिलीज हो रही थी इन भू-पतियों के कब्जे से तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

आॅर्डर देकर के 55 से पहले के एलाॅटमेंट को रोक दिया। इस पर लाॅ डिपार्टमेंट से ओपिनियन ली गयी। लाॅ डिपार्टमेंट ने क्लीअरली रेवेन्यू मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को एडवाइज किया कि पुराने डिस्क्रिमीनेशन के आधार पर लाॅ सेट असाइड हो गया है इसलिए अब नये डिस्क्रिमीनेशन मत कीजिए। इस में डिस्क्रिमीनेशन मोजूद है। आप इस तरह दो मुरब्बा जमीन एक व्यक्ति को नहीं एलाॅट कर सकते। यह डिस्क्रिमीनेशन है। लेकिन फिर भी एलाॅटमेंट पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि केवल हरिजनों की राजस्थान कैनाल की 13 तहसीलों और सब तहसीलो में हजारों दरख्वास्तें मौजूद हैं। राजस्थान कैनाल की तहसीलों के अन्दर 5-5 हजार दरख्वास्तें सक्षम होती हैं, 4-4 हजार दरख्वास्तें सक्षम होती हैं, लेकिन जब लाटरी निकाली जाती हैं तो उसमें 75, 76 और अधिक से अधिक 100 व्यक्तियों को जमीन एलाॅट होती है। फिर डिस्क्रिमीनेशन जागीरदारों के लिए मौजूद है और जागीरदारों को दिसम्बर में इसमें से एक एक मुरब्बा दी है और एक-एक मुरब्बा अगस्त में दीं। किसी जागीरदार ने स्वयं ने इस पर कल्टीवेशन नहीं किया। कुछ जागीरदारों ने उसको सबलेट कर दिया और सब जागीरदारों ने, मोस्टली जागीरदारों ने, अपनी जमीनें बेच दी। इसमें अगस्त 75 के लाॅ के तहत एक मुरब्बे से ज्यादा जमीन नहीं दे सकते, लेकिन लाखों एकड़ धरती राजस्थान कैनाल पर जागीरदारों को दे दी। उनको दो-दो मुरब्बे किस आधार पर दे रहे हैं। उनका डिस्क्रिमीनेशन फिर कोर्ट में सामने आयेगा। गरीब किसान की ताकत नहीं थी कि वह कोर्ट आॅफ लाॅ में जाये और इन जागीरदारों को एक एक मुरब्बा तोड़ देने के लिए कहे तो आप स्वयं ही एक मुरब्बा क्यों नहीं तोड़ देते ?

( समय समाप्ति-सूचक घंटी )

इसी प्रकार भाखरा के भूमिहीनों के लिए दो दो मुरब्बा एलाॅट कर रखी है, एलाॅट हो गई और आपके सैंकड़ों चक आज रिजर्वेशन के अन्दर पड़े हुए हैं और आज उनके अन्दर कल्टीवेशन नहीं होती है, लेकिन वह भूमिहीन के नाम पर रिजर्वेशन में पड़ी हुई हैं। भाखरा के भूमिहीनों को दो मुरब्बा क्यों ? जब नीलामी को बन्द करने का जंग शुरू हुआ था 70 के अन्दर और गंगानगर के किसान आन्दोलनकारी सुखाड़िया के सामने बैठे हुए थे तब यह मामला सामने आया था जब कि बड़े बड़े भू-पतियों की मांग थी कि दो-दो मुरब्बा धरती एलाट की जाय और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की इस सम्बन्ध में सीधी सादी और निश्चित राय थी कि एक एक मुरब्बा धरती एलाट की जाय। आज भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 20 एकड़ की मांग करती है सारे भारतवर्ष के अन्दर। उस वक्त उन लोगों के प्रभाव से प्रभावित होकर वह नहीं किया। पहले कानून के आधार पर दो दो मुरब्बा धरती दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी एक्ट के बेसिक सेक्शन्स के अन्दर और कालोनाइजेशन एक्ट की धाराओं के अन्दर तरमीमें करनी हैं, और इन तरमीमों के बाद आज कम से कम 10 हजार मुरब्बा जमीन राजस्थान कैनाल के अन्दर इजेक्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

होगी, यानी ढाई बीघा और अगर सारे आफिसर्स की, बड़े बड़े करोड़पतियों के, देश के 200 परिवारों में से बांगड़ साहब की, मालपाणी, चण्डक साहब के, राजदादी जोधपुर के केसेज सेटल हो जायेंगे, जागीरदारों के केसेज सेटल हो जायेंगे, आइ.ए. एस. और आइ. पी. एस. ऑफिसर्स, जिन्होंने सेक्रेटेरियेट में बैठे बैठे जमीनें एलॉट करा लीं, एक्स जमीदारों ने जिन्होंने अपने पैदा होने वाले बच्चों के नाम पर जमीनें एलॉट करा लीं चाहे वह एक्स चीफ सेक्रेटरी झाला साहब हों, चाहे भटनागर साहब हों, चाहे एक्स डी. आइ. जी. हकीकत राय हों, चाहे एक्स आई. जी. पी. गोरधन सिंहजी हों इस प्रकार से कई सेक्रेटेरियेट के आइ. ए. एस. और आइ पी. एस. आफिसरों ने दो-दो मुरब्बा जमीन अपने परिवार के कई नामों से यहां तक कि एक एक परिवार के अन्दर 50-50 मुरब्बे तक जमीन एलॉट करा रखी है। अगर आप टिनेन्सी एक्ट के बेसिक सेक्शन्स में तरमीम नहीं लाते हैं तो हजारों मुरब्बा जमीन मुक्त होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वस्तुस्थिति यह है कि हमने 30 पर्सेंट आउटलेट के ऊपर, मैन कैनाल के ऊपर, हरिजनों के लिए जमीन रिजर्व की है, लेकिन दो-तीन साल के एलॉटमेंट के बाद आज जो कुछ जमीन हरिजनों को एलॉट करने के लिए निकाली है तो कहीं पर दो बीघा जमीन नहर पर दी है और बाकी 25 बीघा जमीन उनको दूसरी जगह 30-30 मील के एरिया के अन्दर एलॉट की गई है। किसी गांव में दो बीघा जमीन दी है 25 बीघा पूरा करने के लिए तो दूसरे गांव में 3 बीघा दी है-इस तरह से 10-11 गांवों में जाकर उसकी 25 बीघा जमीन पूरी होती है, जब कि हजारों हरिजनों की दरख्वास्तें सक्षम होनी चाहिए तब कोलोनाइजेशन कमिश्नर साहब यह कहते हैं, जब उनको कानून दिखाया जाता है तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बताते हैं कि वह 15-20 पर्सेन्ट से ज्यादा लोगों को सक्षम नहीं करेंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि सारे राजस्थान के भूमिहीन कृषकों को इस कानून के तहत धरती एलॉट की जाय, लेकिन सक्षम करने के लिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स का हवाला अगर ऑफिसर्स की मीटिंग में कोलोनाइजेशन कमिश्नर साहब दें तो इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता और न यह प्रोपर है।

इसलिए मैं बड़ी नम्रता से अर्ज करूंगा कि अगर आप भूमिहीनों को, खेतिहर मजदूरों को जमीन देना चाहते हैं, अगर आपको उसको काश्तकार बनाना है तो खातेदारी राइट्स को एकोमोडेट करने की कन्डीशन्स के अन्दर मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर आपको हरिजनों को धरती देनी है तो सारे सक्षम हरिजनों को धरती देनी है और एक जगह धरती देनी है। आपको केवल धरती देने का नाम नहीं करना है और उनको गांव गांव नहीं फिराना है तो आवश्यक है कि इस तरह के जो लॉ में डिस्क्रिमीनेशन है उनको खत्म करें, जागीरदारों को दिया जाने वाला डिस्क्रिमीनेशन खत्म किया जाय, भाखरा एलॉटीज के नाम पर किया जाने वाला डिस्क्रिमीनेशन खत्म किया जाय, और जो परिभाषा इस बिल में एग्रीकल्चरिस्ट की रखी गई है कि जिसका मैन सोर्स ऑफ

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इन्कम एग्रीकल्चर है और जो खुद अपने हाथ से काश्त करता है, वह व्यक्ति जो खुद अपना पर्सनल लेबर पुट अप करता है, तो मैं कह सकता हूं कि आपके इस टिनेन्सी एक्ट में जो परिभाषा है वह एलॉटमेंट रूल्स के अन्दर जो एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा है उस स्टेज पर नहीं आती है। इसमें एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन के अन्दर जयपुर में बैठा हुआ खेती करने वाला भी एग्रीकल्चरिस्ट हो जाता है, लेकिन दरअसल में पर्सनल कल्टीवेशन करने वाला एग्रीकल्चरिस्ट होता है। जब पर्सनल कल्टीवेशन करने वाले को, जो स्वयं अपना श्रम देता है, हल की मूठ पकड़ता है, एग्रीकल्चरिस्ट मानते हैं तो सारे सेक्रेटेरियेट के आर. ए. एस. और आइ. ए. एस. ऑफिसरों, आपके इन करोड़पतियों के चंगुल से धरती मुक्त होने वाली नहीं है और आपको नहीं मिलने वाली है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** मैं नम्रता से अर्ज करूंगा कि आपने यह जो मुक्ति प्रदान की है कि पांच साल का जो रहननामा है तो इसमें क्या काम्प्लीकेशन्स होंगे इसके बारे में तो मेरी पार्टी ने जो एमेंडमेंट दिये हैं वह सदन के सामने मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के कन्टेन्शन में जब खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान को लैण्ड एलॉटमेंट की बात करते हैं उस कन्टेन्शन में हम जब यह गौरव करते हैं कि 2,50000 एकड़ जमीन एलॉट की है, नॉन-प्रोजेक्ट एरिया में 5½ हजार लोगों को धरती दी है, तो इस प्रकार से अगर सही मायने में गौरव प्राप्त करना है तो आज इस कानून में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, केवल सेक्शन 43 में एमेंडमेंट करने से गरीबों को मुक्ति नहीं प्रदान करेंगे बल्कि और दूसरे सेक्शन्स को भी कन्सीडर करना पड़ेगा और कोलोनाइजेशन एक्ट के रूल्स के अन्दर भी मूलभूत परिवर्तन करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय इस सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

जो अमेण्डमेण्ट राजस्थान टिनेन्सी के बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने रखा है, वह वास्तव में खुशी की बात है। वैसे तो वास्तव में यह टिनेन्सी एक्ट 1955 में फोर्स में आने के बाद सन् 1969 में और उसके बाद में सन् 1972 में बिल के रूप में रखा गया है। टिनेन्सी बिल 1972 में प्रस्तुत हुआ। उसे सलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दी। तो टिनेन्सी बिल रखने में सरकार को क्या कठिनाई थी जिसको कि दो ढाई साल होने को आये हैं? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कि जो टिनेन्सी बिल है, वह बहुत प्रोग्रेसिव है। इसे सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ में प्रस्तुत करना चाहिए। इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो तो बजट सेशन में प्रस्तुत करना चाहिए। किसानों का हित करने के लिए यह आवश्यक है। 1955 के बाद में उसमें परिवर्तन हुये हैं। अभी मेरे दोस्त चर्चा कर रहे थे। वास्तव में एग्रीकल्चरिस्ट की जो डेफीनेशन है, उसमें परिवर्तन आगया

# Page No 53

(53)



(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है। इसी तरह से खातेदार में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये। ऐसे भी लोग है जो खुदकाश्त नहीं करते हैं। दूसरों के जरिये से करते हैं। खुदकाश्त नहीं करते हैं। न वह परिवार के सदस्यों के द्वारा करते हैं। उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट रहने का अधिकार होना चाहिए या नहीं यह-सोचने की आवश्यकता है। एक सक्सेशन के बारे में भी सवाल उठता है। इसमें फीमेल भी मेम्बर है। और इसमें बहुत डिफीकल्टीज आती हैं क्योंकि फेमिली को जो अधिकार हैं,तो उनको जमीन देने के अधिकार रखें या नहीं ? उनको कम्पेन्सेशन दें या नहीं ? प्रश्न यह आया है। सलेक्ट कमेटी में टिनेन्सी बिल के बारे में रखा था। मोर्टगेज के बारे में उसमें 7 वर्ष रखा है। अगर पूरा का पूरा खेत रहन रख देता है तो भी नहीं होना चाहिए। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत से अधिक मार्टगेज कर नहीं सकते हैं उसमें भी सीमा बांधनी चाहिए। 50 प्रतिशत से अधिक मार्टगेज नहीं कर सकते हैं। अगर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब अमेण्डमेंण्ट करायेंगे तो और अच्छा होगा। अन्यथा वह काश्त से महरूम हो जाते हैं। भूमिहीन हो जाते हैं। इसलिए यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यह होना चाहिए कि 50 प्रतिशत से ज्यादा मार्टगेज नहीं कर सकते हैं। यह रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में सोचा जाये और टिनेन्सी बिल आदि चेंज किये जा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस प्रकार और भी प्रोसीजर में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने सलेक्ट कमेटी में विचार प्रस्तुत किये हैं। मेरे बहुत से सुझाव हैं। इस तरह से इम्प्रूवमेण्ट के बारे में तरमीम हो सकती है। जो काश्त करे और उसका दृष्टिकोण साफ नहीं हो, जो प्रोडक्शन प्रोग्राम को फुलफिल नहीं करता हो, उसमें भी जो रेस्ट्रिक्शन डालने की आवश्यकता हो, उसके साथ में टिनेन्सी बिल पूरेतौर से सामने आना चाहिए ताकि किसानों का फायदा हो सके। आज प्रगति के समय में जो किसान काश्त करता है, वह मालिक रहे, इस दृष्टिकोण को बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि विधेयक राज्य सरकार की ओर से दिया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। किन्तु अपने आप वह एक ही मेजर लेकर राज्य सरकार इस टिनेन्सी कानून को बारबार क्यों रख रही है ? यह अवश्य ही कुछ चिन्ता का विषय है। जैसा कि अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, टिनेन्सी बिल के बारे में सलेक्ट कमेटी को राय दी वह विचारणीय होने की स्थिति में है, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी भी एक अजीब कहानी है। सन् 1962 में इस सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया था। जो एमेण्डमेण्ट और सरलीकरण की आवश्यकता हो, कन्सोलीडेशन की आवश्यकता हो, वह किया जाये। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। सन् 1965 में उस कमेटी ने टिनेन्सी बिल को बनाकर इस सदन में पेश किया। बिल पेश किया गया लेकिन तब तक 1967 के चुनाव आगये। राज्य सरकार उसको असेम्बली में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लाई नहीं। नतीजा यह हुआ कि वह बिल लैप्स हो गया। 1969 के बाद नयी विधान सभा आई तो फिर लाया गया। लेकिन सरकार ने इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद 1972 के चुनाव आगये। 72 के चुनाव होने से यह लैप्स हो गया। 72 के चुनाव के बाद इस असेम्बली में, चूंकि भारत सरकार का भी आग्रह था फिर सदन में टिनेन्सी बिल आया। प्रवर समिति में गया। प्रवर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, खेद है उस समय हमारे जो मुख्य मन्त्रीजी थे श्री बरकतुल्ला साहब वह कह रहे थे कि बहुत सीरियसली मुझे इस बिल को पास कराना है। यह बिल दो असेम्बलियां लांघ गया है और अब नहीं लांघेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वह नहीं रहे, वह चल बसे और मुझे याद है कि नये मुख्य मन्त्रीजी ने जब शपथ ग्रहण की थी तो मुझे व्यक्तिशः कहा था कि जल्दी से जल्दी, पहला सैशन बुलाकर इस एक्ट को पास करेंगे और केवल इसी के लिए एक बिल के लिए सैशन बुलायेंगे लेकिन उसको भी दो साल खतम होगये और यह तीसरा साल समाप्त होने जा रहा है और इस विधान सभा का यह आखिरी साल है और मुझे डर है कि इसका फेट भी कहीं वही नहीं हो जो पहले दो विधेयकों का हुआ है। इसलिए मैं राजस्व मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पीछे जो कुछ हुआ है वह अब नहीं होना चाहिए। अब आप एक नये वातावरण में काम कर रहे हैं, अब आपने एक नया प्रोग्राम हाथ में लिया है बीस सूत्री कार्यक्रम। बीस सूत्री कार्यक्रम में जो नम्बर 2 का कार्यक्रम है वह भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आप चलायें चाहे स्पेसिफिकली उसमें टिनेन्सी एक्ट की बात नहीं कही गई हो लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी में भी सबने स्वीकार किया है कि तमाम कानून जो भूमि सुधार से ताल्लुक रखते हैं और भूमि सुधार की परिधि में आते हैं उन सारे कानूनों को टेक-अप करने की कोशिश की जायगी। इसलिए मैं राजस्व मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल काफी अर्से से पड़ा हुआ है, इससे काफी बुनियादी मुद्दे जुड़े हुए हैं जिनका संकेत प्लानिंग कमीशन ने भी बार बार दिया है जिसमें आपने दूसरे लैण्ड रिफार्म्स के अन्तर्गत लैण्डलॉर्ड्स को खत्म करने में, जागीर रिजम्प्शन और जमींदारी उन्मूलन के लिये प्रोग्राम लिये हैं लेकिन जहां तक टिनेन्सी रिफार्म्स का सवाल है, उसके अनुसार खातेदार जो बन गये उनके नीचे जो टिनेन्ट्स हैं, उन टिनेन्ट्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में आप बिल्कुल मौन हैं, यह जो आपका मौजूदा बिल है इसका कन्सेप्ट इस प्रकार का है कि उन सब-टिनेन्ट्स के कोई राइट्स नहीं है, उनकी जो टिनेन्सी की प्रॉब्लम्स हैं उनको मानता नहीं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न एक मूल प्रश्न है और मौजूदा टिनेन्सी एक्ट की सही डेफिनेशन को अगर देखा जाय तो यह कानून जो स्टेट में डाइरेक्टली खातेदार हैं और सरकार के बीच में जो टिनेन्ट्स हैं उनको डिफाइन करता है इसलिए यह टिनेन्सी एक्ट नहीं होकर लैण्ड रिफार्म्स एक्ट होना चाहिए। टिनेन्सी एक्ट का मतलब यह है कि जो टिनेन्ट सबलेट करके काश्त करते हैं और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खातेदार और सब-टिनेन्ट के बीच में जो रिलेशन्स हैं उनको डिफाइन करता है वह ही दरअसल टिनेन्सी एक्ट होता है। इस दृष्टि से आज आप देखेंगे सब-टिनेन्ट को तो इस कानून में टिनेन्ट ही नहीं माना गया है और इस तरह से इस कानून में बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। आप जरा खयाल कीजिये कि 15 अक्टूबर सन् 1955 को जिसके कब्जे में जो जमीन थी उसको तो खातेदार घोषित किया है लेकिन 16 अक्टूबर, 1955 को जो काबिज था उनको खातेदार नहीं माना गया है और उनके लिये इस टिनेन्सी एक्ट में कोई धारा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है और खातेदार बन जाय फिर धारा 19 के तहत सब टिनेन्ट्स के राइट्स उसके जो सन् 60 तक काबिज थे उनके रिकार्ड में उनको खातेदारी राइट्स के अधिकार दे दिये हैं, लेकिन 60 के बाद जो 61 में बने जिन्होंने 14 साल काश्त की वह भी खातेदार नहीं बन सकते। आपने बंटाई बन्द की फिर भी बंटाई जारी है। आपने लगान में कन्ट्रोल किया उससे भी ज्यादा लगान लिया जा रहा है लेकिन जो सुरक्षा सब-टिनेन्ट्स को दी जानी चाहिए वह सुरक्षा उनको नहीं मिली। खातेदारों को तो सुरक्षा है लेकिन सब-टिनेन्ट को आज कोई सुरक्षा नहीं है और धारा 183 के तहत उनको और से बन्द किया जा सकता है। इस तरीके से मैं यह समझता हूं कि उनके सिक्योरिटी का टेन्योर, फेअर रेन्ट और उस जमीन पर मालिकाना अधिकार इन तीनों सवालों के लिए प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया और आपकी कांग्रेस पार्टी बार-बार यह कह रही है उसको राजस्थान के अन्दर इम्प्लीमेन्ट करने में हिच नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूंगा कि इस नये एटमोस्फियर में, जहां और इसको लागू नहीं कर पाये, आप इनिशियेटिव लें, आप क्रेडिट लें इस बात का। हम यह नहीं कहते कि बिल में और कमियां नहीं हैं, और भी कमियां हैं। लेकिन उसको आप लीजिये और क्रेडिट लीजिये कि वह टिनेन्सी बिल, जो पिछले 15 सालों से पड़ा हुआ है, को नये राजस्व मन्त्रीजी ने कानून की शक्ल दी है। इसलिए उसकी जरूरत है, आप उस पर विचार करें।

दूसरी बात, आपने जो अमेन्डमेन्ट रखा है इस साल से पांच साल में रीडीम होने का, यह कदम यहां तक सही है लेकिन उसमें दो बातों के रूप में, दो बातें अमेन्डमेन्ट के रूप में, मैं सुझाव देना चाहता हूं। एक तो आपने यह कहा है कि पांच साल हो जाने के बाद भी दो साल तक वह और मोर्टगेज नहीं रख सकता, यह बात सही है जिससे कोई ज्यादा पीरियड नहीं होजाय लेकिन यह आपने प्रोस्पेक्टिव बनाया है। अगर आप ऐसे लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं जिनका सन् 75 में मोर्टगेज दस साल के बाद रिडीम होगा, पिछली जुलाई में होगया और उसमें दुबारा जो मोर्टगेज होगा वही जमीन उसी आदमी को मोर्टगेज हो जायगी, उसको अभी दस महीने होगये और वैसे कहने को दस महीने और दस साल होगये, इसलिए आपका यह कानून उसकी जमीन को रिडीम नहीं कर पा रहा है बावजूद इसके कि 11 साल होगये लेकिन बीच का ब्रेक होगया। आगे के लिए तो आप पाबन्द कर देंगे लेकिन पीछे जो दस साल में रिडीम हुआ, विदिन टू इयर्स, अब से दो साल में आपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रख दिया और वह रिडीम नहीं होता बावजूद आपकी मन्शा होने के कि पांच साल से ज्यादा का पीरियड नही होना चाहिए। इसलिए इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट देते हुए दो साल के अन्दर जो पहले रिडीम होगया था वह रिमोर्टगेज कर दिया गया है और सब टोटल पांच साल से अधिक होगया है, उसको भी रिडीम मान लिया जाय तो यह आपकी मंशा के और स्पिरिट के अनुकूल रहेगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि जो आपकी मंशा है कि उनको रिडीम करवाया जाय तो केवल रिडीम करवाने से ही कोई काम नहीं चलने वाला है, जो कब्जा उनको वापिस मिलने का प्रावधान है वह टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 43 के जो सब सेक्शन (5) में है वह बहुत वीक है। वह यह कहता है कि इतने वर्षो के बाद मोर्टगेजी मोर्टगेजर को कब्जा वापिस कर देगा। और यह कब्जा वापिस लेने के लिए वह 183 में दावा करेगा, सालों मुकदमे लेकर वक्त बरबाद करेगा और इतना खर्चा करेगा। गरीब किसान हैं, दावा करना उसके बस की बात नहीं और इतना खर्चा करने को भी उसके बस की बात नहीं है। नतीजा यह होगा कि आपका कानून तो यह होगा कि पांच साल में रिडीम होगया और नतीजा यह होगा कि मोर्टगेजी ही कब्जे पर रहेगा, वह कब्जा छोड़ देगा इसके बारे में आप क्या सेक्शन कर रहे हैं और क्या प्रोसीजर कर रहे हैं यह बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए हम यह समझते हैं कि धारा 183 काम की नही हैं इसके लिए समेरी प्रोसीजर सेक्शन 43 के अन्दर और स्पष्ट किया जाना चाहिए। और स्पष्टरूप से मेरा और माननीय ?तिरामजी की तरफ से जो अमेन्डमेन्ट है उसका मकसद यह है कि तहसीलदार के ऊपर जिम्मेदारी होजाय कि वह उनको कब्जा दिला दें। मोर्टगेजर अपनी सरसरी दरख्वास्त तहसीलदार को दे दे कि साहब मेरे पांच साल हो चुके हैं, मेरी जमीन रिडीम होगई है, मुझे कब्जा मिलना चाहिए। तहसीलदार नोटिस देकर उनको बुलाये और सरसरी इन्क्वायरी कराये कि वास्तव में धारा के तहत रिडीम होगई है, यह आदमी ठीक कहता है या नहीं। तहसीलदार को तसल्ली होजाय कि वास्तव मे रिडीम होगई है तो वह उसको एक सप्ताह के अन्दर कब्जा दिला दें। अगर उसको कब्जा नहीं दिला पाये तो पुलिस के द्वारा कब्जा दिला दें। तहसीलदार उसकी एप्लीकेशन पर 30 दिन के अन्दर फैसला कर दे। इस तरह एक महीना और सात दिन के अन्दर उस व्यक्ति को कब्जा मिल सकता है। इस तरह का कोई अफेक्टिव प्रोसीजर रखें तो आपकी रिडीम करने की नीयत है, उसको राहत दिलना चाहते हैं– उसके अनुसार उसको पूरी राहत पहुंच सकती है, वरना यह राहत, राजस्व मंत्रीजी, आपकी आलमारी में रह जायगी, स्टेट्यू बुक में रह जायगी, किसान को जमीन का कब्जा नहीं मिल पायेगा अगर आप यह जो प्रॉसीजर है, जो सेक्शन 5 में है, उसको अफेक्टिव नहीं बनायेंगे। 183 में दावा न करके एक सरसरी एप्लीकेशन तहसीलदार को दे और तहसीलदार उसको कब्जा दिलादें। यह करेंगे तो उसको जमीन का कब्जा मिलेगा। सीलिंग एक्ट में प्रावधान किया है जिससे समय की बचत हो जायगी तो इस तरह का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें प्रावधान करने की आवश्यकता है कि कब्जा उसको दिला दे। नहीं दे तो एक टाइम में तो पुलिस के जरिय कब्जा दिला दे। यह सुझाव मेरा इस अमेंडमेंट बिल में है इसके लिए ही मैंने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जिक्र किया है। हम इसमें ढिले नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फौरन यह मंजूर हो, अलबत्ता इन चीजों को मानें तो आगे जाने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

**श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 के सम्बन्ध में जो जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में, मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इसके अन्दर कमी है हमारी गिरदावरी के मामले में। आज से करीब दो साल पहले खातेदार के नाम गिरदावरी हुआ करती थी। बाद में शिकमी काश्तकार के नाम गिरदावरी का प्रावधान हुआ। नतीजा यह हुआ है कि इससे दोनों तरफ अस्थिरता आई है, न शिकमी काश्तकार के फायदे में गया है, न खातेदार के। जहां खातेदार शिकमी खातेदार को भूमि देता था, वह भूमि सीधे न देकर उसके साथ में तरह तरह की शर्तें लगाता है, कई प्रकार की लिखा पढ़ी करता है और नकद रुपये के बारे में अलग से लिखा पढ़ी करके अनेक शर्तें रख कर जमीन दी जाती है। इससे शिकमी काश्तकार, जिसको पहले आसानी से जमीन सुलभ हो जाती थी, अब उस तरह नहीं होती है। जहां तक खातेदार से शिकमी काश्तकार को जमीन दिलाने का प्रावधान है उसके लिए खातेदार पर अनेक बन्धन हैं। काश्तकारी कानून में यह नियम है कि चार पांच साल जमीन नहीं जोतता है, खाली रखता है तो जमीन को सरकार छीन सकती है, ज्यादा जमीन होने पर सीलिंग एक्ट के द्वारा छीनी जा सकती है, इस प्रकार सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस प्रकार से एक गिरदावरी के बहाने से यहां खातेदार और शिकमी काश्तकार के बीच अस्थिरता को चालू रखना है तो उससे हमारे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप काश्तकार और जमीन दोनों का सुधार चाहते हैं तो इस चीज को खातेदार के नाम स्थिर कर दें निर्णय देकर कि यह गिरदावरी खातेदार के नाम से होनी चाहिए जिससे अस्थिरता नहीं रहे। अगर अधिक जमीन हो तो सरकार की मर्जी आये तब वह ले सकती है। लेकिन अस्थिरता के कारण आदमी की कई प्रकार की मजबूरियां होती हैं जिसके कारण उसको जमीन कमी कमी देनी पड़ती है। वह खुद के हाथ काश्त नहीं कर पाता तो दूसरों से काश्त करानी पड़ती है। इसमें कई बातें हैं जिन्हें देख कर मेरा सुझाव है कि गिरदावरी के सम्बन्ध में जो कमी बेशी है खातेदार और शिकमी काश्तकार के बीच वह दूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका उत्पादन पर उल्टा असर पड़ेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है, यह पांच वर्ष के लिए गिरवी की अवधि लाई गई है—यह खुशी की बात है। दस साल गिरवी रखने की अवधि थी उसकी अवधि आगे बढ़ा सकता था। अब सरकार ने पांच साल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिए किया है— यह खुशी की बात है। इस रूप में खुशी की बात है कि बेईमानी करने वाला इसको पांच साल बाद फिर आगे खिसकाने की कोशिश करेगा। अब दो दो वर्ष का गेप आजाने के बाद कई बातें सोचनी पड़ेंगी, काश्तकार से बात करनी पड़ेगी। यह स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

तीसरी बात हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है जिसका सदन में माननीय श्री दीपंकरजी के द्वारा जिक्र किया गया है। वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर रहने वाले हैं या शहर के अन्दर रहने वाले हैं, किसान, मजदूर और गरीब लोग हैं, उनको अपना मकान बनाने के लिए, मकान को लीपने के लिए मिट्टी खोदनी पड़ती है। इसके लिए हमेशा से परम्परा चली आरही है, नियमों में भी प्रावधान था कि चरागाह जोहड़ पायतन है वहां पर वह मिट्टी खोद सकता था। अब वह सुविधा न होकर कई प्रकार की मिट्टी खोदने या ईंट बनाने की, घाधला निकालने की इजाजत नहीं है। यह इजाजत न होने के कारण मेरे क्षेत्र में काश्तकारों का धांधला, पत्थर नीलाम किया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। गांवों में बसने वाले काश्तकार हैं उनके लिए छूट रखी है कि वह खेत में ईंट बना सकता है, धांधला खोद सकता है, मिट्टी खोद सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम बीस पर्सेन्ट ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास भूमि होती नहीं है। बाकी अस्सी परिवार रहते हैं जिनके पास जमीन होती है, और उनमें से भी चन्द पर्सेन्ट ऐसे होते हैं जिनके खेत में मिट्टी-धांधला उपलब्ध है, जिनके खेत में मिट्टी है। इस प्रकार सौ में से दस पर्सेंट ऐसे काश्तकार हैं जिनको यह सुविधा अपने खेतों में प्राप्त होती है वरना बाकी को सार्वजनिक स्थानों से उपलब्ध करनी पड़ती है। यह सुविधा न होने के कारण गांवों में यह समस्या है। उनको मकान बनाने के लिए, लीपने के लिए मिट्टी खोदने की आवश्यकता रहती है। मैं राजस्व मंत्रीजी से, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए और ऐसे जिलों में इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

चौथा निवेदन यह कर रहा था कि एलॉटमेंट के मामले के अन्दर सरकार ने नियम बना रखे हैं.........

**श्री उपाध्यक्ष :** रेवेन्यू लॉज अमेंडमेंट बिल आरहा है उस वक्त एलॉटमेंट के ऊपर बोल लीजिये।

**श्री लूणाराम :** उस वक्त बोल लूंगा।

इस प्रकार दो तीन बातें, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन की हैं जो खासतौर से हमारी समस्या से सम्बन्धित हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी।

**श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री):** उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976, जो सदन के सम्मुख विचाराधीन है, पर कतिपय माननीय सदस्यों ने अपने दो संशोधन प्रस्तावों के जरिये—एक संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये

(श्री परसराम मदेरणा)

और दूसरा इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु सदन में रखा है—अपनी दलील देते वक्त ऐसी कोई बात नहीं कही है जो मुझे कनविन्स कर सके कि इसे पब्लिक ओपिनियन जानने हेतु सरक्यूलेट किया जाय या सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय उन्होंने जो मुख्य बात अपनी दलील में कही, लाडनूं और डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जो काश्तकार को मकान बनाने के लिये या कृषि के उत्पादन हेतु, कुएं वगैरह बनाने के लिये झाफरा, धांधला और पत्थर की आवश्यकता होती है—उसको आजकल पटवारी नीलाम कर देते हैं और काश्तकारों के सामने परेशानी खड़ी करते हैं इस सम्बन्ध में अगर कानून में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह किया जाना चाहिये, काश्तकारों को यह सुविधा दी जानी चाहिये। आज सदन के सम्मुख राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 24, 43 व 152 में संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं या इस विधेयक के जरिये संशोधन किए जा रहे हैं, उनका संबंध इससे नहीं है लेकिन यह बात आई। इस प्रकार, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, अभी सदन के सम्मुख प्रवर समिति द्वारा रिपोर्टेड अमेंडेड रूल्स का नया टिनेन्सी विधेयक पड़ा हुआ है, उस पर जल्दी विचार किया जाना चाहिये और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य उसके विस्तार में गये, सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लैप्स हुई तो दोबारा सलेक्ट कमेटी को रेफर भी किया और उसकी रिकमेंडेशन भी सदन के सम्मुख है, उस पर समय निकाल कर उस बिल को पारित किया जाना चाहिये इस सदन के द्वारा। उन्होंने अपनी दलील में यह बात भी कही कि अभी जबसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बना है 1955 से उसके बाद में कई प्रकार के परिवर्तन हो गये हैं। खासतौर से उन्होंने जो खातेदारी सबटिनेन्ट की रिलेशनशिप है उसके साथ साथ जो शिकमी काश्तकार और अन्य काश्तकार का एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की वजह से शोषण होता है, उसे समाप्त किया जाना चाहिये। बंटाई और इस प्रकार के कान्स के मामले हैं, शिकायतें हैं, अपनी मेहनत का जो फायदा उनको नहीं मिलता उस बारे में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपको इस बिल को लाना चाहिये क्योंकि लायेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूं जो क्रेडिट मिलेगी वह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को मिले क्योंकि व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं। पर्सनल पब्लिसिटी में क्रेडिट मिल जायेगी, इस तरह की बात व धारणा के सम्बन्ध में भी मेरे कुछ विपरीत विचार हैं, ये मान्यतायें थोथी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बिल को इसी साल में इसी सत्र के अन्त में या बजट के बाद में लाया जाना चाहिये।

पिछले साल सोचा गया था, राज्य सरकार ने स्पेशल सैशन केवल टिनेन्सी बिल को पारित करने के लिए बुलाया था लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैं देखूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पूरे बिल को पारित करने के लिए सैशन बुलाया जाए।

(श्री परसराम मदेरणा)

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कहीं। कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो तथ्यहीन नहीं हैं। सब-टेनेन्ट का रजिस्टर जो मेन्टेन किया जा रहा है शिकमी काश्तकार का, इस सम्बन्ध में जो वर्ग संघर्ष प्रारम्भ हो गया है और उस वर्ग संघर्ष में आन्दोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े भूपति काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। जैसी कि सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी है कि जिस समय गिरदावरी समाप्त कर ली गई थी 1974 में, इसे इसलिए प्रारम्भ किया गया था कि रेकार्ड रखा जा सके कि इन शिकमी काश्तकारों को आगे जाकर हक देने की बात कही है क्योंकि गिरदावरी न होने से कल्टीवेशन का कॉलम खाली पड़ा रहा था; बहुत बड़ा गैप था लेकिन इसके साथ ही साथ टिनेन्सी बिल को पारित करना पड़ेगा नहीं तो इसका फायदा नहीं मिल सकेगा।

अन्य बातें जमीन के सम्बन्ध में प्रि-55 व पोस्ट 55 के जो प्रावधान हैं, जो डिस्क्रिमीनेशन था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद में अभी जो एलॉटमेंट के नए नियम बने है, वे आपके सामने हैं। भाखरा की भूमि जागीरदारों को कैसे मिली, प्रि-1955 के इतिहास में; मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह तथ्य है कि मिले उनको नियमों और कानून के अन्तर्गत और जो उस समय के कानून थे जिसमें एक पर्टीक्यूलर लैन्थ तक भूमि का आवंटन हो सकता था। हो सकता है कि इस नियम में और पहले वाले नियम में डिस्क्रिमिनेशन था जब यह बात अदालतों में जाती है, वे कानून का इन्टरप्रिटेशन करती है, चाहे आर्टीकल 14 का डिस्क्रिमीनेशन हो, उस समय फैसला देते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है, राज्य सरकार सूमोटो भी कार्यवाही कर सकती है लेकिन इन रूल्स के सम्बन्ध में एक इतिहास रहा है, जो पुराने काश्तकार हैं 1955 के पहले के और 1955 के पूर्व जो लैंडलैस हैं उनको हमने लैंडलैस माना है। चाहे वोटर लिस्ट में हों, हम उनको भूमि का आवंटन कर रहे हैं, दूसरों को नहीं। अब तो नए नियम बन गए हैं लेकिन हांडाजी का कहना है कि नए नियमों में प्रि और पोस्ट का फर्क नहीं रखा है लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को जो मिल गया है जो दूसरे रूल्स में हैं, चाहे भाखरा का आवंटन हो, चाहे खुदकाश्त के रूल्स हैं उनमें उनको मिल गया है, जिसके पास अपनी जमीन है, चाहे वे खातेदार हैं, चाहे गैरखातेदार, चाहे उन्होंने जागीरदारों से ली हो। जागीरदार ले सकते थे, जागीरदार बेच सकते थे या नहीं, चाहे जोधपुर के हिम्मतसिंह जी हैं या दूसरे प्रकार के लोग जो अपने आपको खातेदार कहते हैं। बीकानेर स्टेट में लेकिन सैक्शन 15 (ए) में हम उनको खातेदार नहीं मान रहे हैं, पूरे प्रश्न पर राज्य सरकार बात-चीत कर रही है। जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट्स के जरिये चेलैंज किया हुआ है, करीबन 70-80 रिट्स हैं। पुराने काश्तकार थे उनके पास में, 1955 वालों के पास में ज्यादा भूमि थी तो राज्य सरकार ने निर्णय लेकर अलग प्रकार के रूल्स बनाए थे, वे स्ट्राइक डाउन हुए। उसके बाद में प्रि और पोस्ट 1955 का फर्क नहीं रखा है लेकिन 15 ए सेक्शन जो टिनेन्सी एक्ट का है उसके अन्तर्गत आर. सी.पी एरिया में किसी को किसी प्रकार के यदि राइट्स थे तो वे राइट्स नहीं माने जाने चाहिएं। बीकानेर स्टेट के समय जिनको

(श्री परसराम मदेरणा)

1944 में खातेदारी मिल गई थी वह 15 ए में नहीं रहती। पीढ़ियों पहले खातेदार था, 1944 से पहले भी। वर्षों से काश्त-कारी कर रहे थे, कई जगह खातेदारी की जाती थी, कई जगह नहीं की जाती थी, कई जगह ट्रांसफरेबल राइट्स थे। अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग राज्यों में नियम थे। उसके बाद में 1955 में जो काश्तकारी कानून बना उसके प्रावधानों से आप परिचित हैं। अब जो नया बिल आ रहा है वह 1955 के अधिनियम का इम्प्रूवमेंट है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात और कही गयी है कि कुछ एग्जीक्युटिव ऑफिसर्स ऐसे एग्जीक्युटिव ऑर्डर्स के बारे में कह रहे हैं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं जिनके लिये लैण्ड रिजर्व है उनको उतनी भूमि नहीं दी जाय। तो मैं इसके लिए स्पष्टतौर से यह बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं हैं। जब राज्य सरकार ने एक फिक्स्ड कोटा शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोगों के लिये कर दिया है उनको तो वह देना ही पड़ेगा। अगर किसी ने इसके विपरीत कुछ भी कहा है तो यह एक बहुत ही इर्रेस्पांसिबल स्टेटमेंट दिया है और वह भी एक हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने दिया है तो मैं इसके लिये अभी तो इतना ही कह सकता हूं कि वह कौनसा एग्जीक्युटिव ऑफिसर है उसका, पता लगा कर उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा क्योंकि अपने यहां गवर्नमेंट का कानून बनाया हुआ है और एग्जीक्युटिव ऑर्डर्स कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं। जब अपने यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिये 30 प्रतिशत भूमि रिजर्व है तो ऐसे इल्लीगल ऑर्डर किस एग्जीक्युटिव ऑफिसर ने वरबल दिये हैं उसको मैं आज ही चैक करूंगा और उससे मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि सक्षम नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : क्या कहा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपसे निवेदन करदूं। इनके कहने का मतलब यह है कि जगह जगह पर डी.सी.जी. हैं उन्होंने बताया है कि आप इतने के लिए सक्षम हैं चाहे कहीं पर वह 70 पर्सेन्ट है कहीं पर 50 पर्सेन्ट है तो इनके सक्षम के रूल्स बने हुए हैं, इसके अन्दर जब किसी का 30 पर्सेन्ट से ऊपर सक्षम होता है तो वहां पर जो वहां पर जो डी. सी. जी. है वह कहते हैं कि हमें कमिश्नर के यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स हैं कि 30 पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं सक्षम होने चाहियें और जब 70 पर्सेन्ट हो जाते हैं वह लोग डरते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वह कहते हैं कि हम 30 पर्सेन्ट से ज्यादा सक्षम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो एलॉटमेंट करते हैं उनके रूल्स बने हुए हैं। उनमें अगर कोई 60 पर्सेन्ट या 80 पर्सेन्ट सक्षम हो जाता है और हो सकता है कोई शिड्यूल्डकास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति सेन्ट पर्सेन्ट सक्षम हो जाता है, तो उसको उसके अनुसार उसका लाभ मिलेगा। यह तो नियमों के अन्दर एलिजिबिलिटी का सवाल है। इसमें डी.सी.जी. को क्या हक है ? अगर कमिश्नर ने डी. सी. जी. को ऐसे

(श्री परसराम मदेरणा)

आॅर्डर्स दे दिये है तो मैं आज ही उसका एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा। गवर्नमेंट आॅर्डर्स में कहीं भी कान्ट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिये। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं हैं। एक तो दो साल किसी को हो गए हों रजिस्ट्रेशन हुए और उसके भीतर काश्तकार ने मोरगेज को रिमोरगेज कर दिया हो दुबारा तो उसके बारे में। इसके बारे में माननीय सदस्य का संशोधन भी है शायद। तो राजस्थान टिनेन्सी एमेंडमेंट एक्ट जो है उसका सैक्शन 43 के सब-सेक्शन (5) उसके अनुसार जो प्रोसीजर है उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उसमें 183 की तरह दावा करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा मेरा ख्याल है कि पजेशन डिलीवर नहीं हो रहा है इसके बारे में किसी ने नहीं कहा है। अभी तक जो भी मुझे अलग-अलग जिलों से सूचना मिली है उसके अनुसार मोरगेज डीड जो रिडीम हुए हैं उसके दस जिलों के अन्दर 4,772 केसेज हुए हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और दूसरे जिलों से सूचना आनी बाकी है। मैं समझता हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो 4,772 केसेज हैं इनमें रजिस्ट्रेशन हो गया है या ऐसे केसेज भी हो सकते हैं जिनमें लोगों ने एप्लाइ ही नहीं किया हो ?

श्री परसराम मदेरणा : हमने आॅर्डिनेन्स में दस साल का जो पीरियड था उसको पांच साल का कर दिया है उसमें कई लोगों को बेनिफिट हुआ है और उस हिसाब से दस जिलों में जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है उसके लिये कह रहा हूं कि इतने मोरगेज डीड रिडीम हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे ज्यादा भी हो सकता है इसका कारण यह है कि लोगों में इग्नोरेन्स है जिस वजह से लोग बैठे हैं, उन्हें पता नहीं हो।

श्री परसराम मदेरणा: हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो सूचना है वह कह रहा हूं। लेकिन पजेशन डिलीवर नहीं हो रहा हो इसके बारे में गवर्नर एड्रेस में किसी ने नहीं कहा है। इसलिए इस संबंध में, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा पर मैं इस संबंध में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जल्दी ही इसमें एक नया प्रॉविजन और लगा रहा हूं। वह है पीनल प्राॅविजन। इसके लिए अगर कोई गड़-बड़ करेगा तो सेक्शन 183 के अंदर कार्यवाही हो सकेगी और पीनल कार्यवाही होगी उसके खिलाफ। लेकिन उसके लिये उसको दावा तो करना ही पड़ेगा। यह 183 सैक्शन के अन्तर्गत अनिवार्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब ऐसी सम्भावना बहुत ही कम रह जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब कोई माननीय सदस्य को दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आप पीनल क्लॉज लगाकर रेवेन्यू आॅफिसरों की पॉवर्स को पुलिस को देने की कार्यवाही क्यों करना चाहते हैं ? आप यह पॉवर्स रेवेन्यू मिनिस्टर होकर रेवेन्यू आॅफिसरों के कब्जे में ही यह बात क्यों नहीं रख रहे है ? यह पॉवर्स दूसरों के कब्जे में क्यों दे रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह सोच रहे हैं कि मैं रेवेन्यू आॅफिसर्स पर विश्वास नहीं कर रहा हूं और दूसरों को पावर्स दे रहा हूं वह बात नहीं है। माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किये हैं उनके बारे में अभी मेरा यही कहना है कि 19 तारीख को अपन जब सीलिंग कानून लेंगे तब उस समय इसको अपन ले लेंगे। इसके

(श्री परसराम मदेरणा)

अलावा इसका जब अगन क्लाज वाई क्लाज लेंगे तब और देख लेंगे। और कोई विचार करना होगा तो कर लेंगे। बस, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है। मैं समझता हूं कि मेरे इतना निवेदन कर देने के बाद जो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखें हैं उनको विथड्रा कर लेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1976 को जनमत जानने हेतु अपने संशोधन पेश किये हैं क्या उनको वे वापिस लेते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने जो अपना संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दीपंकर क्या आप भी अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं?

**श्री दीपंकर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री दीपंकर को अपना प्रस्ताव जो जनमत जानने के लिए उन्होंने दिया है, वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री दीपंकर** : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**विधेयक पर विचार**

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक के खण्ड दो को स्वीकार किया जाय? क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

खण्ड दो को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड तीन

**श्री रतीराम यादव (तिजारा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो संशोधन के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है उसके बाद में भी आपको संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

**श्री रतीराम यादव** : जी हां। उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर जो सूचना, मंत्री महोदय ने सदन में दी है और जो संशोधन पेश किये हैं और अब जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें मैं यह महसूस करता हूं कि अभी भी इस बिल के अन्दर काफी गुन्जाइश है इस बात की कि इसको और भी उदार बनाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो सामाजिक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, जो आर्थिक 20 सूत्री प्रोग्राम है और जिसके तहत हम राहत देना चाहते हैं उस रूप में, उस भावना के अनुसार यह संशोधन इसके अन्दर लाया गया है। माननीय मंत्रीजी की तरफ से वह स्वागत योग्य है। लेकिन जो मंशा है उस बिल के पीछे या इन संशोधनों के पीछे हमारी भावना है वह केवल इतने मात्र से पूरी नहीं होने वाली है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसकी धारा 3 के भाग (ii) में उपधारा (4C) के स्थान पर निम्नलिखित

( श्री रतीराम यादव )

उपधारा (4C) प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्–

"(4C) Where a usufructuary mortgage has been redeemed under sub-section (4A) on a date earlier than the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1975 and the same land has been retransferred by the same mortgagor to the same mortgagee in the form of a usufructuary mortgage within two years of the redemption of the first usufructuary mortgage whether before or after the commencement of this Ordinance, such usufructuary mortgage shall also stand redeemed without any payment whatsoever by the mortgage or and the same consequences after redemption shall follow as given in sub-section (3)."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 4 सी के बाद जो अभी माननीय मंत्रीजी ने संशोधन रखा है और मैंने जो संशोधन रखा है उससे जो मंशा है वह पूरी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने जा रखा है वह तो केवल इतना है कि अगर कोई मोर्टगेजी उस जमीन को या प्रॉपर्टी को छोड़ता है या वापिस करता है मोर्टगेजर को तीन महीने के अन्दर सारे डाक्युमेन्ट्स वापिस कर देने पड़ेंगे. नहीं तो, एक हजार रुपया केश का जुर्माना अथवा एक साल की सजा यह उसको दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह जो बिल के अन्दर है कि अपनी प्रॉपर्टी को जिसने दस साल या पहले मोर्टगेज किया है और टाइम बार होने के बाद छूट गयी है और दुबारा दो साल के लिये उसको रिट्रान्सफर कर देता है तो यह बात इसके अन्दर साफ नहीं होती है। इसका मतलब तो यह होता है कि रिट्रान्सफर कर दिया उसने और यह ऑर्डिनेन्स लागू होगया तो भी प्रॉपर्टी छिनेगी नहीं। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं और उसकी भावना यह है कि एक बार प्रॉपर्टी मुक्त होगयी और दो साल के अन्दर अन्दर उसने दुबारा फिर मॉर्टगेज कर लिया और यह आर्डिनेन्स लागू हो गया तो उसके बाद भी वह दो साल में भी मुक्त हो जाना चाहिये चाहे दो साल पूरे होते हों या नहीं। तब जाकर हम उसको पूरे मायने में रिलीफ दे पायेंगे।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह संशोधन रखना चाहता हूं कि चाहे यह ऑर्डिनेन्स लागू होने से पहले या बाद में दुबारा दो साल के लिये रख देता है तो उसे पहले वाले के साथ गिन कर उससे मुक्त हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद इसी धारा के भाग (II) के बाद निम्नलिखित भाग (III) जोड़ा जाय।

"(III) Sub-section (5) shall be substituted by the following sub-section (5):—

(श्री रतीराम यादव)

"(5) (i) If the mortgagee does not so redeliver the possession of the land mortgaged, he shall be deemed to be a trespasser and liable to ejectment by the Tehsildar having jurisdiction over the area where the land is situated, on an application made by the mortgagor."

श्री उपाध्यक्ष : सब-सेक्शन 5 कहां है ? जिसको सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं वह तो है नहीं।

श्री रतीराम यादव : ओरिजनल में है।

श्री उपाध्यक्ष : ओरिजिनल में है नहीं। कहां मानते हैं ?

श्री रतीराम यादव : सैकिण्ड में ही।

श्री उपाध्यक्ष : सब-सेक्शन 5 कहां है ? सब सेक्शन 5 है ही नहीं तो क्या सब्स्टीट्यूट करेंगे ?

श्री रतीराम यादव : सब सेक्शन 2 में है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिन्सीपल एक्ट 183 के 5 से मतलब होगा आपका शायद।

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट आप उसका दे रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रोसिजर है 183 के तहत। उसमें है।

श्री रतीराम यादव : 183 के तहत। अभी तक यह है। उपाध्यक्ष महोदय, के मॉर्टगेजर को वापिस प्रॉपर्टी नहीं मिलती है सूट फाइल करना चाहिए, लम्बा केस चला और प्रॉपर्टी वापिस मिली और कचहरियों में धक्के खाता फिरे, कितना ही पैसा उस का बरबाद हो और बीच में शक्ति खर्च करने की न हो तो बीच में बैठ जाय और इस तरह से उसको जो राहत मिलनी चाहिये वह कोर्ट से भी राहत न मिल सके इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इसके अन्दर भी अमेंडमेंट होना चाहिये और इस रूप में होना चाहिये। इसमें तीन बातें रखी हैं। पहली यह है—

" If the mortgagee does not so redeliver the possession of the land mortgaged, he shall be deemed to be a trespasser and liable to ejectment by the Tehsildar having jurisdiction over the area where the land is situated, on an application made by the motgagor."

एक तो साधारणतया उसको सूट फाइल करने की जरूरत न होकर जो मुकामी अफसर हैं, इमिजियेट ऑफिसर हैं, तहसीलदार उसको एक सिम्पल एप्लीकेशन दे कि इस तरीके से जमीन छूट गयी है, पजेशन नहीं मिला है, तो उसको पजेशन दिलाया जाय। तहसीलदार को एप्लीकेशन देने पर ही मोर्टगेजी ट्रैसपासर का ऑफेन्स करेगा। सैकिण्ड में, तहसीलदार क्या करेगा यह दिया है—

"On receipt of such application by the mortgagor, the Tehsildar shall, after summary inquiry, if he is convinced that the usufructuary mortgage sta-

( श्री रतीराम यादव )

nds redeemed under sub-sections (2) or (4) pass an order for delivery or possession of the land to the mortgagor :

'Provided that the order of the Tehsildar shall be made within 30 days of such application and possession must be delivered within a week of such order."

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने यह संशोधन रखा है कि उसके बाद जबकि एप्लीकेशन तहसीलदार को मिल जाय और एप्लीकेशन मिलते ही वह समरी एन्क्वायरी करेगा और उसके बाद अपना जजमेंट 30 दिन में लाजमीतौर से देगा, यह भी संशोधन रखा है। यह नहीं कि तहसीलदार ने भी कोर्ट की तरह सूट फाइल किया और प्रोसीजर को लम्बा किया यह नहीं होना चाहिये। तहसीलदार को लाजमीतौर पर 30 दिन में निर्णय देना पड़ेगा और इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी रखा है कि तहसीलदार उसके पक्ष में निर्णय देगा और निर्णय देने के बाद जब यह निर्णय दे देगा कि यह प्रॉपर्टी मॉर्टगेजर को वापिस दी जाय तो सात दिन में उस आर्डर का इम्प्लीमेन्टेशन भी हो जाय। जजमेंट भी दे दिया और उसके बाद पजेशन नहीं मिला तो फिर वह कोर्ट के धक्के खाता फिरे और तहसीलदार के चक्कर लगाता फिरे। उपाध्यक्ष महोदय, लाजमीतौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन विद्इन ए वीक हो जाय।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो संशोधन रखना चाहता हूं—

"(iii) The Tehsildar may also impose penalty upon the mortgagee for non-delivery of possession and recover such penalty as arrears of land revenue."

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम यह बात नहीं करेंगे कि कोई आदमी बार बार ऑफेन्स करे और उसको उसका दण्ड नहीं मिले केवल-मात्र ऑफेन्स किया और उस मार्टगेजर की प्रॉपर्टी को वापिस नहीं लिया और केवल मात्र यह ऑर्डर पास कर दिया कि वापिस दे दें और सात दिन में वापिस भी दे दिया तो आइन्दा लोग इस तरह का आफेन्स नहीं करें कि जितना फायदा उठा सकते थे, उठा लिया और अगर कोई होशियार हुआ मार्टगेजर और अपने पजेशन में लगाए जैसा कि व्यवहार में देखने में आता है; क्योंकि गांव में ज्यादातर अनपढ़ लोग रहते हैं जो मार्टगेज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, इसलिये वे अगर इस प्रोसीजर को एडॉप्ट नहीं करें तो मार्टगेजी कितने दिन तक उसका उपभोग कर सकता है आइन्दा हर एक की आंख खुल जायगी और यह डर हो जायगा कि हमको भी दण्ड मिलेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखा है कि तहसीलदार उसके ऊपर पैनल्टी इम्पोज कर सकता है और वह पैनेल्टी रेवेन्यू एरियर्स के रूप में वसूल की जानी चाहिये ताकि कोई बच कर नहीं निकल सके। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपने जो टिनेन्सी अमेन्डमेंट बिल पेश किया है सदन में उससे बहुत बड़ी राहत मॉर्टगेजर को मिलेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको और अधिक उदार बनाया जाय ताकि जो अधिक से अधिक

( श्री रतीराम यादव )

खतरा नजर आता है वह भी नहीं रहे और मॉर्टगेजर को राहत मिल सके। मार्टगेजी निकल कर नहीं जा सके इसलिये जो धारायें मैंने रखी हैं वे इसमें रख कर इसका संशोधन किया जाना चाहिये। अन्त में, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने संशोधन रखे हैं उनके साथ इसको पास किया जाय यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज (3) के सब क्लॉज (4) में जो संशोधन रखा है उनका जो सब्स्टीट्यूशन करने का प्रस्ताव है वह चाहे ऑर्डिनेन्स के पहले हो और चाहे ऑर्डिनेन्स को लागू होने के बाद जब कभी संशोधन किया गया है टिनेन्सी एक्ट में तो धारा 43 में जो संशोधन करने जा रहे हैं मॉर्टगेज की अवधि 10 साल से 5 साल कर दी गई है चाहे वह पांच साल पहले एक्सपायर हुई हो और चाहे बाद में एक्सपायर हो, उसको वापिस मार्टगेज रख दी गई हो उस मार्टगेजर को उसी मार्टगेजी के पास, तो अपने आप वह रिडीम होजानी चाहिए, इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि संशोधन के जरिये उसको बन्द करना चाहते हैं और उस मार्टगेजी को करना चाहते हैं। उस वक्त जब यह संशोधन फोर्स में नहीं था युसु-फ्रक्चरी मार्टगेज किया जा सकता था—10 साल के लिए, इस प्रकार की कोई भी पैनल्टी इम्पोज करना और ऐसे प्रॉविजन के के लिये इन्सिस्ट करना जो, एग्जिस्टेन्स नहीं करता था, मैं समझता हूं, कानून में भी ठीक नहीं होगा और न न्याय की दृष्टि से ही ठीक होगा। इसलिये जो उनका सब्स्टीट्यूट का संशोधन है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरा, उन्होंने संशोधन रखा है काश्तकारी अधिनियम की संख्या 43 सब-सेक्शन 5 में– जब कभी उससे पजेशन लेने के लिये प्रश्न हो तो 183 धारा टिनेन्सी एक्ट का वह नहीं करके समरी पॉवर तहसीलदार को दी जाय। मैंने अभी एक नया क्लॉज इन्सर्ट करने के लिये आपकी स्वीकृति मांगी है, वह संशोधन जो मैं इन्ट्रोड्यूज कर रहा हूं वह माननीय सदस्यों को, आपकी स्वीकृति से और आज्ञा से वितरित कर दिया गया है इसलिये मैं पहले इस संशोधन को मूव कर रहा हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

In sub-clause (ii) after sub-section (4 C) proposed to be inserted, insert the following, namely : —

"(4 D) On the redemption of the mortgage under sub-section (2) or sub-section (4 A), the mortgagor shall deliver to the mortgagor all documents in his possession or power relating to the mortgaged porperty and shall re-transfer the property to the mortgagor and put him in possession there of at his cost free from the mortgage and from all encumbrances created by him and those claiming under him within three months from the date of redemption of the mortgage:

(श्री परसराम मदेरणा)

.Provided that in cases where a usufructuary mortgage has been redeemed under sub-section (4 A) from a 'date earlier than the date of the commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) ' Ordinance, 1975, the delivery of documents, re-transfer and delivery of the possession of the property as aforesaid shall, unless already made, be effected within three months from the date of the commencement of the Rajasthan Tenancy ( Amendment ) Act, 1976.

(4 E) Any mortgagee who, without sufficient cause, fails to put the mortgagor in possession of the property within a period of three months as specified in sub-section (4 D) shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to Rs. 1000/- or with both. The offence shall be cognizable and bailable and may be compounded by the mortgagor."

इस प्रकार का पीनल ऑफेंस के सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है कि सदन के माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे। जब प्रॉपर्टी को रि-डिलीवर करने के सम्बन्ध में और वह रि-डिलीवर नहीं करता है तो यह पीनल ऑफेन्स बना दिया है। इस पीनल ऑफेन्स को काग्नीजेबल बना दिया है और जब पीनल ऑफेन्स को काग्नीजेबल बना दिया गया है तो 183 के मुताबिक कोई एक दो केसेज ही रह जायेंगे नहीं तो कोई नहीं रहेगा। क्योंकि उनको मालूम है कि वह रि-डिलीवर नहीं करता है प्रॉपर्टी को तो उसे एक साल की सजा हो सकती है। जब मैं सब-सेक्शन (4) में इस प्रकार का अमेंडमेंट ला रहा हूं सेक्शन 43 के अन्दर तो सब सेक्शन (5) में जो समरी प्रॉसीजर की बात की है वह अब ज्यादा माने नहीं रखेगी, उसका ज्यादा वजन भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह पहले पीनल ऑफेन्स नहीं था। इसलिए उन्होंने जो अमेंडमेंट सेक्शन 43 (5) के अन्दर सब्सटीट्यूशन का रखा है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता और जो मैंने अमेंडमेंट मूव किया है इसे मय संशोधन के पारित किया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप (श्री रतीराम यादव) माननीय मन्त्री महोदय के अमेंडमेंट पर कुछ कहना चाहते हैं ?

**श्री रतीराम यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह महसूस करता हूं कि जो माननीय मन्त्री जी ने संशोधन बाद में प्रस्तुत किया है उससे भी जो मैंने संशोधन रखा है उसकी पूर्ति नहीं होती है और जो वास्तव में मैं चाहता हूं कि मार्टगेजर को रिलीफ मिले, मार्टगेजी के बहुत लम्बे चौड़े हाथ मार्टगेजर को लूटने के और उसको शोषण करने के हैं वह लम्बे हाथ आइन्दा के लिए और नहीं रहने पायें इसलिए जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने संशोधन रखे

(श्री रतीराम यादव)

हैं उसको तो केवल-मात्र इसमें इन्सर्ट किया है उसका तो केवल इतना मतलब है कि तीन महीने के अन्दर मार्टगेजर को मार्टगेजी सारे डोक्युमेंट्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे देगा और नहीं देगा, तो फिर उसके ऊपर एक हजार रुपया जुर्माना वगैरह किया जायेगा । किसी सीमा तक अनावश्यकरूप से जो संशोधन है जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं स्वागत करता हूं लेकिन पूर्णतया वह रिलीफ इससे नहीं मिल सकता । मैंने जो संशोधन रखा था (4 सी) में कि जब हम 10 साल की अवधि को घटा कर 5 साल की कर रहे हैं तो फिर इसमें हमें क्या परेशानी होनी चाहिए कि उस 5 साल को हम उस रूप में रखें कि, मान लीजिए कि यह ऑर्डिनेन्स जब लागू हुआ तो उसके पहले किसी की जमीन मुक्त होकर रि-ट्रान्सफर उसी मार्टगेजी के पास चली गयी और हम उसकी 5 साल तक की अवधि गिनें तो मैं समझता हूं कि उससे कोई रिलीफ नहीं है । रिलीफ तब मिलेगा जब हम ऑर्डिनेन्स लागू होते ही उस पर भी लागू कर दें और हम उस अवधि से रि-ट्रांसफर होने वाले को भी पिछले दिनों से ट्रान्सफर कर दें । इसलिए मैं अब भी इनसिस्ट करता हूं कि यह संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक मार्टगेजर को हम रिलीफ नहीं दे पायेंगे ।

दूसरा जो मैंने संशोधन रखा है

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको रिपीट करने का मौका नहीं दिया है ।

**श्री रतीराम यादव** : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह सब आप कह चुके हैं । मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उस पर यदि आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

**श्री रतीराम यादव** : मैं यह कहना चाहता हूं कि ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि जो मन्त्री जी ने संशोधन रख कर जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं और मैं अभी भी अपने संशोधन के लिए इनसिस्ट करता हूं ।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं । आपका यह कहना है कि मार्टगेजर को रिलीफ नहीं मिलेगा और मार्टगेजर को इसलिए रिलीफ नहीं मिलेगा कि उसी मार्टगेजर ने उसी मार्टगेजी के यहां इस ऑर्डिनेन्स के लागू होने से पहले पहले का पीरियड जो 10 साल का था वह एक्सपायर हो गया और मार्टगेज रोक दिया और इस तरह का मार्टगेज पहले भी हो गया है जब कोई भी अमेंडमेंट नहीं था और जब कोई पीनल ऑफेन्स फार कन्ट्रावेंशन आफ प्रॉवीजन्स किसी कानून में एग्जिस्ट नहीं करता था तो भी उसको राइवल बनाया जाये तो मैं पूर्व में कह चुका हूं कि यह न्यायोचित नहीं होगा । दूसरे मार्टगेजर को रिलीफ नहीं मिलेगा तो हिन्दुस्तान भर में 5 साल का युसुफरुचुअरी किसी भी एक्ट में प्रॉविजन नहीं है और इतना बड़ा पीरियड कम करके 5 साल का रखा है और 5 साल के पीरियड के अन्दर रिलीफ मार्टगेजर को नहीं मिलेगा तो फिर तो यह उनके खयालात इमेजिनरी हैं ।

दूसरे आपने कहा कि 183 का सूट लंबा हो जायेगा और इसको इनसिस्ट करते हैं वो

(श्री परसराम मदेरणा)

183 में कुछ नहीं करना है। 183 के सूट की प्रॉसीडिंग्स करीब करीब यह होगी कि यह देखना होगा कि पांच साल की अवधि पूरी हुई या नहीं। उसमें न तो ओरल एवीडेन्सेस लेनी है और न कुछ। तो उसमें लम्बा सूट होगा ही नहीं और केवल सूट से ही यह मतलब है कि 2 साल लम्बा हो जायेगा तो यह धारणा उनकी निराधार है। इसलिए मैं दोनों संशोधनों को स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1976 के खण्ड 3 में प्रभारी मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दूसरा संशोधन है........

श्री उपाध्यक्ष : मैं डिबेट अलाऊ नहीं कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1976 के खण्ड 3 में तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(विराम)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1976 के खण्ड 3 को मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

श्री गुरदयालसिंह संधु।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक, 1976 के खण्ड 4 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया

खण्ड 5

प्रश्न यह कि खण्ड 5 को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

खण्ड 1

प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि को विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्थान काश्तकारी संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : That stage is over now संशोधन तो समाप्त हो गये।

श्री रतीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जहां इसका स्वागत किया है कि राजस्व मंत्री जी ने यह संशोधन ला करके और मार्टगेजर को बहुत बड़ी रलीफ दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन तब भी जिस रूप में हम वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर चल रहे हैं उसका तकाजा यह है कि हम बहुत समय न गवां करके और थोड़े समय के अन्दर अधिक से अधिक काम इन कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो समाज के अन्दर अभी तक शोषित रहे हैं उनको रिलीफ दे सकें और इसलिए यह जो संशोधन बिल पेश किया गया है यह उस मंशा को पूरा नहीं करता है। और इसलिए मैंने यह संशोधन इसके अन्दर कुछ रखे थे जिससे कि यह बिल एक क्रांतिकारी कदम उस दिशा के अन्दर हो सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अभी भी माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि चाहे आज वे इस परिस्थिति में नहीं हों कि वह मेरे इन संशोधनों के ऊपर गम्भीरता से विचार कर सकें और इस बिल को और भी अधिक उदार बना पायें, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि भविष्य के अन्दर जल्दी ही जब इस सारे टिनेन्सी बिल को दुबारा से और अच्छे ढंग से संवार करके संशोधन करके और उसको मूल रूप से क्रांतिकारी रूप में और पेश किया जावे तो सदन में, मैं समझता हूं कि इन संशोधनों को उसके अन्दर अवश्य विचार किया जाय, उन पर अवश्य ध्यान दिया जावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कह कर केवल दो शब्द कहना चाहूंगा थर्ड रीडिंग के समय में कि माननीय सदस्य जो तिजारा से आते हैं उन्होंने क्लाज (2) के सेक्शन (2) में ए, बी. सी. के नीचे फोर-सी इन्सर्ट करने का जो संशोधन रखा है और माननीय मंत्री महोदय ने भी अपनी ओर से कदम उठा कर सी और डी और जोड़े हैं और एक नया क्लाज (3) भी क्रियेट किया है जिससे माननीय मंत्री महोदय की मंशा तो स्पष्ट होती है कि इस बात से पूरी तरह से चिंतित हैं कि पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद जिसके पास जमीन रहन रखी हुई है वह निरन्तर कब्जे में न रख सके और उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसको पीनल ऑफेन्स बना कर, कान्नीजेबल आफेन्स बना कर, बैलेबल बना कर, एक हजार रुपये की पेनल्टी का प्रॉविजन रखा है यह पॉजिटिव सबूत है कि वे भी इस बात से चिंतित हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक साल की सजा का प्रॉविजन भी है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : लेकिन जिस बात से माननीय सदस्य जो तिजारा से आते हैं, वे चिंतित हैं, उस पर भी माननीय मंत्री जी थोड़ा सा फिर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि इसे दो वर्ष पहले से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाता, उसका कारण यह है कि जिस वक्त इस बिल को लाये दो तीन महीने पहले दस साल की अवधि समाप्त होने के बाद दुबारा उसको रहननामा लिख दिया गया है, जिससे उस व्यक्ति को इससे रिलीफ नहीं मिलने वाली है। इसलिए माननीय सदस्य जो तिजारा से आने वाले हैं वे चाहते थे कि दस साल तो हो गए और दस महीने निकल जाने के बाद ग्यारहवें साल के दौरान में चल रहा है उस व्यक्ति को भी रिलीफ हो, इसलिए इस बिल को दो साल पहले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो स्वीकृत नहीं हो सकती हो ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हों और इस बिल का दायरा भी विस्तृत होगा और ऐसे लोगों को जो कि ग्यारहवें वर्ष में चल रहे हैं उसको भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं और बाद में पांच साल के बाद दुबारा पांच साल का रहननामा नहीं हो सके।

जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने धारा 183 के जरिये गल्ती की उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन यह एक कठिन कार्य है। उसकी कठिनाई को माननीय सदस्य ने महसूस किया है और माननीय मंत्री महोदय ने भी महसूस किया है। लेकिन पुलिस का कॉग्नीजेबल ऑफेन्स होने के बाद भी अगर बैलेबल है तो बेल कराने के बाद भी जो रहन रखता है, जमीन की ताकत रखता है, अपने पजेशन में रख सकता है, तो इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से एक बात रखी। सात दिन के अन्दर अन्दर उसका वेकेशन कराने की बात कही है। अगर दोनों का समन्वय हो जाता है, वेकेशन बराबर सात दिन में और एक महीना कोर्ट का, इस तरह से डेढ़ महीने के अन्दर-अन्दर वेकेशन हो जाता है तो उसके बाद पीनल ऑफेन्स ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा कारगर होगा और ज्यादा रिलीफ देने वाला होगा यह माननीय सदस्य तिजारा से आने वाले चाहते हैं। पांच साल की अवधि व्यतीत होने के बाद वैकेशन पीरियड डेढ़ महीने से आगे नहीं बढ़े, नहीं तो वह रूटीन चलता रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रस्ताव के बाद बिल की थर्ड रीडिंग के दौरान तिजारा और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने उन्हीं संशोधनों पर ज्यादा जोर दिया है जो तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये थे और जिन संशोधनों को सदन ने अस्वीकार कर दिया है। लेकिन इस प्रकार का पेनल प्रॉविजन जो रखा गया है वह देश के एक ही राज्य में है वह है उड़ीसा, और किसी स्टेट के अन्दर कोई पेनल प्रॉविजन नहीं है, यह भी सदन को जानकारी में होना चाहिए। उड़ीसा में भी यूसुफ्रक्चुअरी मोर्टगेज की अवधि जो है वह पीरियड सात साल का है और राजस्थान में पीरियड पांच साल का है और 5 साल और दस साल के बीच में एक ही स्टेट उड़ीसा है बाकी किसी स्टेट में दस साल से कम नहीं है। प्रॉपर्टी को डिलीवर करने का और नहीं डिलीवर करना है तो यह क्रिमिनल लायबिलिटी यूसुफ्रक्चुअरी

(श्री परसराम मदेरणा)

मार्टगेजी पर बनाई गई है। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया और सदन ने उसको स्वीकार कर लिया है और उस लायबिलिटी को अगर वह नहीं निभाता है तो उसके लिए पीनल ऑफेन्स बनाया है और एक साल की सजा रखी है। जो कुछ भी डिटरेन्ट इफेक्ट वे देना चाहते हैं कि एक समरी प्रोसीडिंग एक महीने के अन्दर डिसाइड करेंगे उससे ज्यादा स्ट्रिंजेन्ट मेजर तो मैंने इस संशोधन के जरिये प्रस्तुत किया है और मैं ऐसा समझता था कि जब एक तरफ तो 183 के अन्दर सूट नहीं करके पजेशन करा देता है तहसीलदार 91 के तहत कार्यवाही करता रहे इसका प्रावधान कर दें और पीनल ऑफेन्स नहीं बनाते हैं और इधर जो मैंने पीनेल ऑफेन्स का प्रॉवीजन किया है और एक साल की सजा का प्रॉवीजन किया है, मैं समझता था कि माननीय सदस्य उसका स्वागत करेंगे और स्वयं अपने संशोधनों को विथड्रा कर लेंगे। माननीय सदस्य ने यह बताने का भी प्रयत्न किया है कि जब कभी दुबारा टिनेन्सी बिल सदन में विचारार्थ लाऊं तो आपके संशोधनों को, आपके सुझावों को उनमें स्थान दूं, मैं विचार करूं और उन पर मंथन करता रहूं। मन्थन तो करता रहूंगा लेकिन मैं अभी इस स्टेज पर उस संशोधन में उस क्लॉज को वापिस रि-ओपन करने के लिए अध्यक्ष महोदय से शुरू से अनुमति मांगू, इसकी आवश्यकता मैं नहीं मानता। और थर्ड रीडिंग आफ दी बिल पर तो प्रिंसिपल डिस्कस होते हैं। फर्स्ट और थर्ड रीडिंग में प्रिंसिपल्स के सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है और आपका कहना है कि जो कुछ भी संशोधन किए गए हैं वे स्वागत योग्य हैं, बहुत अच्छा है। आपका प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं कहना है और संशोधन जो पहले से ही पास हो चुके हैं उनके बारे में कहना, मैं समझता हूं, थर्ड रीडिंग के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। इसलिए अब संशोधन की स्टेज ही नहीं है।

**श्री रतीराम यादव :** आपको पुलिस का जो रवैया है उसको देखते हुए जो हम चाह रहे हैं उसके प्रति हमारे को पूरी शंका है। इसलिए इसको रखा है।

**श्री परसराम मदेरणा :** मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उपाध्यक्ष महोदय, शंकाएं और आशंकाएं पुलिस के रवैये से हैं, रेवेन्यू अमले से नहीं। इसलिए रेवेन्यू के अमले को ही, इसमें सूट करने का 43 (5) में अधिकार है। वह बाद की बात है, पहले तो वह डिलीवर करेगा और नहीं करता है तो वह ऑब्लीगेशन क्रिएट होता, है ऑब्लीगेशन का पनिशमेंट भी रखा है। यह एक साल की सजा रखी है। इसको कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बना दिया है। वैसे तीन साल से कम सजा वाले को कॉग्नीजेबल ऑफेन्स नहीं बनाते हैं। इसलिए स्पेशियली इसको कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बना दिया है, लोक सभा ने जो पारित किया है, उससे बढ़ कर इसको कॉग्नीजेबल बना रहे हैं। इसके बाद भी आपको शंकाएं नजर आ रही हैं। इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं करता हूं जैसा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है। मैं तो अपने कर्त्तव्य को निभा रहा हूं। इसमें कमी नहीं आने पावे इस पर विजिलेंट रखता हूं, इन्टरनल विजिलेन्स रखता हूं। जो राज्य सरकार का उद्देश्य है, जो इस सदन का उद्देश्य है, रिडीम होकर प्रॉपर्टी का पजेशन जल्दी मिल

74



(श्री परसराम मदेरणा)

जाये, कहीं भी देरी हो रही है, इनऑर्डिनेट देरी हो रही है कानून के प्रावधानों के अलावा, तो उसको ठीक किया गया है। इसको बाद में भी ध्यान में रखूंगा। परन्तु इस स्टेज के ऊपर जो मेरा प्रस्ताव है, जो विधेयक को पारित रखने का रखा है, मैं समझता हूं कि सदन उसको पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

( स्वीकृत )

विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया गया।

## राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर, जनमत जानने हेतु…

श्री दीपंकर : इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह रिक्वेस्ट की थी कि यह आर्डर बदल दिया जाये… ….

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है।

श्री शंकरलाल : श्री मोहम्मद गफ्फार अली। श्री केशरीमल। श्री वृद्धिचन्द्र जैन। श्री मीठालाल मीणा। श्री मूलचंद सामरिया। आपको बोलना है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य ( निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये ?

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

## राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दीपंकर।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक माह/एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।" ]

**श्री दीपंकर (लाडनू)** : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में जो भी पुरातत्व की चीजें हैं उनका संरक्षण हो, उनका लोगों को ज्ञान हो, इसकी ओर ध्यान जाना आवश्यक है। परन्तु अफशोस है कि राजस्थान संघ जिन रियासतों को मिलकर बना, कहीं कहीं इसकी महत्ता रही है, जहां जनमत जागृत है वहां, पर किन्हीं के लिए तो स्मारक बने हैं जैसे उदयपुर में महाराणा प्रताप के लिये बना है, बनना चाहिये। जयपुर बसाने वाले सवाई जयसिंह का स्मारक जयपुर में बना है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान अगर पहचाना जाता है तो मीरां के नाम से परन्तु मुझे अफशोस है कि इस मीरां का यहां कोई स्मारक नहीं है। इस सरकार के ऊपर उदयपुर का बहुत ही वर्चस्व अर्से तक रहा है परन्तु फिर भी मीरां का स्मारक आज तक नहीं बन पाया है...

( 3.5 म. प. )

(श्री फूलचंद जैन, सभापति, पीठासीन)

मीरां कहां भजन करती थी? नागौर जिले के मेड़ता गांव में, उस चारभुजा के मन्दिर में आज भी मीरां की माला मौजूद है, आज भी मीरां का छोटा सा कांच का टुकड़ा मौजूद है, आज भी वहां पर मीरां की पावड़ी मौजूद है, उसको सुरक्षित रखना तो दूर रहा जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ, शादी हुई, उस स्थान पर आज पाठशाला चलती है। शिक्षा विभाग ने कब लिया, किससे लिया, यह समझ में नहीं आता। आज हम बंगाल में जाते हैं तो लोग कहते हैं रवीन्द्र हमारे हैं। आज कोई तिलक, गोखले, के नाम से घमंड करता है, राजस्थान भी कहता है मीरां हमारी है, मीरां हिन्दुस्तान भर की है। हर भाषा में वह गायी जाती है, उसके भजन गाये जाते हैं। इतनी महान् कवियित्री, जो कि भगवान कृष्ण के अनुराग में रंग गयी, जिसके रस भरे भजन लोग सुन कर भाव-विभोर हो जाते हैं, जिसके भजन अमर हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मीरां के भजन को सुनकर झूम न उठा हो। लेकिन अफशोस है कि उसका स्मारक न बनाया जाये। सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्थान पर जो अब भी जिस हालत में है, उसको सुरक्षित किया जाये, उसे बचाया जाये और इस बात की जांच की जाये कि मीरां का वह जन्म स्थान कैसे स्कूल बना और किस व्यक्ति ने इसको परिवर्तित किया और क्यों किया? मैं कलकत्ता गया था। वहां से शांति निकेतन गया। हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने मुझसे पूछा : "क्या राजस्थान में मीरां पंथ नाम का कोई पंथ है"? मैंने कहा "नहीं है"। उन्होंने कहा, "मैं बहुत गल्ती कर बैठता, एक किताब लिख रहा हूं जिस तरह दादू पंथ है उसी तरह मैंने सोचा

(श्री दीपंकर)

राजस्थान में भी कोई मीरां पंथ होगा। मैं मीरां पंथ लिख बैठता"। मीरां के बारे में ही नहीं, राजस्थान के राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी लोगों को बहुत जानने की जिज्ञासा है। लोग जानना चाहते हैं। राजस्थान म कई विभूतियां छिपी पड़ी हैं जिनको कि आगे लाना है। एक महान संत हमारे यहां हुए हैं जिन्होंने एक ब्राह्मण की सेवा में अपनी सारी जिन्दगी गुजार दी, उसको यह आशीर्वाद दे दिया कि जो तेरे मुंह से निकलेगा वह लेख हो जायेगा। दस्तखत करना भी जिसको नहीं आता था उसके लाखों लेख हैं। ऐसे व्यक्तियों को, जो छिपे हुए हैं उनको, आगे लाना होगा। ऐसे काम को करवाने की आप कृपा करें, इस ओर ध्यान दें। इसी प्रकार से हर जिले में, हर स्टेट में कुछ न कुछ गाथाएं छिपी पड़ी हैं, उनका संग्रह कराया जाये। जिस तरह हमारी प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि ललितनारायण मिश्र का एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाये, उसी तरह से राजस्थान की तरफ से भी हर जिले में कोई न कोई गाथा छिपी हुई है। यहां के स्वरूप के बारे में कुछ न कुछ खोजा जाये। वीर दुर्गादास का नाम किसको याद नहीं है। वीर दुर्गादास हिन्दुस्तान के इतिहास में किस तरह लिखा गया है, यह कौन नहीं जानता? आज उस वीर दुर्गादास की छतरी टूटी हुई है। जहां उसकी समाधि है वह टूटी हुई है, जिस जगह का राजा था, जहां वह ठहरा, वह किला आज ढह रहा है। उसको कोई भी सुरक्षा में नहीं लेता है। भूतपूर्व जोधपुर महाराजा ने गलती की कि जब राजस्थान संघ में मिलने लगे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े मकान मेरे हो जायेंगे तो जालौर और नागौर के किले अपनी पर्सनल प्रापर्टी में ले लिये और आर. ए. सी. को भाड़े पर दे दिये। नहीं तो वहां पर ताला लगा हुआ पड़ा है और टूटते जा रहे हैं और लोग पत्थर ले जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की कहानियां छपी हुई हैं जिनको प्रकाश में लाना चाहिए। अमरसिंह की यादगार हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मीरां के लिए अवश्य मान्युमेंट बनाया जाना चाहिए।

हमारे राजस्थान में जब कोम्युनिकेशन्स के कोई अच्छे रास्ते नहीं थे, न तो पक्की सड़कें थी, न मोटरें चलती थीं और न रेल चलती थी उस वक्त बनजारों के मार्फत आवागमन होता रहता था। व्यापारी सभी तरीके के आते थे। राजस्थान के अन्दर बहुत से जिलों में लक्खी बणजारे अपनी यादगारें बनवाते थे। अपने गरिमापूर्ण तरीकों से रहने के लिए मकान बनवाते थे, कई स्थानों पर बावड़ियां, बेरे, इस तरह की छतरियां बनाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए कौन ध्यान रखे? इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करना है तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि यह राजस्थान है। जयपुर की चौड़ी सड़कें और गुलाबी नगरी कहलाने वाले या झील नगरी उदयपुर इन दो तीन जगहों का ही नाम बताकर टूरिस्टों को भेज दें उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे यहां आने वाले आदमी को हल्दी घाटी का नाम तो हम बता देते हैं लेकिन वह देखें तो सही कि कौन सी जगह है वह। इस तरह की तमाम चीजों के लिए कहां स्मारक है? अब भी लोग जाते हैं तो हल्दी घाटी में एक

(श्री दीपंकर)

दुर्गम दर्रा पड़ा है और घोरे को तोड़कर एक कच्ची सड़क बना दी गई है। रंग पीला जरूर है जमीन का, लेकिन वहां पर कोई यादगार नहीं है। कोई अच्छा सा स्मारक हो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेकर इतना ही जानना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ यह कदम उठाने का सोचा है कि इस तरह के स्मारकों को सुरक्षित रखें। बहुत मुल्कों में हर वक्त की शासन व्यवस्था और उस वक्त के उन लोगों के रहने के स्थानों को सुरक्षित किया है। उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार की कई पुरातत्व की सामग्रियां मिलेंगी। जैन पतियों के पास में कितने ही ग्रन्थ पड़े हुए हैं, उन तमाम का संग्रह करवाया जाना चाहिए। उनको किसी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। कई तरह की मूर्तियां हैं, मन्दिर हैं जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी निमित्त मैं यह चाहता था कि इसमें स्पष्ट उल्लेख कम से कम राजस्थान को ऐसी बातों के लिए होता कि कम से कम उनके लिए तो सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मीरां को भी याद नहीं किया गया; अफसोस है। इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा था। आशा है आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी स्वीकार करेंगे और घोषणा करेंगे कि राजस्थान में इसको सुरक्षित रखना चाहिए और अमरसिंह को नहीं भुलायेंगे, मीरां को नहीं भुलायेंगे, हल्दी घाटी को भी याद रखेंगे।

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा।

## विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[ निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल, एवं पुरावशेष ( संशोधन ) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीस दिन/एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी) ]

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान मान्युमेन्ट्स, आर्कियोलाजिकल साइट्स एण्ड एन्टीक्विटीज (एमेंडमेंट) बिल, 1965, जो कि राजस्थान मान्युमेन्ट्स, आर्कियोलाजिकल साइट्स एण्ड अन्टीक्विटीज एक्ट 1961 की धारा (3) की तरमीम की तरह सदन के सामने प्रस्तुत है, और यह अमेंडमेंट आज 12 वर्षों के बाद में प्रस्तुत हुआ है जब कि राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि इस क्लॉज 3 की उपधारा (4) इतनी शक्तिशाली नहीं है कि हम राजस्थान की एन्टीक्विटीज, मान्युमेन्ट्स वगैरह और आर्कियोलाजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इन 12 वर्षों में इन एन्टीक्विटीज के साथ क्या कुछ हुआ है यह बहुत दर्दभरी कहानी है। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। आज नये आर्थिक कार्यक्रम में उन्होंने यह महसूस किया कि किसी मान्युमेंट को, किसी एन्टीक्विटी को या

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

किसी आर्कियोलाजिकल साइट को अवाप्त करने का जो कानून है वह बहुत ढीला है। पहले में देर लगती है। उसमें नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद में सुनवाई होती है और फिर भी अवाप्ति नहीं होती है। तो आज उसको शीघ्रता से निपटाने के लिए जहां पर मान्युमेंट्स हैं, जहां पर आर्कियोलाजिकल साइट्स हैं वहां पर नोटिस पेस्ट करना पड़ता है, तो यह सारी दिक्कतें लगी हुई थीं, तो दो महीने के अन्दर सब को तय करने की बात कही है। लेकिन इन 12 वर्षों में क्या हुआ था ? यह मान्युमेंट्स, यह एन्टीक्विटीज तो सारे के सारे चले गये स्पेन या स्विटजरलैंड चले गये या अमेरिका के बैंकों के अन्दर चले गये। इस सदन से थोड़ी ही दूरी पर चन्द्रमहल में कपट द्वारा प्रकट हुआ है, यहां से थोड़ी दूरी पर नजदीक ही, नाहरगढ़ का किला नहीं, दूसरा है, उसके नीचे सुरंग पैदा हुई जो कि जयपुर पैलेस तक जाती है और जिसमें काबुल और कन्धार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोती डूंगरी में तख्तेशाही प्रकट हो गया है और 9 करोड़ का सोना अवाप्त हो गया, तब आपने इन एन्टीक्विटीज के लेने की बात यहां पर रखी। यहां के राजा एम्बेसेडर थे स्पेन के। कौन से जवाहरात किस युग के थे क्यों कि यहां के महाराजा अकबर के युग में और औरंगजेब के युग में सिपहसालार रहे हैं, और काबुल कन्धार गये हैं, वे जवाहरात स्पेन के खजाने के अन्दर चले गये जहां पर फ्रेंकों के 85 साल पूरे हुए हैं और आज भी जहां पर यह कहा जाता है कि फासिज्म सबसे उत्तम शासन व्यवस्था है। फिर उदयपुर के महाराणा आज भी अध्यक्ष महाराणा प्रताप समिति के हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, महाराणा भगतसिंह क्रिकेट का मैच खेलने के लिए विदेशों को जाते रहे और पता नहीं क्या कुछ ले जाते रहे, किसने उनका झोला खोल कर देखा है। वे आज भी महाराणा प्रताप स्मारक निधि के अध्यक्ष हैं, और उनके सहारे से मोती मगरी के भूखण्डों पर हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी कब्जा किये बैठे हैं। आज भी वह सम्पत्ति खतरे के अन्दर है। आज भी उन्होंने अपने पैलेस को होटल के अन्दर कन्वर्ट कर दिया है और आज भी वह पिछोला लेक और फतेह सागर के पानी को गन्दा कर रहे हैं। उसमें सारा मल मूत्र जोड़ रहे है। आज भी चन्द्रमहल के ऊपर चार रुपये रोज देखने वाले को देना पड़ता है, और आज मोती डूंगरी के अन्दर प्रवेश नहीं है किसी मामूली व्यक्ति का। अगर आप बीकानेर के जूनागढ़ पैलेस को देखें तो वहां पर अखण्ड भण्डार है एन्टीक्विटीज का वहां पर आधुनिक बन्दूकें हैं जो सात सात सौ फीट तक मार करती थी। सारी एन्टीक्विटीज आज उसके अन्दर मौजूद हैं। और इन एन्टीक्विटीज का जब बहुत सा हिस्सा खुर्द बुर्द हो चुका है तब लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका भी स्वागत करता हूं कि अब तो इन एन्टीक्विटीज को ले लीजिये।

खेद के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, जो प्राचीन पुस्तकें हमारे राजस्थान की धरोहर हैं वह आज सारे भारतवर्ष में कहीं प्राप्त नहीं होती हैं। राहुल सांकृत्यायन, जो विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक माने जाते हैं और 49 भाषाओं के ज्ञाता थे वह नाथद्वारे में दो मास रहे, नाथद्वारे के पुस्तकालय में संसार की दुर्लभ पुस्तकें बतलाई हैं। उन्होंने प्राकृत

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

और संस्कृत भाषा का ज्ञान वहां पर रहकर और अधिक अर्जित किया और अधिक गहन किया था। उनका यह कहना था कि विश्व के अन्दर इस प्रकार के चित्र बड़े से बड़े आर्टिस्ट को ले लीजिये वह भी नहीं बनायेगा। लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि आज हमने उसका ट्रस्ट जरूर बना दिया, लेकिन वे महान् एन्टीक्विटीज जो आज नाथद्वारे की धरोहर हैं वे आज भारतवर्ष की और विश्व की धरोहर क्यों नहीं होतीं ? आज उसकी केवल राज्य सरकार की व्यवस्था क्यों नहीं ? और आज उनकी पूर्ण सुरक्षा राज्य सरकार अपने कब्जे में क्यों नहीं लेती ?

उदयपुर विश्व विद्यालय के अन्दर आज भी आपकी राजस्थान विधान सभा की 52 से लेकर 74 तक की कार्यवाहियों की माइक्रो-फिल्में 4 इश्यूज के अन्दर मिल जायेंगी। वह सारी की सारी अमेरिकन इन्स्टीट्यूशन हैं। आपके पुराने से पुराने अभिलेख और पुरालेखों की माइक्रोफिल्म्स उसके अन्दर मिल जायेंगी। और आपको ऐसी अनेकों वहां पर घटनाएं मिलेंगी जिसमें कि डालर और रुपये का एक्सचेंज हुआ है। और उदयपुर के उस ऐतिहासिक क्षेत्र में वहां पर पुराने ग्रन्थ डालरों के भावों में बिके हैं। और वहां पर बहुत से राबर्टसन जैसे आये जो ग्रन्थ खरीद कर ले गये हैं। इतनी गहराई से उन ग्रन्थों के अन्दर लिखा हुआ है। वह सारी चीजें उनके पजेशन में हैं। आप उनकी रक्षा नहीं कर सके। वह ग्रन्थ और अभिलेख बाजारों में बिके हैं। फिर यहां का पोथीखाना है। बड़े से बड़े महान् शोधकों ने इस पर लेख लिखे हैं। लेकिन मैं माननीय शिक्षा मन्त्री-जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है ? बीकानेर में महाराजा गंगासिंह की लाइब्रेरी है। आपको गर्व होना चाहिए कि उत्तरी राजस्थान के अन्दर वेदों में वर्णित सरस्वती नदी बहती थी। वहां पर मोहन जोदड़ो की सभ्यता की वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। हर्षवर्धन के युग की 1500 से लेकर 2,000 तक की चीजें प्राप्त हुई हैं। वहां पर ढेर पड़े हुए हैं। इतनी पुरानी सभ्यताएं वहां पर मिलती हैं। काली बंगा में खुदाई में मिली हैं। आर्कियोलोजिकल स्पाट्स में नोहर है। नोहर के अन्दर कितने ही खेड़ पड़े हुए हैं। कितनी ही चीजें हमारी अमेरिका में ले जाई गई हैं। सरदारगढ़, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ हैं। आज उनका अध्ययन राजपूतों की हिस्ट्री बताता है। उस पर प्रकाश डालता है। एक तहसील का दफ्तर अनूपगढ़ में बैठा दिया गया है। वहां लोगों के कपड़े उतारे जाते हैं। उन दीवारों के अन्दर का चूना और मिट्टी झड़ गया है। मैं नहीं समझता कि ये हमारे प्रतीक बन सकते हैं। लेकिन ये विश्व की सभ्यता पर साइण्टिफिक प्रकाश डाल सकते हैं। उनकी अहमियत है। पूर्वी जर्मनी का जी. डी. आर. बर्लिन, लिपजिग ये 12 वीं सदी के नगर हैं। उनके अगर कंगूरे टूटे हुये हैं तो वह उसी तरह से बनाये गये हैं। जब मैंने पूछा तो बताया गया कि उनको उसी रूप में निर्मित किया गया है। इस प्रकार से उस महान् समाजवादी देश ने अपने गौरव और इतिहास को प्रिजर्व किया है। हम अपनी एण्टीक्विटीज की रक्षा कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से जो कि इसके मालिक हैं। मैं भरतपुर की चोरियों की

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कहानियां इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं। मैं संग्राम सिंह की कहानी भी नहीं कहना चाहता हूं। लक्ष्मीनारायण मन्दिर का कीमती हार चोरी चला गया है। गोविन्द देव जी के मन्दिर से एण्टीक्विटी चोरी चली गई है। इसको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप बिल लाये हैं तो आप इन एण्टीक्विटीज को, इन मोन्यूमेण्ट्स को किसी भू-स्वामी, किसी भू-पति और सामन्तों की सम्पत्ति नहीं रहने देकर उसे समाज की सम्पत्ति बनायें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जयपुर के किलों में, कोटा के मन्दिरों में जैसलमेर और जोधपुर के किलों में, एक एक चीज छिपी हुई है। उन चीजों को हाथ में लेने के लिए एक कपट द्वारा को नहीं, कई कपट द्वारों को नंगा करने का काम हाथ में लेना पड़ेगा। चन्द्रमहल को देख रहे हैं। सूरतगढ़ में रिसर्च कर रहे हैं पुरानी चीजों की। वर्ल्ड के लोग हैं। राजस्थान नहर की लाइन को पक्का करने के बहाने से पुरानी एण्टीक्विटीज के काम को देखने के लिए फिरते हैं। आज मैं शिक्षा मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने यह निश्चित रूप से घोषित किया है। वह सारे लोग जो सी. आई. ए. के एजेण्ट हैं। चिली के अन्दर उन्होंने तख्ता उल्टा। जहां 40 लाख जानें लीं। कम्बोडिया, वियतनाम में क्या किया है? बंगाल में 30 लाख जानें ली हैं। ये एण्टीक्विटीज उन लोगों के विश्राम गृह हैं। आज कहीं भी राजस्थान कैनाल में राबर्ट मिल जाएंगे। हमारे बहुत से अधिकारी लोगों ने अपने घरों में एण्टीक्विटीज छिपा रखी है। पाली भाषा में लिखे हुए अशोक के शिलालेख, अभिलेख, एण्टीक्विटीज के रूप में उन अधिकारियों के कमरों में लगे हुई हैं। एक मि. भटनागर, जो एडीशनल चीफ इन्जीनियर पी.डब्ल्यू.डी. थे जिनके बंगले में एण्टीक्विटीज लगी हुई है, को नोटिस दे दीजिये, देखिये, कितनी चीजें प्राप्त होती हैं। गंगवाल कालोनी में एक भव्य महल मैंने स्वयं देखा है। रामचरण शर्मा का है। सारा का सारा ताजमहल टाइप का बना हुआ है। क्या आपने रामचरण शर्मा साहब को सन् 1969 में देखा है? टूटी साइकिल पर घूमते थे। आज उनका भव्य भवन देखिए। आप भूले नहीं होंगे, रणकपुर में मूर्तियों की चोरी हुई थी। वह अमेरिका के थे डेल बेनार्ड और रोनेल्ड जिन्होंने रणकपुर की मूर्तियों की चोरी की थी। सरस्वती की मूर्ति को चुराया था। जैन मन्दिरों की मूर्तियां एण्टीक्विटीज की दीवारों पर थीं। उनको तोड़कर ले गये। वह अमेरिका में ले गये। वह लोग गिरफ्तार हुये। आप भूले नहीं होंगे, यह रामचरण शर्मा भी उसमें था। अगर आपको यह सारी एण्टीक्विटी बरामद करना है और देश की इस महान निधि को सुरक्षित रखना है तो जितने भी ऐसे लोग हैं उनको आपको खोजना होगा। यह ठीक है कि ब्रिटेन के लॉकर्स आपके बस में नहीं है, स्पेन के लॉकर्स आपके बस में नहीं हैं, लेकिन आर्किटेक्चरल स्पॉट तो आपके वश में है। मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि आप कुछ नये कदम उठायेंगे। जिस राणा प्रताप की, जो स्मारक समिति बनी है और जो कुछ ही लोगों की इजारेदारी बन कर रह गई है और जिसको याद करते हुए पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भी याद करना पड़ता है

( श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा )

और भी एण्टीक्विटी उस राणा प्रताप स्मारक समिति के अन्दर प्राप्त हैं । मैं शिक्षा मन्त्रीजी से यह कामना करके चलता हूं कि राज्य सरकार इसमें दखल करेगी और इन महान निधियों की रक्षक राज्य सरकार बनेगी । इसी कामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूं । इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं आपको एक लम्बी लिस्ट दे सकता हूं एण्टीक्विटीज की। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, केवल तीन दिन के लिये ही किया जाय।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली-(जौहरी-बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह मेरे साथियों ने जो कुछ अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं, मैं उनकी अहमियत पर विस्तारपूर्वक ओर नहीं डालते हुए संक्षेप में ही निवेदन करूंगा कि जो कदम राज्य सरकार द्वारा आपात्कालीन स्थिति लागू करने के बाद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उठाये गये हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। और इसके लिए मैं उन प्रतिगामी शक्तियों का आभारी हूं कि जिन्होंने हमारी जमीर को शक किया और हमको आगाह किया कि हर मैदान में, चाहे राजनीति का मैदान हो, चाहे सामाजिक मैदान हो और चाहे कानूनी मैदान हो, हम उनसे संघर्ष करें। सैंकड़ों मोन्यूमेन्ट्स खत्म हो गये, - लाखों रुपये की सम्पत्ति जाती रही और दूसरे मुल्कों में चली गई लेकिन हमारी राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, और कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाया कि जिससे हमारी सम्पत्ति महफूज हो सकती । यहां पर बादशाह शाहजहां के जमाने की कलाम मजीद थी वह राज्य सरकार के कब्जे में है। उस पर जो काम है, जो भी लिखा हुआ है, उस पर सुनहरी काम है, लाखों रुपये की उसकी कीमत है और उसको असेस किया गया, उसकी कीमत का अन्दाज लगाया गया लेकिन उसकी कोई कीमत कायम नहीं हो सकती इसलिए कि यह ऐसी किताब है जो कि दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकती यह । वहां की दरगाह से चुरा ली गई और उसका एक व्यापारी के द्वारा उसका सौदा किया गया और इत्तिफाक से वह राज्य सरकार के कब्जे में आ गई। इसी तरह से सैंकड़ों किताबें और सैंकड़ों चीजें हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए बहुत शोभाजनक हो सकती हैं, और उनकी खास वेल्यू है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक पुराने खलीफा जो हजरत थे उनको कत्ल किया जब कि वे कलमा पढ़ रहे थे। वह एक बहुत ही वेल्यूएबल किताब थी जो आज तक रशिया के किताब खाने में, आर्कियोलाजिकल मॉन्यूमेन्ट्स में महफूज है और वह करोड़ों की, अरबों की सम्पत्ति है। इसी प्रकार मेरा निवेदन है कि इस किस्म की हजारों सम्पत्तियां मौजूद हैं। अलवर में जो फारसी और अरबी की किताबें हैं उनकी ओर भी मैंने राज्य सरकार का ध्यान दिलाया है उसको मुन्तकिल किया है और वह राज्य सरकार की सम्पत्ति है। उसको टोंक में मुन्तकिल कर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार वक्त पर कदम क्यों नहीं उठाती ? इस कानून के मातहत आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो एन्टीक्विटी की लिमिटेड डेफिनेशन है, उसमें आप बहुत

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बड़ा परिवर्तन करें और जितनी भी ऐसी चीजें हैं चाहें प्राइवेट किताबें हों, प्राइवेट तस्वीरें हों या किसी की प्राइवेट सम्पत्ति हो उसको भी एण्टीक्विटी डिक्लेयर किया जाना चाहिए और इन सबको कानून की गिरफ्त में लेवें जिस तरह दूसरी चीजों को लिया गया है। जब तक आप एण्टीक्विटी की वाइड डेफिनेशन नहीं करेंगे मैं समझता हूं कि आपको इनको प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल सकेगा जिससे कि ये सारी चीजें कवर हो सकें। आपने जो यह कदम उठाए हैं चोरियों को रोकने के लिये, इसके लिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए और जिस संजीदगी के साथ आपने इस बिल को इन्ट्रोड्यूस किया है उसी के साथ इसका अमल भी करना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कि, यह कानून जदुनाथ सरकार होकर रह जाय और कोई कदम नहीं उठाये जायं। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी कानून आप पेश करें या जिस शक्ल में पेश करें उस पर मुस्तैदी से अमल भी किया जाय, क्योंकि आपके जयपुर के अन्दर जो पोथीखाना है, जिसकी मिसाल आज दुनियां के किसी मुल्क में नहीं मिल सकती, मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं भी ऐसा पोथीखाना नहीं मिलेगा, कई सरकारें और रूलर्स इसको देखने आये और इसका अध्ययन भी किया और उनके रिमार्क्स भी मिलते हैं कि यह पोथीखाना रखने की नजीर हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिली। इसी तरह से सिलह खाना भी है कि जिसकी भी कहीं मिसाल नहीं है। उसके बाद जब यहां पर चन्द्रप्रकाशसिंह जी चीफ सेक्रेटरी थे और डॉक्टर अशरफ आये अध्ययन करने के लिये तो उनको मना कर दिया गया। यह तौहीन समझी गई कि हम नहीं समझते कि उसको देखा जाय। तो इस तरह से आप पुरानी हिस्ट्री और सभ्यता के बारे में जानकारी उपलब्ध करना चाहें और आप यह भी चाहें कि आपके तहजीब में और आपकी हिस्ट्री में यह चीजें मौजूद रहें तो इस किस्म के कदम आपको उठाने पड़ेंगे कि वह कीमती चीजें, जो लाखों रुपयों की हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं और मूर्तियां ले जाते हुए या इस किस्म की चोरियां करते हुए पकड़े गये। तो मेरा संक्षेप में यह निवेदन है कि आप यह जो कानून ला रहे हैं यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसमें कुछ और भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसकी जो एन्टीक्विटी की डेफिनेशन है उसको और थोड़ा वाइडर बना कर इसको सख्ती के साथ लागू करना चाहिए ताकि मॉन्यूमेन्ट्स, एण्टीक्विटी, किताबें और आर्म्स वगैरह जो हैं, जिन लोगों के पास बतौर पर्सनल प्रॉपर्टी भी हैं, उनको चोरी से दूसरे मुल्कों में जाने से बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में तीन माननीय सदस्य, लाडनूं से आने वाले, सूरतगढ़ से आने वाले और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। तीनों ने इस बात की ताईद की है, यह बिल अच्छा लाये हैं और

(श्री खेतसिंह)

निश्चित तौर पर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है....

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अच्छी बात की ताईद की है ।

**श्री खेतसिंह** : लेकिन यह शंका उन्होंने जाहिर की, इसका इम्प्लीमेन्टेशन ठीक ढंग से होना चाहिए । यह भी उन्होंने कहा कि इससे पूर्व इतना अर्सा निकल गया और सरकार ने कदम नहीं उठाया । मैं इस बात से सहमत हूं कि राजस्थान भारत के उन राज्यों में से एक है जो हिस्टोरिकल मान्यूमेंट की दृष्टि से बहुत रिच हैं । रजवाड़े थे, उनका स्वयं का इतिहास था और सदियों तक एक एक रजवाड़े ने राजस्थान में राज्य किया और जितने भी दिल्ली में एम्परर आये, उनसे उनका सम्बन्ध रहा, उनसे लड़े, उनसे मित्रता भी रही । इसलिए निश्चित तौर पर भारत के और राज्य हैं उनके मुकाबले में हिस्टोरिकल दृष्टि से, मॉन्यूमेंट की दृष्टि से, एन्टीक्विटी की दृष्टि से राजस्थान बहुत रिच रहा है । इसलिए हमें इसके लिए और राज्यों से ज्यादा सावधानी भी बरतनी चाहिए थी । यह कानून पहले से बना हुआ है और इसके तहत कार्यवाही भी चलती थी । जब राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आयी कि पहले पार्टीज को नोटिस दें, और नोटिस देने के बाद सुनवाई करें और उसके बाद में किसी भी मॉन्यूमेंट को अपने हाथ में लें—इतने के अन्दर कोई भी पार्टी कई दफा उसमें गड़बड़ी कर जाती थी । जैसा कि सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है कि राजस्थान से कई मूर्तियां इस प्रकार से चोरी गईं और इस प्रकार के केसेज भी रजिस्टर हुए और उन पर कार्यवाही भी हुई है । उस बात को ध्यान में रखते हुए उस कानून के अन्दर अमेंडमेंट लाया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार जिस मान्यूमेंट को एन्टीक्विटी के लिए उचित समझेगी कि इसको राज्य सरकार के हाथ में ले लेना चाहिए तो उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, उसको डिक्लेयर कर देगी और उसके बाद में सुनवाई की जायगी जिससे मूर्तियों की चोरी नहीं हो । पहले इस प्रकार की एक दो बातें हुई हैं, संकर के रावलो हैं, जब इस प्रकार से राज्य सरकार ने तय किया कि ऐसी मूर्तियां हैं जिनको सरकार को हाथ में लेना चाहिए तो उनको नोटिस दिया गया । नोटिस और सुनवाई के दौरान मूर्तियों को उन्होंने इधर उधर कर दिया जिससे वे हमारे हाथ न लग सकीं । इन बातों को देखते हुए यह अमेंडमेंट लाया गया है । मैं समझता हूं कि इसके बाद में इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं रहेंगी ।

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मीरां की जन्म स्थली मेड़ता है । मेड़ता में मीरां का जन्म हुआ, वहां स्कूल चलता है । यह बात सही है । कई ऐसे स्थान हो सकते हैं और देखा जाय तो राजस्थान का जर्रा जर्रा हर, स्थान अपने हिसाब से एक ऐतिहासिक महत्व रखता है । लेकिन हरएक को ले भी नहीं सकते । मीरां के जन्म स्थान के बारे में आपने कहा, इसके बारे में निश्चित तौर से राज्य सरकार ने, आपने सुना होगा, अभी जब मीरां जयन्ती उदयपुर में मनाई गई थी, वहां पर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मीरां के साहित्य के लिए एक पीठ की स्थापना करेंगे और वहां पर उनके साहित्य पर रिसर्च की जायगी । मैं समझता हूं, यह

(श्री खेतसिंह)

बहुत बड़ा कदम होगा। इसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर जो वीर हुए हैं उनके ताल्लुक की जहां जहां पर इस प्रकार की स्थिति है उनको सुरक्षित रखा जाय। वह राजस्थान की धरोहर है। हम इस ओर प्रयास करेंगे। दुर्गादास की बात कही, उनकी छतरी मध्यप्रदेश में है, वहां उनका स्वर्गवास हुआ। उससे अपना ताल्लुक नहीं है फिर भी आपने जितनी बातें कहीं, जैसे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सूरतगढ़ का किला है, हनुमानगढ़ का किला है, अनूपगढ़ का किला है—यह किले जरूर हैं लेकिन इनके अन्दर इस प्रकार के मंदिर या इस प्रकार की चाजें हों, जो हिस्टोरिकल पोइन्ट आफ व्यू से अहमियत की हों, वह नजर में नहीं आई। फिर भी आपने देखा होगा कि आर्क्योलोजीकल डिपार्टमेंट के तहत कई किले लिये हुए हैं, जिनकी आर्क्योलोजी के हिसाब से यूटिलिटी रही है, उनके यूटिलाइजेशन के लिए स्कीम्स वगैरह बनाई गई है। हमारा प्रयास है कि हम इस धरोहर को प्रिजर्व करें। उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि उन्हें क्षति न पहुंचे, उनमें से चोरी नहीं हो, गड़बड़ी नहीं हो—जो कि पहले काफी हुई है वह भविष्य में न होने दें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अमेंडमेंट लाये हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, क्या अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ?

**श्री दीपंकर** : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : क्या सदन की सहमति है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री दीपंकर** : मैं वापिस लेता हूं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं वापिस लेता हूं।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : मैं वापिस लेता हूं।

### विधेयक पर विचार

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ ...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा एक संशोधन है।

**श्री सभापति** : विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भाषण काफी प्रेरणादायक है और इनके भाषण की प्रेरणा का जादू मैं पहले देख चुका हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मान्धातासिंह अपना महल देने के लिए प्रेरित हो गये थे कॉलेज के लिए। यह महल कालेज के लिए प्रयोग में नहीं आ सकता था क्योंकि बड़ी अजीब किस्म का यह आर्क्योलोजिकल मान्यूमेंट है। मैं उनके तर्क से सहमत हूं लेकिन मैं कुछ ज्यादा चुस्ती चाहता हूं क्योंकि काफी क्षति हमें पूरी करनी है। बारह साल में हमने बहुत कुछ गंवाया है, इसलिए हमने प्रासेस को कट शार्ट कर दिया। लेकिन अब कम से कम दो महीने के नोटिस का प्रासेस है, इसको तो ब्रीफ कीजिये। एक महीना काफी है क्योंकि बीस सूत्री प्रोग्राम को भी तेजी से लागू करना है, इसलिए दो महीने के समय को रिड्यूस करके एक महीने का समय करना मैं चाहता हूं। इसके लिए मैंने अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है :

"In the proviso to sub-section (4A)" sought to be substituted-

(a) Replace the words "within two months" by the words "within one month."

(b) Replace the expression "Government after giving to such person an opportunity of being heard" by the expression "Government after giving to such person an opportunity of giving a written reply."

अब फिर अदालत लगाना चाहें, वहां वकीलों का जमघट इकट्ठा करना चाहें, फिर वही लीगल स्ट्रक्चर दिये रहे, वहां अपील करते रहें। मेरा निवेदन है कि आप रिटन में रिप्लाई मांग लीजिये और उसको कन्सीडर कर लीजिये, अगर आर्कोलोजिकल स्पॉट है तो उसे हाथ में लेने के लिए प्रोसीड करें। इसमें जो रिलिजिअस सेरेमनी हो रही हैं उनको वहां नहीं रोका जायगा, इस प्रकार के मूवमेंट को नहीं रोका जायगा, जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य हैं, उनको कहीं नहीं रोका गया है। गोगामेढ़ी है, परबतसर है, पाबू जी का पर्व है। राजस्थान में किसी पर्व को किसी स्थान पर नहीं रोका गया है। जाम्भा जी का स्थल है, वहां पूरी स्वतंत्रता और स्वच्छन्दता है। धार्मिक निरपेक्षता की दृष्टि से इन परम आदरणीय स्थानों को पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वच्छन्दता प्रदान की जाती है। ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान के अन्दर धर्म निरपेक्षता की दृष्टि से पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसलिए एन्टीक्विटी आफ इन्ट्रेस्ट या आर्क्योलोजिकल स्पोट हैं उनके लिए क्लेम्स के बारे में समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आप रिप्लाई मांग लीजिये। अगर रिप्लाई कनविन्सिंग हो तो स्वीकार कर लीजिये, वरना रिजेक्ट कर दीजिये।

**श्री खेतसिंह** : सभापति महोदय, इसमें विरोधाभास है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि तीस दिन की मियाद देनी चाहिए और हमने साठ दिन रखे हैं। इसके पीछे प्रयोजन यह था, माननीय सभापति महोदय, ऐसे व्यक्ति को कम से कम समय देना चाहिए। गजट नोटिफिकेशन की इत्तला मिले न मिले

(श्री खेतसिंह)

इसमें तीस दिन निकल जायं। इसलिए सोचा था कि साठ दिन दिये जायं। साठ दिन में क्लेम नहीं रखता है तो अपने आप खत्म हो जायगा। क्लेम रखता है, वर्बल रखे, रिटन हो– उसमें सुनवाई हो जायगी और कार्यवाही हो जायगी। इससे आगे बात नहीं है। साठ दिन रखें तो दिक्कत की बात नहीं है। तीस दिन में रखने में उसे मौका मिल सकता है कि हाई कोर्ट में जाकर कह सकता है, टाइम कम दिया है। इसलिए साठ दिन रखा है।

**श्री सभापति** : क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहेंगे ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जी हां।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाए ?

( स्वीकृत )

अनुमति दी गई।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किए जायं ?

( स्वीकृत )

खण्ड दो व तीन स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

( स्वीकृत )

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए गए।

**श्री खेतसिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाए।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष ( संशोधन ) विधेयक 1975 को पारित किया जाए ?

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

## राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : शिक्षा मन्त्री जी दूसरा चोका लगा गए।

**श्री परसराम मदेरना** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजस्व विधियां ( संशोधन ) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाए।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

**श्री सभापति** : श्री दीपंकर।

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :—

"राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक 1976, को एक माह/एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।" ]

**श्री दीपंकर** : सभापति महोदय, राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1975, जो सदन के सामने प्रस्तुत है,

(श्री दीपंकर)

को पढ़ने पर सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रहा जा सकता। परन्तु और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए और हम रुक रुक कर कुछ करना चाहते हैं उसके बजाय जिस दिशा में हमारा मन बन चुका तो दिल और दिमाग से काम करना चाहिए। इसलिए जो कुछ कमियां रह गई हैं, उनका जिक्र मैं आपके मार्फत करना चाहता हूं और मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय, आपने जरूर माना है कि चाहे बड़े महल बना कर आसपास की जमीन घेर रखी है चाहे चरागाह पर आते हैं, अगर काश्त अवैधानिक है तो 91 के तहत आज तक नोटिस देते थे, नहीं मानते थे तो उनका तय कर लेते कि कितने की हैं, नीलाम कर देते और पेनल्टी कर देते। इस तरह से लटकते रहते थे। एक तरह से 91 का जो प्रोवीजन था वह इसलिए था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी अथवा किसी भी पड़त या किसी जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं कर सकें, उसे बचाने के लिए 91 था परन्तु वह धारा इतनी इफेक्टिव नहीं थी और न उससे डरते थे क्योंकि राजस्व विभाग से कुछ नम्बर्स अच्छे मिले हुए हैं लोगों को सम्पर्क करने में और पटवारी उसकी अच्छी से अच्छी एजेन्सी है। आज अगर गांव वाला घबराता है तो वह सिपाही या पटवारी से या परमात्मा से। इसलिए मैं कहता हूं कि ऊपर करता है भगवान, नीचे पटवारी। पटवारी की कृपा जब होती है तो गांव वाला बचता है। पटवारी की कृपा से काश्तकार को बचाने के लिए आपने क्या सोचा है ? वैसे तो आपके कदम का समर्थन है, यह अच्छा कदम है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम का साहित्य प्रकाशित किया उसमें 20–22 हजार नामांकन सरकार ने करवाए हैं, अपनी तरफ से तहसीलों से मंगवाकर। इसका मतलब आपका पटवारी काम नहीं करता जब तक उसकी जेब नहीं भरती, पंचायत को सुपुर्द नहीं करता। यह गांव की भूमि का रेकार्ड है, यह राजस्व रेकार्ड सरकारी डाक्यूमेंट है और सरकारी स्थान पर होना चाहिए, हर नागरिक को जाकर देखने का अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से आपने काश्तकार को आश्वस्त करने के लिए न केवल पट्टे बांटे बल्कि खेत का नक्शा दिया और उल्लेख किया कि उसका खसरा नम्बर क्या है। तो उसमें एक खाना और रखा जाए, वह यह कि फलां काश्तकार पटवारी को बोगोड़ी की रकम देता है तो उसकी रसीद दे। रसीद नहीं देता है और रकम खा जाता है और रसीद मांगता है तो पटवारी उसको दूसरा डर दिखाता है तो उस किताब के खाने में दर्ज होना चाहिए जिस समय वह पैसा देता है। अगर उस तारीख पर रकम नहीं लेता है और किताब में दर्ज नहीं करता है तो शिकायत करने के लिए आदमी को इनाम मिलना चाहिए और चाहे तहसीलदार की बदमाशी हो, चाहे एस. डी. ओ. की हो, चाहे पटवारी की हो, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा अब तक जो आपका रेकार्ड है उसकी जांच करवायें। कई जगह सर्वे हो चुका, कौनसा नक्शा कहां हैं, कौनसी जमीन है, जिसके नम्बर भी नहीं चढ़े हुए हैं परन्तु डाक्यूमेंटरी प्रूफ आपको दिखाना है। पटवारी की आमदनी का इससे अच्छा जरिया क्या हो सकता है ? इसलिए कम से कम यह जरूरी है कि पटवारी का जहां तक सम्बन्ध है, रेकार्ड का सम्बन्ध है, यह पंचायत के जरिये

(श्री दीपंकर)

करे या जो कमेटियां बना रहे है उनके जरिए। जन प्रतिनिधियों के सामने यह चीज आनी चाहिये कि किस जगह की क्या पोजिशन है। जब तक यह नहीं होता है तब तक ठीक नहीं होगा। गंगानगर की सुनते हैं पटवारियों की कहानियां, इसमें सन्देह नहीं कि पटवारी से काश्तकार वैसे डरता है जैसे पुराने जमाने में किसी जागीरदार से डरते थे। इसलिए काश्तकार को वह सलाह दे सके आपका प्रतिनिधि होकर। यह जन कल्याणकारी राज्य है, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकें, कानून की व्यवस्था हो सके तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा काम होगा। अन्यथा इसमें शक नहीं कि आज तक काश्त को जला देते, जानवरों को खिला देते। अब ऐसा नहीं होगा। परन्तु जो आदमी 8-10 वर्षों से लगातार यही धन्धा करता आया है उसके पास जमीन है और रिश्तेदारों के नाम करवा ली है, अतिक्रमण करता आया है जिसका रेकार्ड आपके कलेक्टर के यहां मिलेगा, तहसील में मिलेगा और पटवारी के यहां मिलेगा। ऐसी जमीन का क्या होना है, उसका कोई उल्लेख नहीं। उसका पुनः वितरण होगा या क्या स्थिति होगी ? यही हालत अक्सर गांवों में है। कभी कभी गांवों में बड़ी से बड़ी लड़ाइयां होती हैं जिनमें हजारों रुपये बरबाद हुए हैं कि यह पटवारी रहना चाहिए, यह जाना चाहिए। इसका मतलब पटवारी एक मूल चीज है। तो इसका कोई उल्लेख कानून में हो जिससे वह नहीं डरा सके। आपने व्यवस्था की है कि पंचायत ने तय किया कि कोई भेड़ नहीं चराएगा, भेड़ वाले ने वकील किया। तो गांव वाले दूसरे टेम्परेरी आता के साथ इधर उधर घूमा करते थे सब को बेच कर। इसलिए आपने निर्धारित प्रक्रिया अपनाई कि अमुक काम की अपील हो सकती है, अमुक की नहीं। इस तरह की प्रक्रिया अपना करके आप काश्तकार को काफी रिलीफ देना चाहते हैं। इससे उसके खर्च में काफी बचत होगी। इसके लिए तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूं और इसको आपका उचित कदम मानता हूं। इसके लिये मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन इतना जरूर मैं मान कर चलता हूं कि जिस प्रकार के संशोधन मैंने आपको बताये हैं जब तक आप उन्हें इनमें स्थान नहीं देते तब तक मैं समझता हूं कि आप कमजोर वर्ग के लोगों को कोई खास राहत नहीं पहुंचा सकेंगे। नहीं तो आज यह जो आपकी रेवेन्यू एजेन्सी है, यह आपके पटवारी लोग बेचारे गरीब काश्तकारों से कितने पैसे लेते हैं। बिना उसके दर्ज नहीं करते हैं। इसलिये मेरा आपसे, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, यह निवेदन है कि आप उसमें एक खाता और खोलिये जिसमें यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिये कि अमुक तारीख को पटवारी को पैसे दिये गये। यह लिखा जाना चाहिये। जो आज आप समाजवाद की बात करते हैं, जो समाजवाद को लाना चाहते हैं, गरीब वर्ग को आगे लाना चाहते हैं, काश्तकार को रिलीफ देना चाहते हैं तो आपको इसमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो आज तक काश्तकारों को तरक्की में आड़े यह आ रहे हैं उनको अलग करना पड़ेगा। जो संशोधन आपने किये हैं, इसके बारे में कोई संशोधन आपने किया हो यह बात नजर नहीं आयी है। अगर आप यह कर दें तो हम जाकर गांवों में बता दें कि इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। अन्यथा तो क्या आपके

(श्री दीपंकर)

पटवारी और तहसीलदार लोग जो पैसे बेचारे गरीब काश्तकारों से ले लेते हैं और उन्हें राज्य सरकार के पास जमा नहीं कराते हैं इससे उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिये मेरा यह निवेदन था कि इसको आप सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर देते या जनमत जानने हेतु प्रचालित कर देते तो इसमें जो भी अमूल्य सुझाव माननीय सदस्य देते वह भी एड हो जाते। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

**श्री सभापति :** श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बुद्धिचन्द्र जैन।

## विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

"राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन / एक सप्ताह/तीन दिन में प्रस्तुत करें।"

(समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी]

**श्री बुद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):** सभापति महोदय, अभी सदन में राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय इस बारे में चर्चा चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय इस बारे में अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। सभापति महोदय, मैंने भी इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिये अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो भी संशोधन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रस्तुत किये हैं, वह वास्तव में स्वागत योग्य हैं। और मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो प्रॉसीजर दिया है वह ऐसा है जिससे कि लिटिगेशन काफी बढ़ जायेगा और एक बार जब आप लिटिगेशन में पड़ जाते हैं तो आपको लिटिगेशन के अन्दर पांच साल और इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। कई बार इन लिटिगेशन्स का एण्ड आप पांच साल तक नहीं कर पाते। तो वास्तव में जो आप सहूलियतें, जो रिलीफ काश्तकार को देना चाहते हैं वह उन्हें नहीं मिल पाता है। आपने जो यह अमेंडमेंट इस बिल में दिये हैं वह इसलिये दिये हैं कि काश्तकार को वास्तविक रिलीफ मिले। लेकिन हमें इसमें यह सोचना है कि क्या इन संशोधनों से काश्तकार को रिलीफ मिलेगा। यह प्रश्न विचारणीय है।

सभापति महोदय, रेवेन्यू लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की थी इन दी ईयर 1964, उसमें उसने सजेशन दिया था और उसके अनुसार उनकी रिकमन्डेशन के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अनुसार एक लैण्ड डेवलपमेंट मैनेजमेंट बिल प्रस्तुत किया गया था। सभापति महोदय, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब काफी प्रोग्रेसिव हैं और हमारी सरकार इसके लिये काफी प्रोग्रेसिव कदम उठाना चाहती है और अब जब कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम का जोर शोर से अमल करना चाहते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि इस बिल में कुछ संशोधन किये जायं। पहले लैण्ड डवलपमेंट मैनेजमेंट बिल लाया गया। जो टिनेन्सी एक्ट है उसमें कुछ संशोधन करने जरूरी हैं। हमें एक लैण्ड डवलपमेंट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल हाउस में प्रस्तुत करना चाहिये। अगर हम वास्तव में काश्तकारों को रिलीफ देना चाहते हैं, गरीब और कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर हम 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करके गरीब तबके को राहत देना चाहते हैं, तो हमें इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब काफी प्रोग्रेसिव व्यूज के हैं और मैं आशा करता हूं कि वास्तव में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करना जरूरी होगा। इसके साथ साथ आपको लैण्ड डवलपमेंट मैनेजमेंट बिल का संशोधन और प्रस्तुत करना पड़ेगा। सभापति महोदय, अगर राज्य सरकार की मंशा काश्तकारों को रिलीफ देने की है तो खास बात है वह है सेक्शन 91 के बारे में करना चाहती है इसके लिए मैं यह कह सकता हूं कि यह कानून प्रेक्टिकल तौर से काश्तकारों को फायदा नहीं दे पायेगा और इस कानून का आज बहुत ही भारी मिसयूज हो रहा है। सभापति महोदय, मैं खासतौर से मेरे ही जिले की बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, सेक्शन 91 में जो संशोधन किये गये हैं उसके अन्दर जा संशोधन किये गये हैं उसके बारे में इस बिल का सलेक्ट कमेटी में जाना जरूरी है। सलेक्ट कमेटी का बिल जाने से सदन के माननीय सदस्य उसमें अपने अमूल्य सुझाव दे सकेंगे और इससे काश्तकारों को काफी राहत मिलेगी। नहीं तो, सभापति महोदय, आज सेक्शन 91 के अन्दर आपने जो प्रोविजन रखा है "फोर फिचर आफ क्रोप्स" का और 50 गुना रेंट की पेनल्टी के रूप में लेने का, यह जो सभी के लिये समान रूप से लागू किया जा रहा है वह उचित नहीं है। इसका कारण यह है, सभापति महोदय, मेरे डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में, खासतौर से चौहटन तहसील में और बाड़मेर तहसील में, काश्तकारों की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां पर पहले मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, काश्तकारों को, आज से पांच साल पहले और दस साल पहले भूमिहीन काश्तकारों को लैण्ड अलॉट कर दी गयी थी। यह अलाटमेन्ट सभापति महोदय, 66 या 67 में किया गया था लेकिन उसके बाद में अलॉटमेन्ट कमेटी की कभी बैठक नहीं हुई और इस कारण उन काश्तकारों का, जिनको कि पजेशन मिला था, रेगुलराइज नहीं हो सका। उनका रेगुलराइजेशन आफ लैण्ड नहीं होने से इस कानून का बहुत ही गलत असर पड़ा है। जो लोग जमीन को आज से दस साल पहले से जोत रहे हैं उनका रेगुलराइजेशन नहीं होने, से उन काश्तकारों के खिलाफ में कार्यवाही की गयी है और की जा रही है। उनकी क्रोप्स को फोरफिट कर लिया गया है

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

और उनसे 50 गुना रेन्ट रिकवर किया जा रहा है। सभापति महोदय, एक तो वह पहले ही गरीब थे, भूमिहीन थे उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। उनकी क्रोप्स को फोरफिट किया गया है जिससे कि उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही है। सभापति महोदय, 50 गुना उन लोगों से आप पेनल्टी वसूल करेंगे तो वह गरीब कहां से लावेंगे उन पर काफी वित्तीय भार पड़ जावेगा और इसलिये मेरी आपके माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से यह रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। उसके लिये आप इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने की सिफारिश को मान लें ताकि जो आपकी मंशा काश्तकारों को वास्तविक रिलीफ देने की है उसकी पूर्ति हो सके। आप कानून में संशोधन करने जा रहे हैं और जब तक आप ऐसे संशोधन नहीं करेंगे जिससे कि काश्तकार को वास्तविक राहत मिले तो मैं समझता हूं काश्तकार हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जिन लोगों को बाड़मेर तहसील और चौहटन तहसील में अलॉटमेन्ट कमेटी के द्वारा लैण्ड अलॉट की गयी थी उनको इससे मुक्त किया जाना चाहिये। नहीं तो आप उन गरीब काश्तकारों से लाखों रुपये पेनल्टी के वसूल कर लेंगे। और इससे वह गरीब लोग बहुत परेशानी में पड़ जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब राज्य सरकार की मंशा काश्तकारों को वास्तविक रिलीफ देने की है, जब राज्य सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम को वास्तविक रूप से लागू करके भूमिहीनों और गरीबों को राहत पहुंचाना चाहती है तो आपको इसमें यह संशोधन करना जरूरी होगा कि जिन लोगों को अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा जमीन अलॉट हो चुकी थी और वह काश्त कर रहे थे और उनका रेगुलराइजेशन नहीं हो सका चाहे कोई भी कारण रहे हों उन्हें इस पेनल्टी से मुक्त समझा जावेगा और उनकी प्रोपर्टी को अटेच नहीं की जावेगी। अगर आप ऐसा संशोधन करते हैं तब तो बेचारे काश्तकार बरबादी से बच जावेंगे नहीं तो उन गरीबों पर डबल डबल बोझ पड़ेगा एक तरफ तो आप उनकी क्राप को फोरफिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनसे 50 गुना रेन्ट भी वसूल करेंगे पेनेल्टी के बतौर इसके साथ साथ आपकी रेवेन्यू वसूलियां तो चल ही रही हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, एक मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि इस संशोधन को आप रिट्रोस्पेक्टिव डेट्स से लागू कीजिये ताकि उनको राहत मिले। सभापति महोदय, जो 50 टाइम्स आप पेनेल्टी वसूल कर रहे हैं वह बहुत भारी अनर्थ है। क्योंकि उन लोगों को अलॉटमेन्ट कमेटी के द्वारा ही वह लैण्ड अलोट की गयी थी। इसलिये या तो जो संशोधन यहां पर कम्यूनिस्ट सदस्यों ने रखे हैं इस बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और वह सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट इस सदन के समाप्त होने के पहले तक या अगले बजट सेशन में प्रस्तुत करे और उसमें यह प्रावधान होना चाहिये कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिये ताकि गरीबों को वास्तविक लाभ मिले और जो 20 सूत्र

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

कार्यक्रम हम लागू करना चाहते हैं उसका अच्छी तरह से अमल हो सके।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल :

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर): सभापति जी, यह जो कानून आया है इसके कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ खराब पहलू हैं। मैंने कुछ अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं, उनको मैं अमेन्डमेन्ट की स्टेज पर कहूंगा। मेरा यह निवेदन करना है कि रेवेन्यू लॉज में एक दो कानून नहीं आते है बल्कि जितना भी कुछ करना है इस सम्बन्धी वे सब कानून आते हैं।

सभापति महोदय, जैसा यहां पर सब को ही मालूम होगा कि यहां पर रेवेन्यू लॉज कमीशन का निर्माण किया गया था और उसकी कुछ सिफारिशें आयीं थीं। उनमें दूसरी सिफारिशों के साथ साथ एक सिफारिश यह भी थी कि जब तक रेवेन्यू लॉज का इम्पलीमेन्टेशन सही तौर से नहीं होगा किसी को राहत नहीं मिल सकती है। रिकार्ड की गलतियां पटवारियों का भ्रष्टाचार, अधिकारी, रिश्वतखोरी और पक्षपात ये सब चीजें काश्तकार के लिए बड़ी दिक्कत भरी हैं। जितने भी मुकद्मात हैं, जिनमें किसानों के राइट्स का सवाल इन्वोल्व है, जिनकी मुकद्मात की शक्ल हो और जिनमें एक्जीक्यूटिव की कोई चीज इन्वोल्व न हो तो उन सब मुकद्मात को सिविल जज को दे देना चाहिये, हाईकोर्ट के मातहत अदालतों को सुपुर्द कर देना चाहिये। शुरू में कानून आया और रेवेन्यू लॉज पर बहस हुई थी तो यह निवेदन किया था कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह यह है कि न सिर्फ रेवेन्यू लाज में बड़ी बड़ी तब्दीलियां करते बल्कि इस बात की जरूरत थी कि काश्तकार को रिलीफ मिल सके। माननीय दीपंकरजी ने कहा था कि 'ऊपर खुदा है और नीचे पटवारी' जिस तरह से वह चाहता है वह करता है। सरपंच की मुस्तकिल शक्ल हो गयी है ये हरकत करते रहते हैं।

यदि इन कानूनों को लागू करना है तो सही तरीका क्या हो सकता है। पहले तो मेरा निवेदन यह होगा कि माननीय मंत्रीजी मेरे सुझाव पर गौर करें कि क्या कमीशन की सिफारिशों को इमिडियेटली लागू नहीं किया जा सकता? पहले भी मंत्री थे उनका ध्यान दिलाया था। वे कुछ नहीं करना चाहते थे। रेवेन्यू मिनिस्टर आये हैं वे दरअसल ये कदम उठाना चाहते हैं कि जिससे किसानों को राहत मिल सके।

दूसरा, आपने सीलिंग कानून पहले बनाया, इसमें तरमीम की और फिर नया कानून बनाया। सीलिंग का कानून आवेगा तब बहस होगी। 58 के जितने भी मामले हैं वे ओटोमेटिकली ओपन होने चाहिये और जितने ट्रान्सफर्स चाहे भाई भतीजे के किये गये हों, उन सब को ओपन किया जाना चाहिये। अगर आप नहीं करेंगे तो सीलिंग का कानून एक मखौल बन कर रह जावेगा। जैसा आपको भलीभांति मालूम है कि आपका अनुमान था वह यह था कि हमको राजस्थान में सीलिंग के मातहत 16 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी। जब हालात ध्यान में आये तो 3 लाख एकड़ जमीन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उपलब्ध हुई है। इतनी डिस्पेरिटी क्यों है? फर्क क्यों है? इसका मतलब यह है कि कानून का इम्प्लीमेन्टेशन सही नहीं है। दूसरा, कानून बनाने वाले वे लोग थे जिनके निजी स्वार्थ थे, बड़े बड़े मुरब्बा थे। मैंने निवेदन भी किया था। हांडा साहब का हमेशा किस्सा चलता रहता है। दोनों सज्जन जमीनें सरेन्डर कर दें तो हाउस में इश्यू नहीं उठे। वे सरेन्डर करने वाले नहीं थे। वे चले गये। आपको इस इश्यू पर गहराई से सोचना चाहिये।

राजाओं, फ्यूडल लोर्ड्स के बारे में कानून बन गया और गुजिश्ता सेशन में अमेन्डमेन्ट भी आया है। लेकिन वह चीज जो उन्होंने कर दी, जमीनें बेच दी गयीं या मुन्तकिल कर दी गयीं उसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। आपने कानून रेवेन्यू लॉज के मातहत बनाया उसमें अक्सर यह देखना होगा कि यह कानून कहां तक सही है और कहां तक लागू किया जा सकता है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह रेवेन्यू लॉज अमेन्डमेन्ट एक्ट है, इसलिये इसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट गवर्न नहीं होता है बल्कि हर गो-कानून का रेवेन्यू लॉज से ताल्लुक होता है, नजरसानी करनी चाहिये और देखना चाहिये कि किसान को किस तरह से राहत दी जा सकती है। आपके द्वारा दिया हुआ हथियार मैं हर वक्त अपने साथ रखता हूं। आप पूछेंगे वह क्या हथियार है? वह 20 सूत्री प्रोग्राम है जिसको हमने समर्थन दिया है। आप क्या चाहते हैं मैं नहीं कहना चाहता। 7 सूत्र उसमें ऐसे हैं जिसमें कल्पना की गयी है कि किसान को राहत मिले। किसान को राहत दिलाने का क्या तरीका हो सकता है? उनको किस तरह से एप्लीकेबल किया जा सकता है, किस तरह से उनको लागू किया जाय मंत्री महोदय को गौर करना चाहिये। मेरा एम्फेसिस है वह यह है कि आप इधर-उधर थोड़ी थोड़ी तरमीम कर देते हैं लेकिन इससे काम चलता नहीं और जो मकसद है वह पूरा होता नहीं क्योंकि 20 सूत्री प्रोग्राम में से 7-8 सूत्र ऐसे हैं जिनका सीधा किसानों को राहत देने से ताल्लुक है, जैसे शेयर क्रोपर्स हैं, किसान काश्त करते आये हैं उनको राहत मिल जानी चाहिये। काश्तकार जिनके पास जमीनें हैं वे जितना शेयर क्रोपर्स को हिस्सा देना चाहिये नहीं देते हैं। यह राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में है। उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको सोचना चाहिये कि जहां एक तरफ जागीरदार और मिडलमैन थे, उनको बिस्वेदारी और जागीरदारी एबोलिशन एक्ट के जरिये खत्म किया। जो भूमिहीनों का किसी प्रकार से शोषण करते हैं उनके लिये आप सोचें कि शेयर क्रोपर्स की शक्ल में ऐसे काश्तकार, जिनके पास जरूरत के मुताबिक जमीन न हो, उसको किस प्रकार से राहत दिलायी जा सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट। किसी भी कानून में यह नहीं पाया है कि शेयर क्रोपर्स की इन्स्टीट्यूशन को कैसे खत्म किया जाय। मा. वृद्धिचन्द्रजी ने ध्यान आकर्षित किया कि गुजिश्ता सेशन में भी फैसला किया था कि टिनेन्सी एक्ट में रिफोर्म्स किये गये हैं उनको जल्दी से जल्दी पास किया जाय और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी फरमाया था कि स्पेशल सेशन भी करना पड़ेगा तो 15 रोज का स्पेशल सेशन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

करेंगे। मैंने यह निवेदन किया था कि मिडिल मैन को साफ खत्म कर सकते हैं। 'टिनेन्ट' की डेफिनिशन यह कर दें कि जो खुद हाथ से काश्त करता हो और दूसरों का शोषण न करता हो उसके अलावा और किसी को काश्तकार की परिभाषा में शामिल नहीं किया जावेगा। इसमें वकील, हमारे यहां के सदस्य, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं वे इसमें आ सकते हैं और मिडिल मैन की संस्था खत्म हो जाती है। मुझे अफसोस यह है कि टिनेन्सी एक्ट को लाना नहीं चाहते हैं। टिनेन्सी एक्ट के रिफोर्म्स को लागू नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे संक्षेप में यह निवेदन करूंगा ये जितने भी लॉज हैं, उनको फिर से देखिये और उसके लिये एक कमेटी का निर्माण करिये और उसमें अध्ययन कीजिये कि काश्तकार को किस तरह राहत दी जा सकती है और जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो आज तक जमीनों से बेदखल हैं और आज तक यह पोजीशन है कि कोई भी आदमी अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से बेदखल कर देता है तो वह बेचारा ठोकरें खाता फिरता है। जिनको जमीनें मिलीं— शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, उनको वह आज तक नहीं मिली है और अगर कागजी कार्यवाही में मिली हैं तो उसको उसका कब्जा नहीं मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज तक आपके पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिलीफ देना चाहते हैं और वह दी है, वह इम्प्लीमेन्ट हुई है और असल चीज यह है कि नेकनीयति के साथ उस 20 सूत्री कार्यक्रम में जिसका श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने आह्वान दिया है उसके अनुसार करना चाहते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स और जो पिछड़ा हुआ सेक्शन हैं, वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको राहत देना चाहते हैं तो एक कमीशन का निर्माण करें और पता लगायें कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीनें दी हैं और कितनों का कब्जा है और कितने बेदखल हो चुके हैं।

आपने 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत लुभावना पेश कर दिया लेकिन उसके अनुसार राज्य सरकार का अमल नहीं है, यहां तक कि आपके पास आंकड़े भी नहीं है कि कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीन अलॉट हुई और कितने बेदखल हो गये। आज यह हालत है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी आपके कमरे में बैठने में भी डरेगा, उसकी मेन्टिलिटी आज भी वही चलती आ रही है। आज भी उसकी जहनियत में फर्क नहीं है। हमारा कर्त्तव्य है कि उसके स्टेट्स को ऊंचा उठायें और इसकी तरक्की की कोशिश करें। मैंने पहले भी निवेदन किया कि आप हाई पावर कमेटी मुकर्रर करके जो शिड्यूल्ड कास्ट्स की समस्या है, जो बैकवर्ड क्लासेज की समस्या है उनके बारे में पूरी रिपोर्ट पेश करें। हमने बहुत तलाश किया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कोई रिपोर्ट हमें मिले। हमने चाहा प्रेक्टिकली क्या मुसीबतें आती हैं लेकिन इतनी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट कहां तक पढ़ें। मैं चाहता हूं एक संक्षिप्त रिपोर्ट पेश कर दें इसलिए मैं सरसरी तौर पर तो मैं मेरे अमेन्डमेंट पर बाद में निवेदन करूंगा लेकिन यह जो आपका कानून है वह खतरनाक है। जो अलॉटमेंट हो गया उनको आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया और आज जो छोटे काश्तकार हैं उन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

पर आपकी तलवार चलेगी तो एक भयानक चित्र आपके सामने होगा। बड़े आदमी के सामने जो आपकी कानून की तलवार है वह भोन्डी हो जाती है

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

और जब गरीब पर चलती है तो उसके सिर का पता नहीं चलता है तो क्या आप इस प्रकार का कदम उठाने के लिये तैयार हैं कि यह तलवार गरीब पर न चले। मैं यह विथ-ड्रा नहीं करूंगा, फाइट करूंगा और मेरे कांग्रेस के साथियों को यह गुजारिश करूंगा कि इन अमेन्डमेंट्स को फोर्स करें और इन अमेन्डमेन्ट्स को मानें। मैं विथड्रा करने को तैयार नहीं हूं और जहां एक ओर मैं इस बिल का स्वागत करता हूं वहां दूसरी ओर यह खतरनाक है, इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने कई बिलों में तरमीम करके जिसमें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 225 और 122 और लैंड रेवेन्यू 56 की 77 और 51, कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 24 में तर-मीम करके कुछ राजस्थान को देना चाहा जो राजस्थान को और राजस्थान के काश्तकार को और राजस्थान के भूमिहीन काश्तकार को इन तरमीमों से देना चाहा है उनमें मुख्य बात तो यह है कि उनके जमीनों के मामले जो रेवेन्यू कोर्ट्स में पेंन्डिग हैं, उनके आर्डर्स की अपील नहीं हो सकती है जो इन कोर्ट्स में फाइनली डिसाइड नहीं हुये हैं, चाहे स्टे आर्डर्स के ही हों, कोई अपील में जाने का प्रोविजन नहीं है। नम्बर दो, कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 22 और लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 51 में तरमीम करके जो ट्रेस पासर हैं उन पर तावान की रकम पांच गुणा से बढ़कर पचास गुणा करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा जुर्म कोलोनाइजेशन एरियाज में होता है और सबसे ज्यादा हार्ट हिट केसेज भी कोलोनाइ-जेशन एरियाज के ही होते हैं और ये बहुत समय से पेन्डिग हैं। जब यह आर्डिनेन्स आया कि जितने भी टेम्प्रेरी अलाटमेंट के केसेज हैं या पट्टा रिन्यूअल के केसेज हैं उनके सम्बन्ध में पट्टा जारी करना अब कमिश्नर की कोर्ट ने बन्द कर दिया और चाहे जितने जिनाइन केसेज हैं आज उन पर भारी संख्या में तावान लागू हो रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री बहुत अच्छी तरह जानते हैं प्रि और पोस्ट के जो कानून थे। पोस्ट के अलाटमेंट के कानून में दो साल का गैप था लेकिन प्रि के अलॉटमेंट में कोई गैप स्वीकृत नहीं था। 1955 से लगातार काश्त करता चला आया है और पहले जो राजस्व मन्त्री थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स लागू करके इसको स्वीकार कर लिया और उनके केसेज, कुछ नियमन के केसेज रेवेन्यू कोर्ट में पेन्डिग थे और रेवेन्यू कोर्ट यह मानता रहा है कि दो साल का गैप गवर्नमेंट ने कन्डोन किया या नहीं किया। मैंने अनेक केसेज रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने प्रस्तुत किये कि हनुमानगढ़ की मण्डी आबाद हुई तो बहुत से इम्पेक्ट हुए और उसको राजस्थान केनाल में मिल गये और उनके बाद जैतसर फार्म में जमीन घोषित कर दी हालांकि कानून में प्रोविजन था कि सरकार अपनी भूमि कभी भी खाली

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करवा सकती थी इसके बावजूद भी उनसे लिखाया गया और लिखाने पर उन्होंने कहा कि लिखाने की जरूरत नहीं है कानून में पहले से मौजूद है. हम लिखकर क्यों दें और हुआ भी यह कि लिखकर नहीं दिया और लिखकर नहीं देने से उनके पट्टे इश्यू नहीं हुए। यह रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा इनके रिन्यूअल के केसेज लिये जायं और उनको जमीन मिली भी नहीं और आज तक उनके केसेज पेन्डिग हैं और वह बेचारा तीन जगह करवट बदल चुका है लेकिन तावान अब भी है। 8 महीने तक उनको पता नहीं चला कि टेम्प्रेरी अलाटमेंट के मसले तय हो गये हैं। आज उन पर 50 गुणा तावान की स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिये सारे अलाटमेंट बन्द कर दिये लेकिन आपके डी. सी. श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम बन गये और आज तक उन पर तावान लगा रहे हैं, उनकी मिसलें खोल रहे हैं और खोद खोद कर मिसलें निकाली जा रही हैं। उनका सन् 58 से कब्जा है और 68 में परमानेन्ट अलाटमेंट के लिए एप्लाइ किया है। सारे रेकार्ड्स उसी दफ्तर में हैं और हद तो यह है कि 100 केसेज ऐसे हैं जिन पर डी. सी. श्रीवास्तव साहब ने एक ही मुरब्बे की दो दो आदमियों के नाम लाटरी निकाल दी। उस अलाटमेंट के दफ्तर में जाकर मुझे कहना पड़ा कि दो आदमी पट्टे लिए हुए फिर रहे हैं और केस में यदि झगड़ा हो गया और मर्डर हो गया तो मर्डरर कौन होगा, अबेटर कौन होगा? कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट होगा। किस के खिलाफ एफ. आइ. आर. दर्ज होगा और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इन्क्वायरी करें सारे केसेज की। दो के ही पट्टे नहीं बल्कि चन्द केसेज में तीन तीन पट्टे जारी हुए हैं और तीनों के खिलाफ पचास पचास गुना तावान कायम हो गया है। फिर वसूली तावान में क्या चुस्ती दिखा रहे हैं आपके तहसीलदार साहब? मैं कद्र करता हूं किसी के कान में मुरकी चांदी की है तो उतार ली, किसी ने घड़ी पहन रखी है तो घड़ी उतरवा ली, किसी ने पैरों में कड़े पहन रखे हैं तो वह उतरवा लिए। कितनी मुस्तैदी के साथ रकम वसूल की जा रही है। कइयों के तो छप्पर उखाड़ लिए और देगचियां उठा लीं, चूल्हों के ऊपर से। अगर आप स्टे आर्डर का भी प्रावीजन नहीं रखते हैं, इतना काम्प्लीकेटेड आपका मामला है तो, सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में भूमिहीनों की एप्लीकेशन्स ले रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी हरिजनों को दे रहे हैं। काबिले तारीफ है। आपका प्रगतिशील दृष्टिकोण है। जितनी प्रशंसा की जाये, कम है लेकिन आज एक तहसील हैडक्वार्टर्स पर तीन हजार एप्लीकेशन्स आती हैं और सारा प्रॉसेस होता है कि वह सन् 55 से पहले का काश्तकार है या नहीं। मुख्य धन्धा खेती है या नहीं। आपका यह काफी टीडियस प्रॉसेस है। मैंने कॉलोनाइजेशन कमिश्नर को लिखकर दिया गांव में जहां 55 में रहता था उसको तस्दीक कीजिए। सन् 55 में भाखरा का पानी आया था न राजस्थान केनाल का पानी आया था वहां उसके आप निशानात देखते फिरते हैं। नायक और मेघवाल लोगों के निशानात ढूंढे जा रहे हैं। मेघवाल जाति आपको भारतवर्ष की धरती पर नहीं मिलेगी और केवल राजस्थान के अन्दर तो यह जाति रहती है और फिर इनके भी खोज आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

ढूंढते फिरते हैं। वह तो मजदूर आदमी हैं, खेती का काम करते हैं, जुताई करते हैं, निराई करते हैं। एक मजदूर है एक खेत से दूसरे खेत में जाता रहता है। उसके भी निशान ढूंढे जा रहे हैं और अब की तो यह हालत हुई है कि सारे स्टाम्प्स भी यहीं। उस पर तीन रुपये का स्टाम्प लगाना जरूरी है और तीन रुपये की स्टाम्प की ब्लैक सी सी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह तो खैर वित्त मन्त्री महोदय ने कह दिया। अब पांच हजार में से 1152 दरख्वास्तें सक्षम हुई और उसके बाद लोटरी निकाली गई और 76 लोगों को मिल गई। मैं सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। फिर इतने महीनों के बाद सक्षम हुए 1100 लोग। इनकी एप्लीकेशन खतम नहीं हैं चाहे यह 'ई' केटेगरी के हों, 'एफ' केटेगरी के हों, या 'डी' केटेगरी के हों। ये दुबारा सक्षम हुए हैं और अलग अलग तहसीलों की अलग अलग रेट्स पांच हजार से लेकर पांच सौ की रेट। यह क्या सिलसिला है और सक्षम नहीं हुए तो 500 गुना तावान दीजिये, तो सभापति महोदय, एक जगह अगर महीन हरिजन सक्षम हो जाता है तो जब तक दूसरी तहसील में जमीन है, तीसरी तहसील में जमीन है, चौथी तहसील में जमीन है या पांचवीं तहसील में जमीन है और अगर वह पर्टीकुलर केटेगरी है तो जब तक सक्षम किए हुए लोगों की केटेगरी खतम नहीं हो जाती तब तक दूसरे लोगों को क्यों परेशान करते हैं? फिर पचास गुना तावान। सन् 55 से लेकर 56 तक की कांटीन्युटी का सबूत भी मांगते हैं और कहीं भी कोई लेकुना है तो तावान आयात कर देते हैं। फिर सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे केसेज में भी तावान लगा दिये कि जो अपील में चल रहे हैं। ऐसे केसेज जिनकी टी. सी. की मिसलें आपके डी. सी. की इनएफीशियेन्सी की वजह से, जैसा कि माननीय वृद्धिचन्द्र जी जैन कह रहे थे, उन केसेज में भी तावान।

तो अन्त में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक चीज की ओर, और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप दो मुरब्बे पोस्ट 66 साल से नहीं देना चाहते थे क्योंकि 350-400 लोग हाईकोर्ट में चले गये और उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये और स्टेआर्डर भी ले आये। आज आपने 8 अगस्त, 75 में यूनीफार्म लॉ बना दिये। उसमें क्लियर कट बात है कि इस लॉ के बनने से पहले जो मिसल डिसाइड हो गई उनके बच्चों को तो आप एक मुरब्बा एडजस्ट कर देंगे। और अब कमाल है कि जो लोग सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गये बांगड़ जैसे लोग उनको तो यह एडवान्टेज मिलेगा कि उनके बालिग बच्चों के नाम जमीनें एडजस्ट होंगी, क्योंकि उनकी मिसलें डिसाइड नहीं हो सकीं। आप हाईकोर्ट के स्टे-आर्डर का कान्ट्रेवेन्शन नहीं कर सकते। आपके कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कई केसेज भी बन गये लेकिन वह गरीब जिसके पास पैसा नहीं था और जिन्होंने स्टे-आर्डर सीक नहीं किया उनको आप एक मुरब्बा भी एडजस्ट नहीं करेंगे। यह कौन सा तरीका है? फिर वह लोग जिनको दो मुरब्बा एडजस्ट हो गई वह भी सेटिस्फाइड नहीं। वह भी हज्जूम बनाकर आपके दरवाजे पर आये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसलिए, सभापति महोदय, बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए यह अर्ज करूंगा कि इंटिरिम ऑर्डर्स इश्यू करने के मामले को रोकने के बजाय आप अपने डिपार्टमेंट में इफीशियेन्सी क्रियेट कीजिये। मैं कहता हूं कि वैसे डिपार्टमेंट में इफीशियेन्सी आई है

(4.38 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

पहले से ज्यादा नम्बर ऑफ केसेज डिसाइड हुए हैं और इससे भी ज्यादा इफीशियेन्सी क्रियेट कीजिये। क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेज कीजिये लेकिन कालोनाइजेशन एरिया के अन्दर आपके इन्टिरिम आर्डर्स के खिलाफ स्टे आर्डर्स इश्यू नहीं हों अगर इस प्रकार का प्रावधान करते हैं तो लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है।

दूसरे पचास गुना तावान का प्रावीजन बहुत सख्त प्रावीजन है। वह लोग जिनके पास पैसा है, जो कोर्ट से रिलीफ सीक कर सकते हैं, जो आपके इंटिरिम ऑर्डर्स के बारे में भी स्टे-आर्डर्स ला सकते हैं और हाईकोर्ट जा सकते हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट को तहसील-दार की कोर्ट बना दी है और इस तरह से स्टे-आर्डर्स इश्यू हुए जैसे आपका तहसीलदार करता था उन लोगों को तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है लेकिन जो गरीब हरिजन हैं, जो भूमिहीन हैं, जो मुश्किल से सक्षम हुए हैं और उसके बाद भी उनको कब्जा नहीं मिलता है और उसके नाम काश्त चलती रहती है और काश्त दूसरे करते रहते हैं, वह तावान का शिकार होते हैं और जमीन अलाट हो जाती है तो उसकी गिरदावरी नहीं होती-मैं पूछना चाहता हूं कि दो साल से इस सदन में सरदारपुरा के भीखा का मामला चल रहा है

एक माननीय सदस्य : चार साल से।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं चैलेन्ज करके कहता हूं कि आज तक सरदारपुरा-भीखा के लोगों को जमीन नहीं मिली उनके 64 केसेज पर आपने न्यायपूर्ण आदेश दिया कि इसकी जांच की जाय कि सन् 58 में किनके कब्जे में थी, उनको टेम्प्रेरी अलाट-मेंट मिला था गया। 71 में मिसलें दबा दी गई और फिर सब की सब निकल आई 64 मिसलें। कण्टीन्यूअस पजेशन साबित हो गया उन लोगों का। बड़े बड़े भूपति, श्री ईश्वरीसिंह और महेन्द्रसिंह, किसान यूनियन के कहने से उनको इजेक्ट करने के लिए पहुंच गए और सरदारपुरा भीखा के नायक और मेघवाल ठोकरें खाते फिरें। न वहां पर आपकी आर. ए. सी. पहुंची और न आपकी बी. एस. एफ. पहुंची। एस. डी. एम. गुप्ता ने दस हजार रुपये खाकर उन भूमिपतियों का पजेशन निकाला। रिकार्ड में पजेशन दिया गया है और भूपतियों को एक्सचेंज किया और इन भूपतियों पर तावान लागू नहीं किया और पुलिस आफिसरों ने इन नायकों और मेघवालों को उनके घरों में जाकर, उनकी झोंपड़ी जला कर, छोटी सी झोंपड़ी जला कर उनके खिलाफ केसेज इंस्टीट्यूट किए हैं। उनको थानों के अन्दर रखा गया। पन्द्रह पन्द्रह दिन तक बेल नहीं हुई, बेरहमी से पीटा गया और आज तक लोगों को पजेशन नहीं दिला सके। ऐसे लोगों से पचास गुना तावान लेने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि यह माननीय सदस्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जयपुर से आने वाले ने कहा है, उस दौरान में अर्ज करूंगा लेकिन वही लोग जो राजदादी और दूसरे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए जिनके कारण आपको 15-ए में संशोधन की चिंता हो रही है। भारत सरकार को चिंता है, 15-ए का एक्सप्लेनेशन दिया है कि उस तरमीम की जरूरत है। सारा का सारा 15-ए का अमेंडमेंट होना है, उसकी चिंता है लेकिन उसके लिए तावान का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं ऐसे ट्रेसपासर्स के बारे में तावान का प्रोवीजन करते हैं? इतिहास कहता है कि तावान के केसेज गरीब के बने हैं। कण्टीन्यूटी आफ गिरदावरी अगर किसी की टूटी है तो वह गरीब की टूटी है। जो लोग इन्फ्लूएन्शल हैं पंजाब या हरियाणा के उनकी कन्टीन्यूटी नहीं टूटी है। न गरीब की कन्टीन्यूटी साबित होती है, न उनके सबूत मिलते हैं, वे सद्भावी काश्तकार होते हैं। दो सौ साल से, सौ साल से दूर दराज थार के रेगिस्तान में जलते रहे आज उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी है। थानेदार जांच करता है, उपाध्यक्ष महोदय, तो लिख देता है कि भट्टे की मजदूरी करता है। गांव में भट्टे है, ईंट निकालता है। एक कूथवाल जो माफी का जो चमड़ा उतारता है उसके लिए थानेदार तस्दीक करता है कि चमड़े का व्यापारी। उसने कहा कि मैं तो साल में दो भैंस मरती है और चार कूकड़े मरते हैं उनको उठा कर बाहर फेंकता हूं बाकी खेती करता हूं, बंटाई करता हूं जमींदार के यहां फोर्स लेबर करता है। उसको रात को दो बजे उठा कर कहते हैं कि खेत में पानी लगा। आपका तहसीलदार कहता है कि चमड़े का व्यापारी, कितनी गाड़ियां उसने चमड़े की कानपुर और आगरा भेज दीं जो इस तरह की तस्दीक करता है? एक है जो चेजे का काम करता है और गांव के अन्दर जमींदार के यहां पानी लगाता है, उसकी ईंटें निकालना, कच्चे खेत बनाना, वह चेजे का मजदूर इससे सक्षम नहीं हो सकता। जितना का जितना आपका इस कानून का जोर है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब! मैं आपका कदरदान हूं, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उसका सारा का सारा असर गरीब काश्तकार पर पड़ा है। हरिजन पर पड़ रहा है, भूमिहीन काश्तकार, भूमिहीन खेतिहर और मजदूर पर पड़ रहा है और क्या देते हैं आप उसको? आपने मुरब्बा अलाट कर दिया। यह ठीक है रियायत दी है हरिजनों को, पहली किस्त नहीं लेंगे, दूसरी किश्त ढाई परसेंट लेंगे। इन रिकार्ड्स के लिए, रेवेन्यू रिकार्ड के लिए आपने काफी कुछ किया है। इरीगेशन रिकार्ड में एक मुरब्बा कमाण्ड का पट्टा दिया जाता है भूमिहीन किसान को और वह किसान पट्टे पर हाथ फेरता है कि जमीन का बिल्कुल लेवल पचास फीट चढ़ जाता है, लेकिन मौके पर सौ फीट चढ़ जाता है, हजार फीट पर चढ़ जाता है और वहां बैठा शंकर भगवान का घण्टा बजा रहा है। पानी नहीं पहुंच सकता हजार साल तक भी। जमीन को गिरदावरी दर्ज नहीं और, उपाध्यक्ष महोदय, तावान लगाने को तैयार हैं और जो भूपति हैं, जमींदार हैं, जिन्होंने झूठे रिकार्ड बना रखे हैं उनको बढ़िया से बढ़िया जमीनें अलाट कर दीं। राज्य कर्मचारियों की फर्द पहले ही पेश कर चुका हूं, छोटे बड़े भूपतियों की लिस्ट दोहरा चुका हूं उन जमींदारों को आपने बढ़िया से बढ़िया जमीनें मौके पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दे दी लेकिन जो गरीब हरिजनों को जमीन दी क्या उस पर कभी पानी पहुंचेगा। कभी कन्टीन्यूटी दिखाई है, कभी गिरदावरी दिखाई है और फिर गरीब हरिजन तो, एक खेतिहर मजदूरी का काम करता है, जो राजस्थान के दूर दराज एरिया में रहता है उसको आपने जमीन अलॉट कर दी लेकिन क्या उसको आपने बैल की जोड़ी दी? क्या आपने को-आपरेटिव सोसायटी बनाई? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) क्या आपने उसको इस बात की गारण्टी दी कि वह जमीन पर काबिज रह सके? नतीजा यह है कि खुलेआम उसका अलॉटमेंट बाजार में नीलाम हो जाता है और उस पर भूपति आकर बैठ जाता है लेकिन उस भूपति पर तावान नहीं लगता तावान लगता है गरीब मजदूर के ऊपर क्योंकि उसका नाम रिकार्ड पर है। गिरदावरी उसकी जब्त हो जाती है और तावान का लट्ठ उस पर बरसता है। तो भूपति उसका फायदा उठाता है, राज कर्मचारी उसका फायदा उठाता है और वह गरीब किसान कोने में चला जाता है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर हरिजनों, खेतिहर मजदूरों और कोलोनाइजेशन एरिया में इस बात को स्वीकार करता हूं कि चाहे डी केटेगरी हो, चाहे ई केटेगरी हो, चाहे एफ केटेगरी हो, चाहे सी केटेगरी हो, मैं नहीं कहता कि कोई गंगानगर के लोगों का ही राजस्थान कनाल पर ही हक है। न यह दृष्टिकोण रख कर चलते हैं। अगर आप उदयपुर के भील को लाकर राजस्थान नहर क्षेत्र में बसा सकते हों तो बसाइये। अगर आप पाली के खेती मजदूर को लाकर बसा सकते हों तो आप बसाइये। राजस्थान का ऐसा लग रहा है। यह क्षेत्रीयवादी प्रान्तीयवाद का मेरा दृष्टिकोण नहीं है, न मेरी पार्टी का ही यह दृष्टिकोण है। हम इस प्रान्तीयता और क्षेत्रीयवाद को स्वीकार करते हैं। नागौर के लोगों को वहां लाकर बसा सकते हों तो बसाइये। चूरू के लोगों को वहां लाकर बसा सकते हों तो बसाइये लेकिन यह जो पचास गुना तावान लगा रहे हैं यह तावान किसी भूपति पर लगने वाला नहीं है। यह आज तक बराबर हरिजन पर लगता रहा है। आज भी आप यह दावा नहीं कर सकते जब तक कि ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग में मूलभूत परिवर्तन नहीं आ जाय। ब्यूरोक्रेसी में जब तक यह सारी चीजें रिवोल्यूशनाइज नहीं हो जायं। वह जो सात पोइन्ट आप को ग्रामीण क्षेत्र में लागू करना है, जन सहयोग और जन संगठन से लागू करना है। खुद देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है और खुद इस राज्य के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने कहा है कि इस ब्यूरोक्रेसी के आधार पर कोई भी अच्छा कानून लागू नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों का है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसलिए यह पचास गुना तावान लगाना जब तक प्रजेंट ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, जब तक ब्यूरोक्रेसी रिवोल्यूशनाइज नहीं होती, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी में यह नहीं कहता कि सारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत से प्रगतिशील विचारों के लोग हैं जो कांग्रेस की प्रगतिशील

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा) नीतियों के विचारों के हैं लेकिन टोटल एटीट्यूड चेंज करने को, जनमानस को चेंज करने को, टोटल दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : जरा प्रोसीजर का भी ख्याल रखिए। आप विराजिये।

श्री बेगाराम : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व विधियां संशोधन विधेयक जो सदन के समक्ष है वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जिन तीन खास मुद्दों पर यह संशोधन लाया जा रहा है इसमें इस बात के लिए तो सराहना करनी पड़ेगी कि राजस्व कानून के तहत जो अपील और रिविजन करने का प्रावधान है और जिससे डिले होती है चाहे वह टिनेंसी बिल हो या लैंड रेवेन्यू एक्ट हो, वह एक अननेसेसरी डिले थी और उससे वास्तव के अन्दर हमारा न्याय करने का लक्ष्य था वह मिट जाता था और इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एप्लीकेशन के इण्टेरिम आर्डर पर कोई अपील या रिविजन नहीं होकर फाइनल आर्डर पर ही अपील निगरानी रहे। साथ ही साथ यह फाइनल बोर्ड आफ रेवेन्यू का जो प्रोविजन रखा गया है, ज्युडिशियल कोर्ट नहीं, रख कर रेवेन्यू बोर्ड में रखा है, यह बात तो समझ में आती है कि रेवेन्यू के मामले आखिरी जाकर रेवेन्यू बोर्ड में तय हों, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का रेवेन्यू बोर्ड का कांस्टीट्यूशन होता है, मैं उनके पर्सनल पर किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना चाहता, फिर भी रेवेन्यू मामलों में आखिरकार बोर्ड के बाद हाईकोर्ट में जाने का अधिकार जरूर होना चाहिए। किसी मामले को लेकर किसी मुद्दे को लेकर ऐसी बात रह सकती है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ध्यान में नहीं रखी गई हो, रेवेन्यू बोर्ड का जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स से कांस्टीट्यूशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए, वह जो राइट है हाईकोर्ट में जाने का वह नहीं मारा जाना चाहिए। बोर्ड आफ रेवेन्यू के बाद भी आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वह आखिरी जाकर हाईकोर्ट में जा सके।

इसके अलावा संवर्धन के तहत तावान का यह जो प्रबंध में लाया जा रहा है और जिसके तहत पचास गुना जुर्माना पहले ट्रेसपासर्स के लिए और बाद में सिविल प्रिजन तीन महीने के लिए और वह भी तहसीलदार के द्वारा, वास्तव में मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसे हमको पास करने से पूर्व

(श्री शंकरलाल)

बहुत गम्भीरता से लेना पड़ेगा। यह बात बहुत ही गम्भीरता से देखनी पड़ेगी कि आज 91 के केसेज की मिकदार, 91 के केसेज उन लोगों पर ही ज्यादा हैं और गांव के अंदर फुंड के फुंड नोटिस किन लोगों को दिए जाते हैं। यह बात जरूर है कि बहुत से बड़े-2 आदमियों ने 91 में अपने ट्रांसफर करा रखे हैं और कई हजार बीघा जमीन दे रखी है। छोटे छोटे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने आधा बीघा खेत ट्रेस पास किया है। ऐसा भी हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने एलाटमेंट की दरख्वास्त पेश कर दी और एलाटमेंट की दरख्वास्त पेश करते समय कमेटी नहीं बैठी और उस पर निर्णय नहीं होता है। बरसात एकदम आगई और उस गरीब आदमी ने पटवारी से मिल कर, उससे मालूम करके जो राज्य की जमीन पड़ी हुई थी उस पर काश्त करली। तो जिस आदमी ने एलाटमेंट की दरख्वास्त दे दी है और जो जमीन खाली पड़ी थी, उसका उसे एलाटमेंट समय पर नहीं हो पाया, उस आदमी के पास जमीन नहीं थी, उस पर काश्त कर ली तो उसे इस बात के लिए रिवार्ड दिया जाना चाहिये। फालतू जमीन पड़ी थी, काश्त नहीं हो रही थी, समय पर उसका एलाटमेंट नहीं कर सके। तो इस प्रकार उस आदमी के बारे में और बड़े आदमी के बारे में हमें डिफरेन्स करना होगा। यह तो आपने हरेक ट्रेसपासर के बारे में रखा है। इसमें डिफरेन्स रखना है... You will have to differentiate between trespass by a landless person and trespass by a person who is already in possession of land.

इस चीज का अगर डिफरेन्स नहीं रखेंगे तो अपना मकसद है समाजवाद का, वह मर जायेगा। जैसा कि इसके अंदर हो रहा है और हुआ है। बहुत से निर्दोष व्यक्ति हैं, छोटे काश्तकार हैं, माननीय हांडा साहब ने कहा, कई वक्ताओं ने कहा, छोटे छोटे शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी ज्यादा मारे जा रहे हैं और वे ही इसमें मारे जाएंगे। इसके अंदर डिफरेन्स रखें ट्रेसपासर भले ही हों अपूमन ऐसा ट्रेसिंग जो कि किसी भूमिहीन ने किया है उसको आप अलग से डील करेंगे, उसको रेगुलराइज करेंगे, मामूली पेनल्टी लगाएंगे, कुछ लगान लगायेंगे। उसको और दूसरे ऐसे आदमी को जिसके पास जमीन आलरेडी थी, राज्य की जमीन को दबा दी है, दोनों को एक ही तरह से डील करेंगे तो जो हमारा मकसद है, वह मैं समझता हूं कि न्यायपूर्ण नहीं होगा।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने लिखा कि तावान पहले से पचास टाइम, पचास गुना। ऐसे एक ही नहीं सैंकड़ों केसेज होंगे जहां कि लोगों के ऊपर भार पड़ेगा, इससे उनकी तबाही होगी। इसलिए आपको यह डिफरेन्स रखना होगा जो बिल का प्रोविजन रखा है कि तहसीलदार को तीन महीने जेल देने का अधिकार होगा। अगर मैं यह कहूं बंदर के हाथ में तलवार आपने दे दी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि तहसीलदार को आपने यह पावर दी है, किस लेविल तक के तहसीलदार हैं, क्या हमारा अनुभव है, उसको देखते हुए जेल देने का पावर आप उसको दे रहे हैं तो उसका 90 परसेन्ट मिसयूज होगा। कई मामलों में इसका मिसयूज होगा। इसलिए आप जो जेल

(श्री शंकरलाल)

का प्रावधान है, वह उन आदमियों के लिए रखें जिन आदमियों ने जानबूझकर लेन्डलेस न होते हुए भी ट्रेसपास किया है और अगर लेन्डलेस ने किया है, जिसके पास लेन्ड नहीं है, तो उसके लिए तहसीलदार के पास पावर न रखें। इसके कारण वह तीन महीने जेल भेज रहा है। उसका कोई जुर्म नहीं, जमीन पर काश्त की है, किन परिस्थितियों में की है, यह देखना चाहिये। हरएक केस में जेल भेज दिया जाता रहेगा तो क्या होगा ? आप इसको कलेक्टर के पास न रखे तो एस.डी.ओ. को यह पावर दे दें। कम से कम तहसीलदार के पास तो यह पावर न रखें। वरना आपको कठिनाई होगी, राजस्थान के अन्दर त्राहि त्राहि हो जाएगी और बाद में आपको इसको बदलना पड़ेगा। इसलिए तहसीलदार को जेल भेजने की पावर न दें।

दूसरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब्सीक्यून्एट ट्रेसपासर के बारे में करूंगा। उनका क्या है? एक आदमी ने ट्रेसपास किया है। उसके ऊपर उसको नोटिस आया। नोटिस देकर उसको बेदखल किया जाता है। उसने जुर्माना दिया। जुर्माना भर दिया। एक्चुअली उसको डिसपजेस नहीं किया। कन्टीन्यू पजेशन के अन्दर है। दुबारा, तिबारा जुर्माना किया गया, वह भर दिया। पहले केस को डिसाइड कर दिया। कोई कब्जा नहीं दिया। आपने कब्जा नहीं लिया। जुर्माना भर दिया। बाद में कन्टीन्यूएन्स पजेशन आफ देट पजेशन, सब्सीक्यूएन्ट पजेशन उसको कहते हैं या वेकेंट होने के बाद उसको कन्टीन्यू पजेशन रखते हैं, उसको सब्सीक्यूएन्ट पजेशन दें, तो इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। अब यह मामला डिस्प्यूटेड होकर कलेक्टर की किसी कोर्ट में अन्दर जायेगा, तो सब्सीक्यूएन्ट पजेशन का क्या मतलब लिया जाएगा। 90 परसेन्ट केसेज ऐसे देखे गये हैं। कोई आदमी पजेशन छोड़ता नहीं है, कागज में लिख दिया जाता है इतना लगान लगा कर और लगान दे दिया। किसी ने कब्जा नहीं छोड़ा। तीसरी, चौथी फाइल खुल गयी जुर्माना हो गया, जुर्माना भर दिया। वह तो सब्सीक्यून्ट पजेशन मानेंगे या सब्सीक्यूएन्ट ट्रेपासर मानेंगे या कन्टीन्यू पजेशन मानेंगे और यह न मान कर जेल भेज देंगे। इसको आप स्पष्ट करें तो अच्छा होगा।

संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में जाने की पावर दी जाये और 91 की पावर्स तहसीलदार के पास न हो। लेन्डलेस और बड़े जागीरदार में डिफरेन्स हो। यह जरूरी है तभी हमारा मकसद पूरा होगा।

श्री जयनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन का समय जब तक यह बिल पास न हो जाए तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय इस बिल के पास होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री लूणाराम ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन)

(104)



(श्री लूणाराम)

विधेयक 1976 के सम्बन्ध में जो सदन में पारित होने आया है, उसमें अपीलों के बारे में जो आज तक की व्यवस्था थी, उसमें सरलीकरण किया गया है, यह स्वागत योग्य है। पर अपीलेट आथोरिटी का सवाल आता है। इस मामले में एक बड़ी भारी दिक्कत है जो आज तक सामने आ रही है। हमारे बीकानेर और जयपुर, इन दो डिविजनों के लिए एक ही अपीलेट आथोरिटी है। वह 15 दिन बीकानेर रहती है और 15 दिन जयपुर रहती है। इस कारण से मुकद्दमों की अधिकता है और इस पद पर भी अवस्था से तथा कार्य दोनों से वृद्ध आदमी को लगाया जाता रहता है। वृद्ध आदमी की जो कार्य-कुशलता से भी वृद्ध है कार्य-क्षमता कितनी होती है, यह यहां पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस अपीलेट आथोरिटी के बजाय या तो सीधे ही रेवेन्यू बोर्ड से कलेक्टर के फैसले के बाद सम्बन्ध रख दें या फिर इसको सक्षम बनावें और दोनों डिविजनों को अलग अलग इकाई के रूप में बनावें जिससे कि शीघ्र न्याय मिल सके।

दूसरा आज धारा 91 के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि चाहे कसूर किसी का हो, आखिर वह भांडा किसान के सिर पर ही पटका जाता है। राजस्थान सरकार ने बहुत ही उदारतापूर्वक किसान को खातेदारी अधिकार दिए और कब्जे रेगुलराइज करने के अधिकार समय समय पर जारी किये। जो तहसीलदार होशियार थे उन्होंने खातेदारी अधिकार किसानों को दे दिये और जहां पर तहसीलदार सुस्त थे वहां पर आज तक किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं और आये साल इनकी घोषणा की जा रही है और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि आज 10-10 वर्षों से बराबर किसानों से तावान लिये जा रहे हैं बराबर जहां पर कागजों में यह दिखाया जाता है कि इसको बेदखल कर दिया गया है। किसान बराबर यह कहते जा रहे हैं कि हमको इस जमीन पर अधिकार मिले तो भी बराबर उन पर तावान लगाया जाता है। यह हमारे चूरू जिले के अन्दर खासतौर से कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा रूप से है। और इसके होने का एक कारण और भी था और वह कारण समूचे राजस्थान-व्यापी था कि पहले दो तीन मील के नगरपालिका सीमा एरिया के अन्दर की था और आपने उस एरिया के अन्दर भूमि एलाटमेंट करने पर पाबन्दी लगा दी। पहले के एलाटमेंट किये हुए थे वह बाद में रद्द कर दिया तो उसकी अवधि नहीं बढ़ाई गई इस कारण वह इससे महरूम रह गये। अब सरकार ने उस आज्ञा को वापिस ले लिया और राजस्व विभाग ने नियमन करने का आदेश दे दिया जिनका बराबर कब्जा रहा है उसके बावजूद भी अभी तक उन लोगों के केसेज को रेग्युलराइज नहीं किया गया है और उनको बेदखल किया गया है। उनको अपनी फसलें नीलाम करवानी पड़ी हैं और उनको तावान भी भोगना पड़ा है। इस प्रकार से बगैर किसी कार्यवाही के कोई भी भूमि आज किसी को दी जाती है तो एलाटमेंट कमेटी के माध्यम से दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तो यह स्थिति है कि आज से 10 वर्ष पहले किसी ने एक साल अनधिकृत कब्जा किया और वह कब्जा दो मील के एरिया के अन्दर किया गया तो वह कब्जा उस समय ही टूटा

( श्री लूणाराम )

दिया गया, लेकिन उन लोगों की जमीन दो मील के एरिया में आने के कारण वहां पर सरकार में उस समय अपील की। राज्य सरकार ने उसको बाद में रेवेन्यू बोर्ड को भेज दिया और रेवेन्यू बोर्ड ने इसका अधिकार कलेक्टर को होने के कारण कलेक्टर को भेज दी। किसी ने एक साल कब्जा किया, किसी का दो साल कब्जा रहा और बाद में कब्जा न रहा और आज 10 वर्ष तक वह भूमि खाली पड़ी रही। इस प्रकार सरकार के अकुशल पैरोकारी के कारण जिलाधीश महोदय ने फैसला एक तरफा कर दिया कि यह जमीन उनके हक में कर दी जाय जिनका 10 साल से कब्जा न रहा और न जमीन उनको एलाट की और न वह लोग भूमिहीन हैं, लेकिन शहर के पास होने के कारण जमीन कीमती थी तो उसके लिए एलाटमेंट कमेटी ने प्रस्ताव किया था कि इस जमीन को एलाटमेंट में लेकर एलाट कर दी जाय, लेकिन ऐसा न करके उन लोगों के नाम से कर दी गई। इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। तो मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही की ठीक ढंग से जांच करवाई जाय ताकि सही वास्तविक भूमिहीनों को भूमि मिल सके। जिन लोगों की भूमि को नियमन करना है और आये साल उन पर तावान लगाया जाता है लेकिन उसके लिए एलाटमेंट कमेटी नहीं बुलाई गई। मैंने लिखकर भी दिया कि इन लोगों को जो नियमन होना चाहिए तो समय पर एलाटमेंट कमेटी बुलाकर एलाटमेंट करने की कृपा करें, फिर भी एलाटमेंट कमेटी नहीं बुलाई गई है सरदारशहर चुरू सबडिविजन की, जिसके कारण से बहुत सारे लोग इससे महरूम रहे और उनको तावान देना पड़ा है। इनको सरकार ने अधिकार दे रखा है लेकिन उनका पूर्णरूप से पालन नहीं हुआ है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और किसानों को वास्तविक हक दिया जाय और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो दंड वसूल हुए वापिस लौटाये जायं। इस प्रकार से कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए जांच होकर।

इस प्रकार से एक समस्या नामान्तरकरण के बारे में निवेदन करूंगा। उसका पंचायतों को अधिकार है। तहसीलदार भी नामान्तरकरण को तस्दीक करते हैं, यह स्वागत योग्य कार्य हुआ है। कोई नामान्तरकरण किसी का बाकी न रहे। लेकिन किसी की भूलवश ऐसी त्रुटि रह जाती है जिसमें वास्तविक नामान्तरकरण अधिकारी का नाम छूट जाता है या किसी ऐसे आदमी का नाम दर्ज हो जाता है जो वास्तविक रूप से अधिकारी नहीं होता है वह त्रुटि चाहे किसी कारण से रही हो क्योंकि उसमें किसान को नहीं बुलाया जाता है और उसके लिए उसको सीमा अपील में जाना पड़ता है तो अपील उसको बड़ी महंगी पड़ती है, बड़ी खर्चीली होती है। तो इस संबंध में, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था हो पुनः नामान्तरकरण खोलने की। उसके लिए उसी बॉडी को या उससे ऊंची बॉडी को यह अधिकार दे दिया जाय तो उससे किसान अधिक बरबादी से बच सकता है।

( समय-समाप्ति सूचक घन्टी )

इसी प्रकार से एक जमाबन्दी की बात है। जमाबन्दी का यह रिवाज है कि जमाबन्दी गांवों में जाकर चन्द आदमियों के

# Page No 106

(106)



( श्री लूणाराम )

सामने सुनाई, जाती है। उस कांकड़ के अन्दर के उस गांव में हजारों किसान होते हैं तो 5 आदमियों को यह मालूम नहीं होता है कि वास्तव में वह किन का नाम है फिर भी नाम सुना दिया जाता है। यदि भूलवश किसी परचों में राम का रमजान मण्ड जाता है तो उसको अपील में जाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि एक निश्चित अवधि के लिए जमाबन्दी को पुनः खोलने के लिए तहसीलदार को अधिकार दिये जायं ताकि अपील में जाने से पूर्व किसान उसको खुलवा सके और अपील की परेशानी किसान को न हो। तो यह बड़ा आसान कार्य किसान के लिए हो सकता है।

इसी प्रकार सेटलमेंट में, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे किसी प्रकार का खेत हो अगर 20 बीघे के बजाय 40 बीघा हो गया या 40 बीघे के बजाय 10 बीघा हो गया तो रूल के अन्दर नकल आने के बाद चाहे कितनी ही लिखा पढ़ी कर दें। उसमें सुधार करवाने के लिए तो चूंकि सेटलमेंट की त्रुटि हो गई है, तो वह परमात्मा की लीक समझ ली जाती है और उसमें सुधार की गुंजायश बहुत कम रहती है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस चीज को भी ठीक करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया समाप्त करें। लैण्ड रेकार्ड तो लम्बी चीज है।

**श्री लूणाराम :** हमारे सामने जो विशेष कठिनाई है उसका वर्णन कर रहा था। इसी प्रकार से दूसरी चीज नहरी क्षेत्र के बारे में इतनी सी निवेदन करना चाहता था कि चुरू, नागौर और जोधपुर इन जिलों में भूमिहीनों को राजस्थान नहर पर भूमि देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य बात है। इससे बहुत सारे भूमिहीनों की समस्याओं का समाधान होगा। मैं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा कि यह जो अवधि प्रार्थना-पत्र देने की दी गई यह ऐसे मौके पर था कि अलग अलग भूमिहीनों को जानकारी न होने के कारण समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वह समय पर अपने प्रार्थना-पत्र नहीं दे पाये। तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि मार्च, 76 तक के लिए ऐसे भूमिहीनों के लिए समय बढ़ा दिया जाय जिससे वह इस फायदे से महरूम न रह पायें और दरख्वास्तें दे दें। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दे दी हैं उनके बारे में इतना ही निवेदन है कि इस प्रकार से सहुलियतें देकर और एस. डी. ओ. के हैडक्वार्टर पर जांच की व्यवस्था करके जो गांव गांव जाकर की है, उनको खर्चे से वंचित रखा है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। इस प्रकार अलाटमेंट के सम्बन्ध में तहसील हैडक्वार्टर पर ही आकर ही करने की आज्ञा दी जाय तो गरीब लोग जो किसी कारण से समय पर नहीं पहुंच सकें तो वह भी इस फायदे से वंचित न रहे। मेरे तो इतने ही सुझाव हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री औंकारलाल।

**श्री औंकारलाल चौहान (डग) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन सेक्शन 91 में जो तरमीम की है इस सम्बन्ध में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर देखा जाय और राज- के आंकड़ों को लिया जाय तो मैं समझता हूं कि जितने ट्रेसपास के केसेज हुए हैं वह

( श्री ओंकारलाल चौहान )

अधिकतर उन लोगों के निकलेंगे जिनके पास भूमि नहीं थी और काश्त करना चाहते थे और वह ऐसे लोग हैं जो काश्त के जरिये से अपना गुजर-बसर करना चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि सेक्शन 91 के अन्दर जो पैनल्टी का प्रावीजन रखा है वह 50 गुना है। ठीक है, पेनाल्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कानून की खिलाफत करता है या इस तरह के काम करता है जिससे हमारे राजस्व का नुकसान हो तो उस पर पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर आंकड़ों के आधार पर देखेंगे तो यह देखना पड़ेगा कि आया उस काश्तकार ने, आया उस आदमी ने किस प्रकार से उस प्रकार की जमीन को अपने हाथ में लिया क्या वह जरूरतमन्द आदमी था। इसको देखा जाना चाहिए। आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो गरीब और शिड्यूल्ड कास्ट हैं। जिनका धन्धा केवल खेती है। इसलिए पैनल्टी का जो प्राविजन रखा है, उस पर विचार करना चाहिए। यह उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो कि गरीब हैं। इसलिए कुछ रियायत होनी चाहिए। इसी प्रकार से तहसीलदार को यह अधिकार होगा कि वह जेल भेज दे। इसको प्रोग्रेसिव तो कह सकते हैं लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी हैं, वही इसमें आ जायेंगे। तहसीलदार अपने लेविल पर यह कर सकता है। माननीय दीपंकरजी बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि ऊपर तो भगवान है और नीचे पटवारी है। गांवों में जो व्यवस्था होती है, उसके आधार पर पटवारी रिपोर्ट करता है। यह भी देखने में आया है कि अलाटमेंट के नाम पर पटवारी गलत जमीन बता देता है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जहां तक पटवारी के स्तर पर आजतक गलतियां होती आई हैं तो इस प्रकार की गलती भी हो सकती है। वह गलत दर्ज कर दे और उसके आधार पर 90 दिन का इम्प्रीजनमेन्ट दे दें। तो यह गलत होगा। इस बारे में इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि जो वह काश्तकार है, वह काश्तकार है, वह लैण्डलैस पर्सन है या वह कोई दूसरे लोग हैं। क्या वह जमींदार लोग हैं, जिन्होंने ट्रेसपास किया है। इस प्रकार से दो तरीकों से केसेज को देखना होगा। ऐसे लोग जिन्होंने ज्यादती की है। अतिक्रमण किया है। इस प्रकार से दो तरीके का हिसाब रखना चाहिये। इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिये। आपने भी देखा होगा, 371 के केसेज आते हैं। राज्य सरकार की ओर से 1971 में रेग्युलराइजेशन हुआ। तो वह छोटा सा काश्तकार समझता है कि बीघा दो बीघा ले लेंगे, उसका भी रेग्युलराइजेशन हो जाएगा। इस आधार पर वह व्यक्ति करता है। अतिक्रमण भी वह एक बीघा दो बीघा का करता है। इस प्रकार से आपको दो तरीके रखने चाहिए।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है, वह जायज है या नहीं। इसके औचित्य को देखे बिना तहसीलदार द्वारा 90 दिन का इम्प्रीजनमेण्ट ज्यादती होगी। यह पावर तो कलेक्टर के पास होनी चाहिए। यही मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल राजस्थान के रेवेन्यू लाज आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। आर्डिनेंस हमारी एक मात्र विश्वसनीय नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लाया गया था। इसमें हम सहमत हैं। परन्तु आर्डिनेंस की पालना जो कुछ भी हमने अपनी आंखों से अपने गांवों में देखी, उससे हमें पीड़ा होती है। उससे हमें दुख होता है। इसीलिए मैंने उचित समझा कि पुनरावृत्ति के दोष को स्वीकार करते हुए, राजस्थान सरकार की कृपापात्रता को अस्वीकार करते हुए, मैं पुनः अपने विचार इस सदन में इस मसले पर रखना उचित समझता हूं कि हमारा सरकार घोषणाएं करने में चतुर है। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी सरकार कानून बनाने में अपनी ब्यूरोक्रेसी पर डिपेण्ड करती है। और, ऐसा अहसास करते समय ऐसी गलियां या गलियारे रखना चाहती है जिससे कि इस प्रकार के मास्टिर लोग बच निकलें और गरीब मारा जायें। जिनमें दम है कानून तोड़ने की, उनका सरकार कुछ बिगाड़ने की नहीं। और जो गरीब हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, वही पुनः पुनः मारा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में सिविल जेल के आर्डिनेंस के तहत दो उदाहरण कायम किये गये हैं। आजकल एक फिजां बनी है, एक माहौल बना है अधिकारियों के दिमाग में कि यह सरकार चलाता कौन है ? गवर्नमेण्ट कन्स्टीट्यूट कैसे हुई है ? ब्यूरोक्रेसी क्या है ? एक होड़ सी लगी हुई है। ब्यूरोक्रेसी यह कहती है कि कानून को इम्प्लीमेण्ट हम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पोमावा में उन दो गरीब राजपूतों का जिनके कब्जे 20 साल से हैं जिन्होने कुंए खोदे। तब से कई पटवारी बदल गये। कई तहसीलदार बदल गये। और उनको तो आपने आर्डिनेंस की तहत तीन महीने की सिविल जेल में भेज दिया। बड़ा अच्छा किया। ट्रेसपासर थे। उनका रेग्युलराइजेशन नहीं किया। यह आपकी ब्यूरोक्रेसी की खूबी थी। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, साण्डेराव की खसरा नं० 4 जो सीलिंग में आप ले चुके हैं। ऐसे लोगों ने ट्रेसपास किया है जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। ऐसे लोगों ने ट्रेसपास किया है जो कि अभी कैम्प्स में रखे गये हैं। जिनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है। उन्होने ट्रेसपास किया है। मैं यह चैलेंज करके कहता हूं, वह जमीन उनसे लेकर नीलाम कर दी जाये तो राजस्थान सरकार के गरीब खजाने में एक करोड़ रुपया जाएगा। वह जमीन जहां पानी मिलता है। जिसमें तीन क्राप्स होती हैं। उस पर उन्होंने जाकर कब्जा किया है। वह आपके शरणार्थी हैं या नहीं। आपकी राष्ट्रीयता में उनका पुनर्वासन है या नहीं। भारत सरकार उनको शरणार्थी मानती है या नहीं। मैं इस पचड़े में नहीं जाना चाहता। मैं आपसे पूछता हूं। आपकी ब्यूरोक्रेसी से पूछता हूं। आपकी ऑटोक्रेसी में इतनी हिम्मत है, उनको सिविल जेल क्यों नहीं भेजा ? उन गरीब आदमियों को तीन महीने की जेल की है। बहुत अच्छा है। आपने यह प्रमाणित किया है कि ट्रेसपासर को हम बेदखल करेंगे। वह जमीन उनसे लेंगे। उन से लेकर गरीबों को बांटेंगे। मजदूरों और उन लोगों को देंगे। आपकी नीति प्रधान

( श्री सज्जनसिंह)

मन्त्री के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की है। यह प्रमाणित करने के लिए आपने एक उदाहरण कायम किया है। लेकिन मैं यह जो पूछता हूं, आप उस जमीन का क्या करने जा रहे हैं जो दूसरी साण्डेराव की जोहड़ के पास दुजाना खसरा नं० 27 और खसरा नं० 227 की सीलिंग एक्ट में आती है, जिसको आपको ले लेना चाहिए। जिसको कुछ उच्च अधिकारी दबा कर बैठ गये हैं। जिन्होंने दो ढाई हजार पर कब्जा कर लिया है। जिसके खिलाफ इन्क्वायरी पर इन्क्वायरी कर रहे हैं। आपके रेवेन्यू कमिश्नर या सैक्रेटरी हैं, वह इन्क्वायरी का लम्बा चौड़ा पुलिन्दा दबाकर बैठे हैं।

उसका आप फैसला क्यों नहीं करते ? यह क्यों नहीं बतलाते कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे ? आप अमेन्डमेंट्स लाने में माहिर हैं, आप कानून लाने में बहुत माहिर हैं और आप बीस-सूत्री कार्यक्रम को तेजी से लागू करना चाहते हैं तो सांडेराव का जो मैं आपके माथे पर कलंक मंढ़ता हूं मैंने, जितने भी हिम्मत और ताकत हैं मेरे में उसके साथ आपको कन्विन्स भी किया है उस पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते ? उस पर आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसे सो जाती है ? आपका कलेक्टर सो क्यों जाता है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 91 सेक्शन के तहत आप ट्रेसपासर्स को तीन महीने की सिविल जेल भेजकर उनका आतिथ्य स्वीकार करिये, आपने दन्ड भी रख दिया कि 50 गुना लगान वसूल किया जाय लेकिन श्री सांवलदान जिसने खसरा नम्बर 27 और 227 पर जो कब्जा कर रखा है जैसे कि उन पाकिस्तानियों ने सांडेराव में खसरा नम्बर 4 पर किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनका लगान कब और कैसे आपने वसूल किया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस मामले में भी नाटक करना जानती है, क्योंकि हमारी सरकार फाल्ट करने में एक्सपर्ट हो गई है, उसमें अमेन्डमेंट करेंगे और जो छूट देंगे कि जिससे एक अदालत से नहीं तो दूसरी अदालत से छूट जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र का हर गरीब आदमी सरकार को इस बेरहमी से परख रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को उसकी फसल जब्त करने का अधिकार है, उसको भूमि से बेदखल करने का अधिकार है, सब्सीक्वेन्ट पजेशन की बात करते हैं और पजेशन कन्टीन्यू करते जा रहे हैं और अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं "हां साहब, अलाटमेंट कर रहे हैं, जरूर अलाटमेंट करेंगे।" आपने इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि मई से पहले पहले सारा अलाटमेंट कर देंगे, तो फिर सब्सीक्वेन्ट पजेशन क्यों कर दिया ? बाड़मेर में बैठे बैठे उनको सांडेराव का प्रतिथि माना, क्यों ? वास्तव में, इससे जाहिर होता है कि आपकी बीस-सूत्री कार्यक्रम को बड़ी तेजी से लागू करने की नीयत तो है लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर आप इस कानून से, इस लॉ में प्रोवीजन करके क्या खासियत कर देंगे ? जिस रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर और चेयरमेन के लिए राजस्थान में यह आम अफवाह है कि यह सारे अधिकारी सरकार के, गवर्नमेंट के कृपापात्र हैं, उनको आपके टेलिफोन पहुंचेंगे और उनको प्रेशराइज किया जायगा, उनको इशारा किया कि 91 की अपील स्वीकार करेंगे, उनसे स्टे आर्डर देने का। उनसे

( श्री सज्जनसिंह )

क्या आशा की जा सकती है कि लोगों के साथ वे इन्साफ करेंगे ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि उनको हाईकोर्ट में जाने की छूट होनी चाहिये, इसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं । क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड से किसी को कतई उम्मीद नहीं है कि इन्साफ मिल सकेगा, आपके टेलिफोन और मेसेन्जर उनको प्रेसराइज करेंगे और प्रभावित करेंगे और इन्साफ नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं विश्वास के साथ निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि उनसे हम रेवेन्यू लॉज के प्रोपर इम्प्लीमेंटेशन की उम्मीद नहीं रखते इसलिए उनके लिये हाईकोर्ट के द्वार कम से कम खोलने की छूट दीजिये जिससे कि अभी तक इन्साफ मिलने की वहां पर उम्मीद है। उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन 91 में जो सिविल जेल में रखने का निर्णय लिया है इसकी जगह ट्रेसपासर्स का प्रोसीक्यूशन रखा होता तो मैं इस कानून का समर्थन करता और इसको सपोर्ट करता इस नियत से कि चलो वास्तव में सरकार उनको प्रोसीक्यूट करेगी और मैं यह पूछना चाहता हूं कि सब्सीक्वेन्ट ट्रेसपासर्स को रोकने के लिए क्या प्रोवीजन रखा है ? Therefore, my own firm view is that the Government's bona-fides about this Amendment Bill are not very clear and the Government has got to clarify its own position vis-a-vis the Sanderao trespassers. इसलिए यह 91 का जो प्रोवीजन और सिविल जेल भेजने का रखा है इसका कई माननीय सदस्यों ने गरीब लोगों के खिलाफ उपयोग किये जाने के भय से आतंकित होकर इसमें सुझाव पेश किये हैं लेकिन मैं इससे और आगे बढ़ने का सुझाव पेश कर रहा हूं और मैं आशा रखता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से जो इस गवर्नमेंट में एक बहुत ही स्ट्रोंग आदमी गिने जाते हैं और जो ईमानदार जाने जाते हैं लेकिन जब आपका फिक्रा निकलता है और टांय टांय फिस होती है तो बड़ा दर्द होता है, दुख होता है इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि इसमें उनको प्रोसी-क्यूट करने का प्रोवीजन होना चाहिए, उनको डिस्पजेश करने का इमीजियेटली एट दी सेम टाइम of sowing प्रोहिबिट करने का प्रोवीजन बढ़ाया जाय तो मैं मानूंगा कि आप बीससूत्री कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए भूमिहीनों को भूमि देने के लिये और उनको राहत देने के लिए आप कानून बनाने के लिए ही कानून लाये हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानाराम।

श्री नानाराम (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस बिल में संशोधन लाया जा रहा है उसकी एक ही मंशा है कि इससे गरीबों को और दूसरे लोगों को कुछ राहत मिल सके, किन्तु इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिनके कारण पूरा साथ मिलना मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि रेल मगरा तहसील में लोगों ने नाजायज कब्जे किये और तहसील के कर्मचारियों ने, जिन लोगों ने कब्जे किये थे वे सम्पन्न लोग थे। जो जमीनें गरीब लोगों को अलाट कर दी गई थी उसको गांव वालों ने बांट दिया और उन पर नाजायज कब्जा कर लिया। यह

( श्री नानाराम )

सब हुआ रेवेन्यू अधिकारियों की मिली भगत के कारण। तो इस तरह से जो चरागाह भूमि थी उस पर भी नाजायज कब्जा कर लिया और उनको यह बता दिया गया कि आप उनमें काश्त करते जाइये, इस प्रकार से उन गरीब व्यक्तियों ने, बागड़ियों ने उस पर काश्त की उस जमीन में खाद और बीज बोया, सिंचाई की और जितना भी वे खर्चा कर सकते थे उस जमीन पर किया और उसके बाद उनकी जितनी भी जमीन की फसल हुई उसको सबको नीलाम कर दिया गया और उनका इतना पैसा खर्च हुआ, वे आज रोते फिर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि जिन्होंने कब्जा किया वे सम्पन्न लोग हैं उनका स्टे बढ़ा दिया जाता है इसलिए आप इसमें यह अमेन्डमेन्ट करिये कि कम से कम जो चारागाह की भूमि है जिसको कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट चरागाह साबित करता है उसके उपर जो एडी. एम. स्टे देने का अधिकार है उसको खत्म करिये। ताकि इस प्रकार से नाजायज फायदा नहीं उठायें। जो फायदा उठाते हैं वह सम्पन्न लोग हैं। जो सम्पन्न हैं वह लाठी के बल से चाहे जो कुछ कर सकते हैं। उन लोगों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए अमेंडमेंट लाये हैं। मेरा निवेदन है कि चरागाह भूमि है, उस पर जो भूमिधारी हैं उन लोगों को बेदखल करने के लिए तत्काल कानून बनायें और उनको कम से कम फसल से पहले हटा दिया जाय। मैं चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से इस कानून में संशोधन लाना चाहते हैं इससे उन लोगों को राहत मिल सके। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशोरीलाल।

**श्री किशोरीलाल (सलूम्बर)** : उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू विधियों के अन्दर माननीय रेवेन्यू मंत्री महोदय द्वारा गरीबों को सहायता देने के लिए काफी प्रगतिशील नियम बनाये जा रहे हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर काफी रोशनी डाली है। मैं अलॉटमेंट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। जब अलाटमेंट कमेटी किसी भूमि का अलाटमेंट करती है, उसके पहले जिन जिन लोगों के फार्म भराये जाते हैं उनके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा रहता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से यह फार्म उस वक्त लिये जायं जिस वक्त अलाटमेंट कमेटी पहुंचे और उसके पहले कोई फार्म नहीं भराये जायें क्योंकि इससे गरीब तबका रह जाता है और उस गरीब तबके में जो अच्छे आदमी होते हैं उनसे फार्म भराये जाते हैं और उनको अलाटमेंट कमेटी जमीन अलाट कर देती है लेकिन जो काश्त करने वाले हैं उनको जमीन नहीं मिलती हैं। जो अलाटमेंट कमेटी होती है उसके सामने ट्रेस नहीं होता है, केवल अलाटमेंट नम्बर होता है, उसको ही वह अलाटमेंट करके आजाती है, जमीन अच्छी है, ऊसर है यह नहीं देखती क्योंकि वह केवल सुबह पहुंचती है या शाम को पहुंचती है। इससे जिन जिन लोगों की स्वार्थपूर्ति होती है उन लोगों को जमीन मिल जाती है। मेरा निवेदन है कि भले ही ज्यादा टाइम रहना पड़े, तहसीलदार वहां रहे और अलाटमेंट कमेटी द्वारा नम्बर डाल कर, जमीन को दर्ज करके अलाटमेंट हो और तहसीलदार पट्टा देकर आये। इस तरह से अलाटमेंट वाजिब होना। इसके साथ साथ अब भी स्थिति हो गई है कि क्षेत्र में अब जमीन नहीं है। अब जमीन बची है

(श्री किशोरीलाल)

चरनोट की, जंगल में। गरीब काश्तकारों को पटवारियों ने बिठाया है, जंगल में वह बैठे हुए हैं, चरनोट में बैठे हुए हैं। चरनोट की जमीन में कुए खोदे गये हैं, वह लोग खेती करते आ रहे हैं। अब उनको भारी परेशानी में पड़ना पड़ रहा है क्योंकि नियमों के अन्तर्गत तो अलॉटमेंट कमेटी अलॉट नहीं कर सकती। गरीब तबका, जिनके पास जमीन नहीं है वह जहां बैठा है, चरनोट में बैठा हुआ है, जंगल में बैठा हुआ है उसको तत्काल जमीन अलाट करने के लिए कानून में तरमीम की जाय।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज रेवेन्यू विभाग का आतंक इतना बढ़ गया है कि मैं समझता हूं कि पुराने राजाओं को लोग भूल गये हैं, चाहे वसूलियां हो, चाहे लेवी की वसूली हो चाहें लगान हो, चाहे अलॉटमेंट का मामला हो, हर मामले में उन्हें पटवारी से ऊपर तक इतनी परेशानी हो गई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। लाल पट्टी की गाड़ी जहां से निकलती है वहां से लोग जंगल में भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है हर क्षेत्र में। मैं मेरे क्षेत्र की बात कह सकता हूं कि भारी परेशानी लोगों को हो गई है। जितने अधिकार रेवेन्यू विभाग को दिये गये हैं उनको रेवेन्यू विभाग से लेकर हटना जरूरी है किसी पटवारी ने पैसा लिया, काश्तकार ने शिकायत की, उसके बारे में ऊपर लिखा पढ़ी होती है वह तहसीलदार की स्थिति पर होती है। वह उस पर कार्यवाही करता है लेकिन उस कार्यवाही से फायदा नहीं हो पाता। यह प्रूव नहीं होता कि इस आदमी ने रिश्वत ली है। इस तरह से उसे कोई सजा नहीं मिलती है। अगर उसको सस्पेन्ड कर दिया तो वह घर बैठे बैठे तनख्वाह ले लेगा और काम से और बरी हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधिकार दिये जा रहे हैं वह कम किये जायं और जन प्रतिनिधियों को दिये जायं। आज जन प्रतिनिधियों की यह हालत है कि अलाटमेंट में या किसी मामले में जन प्रतिनिधियों की कोई वकत नहीं रह गई है। आज जन प्रतिनिधियों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। यह बोल नहीं सकते हैं, आज यह हालत कर दी है। इस प्रकार एमर्जेंसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मैं रेवेन्यू मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू एजेंसी की जो शक्ति हैं वह कम की जाय और लोगों को राहत दी जाय।

इसके अलावा धारा 91 के अन्तर्गत जिस प्रकार सजायें देने की बात कहीं गई है या बेदखली की बात कही गई है यह बात सही है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, पचास गुना जुर्माना, लगान का देने का है। मेरे ख्याल में कोई गरीब यह नहीं दे सकता। इस कारण उसकी फसल कुर्क की जा रही है और वह मारे मारे फिर रहे हैं। इस कारण बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि पचास गुना को हटा दिया जाय, यह गरीबों के ऊपर नहीं लगना चाहिए और उनकी फसल कुर्क नहीं होनी चाहिए जो सक्षम है, सक्षम होकर जिन्होंने नाजायज कब्जा किया उनको सख्ती से हटाया जाय। यह नियमों में प्रावधान होना चाहिए और गरीबों के साथ रियायत होनी चाहिए। यह कहते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा कि वह रेवेन्यू लॉ में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री is busy with officers.

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 सदन के सम्मुख विचाराधीन है, कई माननीय सदस्यों ने इसे जनमत जानने हेतु परिचालित करने और प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव रखे हैं। उस सम्बन्ध में कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी प्रस्तुत किये हैं। यह जो संशोधन विधेयक सदन के सम्मुख विचारार्थ है, इसमें सात क्लॉजेज हैं। पहले दो क्लाजेज टीनेन्सी एक्ट के सम्बन्ध में हैं और रेलेवेन्ट सेक्शन 225 टीनेन्सी एक्ट की लिस्ट 2 शिड्यूल 4 में अमेंडमेंट प्रस्तावित है। क्लॉज 4, 5, 6 के द्वारा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 77, 84ए और 91 में अमेंडमेंट प्रस्तावित किये गये हैं। क्लाज 7 के द्वारा कोलोनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 22 में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं। आज पाली से आने वाले माननीय सदस्य को, जो क्लाज 3 में संशोधन किया है, उससे शायद गलतफहमी हो गई है और गलतफहमी इस बात की है कि कोई हाईकोर्ट में जाने का प्रावधान था, राइट ऑफ अपील का, दूसरे का। किसी भी रेवेन्यू एक्ट या टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत हाई कोर्ट में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपील या रिवीजन में जाने का प्रावधान रेवेन्यू बोर्ड तक तो है। उस शिड्यूल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, वह यह अमेंडमेंट है। टीनेन्सी एक्ट की धारा 208 के अन्तर्गत यह है :

"The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) except:—

(a) provisions inconsistent with anything in this Act, so far as the inconsistency extends,

(b) provisions applicable only to special suits or proceedings outside the scope of this Act."

यह लागू है प्रासिजर और उसके बाद में हाई कोर्ट ने सी. पी. सी. के सेक्शन 122 के अन्तर्गत कुछ अमेंडमेंट किया कि कमीशन के ऊपर कुछ एवीडेंस दी जा सकती है। क्योंकि अमेंडमेंट बाद में हुआ है और सी. पी. सी. का अमेंडमेंट नहीं है तो क्योंकि सी. पी. सी. लागू होता है रेवेन्यू प्रासिजर के सम्बन्ध में, जैसे हाई कोर्ट अपने लिये या अपनी सबोर्डिनेट कोर्ट्स के लिए रूल्स बना सकता है, वैसे ही रेवेन्यू बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं कि अपने लिये और अपने नीचे कोर्ट्स के लिए, जो उसके सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के नीचे हैं, वह रूल्स बना सकता है। इसलिए हाई कोर्ट के सम्बन्ध में जैसा कहा, मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट में जाने का था, उससे रोका जा रहा हो, ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि रिलेवेन्ट प्रॉवीजन को आप पढ़ लीजिये। इसलिए हाई कोर्ट के संबंध में आपने एक मुद्दा उठाया और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य आपके प्रस्ताव का समर्थन करके चले गये। वे अच्छे वक्ता हैं। लेकिन आपके प्रस्ताव में भ्रांतियां थीं इसलिए वह गलत समर्थन कर गए।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां अन्य बातें भी कही गई। यह जो विधेयक है वह इन्टिरिम ऑर्डर्स के लिए है। जहां अपील कोर्ट के अन्दर है चाहे रिवीजन दरख्वास्त देकर कोई न कोई बहाना देकर जिनका न्याय का पक्ष कमजोर है, वह व्यक्ति उसकी आड़ में रिवीजन और अपील में जा सकता था, अब तक ऐसा प्रावधान था। जिस तरह से सिविल प्रोसीजर कोड में प्रावधान है। हमारे यहां स्पेसीफिक प्रोवीजन अलग था इसलिए कोर्ट्स का इन्टरप्रिटेशन रहा कि किसी इन्टिरिम ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और 91 के नीचे कोई भी डिसीजन या ऑर्डर है वह इन्टिरिम नहीं है। जैसे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं 91 में कोई ऑर्डर पास कर दिया वह इन्टिरिम है। मैं बताना चाहता हूं कि वह फाइनल ऑर्डर है। फाइनल की अपील तो होगी लेकिन यह बहाना बनाकर कि मैंने जो जवाब दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान किया गया है। जो पुराना कानून है वह आज भी लागू है। कई हजार बीघा जमीन हमने पिछले महीनों में रिज्यूम की है। अपील के कारणों के लिए वहां प्रावधान है जो आज टिनेन्सी एक्ट में है। बहुत से लोग कोर्ट्स में अपील और रिवीजन में जा रहे हैं इसलिए इसके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक था कि इन्टिरिम ऑर्डर के खिलाफ लोग जा रहे हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन्स लगाई जायं। जो 19 तारीख को नया सीलिंग कानून संशोधन विधेयक सदन में आ रहा है, उस सम्बन्ध में भी जहां देरी हो रही थी उसको कम किया है। जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सीलिंग कानून को लागू करना और भूमि सुधार प्रधान मंत्री के आर्थिक कार्यक्रम का एक मुख्य अंग और सूत्र है। इसमें दो राय नहीं। प्रधान मंत्री का पूरे का पूरा 20 सूत्री कार्यक्रम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऊपर उठाने के लिए है। एक एक सूत्र को उठाकर देखें चाहे आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो, चाहे सीलिंग कानून में भूमिहीनों को भूमि आवंटन में प्रायोरिटी का प्रश्न है, चाहे बांडेड लेबर को फ्री करने का प्रश्न है, चाहे विधेयक जो मैं सदन से पहले पारित करवा रहा था मार्जिन पीरियड को रेड्यूज करने का प्रश्न है, चाहे गरीबों के बच्चों को किताब या कन्ट्रोल्ड रेट पर कापियां वितरित करने का प्रश्न है, चाहे हॉस्टल्स में आवश्यक वस्तुएं देने का प्रश्न है, चाहे समाज कल्याण के दूसरे कार्यक्रम हैं, इनकी ओर ध्यान देना है। जो समाज के पिछड़े हुए हैं उनकी आर्थिक हैसियत और सामाजिक हैसियत ऐसी बनाई जाए ताकि जो सदियों तक पिछड़े रहे हैं उनको सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास के मेनस्ट्रीम में वे भागीदार बन सकें, अपनी संतान की बेहतरी के लिए अपने पैरों पर खड़े हो सकें, तो जो कुछ संशोधन किए गए हैं वे देरी को कम करने के लिए हैं।

जो कुछ सेक्शन 91 के बारे में कहा गया इसी सदन में जब राजस्व विभाग से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा हुई थी पिछले वर्ष और उससे पहले वर्ष क्योंकि 11 नवम्बर, 1973 के बाद में यह विभाग मेरे पास में है। बराबर यहां पर मांग रही है कि बहुत से लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। यह समस्या बढ़ती जा रही है चाहे कोई भी जमीन हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. की जमीन है चाहे सरकारी कल्चरेबल और अन्कल्चरे-

( श्री परसराम मदेरणा )

बल भूमि है, काबिले काश्त और बंजर है इन सब पर ट्रेसपास करते चले जा रहे है और जो कुछ प्रावधान आपने 91 में रखा है, इसको स्ट्रिजेंट बनाया जाए। मैंने पिछले साल इस सदन में पहले भी कहा था कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि 91 के प्रावधानों को सख्त बनाया जाय उसके लिए कार्यवाही की जाएगी। जो कोई भी भूमि हमें बाद में ट्रेसपासर्स को हटाकर मिली है पिछले 1-1-75 से आवंटित की जा रही है। आर. सी. पी. के अन्दर रूल्स के स्ट्राइक डाउन होने से एलाटमेंट का प्रोग्राम काफी महीने रुक गया था बाकी जहां पर की जा रही है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स या कमजोर वर्ग के लोग और भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों की संख्या 60 प्रतिशत के आसपास आती है। आज भी ट्रेसपासर्स को हटाने के बाद में जो भूमि सरकार कब्जे में ले रही है, वह भी ऐसे लोगों को ही आवंटित की जाएगी जो एलीजिबल हैं। प्रश्न यह रहा कि इसमें दो प्रकार के लोग हैं। लोग ऐसा मानते चले आ रहे हैं कि जो ट्रेसपास करेगा उनका रेग्यूलराइजेशन किया जाएगा, इस प्रकार की भावना बनती जा रही थी और मैं दो साल से चेतावनी देता आया हूं कि 1-1-71 से पहले के जो ट्रेसपासर्स हैं ऐसे लोग जो एलीजीबल हैं, उनको रेग्यूलराइज करने की कार्यवाही बराबर हो रही है। मैं पिछले वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि बाड़े और मकानों के अन्दर जो ट्रेसपास करते हैं उनके रेग्यूलराइजेशन की संख्या यह हैं। लैंड रिफार्म्स के तहत जो रेग्यूलराइजेशन के लायक हैं उनका रेग्यूलराइजेशन होना चाहिए नहीं तो पेनल्टी लगेगी।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यही कह रहे हैं कि रेग्यूलराइजेशन के लिए एलीजीबल केसेज को पहले एलीजीबल बनाया जाना चाहिए और उनमें पेनल्टी के लिए सरकार को कुछ ऐसा रुख रखना चाहिये कि अगर एलाट होती है तो 50 टाइम्स पेनल्टी न हो। 91 में जो 50 टाइम्स पेनल्टी इम्पोज की गई है वह अप्टु 50 टाइम्स है। मुझे एक दो जिलों का मालूम है और मैं फिर जिलाधीशों को लिख रहा हूं कि जो व्यक्ति रेग्यूलराइजेशन के लिए राज्य सरकार के आदेशों से एलीजीबल होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं उस सम्बन्ध में 91 की कार्यवाही इन्स्टीट्यूट की गई है उसको देखें और मैक्सीमम पेनल्टी इम्पोज नहीं करनी चाहिये। मैं फिर कल रीइट्रेट कर रहा हूं उन आदेशों को। मेरे स्टैंडिंग आदेश हैं जो अधिकारी गैलेरा में बैठे हैं उसी समय नोट करें और उसी समय आदेश जारी करेंगे।

लेकिन एन्क्रोचमेंट की समस्या बहुत बड़ी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के हैं। यहां पर यह कहना कि गरीब आदमी ज्यादा आ रहे हैं, उसमें अमीर रह जायेंगे, इस प्रकार के केसेज अगर सुमेरपुर में साइट किए है...

श्री ओंकारलाल चौहान : 80 पर्सेंट लोग ऐसे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन ऐसे केसेज हैं कि काफी लोगों के पास जमीन है वह सीलिंग से ज्यादा नहीं है लेकिन इतनी जमीन है कि जो काश्त के काबिल है फिर भी काश्त करते नहीं हैं। इसमें अगर कोई बाड़े या

( श्री परसराम मदेरणा )

मकान के पास या खेत के पास कोई स्ट्रिप आ गया हो तो उसको रेग्यूलराईज कर दिया गयी है। यह स्ट्रिप की बात नॉन कमाण्ड एरिया के लिये ही लागू है। उन्हें ही रेग्युलराइज किया गया है। कमांड एरिया के रूल्स अलग अलग हैं और उनका अलाटमेंट भी उन रूल्स के हिसाब से होता है। जनरल लैण्ड की बात अलग है। इसमें तो जो व्यक्ति हकदार होता है उसको रेग्यूलराइज करते हैं। इसके लिये गवर्नमेंट का सरक्यूलर है और जो लोग उसके अन्दर कवर होते हैं उनको ही रेग्यूलराइज किया जाता है। इसके अलावा अभी भी मैंने ट्रेसपासर्स के बारे में कुछ आदेश दिये हैं। एक सरक्यूलर मैं और भेज रहा हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने जो कि सलूम्बर से आते हैं उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उन लोगों से वहीं पर आवेदन-पत्र ले लिये जाने चाहियें ताकि उन लोगों को काफी आराम मिले। ऐसा नहीं होने से वापिस उस व्यक्ति को तहसील में आवेदन देना होगा और इस प्रकार उसको दो तीन हफ्ते लग सकते हैं। तो मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह राजस्व विभाग मेरे पास सन् 1973 की नवम्बर से है तब से मैंने यह किया है कि अलाटमेंट मजमे आम में होना चाहिये। नहीं तो होता यह है कि गरीब आदमी को काफी दिक्कत होती है। उसे तहसील में जाना पड़ता है और वहां पर पटवारी उसको चक्कर दे देता है। तो मैंने इसके लिये मजमे आम में अलॉटमेंट करने की बात तय की थी उसके अनुसार अलॉटमेंट उस व्यक्ति को जो भूमिहीन है उसको मजमे आम में ही जमीन अलॉट होती है। वहां पर मैं समझता हूं कि गलत अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। सन् 1971 के अन्दर मैं खुद अलॉटमेंट कमेटी का मेम्बर था वहां पर इसी प्रकार की मेरे सामने भी एक कुवइअप एप्लीकेशन आयी थी। वहां पर उसमें देखा तो पता लगा कि न तो वह व्यक्ति कोई गरीब है न कोई खसरा नम्बर ही उसमें थे। न पटवारी की रिपोर्ट ही कोई सही थी। तो उसको अलॉटमेंट नहीं किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि मजमा आम में गलत अलॉटमेंट होने में जोर पड़ता है और मैं तो कहूंगा कि बहुत मुश्किल होता है। जहां तक ट्रेसपासर्स का सवाल है उनको इसका फायदा नहीं दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि आपने पैनेल्टी फिफ्टी टाइम्स क्यों रख दी और पीनल क्लॉज क्यों रखा और उसका मिस यूज होता है तो इसके बारे में मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में काफी सतर्कता बरती जाती है। मेरे उनको स्पष्ट आदेश हैं इस बारे में। जहां तक सवाल सांडेराव की जमीन के बारे में है और दूसरा दुजाना गांव के जमीन के बारे में है, उनके बारे में यह है कि सांडेराव की जमीन का खसरा नम्बर चार और दुजाना की खसरा नम्बर सात और 27 नम्बर का सवाल है मैं तो इतना कह सकता हूं कि कानून बनाया हुआ है और इसके अन्दर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और सरकार के प्रगतिशील या मेरे प्रगतिशील होने की बात नहीं है। हमने तो यह कानून इसलिये सदन में प्रस्तुत किया है कि जिससे जो ट्रेसपासर्स हैं उनको वहां से हटाकर जो लोग हकदार हैं जमीन के उनको यह जमीन दिलायी जाय ऐसी

( श्री परसराम मदेरणा )

व्यवस्था हम वहां पर इस कानून के जरिये करने जा रहे हैं। इसके लिये यहां पर ट्रेसपासर्स का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि जो सेक्शन 91 के तहत तहसीलदार को पावर्स थे वही अब हम असिसटेंट कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट को भी उसके अन्दर पावर्स दे रहे हैं ताकि ट्रेसपासर्स को उचित दंड मिले। आज ट्रेसपासर्स के पास हमारे यहां पर राजस्थान के अन्दर 11 परसेंट जमीन है और चार परसेंट जमीन तो बड़े फॉरेस्ट लैण्ड ट्रेसपासर्स के पास है, उसके लिये कार्यवाही की जा रही है। आज, हमारे देश की जो नेशनल फॉरेस्ट पोलिसी है उसके अनुसार हमें फोरेस्ट छोड़ने पड़ेंगे और भारत सरकार की जो नेशनल फोरेस्ट की कमेटी है जो सन् 1952 में बनी थी उसमें इसके बारे में काफी कहा गया था। क्योंकि आज हमारे यहां पर फोरेस्ट खतम हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रियलाइजेशन होने से हमारा जो एटमोस्फीयर है वह खराब हो गया है। एटमोसफीयर में पोल्यूशन हो गया है। इससे हमारे इक्वोलोजिकल प्रिन्सीपल हैं, लॉज आफ नेचर हैं उनके विरुद्ध काम हो रहा है क्योंकि आज हमारे यहां जो मल्टी प्रोजेक्ट हैं, आज जलाने की लकड़ियों के लिये जंगलों को जबरदस्त तरीके से बरबाद किया जा रहा है। इधर आबादी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। इन सभी कारणों से हमारा एटमोसफीयर में पोल्यूशन हो रहा है। यह लॉज आफ नेचर को वायोलेट करते हैं। यह प्रोबलम ऑल ओवर वर्ल्ड है इसके बारे में हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन के आखिर दिन एक तारीख को अपना भाषण दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि कई माननीय सदस्य प्रधान मन्त्री का गर्म भाषण सुनकर वहां से चले गये लेकिन मैं लास्ट दिन भी वहीं था वहां पर उन्होंने अपने भाषण में यह खासतौर से बात बताई थी कि आज देश में आबादी ज्यादा बढ़ने से और इण्डस्ट्रीलाइजेशन होने से सारे एटमोसफीयर में पोल्यूशन हो गया है और खासतौर से बड़े बड़े शहरों में उसको ठीक करने की हमें जरूरत है। और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। उन्होंने कहा कि हमें कुदरत की बहबूदी को खराब नहीं होने देना चाहिये। उनके इस सजेशन को हमें अमल में लाना चाहिये। जब हम आज 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने की बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार के जो उनके कन्स्ट्रक्टिव सुझाव हैं उनकी भी क्रियान्विति की जानी चाहिये। सफाई के सम्बन्ध में, मैन्योर के सम्बन्ध में और पोल्यूशन आफ एटमोसफीयर के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो कि सर्वोदयी हैं और काश्तकारों के सम्बन्ध में काफी रचनात्मक सजेशन दे रहे हैं उन्हें इस ओर विशेष प्रयास करने चाहियें। इसके साथ ही सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जो कहा कि सेक्शन 91 के अन्दर रेवेन्यू ऑथोरिटीज को जो अनफेटर्ड पावर्स दिये गये हैं, इसके बारे में और भी माननीय सदस्यों ने कहा है, उन्हें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई अनफेटर्ड पावर्स उनको नहीं दिये गये हैं और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह सब जो किया जा रहा है वह सब नाटक है और फार्स है। सो यह बात नहीं है। यह कोई नाटक नहीं है और न

(श्री परसराम मदेरणा)

ही कोई फार्स ही है। इस सदन के अन्दर कई बार माननीय सदस्यों ने सेक्शन 91 को पावरफुल बनाने के बारे में कहा था और जब कहना था तब तो सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने 91 की प्रोविजन को सस्ते बनाने के लिये कह गये लेकिन जब उनको मैं जवाब दे रहा हूं तब वह वोटल एफेस अबाउट टर्न करके चले गये हैं शायद उनमें सच्ची बात सुनने की ताकत नहीं है। यहां पर यह कहना कि गरीब आदमी को इस कानून के तहत मारा जा रहा है, समाज का जो सबसे नीचे का वर्ग है कमजोर वर्ग है शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ऊपर ही सिर्फ पीनल प्रोविजन को काम में लाया जा रहा है, वह बात नहीं है। यह तो सिर्फ उन लोगों के खिलाफ में यूज किया जा रहा है जो कि ट्रेसपासर्स हैं। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ...

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** थोड़ा बहुत तो परेशान किया जा रहा है उन्हें।

**श्री परसराम मदेरणा :** आप लोग जो कह रहे हैं वह तो मैं सही नहीं मानता। यहां पर सी.पी.आई. वाले मेम्बर्स ने जो कहा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदय ने जो दिनांक 5 जनवरी को जो आदेश दिये थे वह याद रखने चाहिये। फर्स्ट, सेकिन्ड और थर्ड रीडिंग में बोलने की बात और एमेन्डमेन्ट के वक्त बोलने की बात जो है उसका फायदा आप सिर्फ एक वक्त ही उठा सकेंगे, हर वक्त नहीं बोल सकेंगे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि सांडेराव में जो लोगों ने जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि उन लोगों ने आल पारवेईंग स्टे आर्डर ले रखे हैं जिसके खिलाफ में न तो कोई कार्यवाही सेक्शन 91 के तहत कर उनको उस फैसले के अनुसार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं और न ही उनकी फसल को कर सकते हैं। उनके खिलाफ में अपील की हुई है। उन्होंने एडीक्वेट स्टे ले रखा है जिससे कि उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है उसके लिये हमारे हिन्दुस्तान में एक्ट के अनुसार स्टे दिया हुआ है। और एब्सोल्यूट तो बाद में बनाया गया। इन्टरिम दिया है। आॅर्डर आल पर वेईंग वहां पर मेरी भी मजबूरी है। आरोप लगाया जा सकता है। चेयरमेन रेवेन्यू बोर्ड बैठे हैं। और यह कहते हैं आप। कोई भी रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर रिटायर हो गया, मेम्बर का ट्रान्सफर हो गया और आज दिन कोई बैठा है एज मेम्बर, एक मेम्बर नहीं रह सकता है। शिवाय चेयरमेन के दूसरे किसी मेम्बर बोर्ड से तो मेरा मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर कैसे कह दिया ? एक दुजाना और मैंने सांडेराव के संबन्ध स्वयम् ने ध्यान दिया हुआ है। वे पहले मुझे काफी स्ट्रांग आदमी समझते थे और अब समझते हैं कि मैं काफी कमजोर हो गया। ज्युडिशियरी का अपना एक पेटर्न है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** स्टे आॅर्डर तो एक्स्ट्रा आॅर्डिनरी है सारे फीचर पर।

**श्री शंकरलाल :** 91 का ज्युडिशियल डिसीजन है तो 9 तारीख को प्रश्न के जवाब में बताया था कि इन्डस्ट्रीज को

(श्री शंकरलाल)

हटाने के सम्बन्ध में इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने स्टे आर्डर दे दिया जब कि रेवेन्यू से सम्बन्धित है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने स्टे दे दिया जब कि रेवेन्यू से सम्बन्धित है मामला। आर्डर कैसे पास किया ?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने आॅर्डर पास कर दिया। 91 में रेगुलेराइजेशन का प्रश्न है। तहसीलदार 91 में कोर्ट है। लिबरली इसको लेने की जरूरत है। 91 की कार्यवाही कर रहा हूं कि यह रेगुलराइजेशन के लायक नहीं है। इस प्रकार के आदेश दे रहा हूं। उसी प्रकार के ये आदेश हैं। अनुकूल समय समझ कर ही यह प्रश्न उठाया जा रहा है। जनहित में इस प्रकार के मामलों में किसी प्रोपर्टी को डिमोलिश करना है, यह कह रहे हैं कि जो इलिजीबल है उनको निकालिये मत, चाहे स्कूल के ग्राउन्ड पर आ गये हों, सड़क के तीन फुट में आ गये हों तो मत हटाइये, यह सब मान लेने के बाद तो लोग स्कूल के ग्राउन्ड में ही बैठ जावेंगे। ट्रेसपासर तो प्रोपर प्लेस पर है। यह नहीं कि हर जगह बैठ गया। इधर पंचायत को आबादी के लिये जमीन चाहिये। उधर ट्रेसपासर जम गया, भूमिहीन है। आप भी बड़े छोटे की बात कह रहे हैं, भूमि किस प्रकार ट्रेसपास की है और कैसी भूमि है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आबादी के पास वाली जमीन छोड़ रहा है और एक आदमी जाकर उस पर बैठ गया। गांव के गरीब आदमी की तो हिम्मत नहीं होती है। गांव में ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप के आदमी को ले जाकर बैठा दिया। सिविल केस के सम्बन्ध में तहसीलदार को पावर्स हैं, आप यह सोचते हैं कि यह रेवेन्यू का अमला है जिसके पास काफी स्वीपिंग पावर्स आ गये हैं, किशोरीलालजी बात कह रहे थे कि जन-प्रतिनिधियों का कोई वक्त नहीं रहा है। रेवेन्यू एजेन्सी के साथ सख्ती का काम किया जाय आप यह नारा लगाते हैं। मैं उनकी कभी भी शक्ति बढ़ाने के पक्ष का नहीं हूं, ब्युराक्रेसी की। न ब्युरोक्रेसी ही इन कामों को कर सकती है जब तक जनता की कमेटियां, लोग बीच में नहीं आवेंगे। कोई न कोई लेकुना निकालेंगे ही। जिस उद्देश्य से पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि देने की बात करते हैं उसको अनडू किया जाता रहा है। स्टेट और जिमिक्स में मेरा विश्वास नहीं है। न स्टंट बनना चाहता हूं, न जिमिक्स बनना चाहता हूं और प्रोग्रेसिव भी माउथ वाइस प्रोग्रेसिव के रूप में नहीं बनना चाहता हूं। मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि कानून का प्रोसेस आये। यह जो कानून आया है 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत है। यदि हर ओर्डर की अपील होगी तो काम नहीं चल सकता। सीलिंग का कानून और भू-अवाप्ति का कानून चल नहीं सकता। केसेज इस प्रकार से बढ़ते चले आ रहे हैं। रेवेन्यू बोर्ड से पूछा गया तो पता चला कि एप्लीकेशन्स के कारण केसेज मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं एक आदमी बराबर केसेज को मल्टीप्लाई करता जा रहा है एप्लीकेशन देकर।

यहां पर माननीय सदस्यों ने केटेगरीज के सम्बन्ध में बात कही। मैं मानता हूं ऐसे केसेज जो केटेगरीज के लायक हैं, कभी 91 को रिपील नहीं करना चाहिये। इससे बड़ा असंतोष जनता में फैलेगा। रेवेन्यू ओफिसर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

को परसिस्टैन्टली बार बार कहता आया हूं जहां कहीं मैं गया हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में मैं बैठा हूं, नागौर और अजमेर के लोग होंगे, रेगुलराइजेशन के केसेज कोई वहां रहते हैं तो कार्यवाही कीजियेगा वरना लोगों के साथ गैर इन्साफ होगा।

हांडाजी ने कुछ बात कही। केसेज की लेटेस्ट पोजिशन तो मुझे मालूम नहीं है। आप भी मुझ से मिले थे। कौन सी कोर्ट के केसेज हैं? आज मेरे पास उसके फेक्ट्स नहीं है। आप कह रहे थे कि दस हजार रुपया खाकर एस. डी. ओ. ने कब्जा दे दिया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** पुराने एस. डी. एम. की बात थी।

**श्री परसराम मदेरणा :** मैं उसकी जांच करवाऊंगा।

यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गये उनको एक मुरब्बा देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। जो गये उनको नहीं मान रहे हैं। रिकार्ड पहुंच जाय। 355 वाले काश्तकार हैं और जागीरदारों से जमीन ली है उनको एक लेवल पर नहीं खड़ा कर सकते हैं। रेकार्ड से साबित हो तो यह फर्जी नहीं है। 355 के काश्तकार दूसरों को बनाया है जमीन नहीं दी, नये रूल्स में उनको एक मुरब्बा मिलेगा। उनके मामले डिफरेन्ट हैं। मेरे पास भी आये थे। वे कह रहे थे कि हम खातेदार बनने की सोच रहे हैं। 355 तो मान लें और एक मुरब्बा दे दें और रिजर्व प्राइस से दे दें। आपका दावा है, यह आपका मानना है दूसरों पर तावान नहीं लग सकता है। कोर्ट से स्टे मिल गया, 91 की कार्यवाही की जा सकती है। पचास बात कह सकते हैं। लेकिन जहां स्टे मिल गया है वहां 91 की कार्यवाही कैसे कर सकते हैं? 91 सेक्शन जो संशोधित है यह बड़ा इफेक्टिव हो गया है कि गरीबों पर हमला हो गया और अमीरों से डर रहा है। कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो हम 91 की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अब अदालतें जो फैसला करेंगी और उस लाइट में कानून में संशोधन करना पड़े तो वह करेंगे। हाई कोर्ट में सीलिंग के इम्पलीमेन्टेशन के सम्बन्ध में कई अपीलें कर रखी हैं। अभी महीने भर बहस चलती रही। हमसे कहा अमेन्डमेंट कीजिये। हमने कहा हमारा पक्ष मजबूत है और हम जीत गये। सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं शायद हार भी जायं लेकिन अभी तक हारने के कोई कारण नहीं है।

अब जो लैंड ओनर्स एक्वीजीशन आफ एस्टेट्स एक्ट के तहत भी अभी पिछले फोर्टनाइट में दर्जनों एप्लीकेशन्स गई हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लेकिन खुद के प्रोसीजर को कोर्ट से डिसाइड करने के लिये और उनके सम्बन्ध में रूल बनाने का प्रावधान हाई कोर्ट को नहीं होना चाहिये।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सदस्यों को अब यह नहीं रहेगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को या जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय और मैं चाहूंगा इस पर आज ही विचार होकर पारित किया जाय क्योंकि आर्डिनेन्स की वजह से इस पर प्रभाव हो गया है। काफी केसेज अपीलों में थे वे अबेट हुए हैं-बाकी का सवाल 91 में हुआ है जो संशोधन करने

(श्री परसराम मदेरणा)

की बात है। तहसीलदार को पावर्स रहे या नहीं रहे, इस पर गफ्फार साहब का संशोधन है, यह जब आयेगा तब निवेदन करूंगा अब मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापिस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव को····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह तो वापिस लेने का प्रश्न एक्साइज होता है····

श्री उपाध्यक्ष : दीपंकर जी का भी है। श्री दीपंकर।

(अनुपस्थित)

वृद्धिचन्द्र जी का भी है। क्या आप (श्री वृद्धिचन्द्र जैन) वापिस लेते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जी हां। वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय वृद्धिचन्द्रजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उनको वह वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं वापिस लेता हूं।

## विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 2 से लगाकर 5 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से लगाकर 5 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 6। श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने जो संशोधन रखा है इसके दो पार्ट्स हैं।

In part (ii), add the following provisos after sub-section (2) sought to be substituted,

"Provided that if the tres passer is a small or marginal farmer and the total in his possession does not exceed the

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

maximum limit which can be allotted under the law, no action shall be taken against him and land held by him shall be regularised.

Provided further that if the land exceeds the maximum limit the trespasser shall be evicted from the surplus land shall further be liable to pay a penalty which may extend to five times the annual rent or assessment, as the case may be, for the first act of trespass".

एक तो यह जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके विरुद्ध अगर 50 गुणा जुर्माने का या तीन महीने की पेनल्टी का प्रावधान रहेगा तो वह बहुत बड़ा संकटकालीन स्थिति पैदा करने का मसला हो जायगा और अभी माननीय मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया कि मैंने इस प्रकार की हिदायतें की हैं कि पहले रेगुलराइज कर दिया जाय और उसके बाद फिर कोई 91 की कार्यवाही की जाय। मेरा निवेदन है जब इस सिद्धान्त को मानते हैं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं या बैकवर्ड लोग हैं उनके विरुद्ध वे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते तो इससे ज्यादा अच्छी चीज नहीं हो सकती हैं कि यह प्रावधान इस एक्ट में ही कर दें। आपके कितने ही अच्छे इरादे हों, राज्य सरकार की कितनी ही अच्छी नीयत हो लेकिन आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं इसलिए उसूलन माननीय मंत्री जी ने यह माना है और हमेशा इस बात को कहता आया हूं और कहूंगा यह सब सरक्यूलर इश्यू करेंगे और यहां पर अधिकारी बैठे हैं उनसे भी कहूंगा जो सक्षम वर्ग नहीं है उनके बारे में आप कहते हैं कि जहां रेगुलराइज की बात है वहां रेगुलराइज कीजिये, मैं कहता हूं उसको कानूनी शक्ल देना चाहते हैं तो फिर क्या आपत्ति होनी चाहिए ? केवल मौलिक परिवर्तन, उपाध्यक्ष महोदय, ठीक किया है और उसका सिर्फ इतना सा मकसद है जिन लोगों के पास इतनी जमीन है, जो मार्जिनल फार्मर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके पास अगर इतनी जमीन है जो लिमिट से ज्यादा है तो मैं यह नहीं कहता वापिस मत लीजिये, उस को ले लीजिये लेकिन जो उनके पास रहती है उसको तो रेगुलराइज कर दीजिये इससे आपका उद्देश्य भी पूरा हो जायगा। मेरा मतलब है जब तक लीगल शेप नहीं होगी तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। यह ठीक है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए और जो जमीनें उनकी हैं वे रेगुलराइज होनी चाहिये और अगर यह करना है तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। इसमें आप यह प्रोविजन बढ़ा दें कि ऐसी जगह जमीन अलाट नहीं की जा सकती है जहां उसका कोई उपयोग न हो तो उसको आल्टरनेटिव जमीन दे दें। लेकिन जो आप कानून लागू करना चाहते हैं उससे वे लोग प्रभावित होंगे और आपकी मंशा के बावजूद, आपकी हिदायत के बावजूद जो कानून में आ जाय वह आ जायगा उसको आप नहीं रोक सकते। इसलिये मेरा निवेदन है स्प्रिट में जब आप यह मानते हैं कि यह सही दिशा में है तो कोई वजह नहीं है कि कानून की शक्ल न दें।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मैं निवेदन करूंगा दो प्रोविजन रखे हैं– जो मार्जिनल फार्मर हैं और उनके पास मेक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं है वह लैंड तो रेगुलराइज कर दी जाय और मेक्सिमम लिमिट से ज्यादा है उसमें बजाय 50 गुणा के 5 गुणा लेकर कन्डोन कर दें। यह उन लोगों के लिए है जो मार्जिनल फार्मर हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, या बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं– इसमें मेरा निवेदन यह है कि आप यह प्रोविजन बढ़ा दीजिये ताकि शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहे। आपके अधिकारियों को उस कानून को मोड़ने तोड़ने का और जो स्प्रिट में इनकार्पोरेट करना चाहते हैं, वह हो जाय और जो आप लागू करना चाहते हैं उसके बजाय पैदा हो जाय तो मैं निवेदन करूंगा ये दोनों प्रोविजन्स इस एक्ट में शामिल कर दिये जायं।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं आपका संशोधन स्वीकार कर लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि फ्यूचर ट्रैसपासर्स को भी जो एलीजिबल है, क्योंकि आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भी नाम ले लिया और इसके बारे में मैं पहले बहुत चर्चा कर चुका हूं और अब दुबारा मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, सभी लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स के नहीं हैं। काफी लोग लैण्ड ग्रेबिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को लगा रखा है कि जो दूसरे ही काश्त कर रहे हैं। इसलिए भूमि एक प्रकार से की नहीं है। आज ट्रैसपासर गवर्नमेंट फार्म्स पर भी है, रिवर बैड्स पर है, स्कूल ग्राउण्ड पर भी है और अगर मैं मान लेता हूं तो यह रेगुलराइज हो जायेंगे चाहे वह जमीन किसी भी यूज के लिए समाज के अन्दर हो। कोई जमीन पब्लिक इन्ट्रेस्ट की है वह भी रेगुलराइज हो जायेगी।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : आल्टरनेटिव जगह दे दें, मैंने यही तो अर्ज किया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जो पब्लिक इन्ट्रेस्ट की जमीन है तो उसको आल्टरनेटिव जमीन दे दो।

**श्री परसराम मदेरणा** : कानून के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रखने के बाद इस प्रकार से नहीं होगा। जो अलाटमेंट के रूल्स हैं उनके रूल 20 में इस प्रकार का प्रावधान है कि जो व्यक्ति ट्रैसपासर है और यदि वह भूमिहीन है तो उसकी जमीन रेगुलराइज हो जायेगी अगर एक अमुक तारीख तक उसने कर के रखा है तो यह एक्ट में डालने की आवश्यकता नहीं है। यह आलरेडी अलाटमेंट के रूल्स में है। इसी तरह से कामर्शियल परपजेज के लिए दूसरे रूल्स हैं। मकान रूरल एरिया में बना लिया है तो उसके लिए अलग से रूल्स हैं। इसलिए जबकि रूल्स में है तो एक्ट में इस प्रोवीजन को नहीं रखा जा सकता। इसलिए 91 में यह डालना उचित नहीं होगा। यह अलाटमेंट आफ लैण्ड का प्रावधान नहीं है बल्कि यहां जो ट्रैसपासर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रोसीजरल मैटर है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जहां रेगुलराइजेशन हो रहा है वहां नयी बस्तियां रोज डिक्लेयर होती है। नयी मण्डियां रोज डिक्लेयर होती हैं। आपकी घरसाना की मण्डी अभी डिक्लेयर हुई है। वहां लोग बैठे हुए हैं और वहां आप आल्टरनेटिव जगह दिये बिना नहीं उठा सकते।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप खुद ही देखेंगे कि आपके यहां से कुछ दिन पहले भारत सरकार को भी जमीन की आवश्यकता थी। आप जानते हैं सूरतगढ़ फार्म से इविक्ट हुए थे और करनपुर गांव में उनको बसाया था। उनको फिर वहां से इविक्ट करना पड़ा और फिर उनको बराबर रीहेबीलिटेट किया है और जैतसर का आप जिक्र कर रहे थे वहां से कुछ आदमियों को निकाला और फिर बाद में भूमि की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी और क्योंकि रिजर्व करने के लिए निकाला गया था फिर एलीजिबलि बनाकर अलाटमेंट किया दो ढाई हजार लोगों को। तो गवर्नमेंट की मन्शा यह नहीं है कि किसी वजह से जमीन के ईयरमार्क होने की वजह से जो लोग इफेक्ट होते है उनको रीहेबीलिटेट नहीं किया जाये। उनको बराबर रीहेबीलिटेट कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न आयेगा तो निश्चितरूप से रीहेबीलिटेट किया जायेगा। इसलिए मैं इसको उचित नहीं समझता और कानून के अन्तर्गत जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं रेगुलराइजेशन के आदेश हैं उनके तहत कार्यवाही करने के संबंध में मैं वह हिदायतें दुबारा दे रहा हू। इसलिए मैं आपके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक संशोधन क्लाज 6 में मूव करना चाहता हूं जिसकी आपने मुझे अनुमति दी है। वह इसलिए मूव कर रहा हूं कि यहां पर यह बात भी कही गयी कि तहसीलदार की रिपोर्ट के ऊपर ही सिविल इम्प्रिजनमेंट हो रहा है और पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार कार्यवाही कर लेता है तो यह किसी दूसरे उच्च अधिकारी के पास पावर्स रहनी चाहिए। माननीय सदस्य का संशोधन तो मैं नहीं मानता हूं लेकिन मैं इसमें यह संशोधन मूव कर रहा हूं :

"In sub-clause (ii), after sub-section (2) proposed to be substituted in section 91, the following sub-section shall be added, namely :—

"(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under sub-section (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond, for such period as will afford him sufficient time to present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall, so long as he is so released on bond, be deemed to be suspended."

इसमें अपीलेट पावर्स कलेक्टर को हैं ताकि कोई भी अपील करे तो वह कलेक्टर के पास करे और वह देख ले कि यह सिविल इम्प्रिजमेंट का आर्डर ठीक है या नहीं।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं समझता हूं कि इस संशोधन की ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Why not S. D. M.?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर को मैंने पावर्स दे दी हैं और एस. डी. एम. को नहीं क्योंकि उसकी अपील एस. डी. एम. के पास नहीं है, कलेक्टर के पास ही है क्योंकि 91 में कलेक्टर के पास ही अपील की पावर्स हैं। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन क्लॉज 6 में रखा है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज में मैंने भी एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट रखा है वह इस प्रकार है:—

"In part (ii)-delete the following words from sub-section (2) sought to be substituted:—

"The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue."

मेरा मकसद इस अमेन्डमेंट से यह नहीं है कि पेनल्टी जो भी लगाई जाये वह लैण्ड रेवेन्यू के तहत वसूल नहीं की जाये। मैंने यह अमेन्डमेंट इसलिए मूव किया है कि इस प्रावधान को मैं रिडन्डेन्ट समझता हूं। इसी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के आगे के प्रावधानों में वसूलियों के सम्बन्ध में जो चैप्टर हैं उसमें दे रखा है कि इस प्रकार की पेनल्टी लैण्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगी यह प्रावीजन सारे एक्ट को कवर करता है। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का ध्यान सेक्शन 256 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सब क्लॉज (सी) की ओर दिलाना चाहूंगा। 256 यह कहता है :

"256. Recovery of Miscellaneous Revenue and other moneys. The following moneys may be recovered under this Act in the same manner as an arrear of revenue:—

(c) all sums of money payable to the State Government or to a department of an officer of the State Government or to a local authority—

(i) by way of fees, fines, penalties, compensation of costs imposed or awarded by any authority, not being a civil or criminal court, under this Act or under any other law for the time being in force."

तो मेरी राय में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत में जो भी पेनल्टी इम्पोज की जाती है उन क्लॉजेज में अलग से प्रावधान करना आवश्यक नहीं है। वह इसमें कवर होता है। इसलिए यह रिडन्डेन्ट पोर्शन है। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इसको डिलीट किया जाये।

(श्री गंगाराम चौधरी)

साथ ही एक और संशोधन मैंने रखा है वह जरा नीति से सम्बन्ध रखता है। यहां सदन में सभी माननीय सदस्यों ने ट्रेसपास की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी रखी जाये ऐसा कहा है। मेरा इसमें यही सुझाव है कि यह शब्द इसमें जोड़ने के हैं:–

In sub-section (2) sought to be substituted insert the following words between the words "as the case may be" and the words "for the first act of trespass":—

"Or, in case he constructs a pucca building on the land or occupies or uses the land for the purpose of a trade or Industry, for the area so occupied, a penalty which may extend to double the amount as aforesaid."

ट्रेसपास जैसा कि अभी सदन में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है, कई तरह के होते हैं। कई इरादों से किए जाते हैं और कई मकसदों से किए जाते हैं। मेरा इस संशोधन को रखने का मकसद यही है कि अगर ऐसा ट्रेसपास जिस किसी व्यक्ति ने किया है, वह किसी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए या उस जमीन के ऊपर अपना व्यापार या उद्योग के काम के लिए किया है तो मैं समझता हूं कि यह ट्रेसपास साधारण तरह के ट्रेसपास से कुछ अधिक ग्रेविटी का ट्रेसपास है। इसलिए उसको कुछ सख्ती से ट्रीट किया जावे। इस विश्वास के साथ मैंने यह संशोधन मूव किया है कि जो ऐसे ट्रेसपासर्स हैं उन लोगों के ऊपर जो पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया गया है कि पचास गुना लगान का पेनल्टी लगाई जाएगी उसका डबल, उस पेनल्टी का दुगुना ले लिया जाय यानि उस लगान का सौ गुना वसूल किया जाय। यही केवल मेरा मकसद है जो इन दोनों प्रस्तावों से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज 6 के सब सेक्शन (2) में लास्ट दो लाइनें हैं।

"The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue.".

गुढ़ा मालानी से आने वाले माननीय सदस्य इन लाइनों को डिलीट कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक दलील यह दी है कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 256 के अन्तर्गत सब प्रकार के एरियर्स लैण्ड रेवेन्यू की रिकवरी के लिए स्पेशल प्रावधान रखने की क्या आवश्यकता थी। मैं यह समझ रहा था कि माननीय सदस्य इसी पॉइन्ट को कहेंगे और यही समझ कर चल रहा था लेकिन क्योंकि पहले जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में जो सेक्शन 91 में प्रावधान है इससे पूर्व भी जबकि पेनल्टी लैण्ड रेवेन्यू या असेसमेंट की तरह से प्रोविजन रख रहे हैं, उसमें भी यही बात थी :

"(2) Such trespasser shall be further liable to pay as penalty for each agricultural

# Page No 127



(श्री परसराम मदेरणा)

year during the whole or any part whereof has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent, or assessment, as the case may be, and such sum shall be recovered as an arrear of land revenue."

यह इसमें शुरू में 56 से बराबर यह प्रावधान है इस प्रकार का क्योंकि हमने अभी पेनल्टी वाले इस सब क्लॉज को अमेंड किया है और यह जो वर्ड है पेनल्टी यह सब लैंड रेवेन्यू की तरह से रिएलाइज होगा, यह डिलीट नहीं किया है इसलिए हालांकि 256 की धारा का कोई लेकूना नहीं रहेगा इसके नहीं होने से भी फिर भी प्रवडन्ट कॉशन के तौर रखा है।

दूसरा अमेंडमेंट जो रखा है वह इसलिए कि पूर्व में इस प्रकार का प्रावधान था और इस प्रकार की एंटरीज हैं 91 की, इसलिए हमने सोचा कि इसको डिलीट करना ठीक नहीं रहेगा और दूसरा उनका अमेंडमेंट यह है:

"In sub-section (2) sought to be substituted, insert the following words between the words "as the case may be" and the words "for the first act of trespass"

"Or, in case he constructs a pucca building on the land or occupies or uses the land for the purpose of a trade or industry, for the area so occupied, a penalty which may extend to double the amount as aforesaid."

यह संशोधन रख कर वे चाहते हैं कि क्लॉज 6 के अंदर, क्लॉज 6 के सब सेक्शन (2) में जहां कि "Such trespasser shall further be liable to pay, for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such unauthorised occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be," इसके पहले जुड़वाना चाहते हैं "Or, in case he constructs a pucca building on the land or occupies or uses the land for the purpose of a trade or industry, for the area so occupied, a penalty which may extend to double the amount as aforesaid." पहले ट्रेसपास के लिए जो बिल्डिंग बनाता है या कमर्शियल परपज के लिए और ट्रेड और इण्डस्ट्री के लिए ट्रेसपास करता है, क्योंकि ये पैसे वाले लोग होंगे, तो इसलिए पहले ट्रेसपास के लिए जब फिफ्टी टाइम्स की पेनल्टी रखी है उसमें भी उसका डबल अमाउण्ट यानि हण्डरेड टाइम्स होना चाहिए यह उनका संशोधन है।

मैं समझता हूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, वे जब इण्डस्ट्री की बात करते हैं तो कहते हैं कि छोटे लोग हैं, मामूली फैक्ट्री खड़ी करते हैं, इण्डस्ट्रियल एरिया में कुछ जमीन का प्रावधान रखा है, मकान शहर में बना लिया,

(श्री परसराम मदेरणा)

मकान गांव में झोंपड़ी के रूप में बना लिया है तो खास मायने नहीं रखता और गांव के अन्दर भी किसी आदमी ने ट्रेस पास कर लिया, जैसा रामसर वाले मामले में माननीय सदस्य कह रहे थे कि मकान भी बना लिया तो क्या हुआ, उसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए जिस किसी ने भी ट्रेसपास किया हो। क्योंकि हम उस ट्रेसपास के लिए फिफ्टी टाइम्स लेने के बाद में उसको वार्निंग है कि दुबारा अगर आप ट्रेसपास करोगे और इस प्रकार से अगर कानून को हाथ में लेते रहोगे तो फिफ्टी टाइम्स पेनल्टी तो होगी ही साथ ही सिविल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। क्योंकि इस सदन के माननीय सदस्य पहले कह रहे थे कि सिविल इम्प्रिजनमेंट की पावर तहसीलदार को की है यह पावर वास्ट पावर हो जाती है और रेवेन्यू एजेन्सी के हाथ में बहुत बड़ा अधिकार हो जाता है इसलिए इसके बारे में अमेंडमेंट किया है। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पोइन्ट पर अमेंडमेंट मूव किया और वे दूसरी बात भी कह रहे थे जिसमें सच्चाई भी थी। मैंने उनका एक अमेंडमेंट तो मान लिया है और इसलिए यह प्रोविजन किया है कि अगर वह अपील करने का इरादा रखता है तो परसनल बोंड पर ही तहसीलदार उसका सिविल इम्प्रिजनमेंट नहीं करेगा जब तक कि वह अपील करके कलेक्टर से स्टे आर्डर प्राप्त नहीं कर ले। हमने इसको बहुत सोफ्ट रख दिया है। इसलिए पहले मकानों के मामले में, बाड़ों के मामले में भी कुछ बातें कही गई। दीवार है, बाड़े हैं, एन्क्लोजर हैं, बाड़ों के बारे में, लाटों के बारे में गवर्नमेंट की नीति हमेशा लिबरल रही है हम जानते हैं कि बाड़मेर में बाड़े किस काम में आते हैं। बाड़मेर में आपने एक मकान के बाहर बाड़ा बना लिया, झोंपड़ा बना दिया है भेड़, बकरी, गाय, भैंस को बांधते हैं, बरसात में पानी को रोकने के काम में लेते हैं, सर्दी में झोंपड़ा खड़ा कर लिया है, इन सब बातों के लिए ट्रेस. पास कर लिया। मैं यह सोच रहा था कि इस प्रकार का प्रावधान हो। पहले ट्रेसपास में पक्का मकान बनाता है तो यह दूसरा प्रश्न है, इसकी अलग से कार्यवाही होगी। कुछ रेगुलराइज हो जायेंगे, कुछ रेगुलराइज नहीं होंगे उनको हटा दिया जाएगा। लैंड सैट अपार्ट करके ईयरमार्क कर देंगे। तो पहले ही आफेंस के लिए यह फिफ्टी टाइम पेनल्टी का प्रोविजन किया है। अब माननीय सदस्य इसको हण्ड्रेड टाइम्स कराना चाहते हैं जब कि इससे पहले कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह फिफ्टी टाइम्स का जो प्रोविजन किया है इसमें ही बहुत बड़ा गैरइंसाफ हो रहा है और अब ज्यादा सख्त कदम उठाने की बात बोल रहे हैं। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य सिविल इम्प्रिजनमेंट, पजेसी के लिए काग्नीजेबल आफेंस बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग बाद में कुछ बोल रहे हैं और पहले सदन का वातावरण और तरह का हो रहा था। तो सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को बेलेंस करने की दृष्टि से मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इसको वापिस तो नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 6 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

( स्वीकृत )

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 7।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खण्ड 7 है इसमें मैंने और साफ कर दिया है :

Add the following provisos after sub-section (2) sought to be substituted, namely :

"Provided that if the trespasser is a small or marginal farmer belonging to scheduled caste or scheduled tribe or backward class and the total land in his possession does not exceed the maximum limit which can be allotted under the law in force, no action shall be taken against him and the land in his possession shall be regularised.

Provided further that if the land exceeds the maximum limit, the trespasser shall be evicted from the surplus land and shall further be liable to pay a penalty which may extend to five times the annual rent or assessment, as the case may be, for the first act of trespass."

दूसरा यह है कि अगर उसको एक्सीड करता है तो उसे लेकर पेनल्टी फाइव टाइम दे दी जाती है। एक वह है। मगर इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण कर दिया है। सदन का ज्यादा समय न लेकर यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें वह सम्भावना नहीं है जो संभावनाएं मंत्री महोदय ने व्यक्त की कि इस बिना वह जमीन ली जा सकती है या नहीं। इसकी सिचुएशन ऐसी है। अगर वह सम्भावना है तो मैं इस बात को एग्री करता हूं और यह प्राविजन कर सकते हैं कि आल्टरनेटिव जमीन दे दें। शिड्यूल्ड कास्ट्स के सिर पर यह कानून लद जायगा और इसके फलस्वरूप उसको जो कठिनाई होगी उसमें मैं भागीदार नहीं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बनना चाहता और न इसमें मेरी पार्टी भागीदार बन सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने यह जो अमेंडमेंट रखा है उसको मंत्री महोदय स्वीकार करें।

**श्री परसराम मदेरणा :** उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट की क्लाज 22 के अन्तर्गत विधेयक में जो संशोधन है, उस सम्बन्ध में क्लाज 7 में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है। यह मन्जूर करता हूं तो यह राजस्थान के अन्दर जितनी भी कोलोनीज हैं उन सब के ऊपर लागू होगा। कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर भाखरा कोलोनी के लिए अलग से रूल हैं, राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए अलग रूल है, चंबल कोलोनी के लिए अलग से रूल हैं, मीडियम माइनर प्रोजेक्ट के लिए अलग से रूल है, गंग केनाल की कोलोनी के अलग रूल है और यह जो संशोधन है वह आर. सी. पी. में लागू होगा। कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर सब प्रकार के प्रावधान हैं। अलाटमेंट रूल्स बने हुए हैं उनके तहत अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं उनमें एक प्रकार का यूनिफार्म अमेंडमेंट कोलोनाइजेशन एक्ट में लगा कर, कोलोनाइजेशन एक्ट में जो एलाटमेंट गवर्नमेंट कर सकती है, कोई ऐलीजिबल है, पहले 15 बीघा एलॉट करते थे आर. सी. पी. में, गंगानगर एजीटेशन के बाद वहां पर एक मुरब्बा कर दिया। प्री 55 वाली जितनी जमीन है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार एक मुरब्बा रखा है। दूसरी जगह अलग अलग लिमिट रखी है जैसा कि 91 में माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करने में, मैं असमर्थ हूं वैसे ही यहां कोलोनाइजेशन एक्ट में संशोधन स्वीकार करने में मेरी असमर्थता है···—

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** तीन महीने की सजा को स्टे कर दिया है वैसे यहां तो फर्मा दें।

**श्री परसराम मदेरणा :** 91 में पावर तहसीलदार को है, सेक्शन 22 में 91 की पावर कलेक्टर के पास है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** अपील नहीं होगी।

**श्री परसराम मदेरणा :** लोअर फंक्शन्स रेवेन्यु डिपार्टमेंट की है।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा :** इसमें डी.सी. का प्राविजन कीजिए।

**श्री परसराम मदेरणा :** सेक्शन 22 के नीचे कलेक्टर को ही पावर है 91 की कार्यवाही करने के लिए। इसलिए कलेक्टर की अपील कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली :** नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 के खण्ड 7 में श्री मोहम्मद गफ्फारअली ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 और 8 को स्वीकार किया जाए।

( स्वीकृत )

विधेयक के खण्ड 7 व 8 स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए जाएं।

(स्वीकृत)

विधेयक खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया गया।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को यथा संशोधित पारित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को मय संशोधनों के पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी, 76 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

( तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजकर 45 मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी, 76 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी। )

132



## परिशिष्ट 1

( ता. प्र. सं. 106 का विवरण )

(क)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक करीबन 1 करोड़ रुपया पर्यटन विकास के लिए खर्च किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विकास के लिए दो करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है जो निम्न मदों पर खर्च होगा :—

| क्र० सं. | योजना का नाम | पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लाख रुपयों में |
|---|---|---|
| 1. | प्रशासनिक मशीनरी को सुदृढ़ बनाना | 25-00 |
| 2. | पर्यटन यातायात कक्ष | 20-00 |
| 3. | पर्यटक विश्रामालय एवं होटलों आदि का निर्माण | 75-00 |
| 4. | पर्यटकों की रुचि के दर्शनीय स्थलों के विकास पर। | 60-00 |
| 5. | परिचायक भ्रमण एवं प्रचार प्रसार आदि पर। | 10-00 |
| 6. | मेलों एवं त्यौहारों आदि पर। | 10-00 |
| | योग | 200-00 |

गत दो वर्षों में करीबन 30.90 लाख रु. विभिन्न पर्यटक विश्राम-गृहों की मरम्मत एवं विस्तार तथा जयपुर, कोटा, रणकपुर, नाथद्वारा व बहरोड़ के नये पर्यटक विश्राम गृह बनाने में खर्च किये गये हैं। इसी प्रकार विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आदि में गत दो वर्षों में 25.84 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख)

TOURIST STATISTICS OF HOME AND FOREIGN TOURISTS WHO VISITED RAJASTHAN ( Yearwise ) IN LAST THREE YEARS

| 1972 | | 1973 | | 1974 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | Foreign | Home | Foreign | Home | Foreign |
| 92700 | 30358 | 1157959 | 54611 | 998227 | 55781 |

(ग)

पंचम पंचवर्षीय योजना में पर्यटन विकास के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 60 लाख रुपये प्रावधान है जिसमें निम्न-लिखित योजनाएं सम्मिलित हैं :—

| क्रमांक | मद | पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लाख रुपयों में |
|---|---|---|
| 1. | कुम्भलगढ़ दुर्ग का विकास । | 3–00 |
| 2. | जयपुर नगर को सुन्दर बनाने हेतु । | 10–00 |
| 3. | रामनिवास व विद्याधर के बाग को गोठ आदि के लिये रमणीक बनाये जाने हेतु । | 5–00 |
| 4. | चित्तौड़ दुर्ग एवं उसकी सड़क का विकास । | 1–50 |
| 5. | चित्तौड़ में पद्मिनी के महलों एवं मीरां मंदिर के पास शौचालय एवं जल-पान गृह का निर्माण । | 1–00 |
| 6. | चित्तौड़ दुर्ग में दर्शनीय स्थलों का विकास एवं दुर्ग पर विभिन्न स्थानों पर पानी की व्यवस्था । | 0–50 |
| 7. | जैसलमेर में स्थित लधरवा मंदिर को जाने वाली सड़क के एक छोटे से टुकड़े की मरम्मत हेतु । | 0–55 |
| 8. | जैसलमेर में गढ़ीसर तालाब का जीर्णोद्धार जिसमें तालाब की छतरियां भी सम्मिलित हैं । | 5–00 |
| 9. | मंडोर उद्यान व बालसमंद झील का विकास । | 5–00 |
| 10. | राजस्थान के शरण स्थलों का विकास । | 3–45 |
| 11. | आबू पर्वत पर विकास कार्य । | 25–00 |
| | योग | 60–00 |

## परिशिष्ट 2

( समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर )

### पिड़ावा तहसील की सहकारी समितियों में गबन

111. **श्री हाजी जान मोहम्मद खां** (पिड़ावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिड़ावा तहसील की ओडियाखेड़ी, हिम्मतगढ़, सलोतिया की सहकारी समितियों में लाखों रुपयों का गबन किया गया है ? अगर हां, तो विभाग ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

**उत्तर**

पिड़ावा तहसील की ओडियाखेड़ी, हिम्मतगढ़, सलोतिया ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 89,242.38 पैसे के गबन के मामले सामने आये हैं। गबन कर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

### कोटपूतली में पानी के टैंक में लीकेज

112. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** ( कोटपूतली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली में पानी का टैंक बने कितना अर्सा हो गया है और क्या इसका उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि काफी अर्से से इस टैंक की लीकेज भी ठीक नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) टैंकों का कार्य दिनांक 7-10-74 को पूर्ण किया जा चुका था किन्तु ठेकेदार द्वारा लीकेज ठीक न करने के कारण अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। ठेकेदार द्वारा लीकेज ठीक करने की कार्यवाही की गई है जिसके लिये नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

### बारां तहसील की आर. ई. सी. स्कीम का सर्वे

113. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां तहसील को आर.ई.सी. स्कीम का सर्वे कराया जा चुका है ? यदि हां, तो यह कब तक मंजूर कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि लघु सिंचाई योजना के साथ ही इस स्कीम को भी लागू किया जाना चाहिये था जिससे काश्तकारों को पूरा लाभ मिल सके ? यदि हां, तो देरी के कारण बताने का कष्ट करें।

**उत्तर**

(1) जी हां। अभी प्रारूप तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही स्वीकृत करने का प्रयत्न किया जायेगा।

(2) जहां तक संभव होता है लघु सिंचाई योजनाओं व आर. ई. सी. स्कीमों में

(विद्युत मन्त्री)

समन्वय रखा जाता है परन्तु आर. ई. सी. योजनाओं जिनको ग्रामीण विद्युतिकरण के फैलाव के लिये बनाया जाता है, के लिए आवश्यक ट्रान्समिशन लाइनों की आदि का होना आवश्यक होता हैं। उनके बनने पर ही ऐसी योजनायें स्वीकृत होती हैं। इसलिये ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जहां लघु सिंचाई योजना तो स्वीकृत हो जाय और आर.ई.सी. की योजना न हो सके।

## अलवर जिले के विकास हेतु केन्द्र से प्राप्त धनराशि

114. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीय राजधानी योजनान्तर्गत राजस्थान के किन किन जिलों के कौन कौन से भाग आते हैं?

(2) इस योजना में अलवर जिले के किन भागों के विकास हेतु कितनी कितनी राशि 1975-76 वर्ष में केन्द्र से प्राप्त हुई और वह कहां कहां कितनी कितनी राशि खर्च की गई? विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) इस योजना का क्या प्लान और बजट हैं तथा वह कितने वर्षों में पूरा होना है? कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना को क्रियान्वित करने तथा बजट राशि को खर्च करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व किस पर है? क्या इसके लिये केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने कोई सरकारी या अर्द्ध सरकारी कमेटी गठित की हुई हैं जो इसके सदुपयोग व दुरुपयोग की देखरेख कर सके? यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी?

### उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजधानी योजना के अन्तर्गत राजस्थान से केवल अलवर जिला आता है। अलवर जिले की बहरोड़, मंडावर, किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़ व अलवर तहसील शामिल है।

(2) राष्ट्रीय राजधानी योजना के अन्तर्गत अलवर नगर के विकास के लिए केन्द्र से 10 लाख रुपये की राशि 1974-75 में प्राप्त हुई थी। 1975-76 में अभी तक कुछ नहीं मिला। 10 लाख रुपये का ऋण राज्य सरकार ने दिया। कुल 14,56 722 रु० नवम्बर के अन्त तक व्यय हुए हैं। विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) योजना 1981 तक पूर्ण होगी इस योजना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) क्रियान्विति व व्यय करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। इसके लिए राज्य सरकार ने दो स्थाई समितियां गठित कर दी हैं–एक स्थानीय व एक राज्य-स्तरीय कमेटी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## तहसील बाड़मेर में सीलिंग कानून के अन्तर्गत जब्त की गई कृषि भूमि

115. श्री गंगाराम चौधरी ( गुढ़ा मालानी ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रावल गुलाबसिंह पुत्र श्री कुशल सिंह निवासी ग्राम सिणधरी, तहसील बाड़मेर की कितनी कृषि भूमि, किस तिथि को, सीलिंग कानूनों के अन्तर्गत जब्त की गई व इसमें से कितनी भूमि का कब्जा सरकार द्वारा ले लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवाप्त भूमि का आवंटन अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अवाप्त की जाने के पश्चात् उक्त भूमि का किस व्यक्ति द्वारा क्या उपयोग लिया जा रहा है ? और यदि ऐसा उपयोग अवैध है तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) रावल गुलाबसिंह, निवासी ग्राम सिणधरी, तहसील बाड़मेर की 14417 बीघा 5 बिस्वा भूमि दिनांक 4-8-71 को सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण की जाकर सरकारी कब्जे में ली गई थी ?

(2) जी हां।

(3) इस भूमि का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह पशुओं को चराने के काम में आती है।

## सैनिक परिवारजनों के व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में संरक्षण

116. श्री लूणाराम ( डूंगरगढ़ ) : क्या मंत्री सैनिक कल्याण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त, विकलांग या खेत रहे सैनिक के परिवारजनों को किसी भी तरह की राजकीय सेवाओं में रख कर उस परिवार की हुई क्षति से गिरती हुई आर्थिक स्थिति को बचाने का राज्य सरकार ने नियम बना रखा है ?

(2) यदि हां, तो क्या वह आज तक कितने ऐसे लोगों को सन् 1962 से नौकरी का संरक्षण दिया गया ?

(3) क्या ऐसे सैनिक जो खेत रहे या कार्यरत हैं, घर वालों की जिलाधीश या अन्य अधिकारी द्वारा निज में उनके मकान जाकर उनके परिवार वालों की वर्ष में कितनी बार देखरेख व कठिनाइयों की पूछ की जाती है जैसा कि लड़ाई के दिनों में की जाती रही है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा दी राजस्थान सिविल सर्विसेज ( एब्जार्प्शन ऑफ एक्स सर्विसमेन ) रूल्स, 1959 बना रखे हैं। वर्ष 1962 से 4361 सेवा निवृत्त व विकलांग सैनिकों व खेत रहे सैनिकों के आश्रितों को नौकरियां दी गईं।

(3) जी हां। खेत रहे या कार्यरत सैनिकों के आश्रितों से उनकी कठिनाइयों के

(मन्त्री. सैनिक कल्याण)

बारे में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा समय समय पर सम्पर्क किया जाता है :

1-सचिव, जिला सैनिक बोर्ड
2-वैलफेयर ओर्गेनाइजर
3-जिलाधीश के आदेशानुसार राजस्व अधिकारियों द्वारा।

## टोंक में कृषि मंडी का निर्माण

117. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. टोंक में कृषि मण्डी का निर्माण कार्य अभी तक स्वीकृत न होने के क्या कारण है ?

2. क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने कृषि मण्डी हेतु अभी तक भू-खण्ड का आवंटन नहीं किया है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) टोंक में अभी कृषि उपज मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु उपयुक्त भू-खण्ड प्राप्त न हो सका है। जब तक भू-खण्ड उपलब्ध न हो, निर्माण कार्य हाथ में लेना उचित नहीं।

(2) मण्डी यार्ड के लिये जमीन लेने की कार्यवाही की जा रही है। उपलब्ध होने पर यार्ड का काम प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।

## भदेसर पंचायत समिति का कृषि फार्म

118. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौडगढ़ जिले में भदेसर पंचायत समिति के अधीन क्या कोई कृषि फार्म है ?

(2) यदि हां, तो इस कृषि फार्म का क्षेत्रफल कितना है ?

(3) पिछले पांच वर्षों में उक्त फार्म के माध्यम से पंचायत समिति को क्या आय हुई ? कृपया वर्षवार लाभ हानि के आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(4) उक्त फार्म के माध्यम से यदि कोई लाभ हुआ तो उस राशि को किस विकास कार्य में व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि फार्म का क्षेत्रफल 100 एकड़ है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) कृषि फार्म से कोई लाभ नहीं हुआ।

सूची

| वर्ष | आय | व्यय | लाभ/हानि |
|---|---|---|---|
| 1971-72 | 14112/15 | 14418/34 | 306-19 हानि |
| 1972-73 | 14408/83 | 15198/87 | 790-04 हानि |
| 1973-74 | 8458/36 | 9977/78 | 1519-42 हानि |
| 1974-75 | 17365/64 | 18236/09 | 870-45 हानि |
| | | कुल योग | 3486/10 |

### नागौर जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

119. श्री दीपंकर (लाडनूं) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डलों को चुनाव के अभाव में सरकार नामजद करने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी बैंक के कई कर्मचारियों के खिलाफ गम्भीर शिकायतें हैं तथा भूतपूर्व संचालकों ने गम्भीर अनियमितताएं की हैं, उनकी जांच सरकार ने करवाई भी है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० नागौर में संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक कार्य कर रहा है। जहां तक नागौर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रश्न है, बैंक में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्य कर रहा है और उसमें संचालक मण्डल के एक तिहाई सदस्यों को कमजोर वर्ग से मनोनीत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(2) नागौर जिला सहकारी बैंक के जिन कर्मचारियों तथा भूतपूर्व संचालकों के खिलाफ शिकायतें हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### जोधपुर नगर में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण

120. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर नगर में राइकाबाग रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ है ?

(2) उपरोक्त कार्य के लिए कुल वित्तीय प्रावधान कितना है ? और उसमें से प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया है ?

(3) उपरोक्त पुल का रेल्वे सीमा के भीतर का कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

(4) उपरोक्त कार्य कब पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) राइका बाग ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 1971 से आरम्भ हुआ है।

(2) सूची सलंग्न है।

(3) यह कार्य रेल्वे विभाग द्वारा किया जाना है।

(4) यह रेल्वे विभाग से संबंधित है।

सूची

| प्रशासनिक स्वीकृति | वर्ष | व्यय धनराशि |
|---|---|---|
| 39,22,156 | 1970-71 | 22,040.00 |
| | 1971-72 | 4,205.00 |
| | 1972-73 | 44,615.00 |
| | 1973-74 | 5,61,882.00 |
| | 1974-75 | 8,65,473.00 |
| | 1975-76 | 3,48,847.00 |
| | कुल | 18,47,062.00 |

(नवम्बर 1975 तक)

जिला जालोर के ग्रामीण बुनकर केन्द्रों को सहायता

121. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्रामीण बुनकरों की सहायतार्थ जिला जालोर में अब तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं तो कहां कहां पर क्या क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के ग्रामीण बुनकर केन्द्रों की सहायतार्थ भी विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कहां पर क्या क्या कार्य किये गए हैं?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ग्रामीण बुनकरों की खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उन कताई बुनाई की दृष्टि से कुछ भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है एवं यह कार्य ग्रामों में कताई फैल नहीं पाया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कहां कहां पर क्या क्या कार्य कितना कितना कब कब किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

4. उक्त कार्य को ज्यादा ग्रामों में बढ़ाने की दृष्टि से सरकार भविष्य में क्या योजना बनाकर क्या कार्यवाही करेगी? ग्रामीण बुनकरों की महिलाओं को इस प्रकार का कार्य देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। खादी बोर्ड द्वारा अनुदानित एक संस्था जिले में कार्यरत है जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 33 बुनकरों को रोजगार दिया गया।

(2) खादी बोर्ड द्वारा बुनकर केन्द्रों को पृथक से वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिले में कार्यरत खादी संस्था को उनके उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त राशि दी जाती रही है जिसके फलस्वरूप संस्था का गत तीन वर्षों में उत्पादन बढ़ा है उसकी सूची (क) संलग्न है संस्था के उत्पादन केन्द्र एवं उन पर कार्यरत कत्तिन, बुनकरों की संख्या की सूची तथा चालू वित्तीय वर्ष में जिन गांवों में कार्य और बढ़ाया जायेगा की सूची (ख) भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य के डी. पी. ए. पी. क्षेत्रों में जालोर जिला सम्मिलित होने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा जालोर जिले के लिए विशिष्ट योजना 29-51 लाख रुपया की तैयार की गई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है जिससे लगभग 1100 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण बुनकरों की महिलाओं को कोई पृथक से कार्य देने की योजना नहीं है।

## सूची (क)

| वर्ष | उत्पादन (लाख रुपयों में) | रोजगार कत्तिन | रोजगार बुनकर | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1972-73 | 2-02 | 120 | 40 | 42 | 202 |
| 1973-74 | 2-02 | 120 | 40 | 42 | 202 |
| 1974-75 | 3·01 | 216 | 40 | 42 | 298 |

140



## सूची (५)

### थीरम खादी ग्रामोद्योग संघ जालोर का जालोर जिले में ऊनी खादी का कार्य

| क्र.सं. | पंचायत समिति | ग्रामों के नाम | उत्पत्ति केन्द्र | कार्यरत कतिम | कार्यरत बुनकर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जालोर | जालोर | जालोर | 75 | 10 |
| 2 | ,, | झोटवाड़ा | ,, | 15 | — |
| 3 | ,, | सांकरला | ,, | — | — |
| 4 | भीनमाल | भीनमाल | भीनमाल | 5 | 1 |
| 5 | ,, | सूंनथा | ,, | 10 | — |
| 6 | ,, | मेरण | ,, | 4 | — |
| 7 | ,, | कालेठी | ,, | 8 | — |
| 8 | ,, | सेकड़ी | ,, | 5 | — |
| 9 | ,, | कावडी | ,, | 3 | — |
| 10 | ,, | पूकावा | ,, | 1 | — |
| 11 | ,, | मालनी | ,, | 3 | — |
| 12 | सांचोर | झाग | ,, | — | 8 |
| 13 | रानीवाड़ा | कीगाव | ,, | 18 | 4 |
| 14 | ,, | कारा | ,, | — | 1 |
| 15 | ,, | माटीम | ,, | 4 | 2 |
| 16 | सांचोर | भीरपुरा | ,, | 5 | — |
| 17 | ,, | नुपाऊ | ,, | 3 | 1 |
| 18 | ,, | सेठिया | ,, | — | 2 |
| 19 | भीनमाल | माड़वी | ,, | 2 | 2 |
| 20 | जालोर | जालोर | जालोर | — | — |
| 21 | ,, | नोना | ,, | 100 | — |
| 22 | ,, | भादराजून | ,, | 26 | — |
| 23 | सांचोर | देवड़ा | भीनमाल | — | 1 |
| 24 | ,, | बछाका | ,, | 4 | — |

### चालू वित्तीय वर्ष में काम बढ़ाए जाने का विवरण

| | क्रमांक नवीन ग्रामों के नाम | संभावित रोजगार कांतन | संभावित रोजगार बुनकर |
|---|---|---|---|
| उत्पत्ति केन्द्र, जालोर | 1 किशनगढ़ | 100 | — |
| | 2 माडोडा | 500 | 20 |
| उत्पत्ति केन्द्र, जालोर | 1 भयरानी | 100 | 5 |
| | 2 मेवाकारा | 60 | 2 |
| | 3 खलयाली | 100 | — |
| | 4 नोसरा | 60 | — |

उत्पत्ति केन्द्र भीनमाल–सांचोर तहसील का संघ किया जा रहा है परिणामों को ध्यान में रखते हुए काम बढ़ाए जाने की योजना तैयार की जायेगी। –

## भाकरीवाला गांव (रोहट पंचायत समिति) की गोचर भूमि का आवंटन

122. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील की रोहट पंचायत समिति के गांव 'भाकरीवाला' के भूमिहीन किसानों ने गांव की अनावश्यक गोचर भूमि को आवंटन करने हेतु जिलाधीश पाली को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) भाकरीवाला गांव में कुल मवेशी की संख्या कितनी है और राजस्व रेकार्ड के अनुसार गोचर भूमि कितनी है ? ब्योरा खसरा नम्बर व रकबा दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार गोचर की आवश्यकता से अधिक घोषित गोचर भूमि को आवंटित करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने गोचर भूमि में अनधिकृत कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्व रेकार्ड के अनुसार कुल मवेशियों की संख्या 867 है एवं गोचर भूमि 2264 बीघा 9 बिस्वा है। जिसका ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(3) नियमानुसार ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्राप्ति पर जिलाधीश की सिफारिश से आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) जी हां। अतिक्रमियों के विरुद्ध राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

### सूची

| खसरा नम्बर | क्षेत्रफल बीघा बिस्वा |
|---|---|
| 75 | 118-19 |
| 384 | 724-00 |
| 288 | 208-03 |
| 449 | 114-06 |
| 451 | 431-00 |
| 468 | 67-16 |
| 550 | 560-05 |
| योग 7 | 2264-09 |

## खण्डेला नगर में पीने के पानी की समस्या

123. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खण्डेला (सीकर) नगर में पीने के पानी की समस्या लम्बे समय से चली आ रही है और ग्रीष्मकाल में तो कुओं का पानी सूख जाने से वहां के लोगों को बिल्कुल ही पीने का पानी नहीं मिलता है ?

(2) क्या यह सही है कि कुओं में पानी का स्रोत वहां के निर्माणाधीन बांध को पूरा करा कर ही बढ़ाया जा सकता है और इस समस्या का सदैव के लिए समाधान किया

(श्री गोपालसिंह)

जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध को पूरा कर समस्या का हल करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि बांध बन जाने से इस कस्बे में बाढ़ से प्रतिवर्ष होने वाले भारी नुकसान को भी रोका जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रीष्मकाल में उपलब्ध पेय जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है।

(2) जी हां। बांध का कार्य पूरा करने से समस्या का आंशिक रूप से समाधान किया जा सकता है। खण्डेला की जल समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रस्तावों की विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(3) जी हां।

बाड़मेर जिले में शंकर बाजरे के बीज का वितरण

124. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1975-76 में खरीफ की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से कितना शंकर बाजरा का बीज लोन के रूप में वितरित किया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त शंकर बाजरा बीज की पैदावार के क्या परिणाम रहे ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त शंकर बाजरा के बीज में काफी बीज खराब था जिसके कारण जिले में किसानों की फसलें बरबाद हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त खराब बीज के बारे में कृषि विभाग और जिलाधीश बाड़मेर को शिकायत की गई जिसकी जांच के लिए उपनिदेशक, कृषि विभाग मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी यह माना कि खराब बीज के वितरण से चौहटन एवं धोरीमना पंचायत समिति आदि के क्षेत्रों में विशेषतौर से बाजरे की फसल बरबाद हो गई ?

(5) खराब बीज भेजने के लिए कौन कौन अधिकारियों और कर्मचारियों को कृषि विभाग ने जिम्मेदार ठहराया और उनके विरुद्ध क्या क्या कदम उठाये गये ?

(6) उक्त खराब बीज से जिन जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई उनके हरजाने की अदायगी के लिए कृषि विभाग ने क्या क्या कदम उठाये। यदि कोई कदम इस ओर नहीं उठाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा शंकर बाजरा मूल्य पर वितरित किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई ?

(2) परिणाम सन्तोषजनक रहे।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। विभागीय समिति ने जांच की थी। कृषि उद्योग निगम द्वारा वितरित बीज में कोई खराबी नहीं पाई गई। कुछ

(कृषि मंत्री)

बीज की शिकायत पंचायत समिति धोरीमना से प्राप्त हुई जो प्रमाणित किया था कृषि उद्योग निगम द्वारा वितरित किया गया था।

(5) इस सम्बन्ध में जांच चल रही है।

(6) जांच समाप्त होने के पश्चात ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

जिला बाड़मेर में पंचायत समितिवार नगद मूल्य पर वितरित बाजरे की सूची:—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पंचायत | समिति | सिवाना | 104 | क्वि० |
| ,, | ,, | बालोतरा | 86 | ,, |
| ,, | ,, | धोरीमना | 101 | ,, |
| ,, | ,, | सिन्दरी | 35 | ,, |
| ,, | ,, | बायतू | 10 | ,, |
| ,, | ,, | चोहटन | 53 | ,, |
| ,, | ,, | शिव | 7.5 | ,, |
| ,, | ,, | बाड़मेर | 14.5 | ,, |
| | | योग— | 411 | क्वि० |

निर्वाचन क्षेत्र खानपुर की सड़कें

125. श्री गौरीशंकर (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र खानपुर की सड़कें बहुत खराब हालत में है जिससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत असुविधा होती है? यदि हां, तो इन सड़कों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

उत्तर

खानपुर निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण खराब हुई है। इन सड़कों की मरम्मत की जा रही है। विशेष स्वीकृति का भी प्रयास जारी है।

केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर कर्जा

126. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर किन किन मदों में कितना कर्जा है व उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है? मदवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन किन संस्थानों का कितना कितना कर्जा राज्य सरकार पर है व उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है?

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को कितना कर्जा कम चुकाना पड़ेगा व कितनी अवधि में?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर 785.72 करोड़ रुपये का कर्ज था जिस पर वर्ष 1975-76 में देय ब्याज 37.49 करोड़ रुपया है। मदवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

# Page No 144



(वित्त मंत्री)

(2) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में भारत सरकार के अतिरिक्त निम्नलिखित संस्थानों का कर्ज इस प्रकार था :—

( अंक करोड़ रुपयों में )

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारत जीवन बीमा निगम | 10.74 |
| 2. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | 3.31 |
| 3. | राष्ट्रीय भंडार निगम | 0.01 |
| 4. | भारतीय रिजर्व बैंक | 4.51 |
| 5. | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 0.01 |
| 6. | भारतीय दुग्ध निगम | 1.23 |
| | योग | 19.81 |

इस पर वर्ष 1975-76 में देय ब्याज 1.07 करोड़ रुपया है।

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को पांच वर्ष (1974-75 से 1978-79 तक) की अवधि में 276.88 करोड़ रुपया कम चुकाना पड़ेगा।

दिनांक 1 4–75 को केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेष एवं उन पर वर्ष 1975-76 में देय ब्याज की तालिका

( अंक करोड़ रुपयों में )

| मद | दिनांक 1-4-75 को प्रारम्भिक शेष | वर्ष 1975-76 में देय ब्याज |
|---|---|---|
| क—आयोजना भिन्न ऋण | | |
| 1. अल्प बचत योजना | 27.01 | 1.36 |
| 2. अल्प कालीन ऋण | 1.00 | 0.03 |
| 3. विपणि उधार ऋण | 5.00 | 0.13 |
| 4. अन्य ऋण | 0.44 | 0.01 |
| ख—राज्य आयोजना ऋण | | |
| 1. भाखरा नांगल परियोजना | 12.24 | 0.57 |
| 2. समूह ऋण | 37.82 | 1.98 |
| ग - केन्द्रीय आयोजना। प्रवर्तित योजना | 2.26 | 0.13 |
| घ—1974 से पूर्व के एकीकृत ऋण | 699.95 | 33.28 |
| योग | 785.72 | 37.49 |

## तहसील अकलेरा में कृषि योग्य भूमि को वन विभाग से राजस्व में लिये जाने हेतु आवेदन-पत्र

127. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ के अधीन पटवार सर्किल बैरागढ़ के रूपपुरा ग्राम के पाल की कितने रकबे की कृषि योग्य भूमि वन विभाग के अधिकार में है ?

(2) उक्त कृषि योग्य भूमि को वन विभाग से राजस्व में लिये जाने हेतु जिले की गठित समिति के कार्यालय में क्या कोई पत्र विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक समिति अपना निर्णय देगी ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त भूमि को कृषि हेतु राजस्व में लिया जाना आवश्यक समझ कर कृषकों की ओर से आवेदन-पत्रों द्वारा तहसील व परगना अधिकारी, अकलेरा के यहां समय समय पर एक लम्बे अर्से से निवेदन किया जाता रहा है ?

(4) क्या यह सच है कि वन विभाग उक्त भूमि से कोई लाभ नहीं ले पा रहा है जब कि कृषि काम में आजाने से कृषकों एवं राज्य सरकार को उक्त भूमि से वर्तमान से कहीं अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस भूमि को शीघ्र ही वन विभाग के अधिकार से राजस्व में लिये जाने हेतु गठित समिति को आदेश देगी ? यदि नहीं, तो वन विभाग को वर्तमान में गत तीन वर्षों के लाभ का सालाना क्या औसत है ? उसमें तेन्दू के कुल कितने वृक्ष हैं और अन्य किस्म के कितने कितने ? तथा इसमें इमारती लकड़ी के कितने व जलाऊ लकड़ी के कितने वृक्ष हैं ?

### उत्तर

(1) रूपपुरा ग्राम की कुल 1435 बीघा 3 बिस्वा भूमि वन विभाग के अधिकार में है। ये भूमि बकानी रेंज के आरक्षित वन खण्ड सूरजपुरा में स्थित है। किसी भी वन खण्ड की भूमि का वन विभाग द्वारा कृषि हेतु वर्गीकरण नहीं किया जाता परन्तु जिलाधीश, झालावाड़ से प्राप्त सूचना के अनुसार करीबन 500 बीघा भूमि काबिल काश्त है।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम खेरड़ा, पाटन, खेमली, बैरागढ़, लक्ष्मीपुरा, महुवाखेड़ा के काश्तकाराम द्वारा जिलाधीश के यहां वन भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित किये जाने के लिए माह दिसम्बर, 75 में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिसे जिलाधीश द्वारा तहसीलदार अकलेरा के पास वास्तविक विवरण भेजने हेतु भेजा गया है। वास्तविक विवरण प्राप्त होने पर इस मामले को जिलाधीश द्वारा जिलास्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा।

(4) जी नहीं। वन विभाग से पृथक पृथक गांववार भूमि से प्राप्त आय का लेखा जोखा नहीं रखा जाता। बैरागढ़ नाका जिसमें यह भूमि स्थित है से घास, चराई कत्था इत्यादि वन पैदावार से औसतन 4000 रुपये वार्षिक आय होती है

Page No 146

(146)



(वन मंत्री)

तथा पिछले 2 वर्षों से तेन्दू पत्ता एकत्रीकरण से लगभग 1 लाख रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। यह तो प्रत्यक्ष लाभ है। परन्तु वनों से जो अप्रत्यक्ष लाभ है उनका अत्यधिक महत्व है। वन खण्ड के वृक्षों की गणना का रिकार्ड नहीं रखा जाता और न ही यह व्यवहारिक रूप से संभव है।

### ग्राम पंचायत चांदसेन (लालसोट) को मण्डी निर्माण हेतु दी गई धनराशि

128. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लालसोट द्वारा ग्राम पंचायत चांदसेन को नई मण्डी के निर्माण के लिये खरीदी गई भूमि को समतल करने हेतु 6000 रु. की धनराशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब किस नियम के अन्तर्गत किसकी स्वीकृति से ?

(2) उक्त धनराशि का चैक ग्राम पंचायत को किस तारीख को दिया गया और ग्राम पंचायत में उक्त धनराशि कब जमा हुई? क्या ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो किस कार्य में? यदि नहीं तो क्यों? तथा उक्त धनराशि अब कहां जमा है?

(3) उक्त भूमि को समतल कराने के कार्य की आवश्यकता भी है या नहीं? यदि है तो किस सर्वे के आधार पर 6000 रु. की धनराशि स्वीकृत की गई? कृपया सर्वेयर के नाम सहित पूर्ण सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या इस प्रकार के कार्य के लिए बिना विभागीय स्वीकृति लिये किसी सरपंच को इतनी बड़ी धनराशि दी जा सकती है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं तो धनराशि स्वीकृत करने वाले व देने वाले तथा लेने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, प्रशासन वित्त कामस्थायी समिति के निर्णय दिनांक 16-8-75 के अनुसार स्वीकृति दी गई।

(2) ग्राम पंचायत को चैक दिनांक 15-9-75 को दिया गया और उसी दिन राशि ग्राम पंचायत की रोकड़ में जमा हो गई जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया है।

(3) भूमि समतल कराने की आवश्यकता बताई गई है। श्री मिट्ठनलाल जैन कनिष्ठ अभियन्ता, सिचाई विभाग, दौसा द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट के आधार पर धनराशि स्वीकृत की गई है। एस्टीमेट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं पर इसकी जांच कराई जावेगी।

147



GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Irrigation Department

Abstract Estimate

Name of work Estimate for levelling of the ground of Panchayat Chand Ban Land.

Teh. Lalsot Khasara No. 8

| No. | Item | Quantity | Rate | Per | Amt. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Earth work for levelling of the ground including shoring if necessary & disposal of Excavated material with five Extra leads of 150 meters (AV) beyond initial lead of 30 meters & initial life of 1.5 meter including dressing of Earth work. | 844 cm | 34.50 | 10 cm | 2911.80 |
| | | | | Total | 2911.80 |
| | | | | Addl. 3% contingency | 87.35 |
| | | | | | 2999.15 |

3000.00 only.

Junior Engineer
Irrigation Deptt. Dausa (Jaipur)

148



GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Irrigation Department

Abstract Estimate

Name of work Estimate for levelling of the ground of Panchayat Chandsan land near Kothun Road, Tehsil Lalsot.

| No. | Item | Quantity | Rate | Per | Amt. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Earth work for levelling of the ground including shoring if necessary & disposal of Excavated material with three Extra leads of 90 meters (w) beyond initial lead of 30 Meters of initial life of 1.5 meter including dressing of earth work. | 955 cm | 30.50 | 10 cm | 2912.75 |
| | | | Total | | 2912.75 |
| | | Add. 3% contingency | | | 87.00 |
| | | | | | 2999.75 |
| | | | 3000.00 | | |

Sd/-

Junior Engineer
Irrigation Deptt. Dausa (Jaipur.)

## विद्युत् हेतु तहसील नोखा के ग्रामों का सर्वे

129. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम जयसिंहदेसर मगरा, पियरासर, जांगल, देसलसर, बेगला, भान्याण, मामदेसर, पारवा ग्रादि गांवों को विद्युत् लाइन देने का विभाग ने कोई सर्वे कर रखा है ? यदि हां, तो इस लाइन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्युत् लाइन से चार वाटर सप्लाई स्कीम, जो डीजल इंजन से चल रही है, उनको तथा लगभग 30 हजार की आबादी वाले ग्रामीण कृषकों को लाभ मिल सकेगा ? ग्रगर हां, तो उपरोक्त महत्वपूर्ण विद्युत् लाइन जो लगभग 12 मील की लम्बाई की है, उसे डालने का राज्य सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी हां, योजना का प्रारूप तैयार नहीं है। ग्रतः ग्रनुमानित लागत के विषय में ग्रभी नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हां। राज्य सरकार इस योजना को बनाना चाहती है इसीलिए तो सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस योजना की सफलता सर्वेक्षण पूरा होने पर ही मालूम हो सकेगी।

## मासी नदी की बजरी का ठेका

130. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दूदू एवं फागी तहसीलों के क्षेत्र में से मासी नदी निकलती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की बजरी का ठेका कब से किसको दिया गया ? एवं किन नियमों के ग्राधार पर ?

(2) क्या इस बजरी का ठेका नीलामी द्वारा किया जाता है या लीज पर दिया जाता है ?

(3) इस क्षेत्र की बजरी का ठेका प्रथम बार किस सन् एवं तारीख को किस को दिया गया ? वर्षवार ठेकेदारों के नाम एवं पते की सूची सन् 1975 तक की सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या बजरी का ठेका ग्राम पंचायतों को देने का भी नियम है ? यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

(1) जी हां, विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट 'क' में ग्रंकित है।

(2) ग्रब क्षेत्र में माइनिंग लीजेज ग्रावेदन-पत्रों के द्वारा हाथ से काम करने वाले खान मजदूरों, ग्रनुसूचित जाति, ग्रनुसूचित जनजाति व ग्रामीण कारीगरों को दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं।

## माशी नदी दूदू फागी तहसीलों में ठेकों की सूची

| क्र. | क्षेत्र | | नाम ठेकेदार | अवधि ठेका | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| I | फागी तहसील | 1 | श्री गोपालसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह ग्राम मसोदा, जिला सवाई माधोपुर। | 1/4/61 से 31/3/63 | रायल्टी उगाने का ठेका |
| | | 2 | श्री सागरमल पुत्र श्री राधामोहन अग्रवाल, सुराना बिल्डिंग, जेल रोड़, जयपुर। | 1/4/63 से 31/3/65 | ,, |
| | | 3 | श्री रिच्छाराम पुत्र श्री लाला ओंकारनाथ मार्फत श्री वेद-प्रकाश ठेकेदार, आगरा रोड़, जयपुर। | 11/3/69 से 5 वर्ष | खनन पट्टा (लीज) |
| II | तहसील दूदू | 1 | श्री सत्यनारायण महाजन ग्राम महला त. दूदू, जिला जयपुर। | 1/4/60 से 31/3/61 | रायल्टी उगाने का ठेका |
| | | 2 | श्री अब्दुल रजाक पुत्रश्री मोतीखां, ग्राम रहमाना, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर। | 1/4/61 से 31/3/62 | ,, |
| | | 3 | श्री हीरालाल पुत्र श्री हरदेव शर्मा पो. सलीमाबाद त. रूपनगढ़। | 1/5/62 से 15/11/62 | ,, |
| | | 4 | श्री मोतीलाल पुत्र श्री भंवरलाल, अजमेर। | 1/4/63 से 31/3/64 | ,, |
| | | 5 | श्री गुलाबखां ग्रा. रहलाना, तह. मोजमाबाद, जि. जयपुर। | 1/4/64 से 31/3/66 | ,, |

Page No 151

(151)



## परिशिष्ट "क"

तहसील दूदू के क्षेत्र में दिनांक 1-4-64 से 31-3-66 तक रायल्टी उगाने का ठेका श्री गुलाबखां को दिया हुआ था, इसके उपरान्त 1-4-1966 से 12-2-73 तक क्षेत्र में विभाग द्वारा रायल्टी उगायी गई थी, रायल्टी उगाने का ठेका एम. एम. सी. आर. 1959 के रूल 34 के तहत दिया गया था।

तहसील फागी के क्षेत्र में 1968 से पहले रायल्टी उगाने के ठेके दिये जाते थे इसके उपरान्त दिनांक 11-3-68 से नियम 36 एम. एम. सी. आर. 1959 के तहत डाइरेक्ट वर्किंग का ठेका श्री रिच्छाराम के नाम 20,300/- वार्षिक स्थिर भाटक पर पांच वर्ष के लिए स्वीकार किया गया था।

---

### ग्रामों में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के नकली केसेज

131. **श्री मोहनसिंह** (मादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कितने ही ग्रामों में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के नकली केसेज पटवारियों की नाराजगी से बना कर किसानों से काफी तावान वसूल किया गया।

(2) अगर यह सही है तो क्या सरसरी दरख्वास्तों पर इन किसानों के खेतों की पुन: नपती करवा करवाकर यह तावान उनको वापिस लौटाया जाकर कागजों की पुन: दुरुस्ती हो सकेगी।

(3) अगर हां, तो इस मुतल्लिक जनरल आदेश कब तक निकाल दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसे कोई मामले राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### ग्राम राड़ावास (जयपुर) में विद्युत् सब-स्टेशन बनाये जाने का निर्णय

132. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राडावास, जिला जयपुर में 33/11 का सब-स्टेशन बनाये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जा चुका था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सच है कि यह सब-स्टेशन अभी तक नहीं बना है? यदि हां, तो क्यों और कब तक बनाये जाने का विचार है?

(3) क्या यह सच है कि इस सब-स्टेशन के अभाव में अनेकों ग्रामों को सही वोल्टेज नहीं मिलता है?

उत्तर

(1) वर्ष 1975-76 के बजट बनाते समय इस सब स्टेशन का प्रावधान रखा गया था परन्तु वित्तीय अभाव के कारण इसको बनाना सम्भव नहीं हो सका?

(2) जी हां। प्रश्न एक के उत्तर में इसका भी उत्तर आचुका है।

(3) जी नहीं। आमतौर पर तो वोल्टेज की दिक्कत नहीं है परन्तु कुछ काश्तकारों को जिनके कुए लाइनों के अंतिम छोरों पर हैं पीक डिमान्ड के समय वोल्टेज कुछ कम मिलता है। इसीलिये 33/11 के० वी० का सब स्टेशन राडावास में स्थापित करने का विचार किया जा रहा हैं।

## परिशिष्ट-3

### अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची

राजस्थान में जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालयों की सूची

1. जयपुर (पश्चिम)
2. दौसा (जिला जयपुर)
3. अजमेर
4. भरतपुर
5. अलवर
6. सीकर (सीकर व झुंझुनूं के लिए)
7. सवाई माधोपुर
8. टोंक
9. बूंदी
10. झालावाड़
11. कोटा
12. बारां (जिला कोटा)
13. जोधपुर (जोधपुर व जैसलमेर के लिए)
14. पाली
15. नागौर
16. जालौर (जालौर व बाड़मेर के लिए)
17. सिरोही
18. चूरू (चूरू व बीकानेर के लिए)
19. श्रीगंगानगर
20. हनुमानगढ़
21. भीलवाड़ा
22. चित्तौड़गढ़
23. उदयपुर
24. कांकरोली (जिला उदयपुर)
25. बांसवाड़ा
26. डूंगरपुर

## परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची

**कृषि उपज मन्डी समिति कोट पूतली में स्टाफ की स्थिति**

| क्रम संख्या | पद | स्वीकृत स्टाफ | वर्तमान स्टाफ | वेतन शृंखला | नियुक्ति की तिथि | नियुक्ति नियोजन कार्यालय से हुई है या नहीं | नियुक्ति किसके आदेश से की गई . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1— | कनिष्ठ लिपिक | 1 | रिक्त | 130–300 | — | — | — |
| 2— | कनिष्ठ लिपिक | 2 | 4 | | | | |
| | | | 1–श्री बहादुर सिंह | 110–230 | 4–4–70 | नियोजन कार्यालय से हुई है | नियमितरूप से सचिव द्वारा |
| | | | 2–श्री रामेश्वर प्रसाद | ,, | 29–7–74 | नियोजन कार्यालय से हुई है | अध्यक्ष द्वारा |
| | | | 3–श्री गंगाराम | ,, | 12–2–75 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |
| | | | 4–श्री सोहन लाल | ,, | 1–7–75 | नहीं | अनुसूचित जाति के होने से अध्यक्ष द्वारा |
| 3— | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2 | 2 | | | | |
| | | | 1–श्री श्याम सुन्दर | 180/-निश्चित | 28–2–69 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |
| | | | 2–श्री कैलाश चन्द | ,, ,, | 13–2–75 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |
| 4— | चौकीदार | 5 | 4 | | | | |
| | | | 1–मूल सिंह | 60–80 | 13–2–75 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |
| | | | 2–श्री मलसिंह | 180/-निश्चित | 7–7–75 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |
| | | | 3–श्री किरोडी मल | ,, | 1–7–75 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |
| | | | 4–श्री जयकिशन | ,, | 1–7–75 | नहीं | अध्यक्ष द्वारा |

## परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची

| क. सं. | योजना का नाम | तहसील | जनवरी 1972 से नवम्बर, 75 तक का खर्चा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | नरायना | फुलेरा | 1,132-66 |
| 2. | मन्डा भीमसिंह | ,, | 1,48,151-69 |
| 3 | भदाल | ,, | 1,95,565-90 |
| 4. | किशनगढ़ रेनवाल | ,, | 1,71,699-22 |
| 5. | वागावास | ,, | 1,38,682-39 |
| 6. | भादवा | ,, | 1,66,573-65 |
| 7. | मुंडोता | आमेर | 67,415-67 |
| 8. | सामोद | ,, | 1,62,153-13 |
| 9. | सेजरोली | ,, | 2,57,547-39 |
| 10. | हरमाड़ा | ,, | 7,979-11 |
| 11. | मोरीजा | ,, | 1,96,073-79 |
| 12. | जैयसिंहपुरा खोर | ,, | 1,39,859-22 |
| 13. | उदयपुरिया | ,, | 1,77,736-10 |
| 14. | नींदड़ | ,, | 1,65,483-38 |
| 15. | चौथवाड़ी | ,, | 1,32,567-74 |
| 16. | हस्तेड़ा | ,, | 10,496-58 |
| 17. | अचरोल | जमवा रामगढ़ | 2,57,497-60 |
| 18. | नायला | ,, | 1,43,573-50 |
| 19. | मानपुरा भाचेड़ी | ,, | 2,06,902-74 |
| 20. | ताला | ,, | 1,16,916-86 |
| 21. | जमुवारामगढ़ | ,, | 1,66,986-97 |
| 22. | भाण्डारेज | दौसा | 35,913-29 |
| 23. | सेंथल | ,, | 15,871-16 |
| 24. | शाहपुरा | बैराठ | 1,57,020-52 |
| 25. | मनोहरपुर | ,, | 3,67,819-93 |
| 26. | बैराठ | ,, | 77,579-02 |
| 27. | अमरसर | ,, | 4,651-27 |
| 28. | नायन | ,, | 1,46,563-19 |
| 29. | धोली | ,, | 31,183-15 |

# Page No 156

(156)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | बगरू कलां | सांगानेर | 2,76,006-80 |
| 31. | सांगानेर | ,, | 10,333-79 |
| 32. | पदमपुरा गोनेर | ,, | 5,91,625-30 |
| 33. | गोवगढ़ | सीकरी | 1,61,210-61 |
| 34. | सीकन्द्रा | ,, | 2,60,724-01 |
| 35. | बनेठी | कोटपूतली | 1,06,497-14 |
| 36. | परागपुरा | ,, | 2,06,883-04 |
| 37. | राजनोता | ,, | 2,33,344-01 |
| 38. | बसवा | बसवा | 2,74,338-79 |
| 39. | मोजमाबाद | मोजमाबाद | 2,91,668-26 |
| 40. | बस्सी | बस्सी | 3,73,390-60 |
| 41. | बांसकों | ,, | 1,82,684-77 |
| 42. | लालसोट | लालसोट | 4,59,413-64 |
| 43. | फागी | फागी | 2,71,388-06 |
| 44. | शिवदासपुरा | चाकसू | 1,15,342-34 |
| 45. | दौसा | दौसा | 14,61,718-99 |
| 46. | फुलेरा | फुलेरा | 29,429-80 |
| 47. | चाकसू | चाकसू | 7,78,760-55 |
| 48. | जोबनेर | फुलेरा | 20,092-80 |
| 49. | आमेर | आमेर | 10,710-07 |

परिशिष्ट-6

अंतारांकित पृष्ठ संख्या 37 की सूची

ग्रामों की सूची जिनकी आबादी 8000 से अधिक है।

| | | |
|---|---|---|
| 1—बस्सी | 8090 | जिला जयपुर |
| 2—सेजडोली | 8580 | ,, |
| 3—शाहपुरा | 9032 | ,, |
| 4—मनोहरपुर | 10634 | ,, |
| 5—बसवा | 9820 | ,, |
| 6—लालसोट | 11231 | ,, |
| 7—किशनगढ़-रेनवाल | 11580 | ,, |
| 8—वैराठ | 7781 | ,, |
| 9—मेहुवा | 6008 | जिला सवाई माधोपुर |
| 10—वामनवास | 8107 | ,, |
| 11—गुढ़ाचन्द्रजी | 3066 व 6000 | ,, |
| (23 ढाणियों को मिलाकर)-9066 | | |

परिशिष्ट -7

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 की सूची

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना लालसोट में मस्टर राल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का विवरण ।।

सूची 'अ'

| क्रम सं० | | कर्मचारी का नाम व पिता का नाम | निवास स्थान | आयु | जाति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री | सुआलाल पुत्र श्री नारायण | लालसोट | 23 वर्ष | माली |
| 2. | ,, | हीरालाल पुत्र श्री दुर्गालाल | ,, | 25 ,, | ,, |
| 3. | ,, | अम्बालाल पुत्र श्री श्रवण | ,, | 19 ,, | ,, |
| 4. | ,, | चौथमल पुत्र श्री मिसरा | ,, | 25 ,, | ,, |
| 5. | ,, | शम्भु पुत्र श्री पांचू | ,, | 24 ,, | ,, |
| 6. | ,, | सीताराम पुत्र श्री बृज मोहन | हिगोटिया (दौसा) | 20 ,, | ब्राह्मण |
| 7. | ,, | भूरालाल पुत्र श्री भूथालाल | लालसोट | 25 ,, | माली |
| 8. | ,, | शम्भु पुत्र श्री गेंदालाल | ,, | 20 ,, | ,, |
| 9. | ,, | बद्री नारायण पुत्र श्री धन्ना | ,, | 26 ,, | ,, |
| 10. | ,, | कालू खां पुत्र श्री रहमान खां | ,, | 21 ,, | मुसलमान |
| 11. | ,, | मुरारी पुत्र श्री ग्यारसीलाल | लालसोट | 22 ,, | माली |
| 12. | ,, | कन्हैयालाल पुत्र श्री कजोड़ | ,, | 27 ,, | ,, |
| 13. | ,, | अलादीन पुत्र श्री नजीर खां | ,, | 26 ,, | मुसलमान |
| 14. | ,, | रामधन पुत्र श्री अर्जुन | आलूदा (दौसा) | 20 ,, | मीणा |
| 15. | ,, | रामजीलाल पुत्र श्री कजोड | लालसोट | 20 ,, | माली |
| 16. | ,, | हीरालाल पुत्र श्री सुलतानराव | आमेर | 23 ,, | मीणा |
| 17. | ,, | विसनलाल पुत्र श्री लालचन्द | बांदीकुई | 25 ,, | राजपूत |
| 18. | ,, | जगदीश सिंह पुत्र श्री बने सिंह | सिकराय | 23 ,, | राजपूत |
| 19. | ,, | रंगलाल पुत्र श्री गणेशनारायण | दौसा | 20 ,, | गूजर |
| 20. | ,, | श्याम मुरारी पुत्र गुल्ला | लालसोट | 25 ,, | हरिजन |
| 21. | ,, | हरिनारायण पुत्र रेवड | दौसा | 20 ,, | रेगर |
| 22. | ,, | सोहन लाल पुत्र श्री ईश्वर राय | जयपुर | 29 ,, | बैरवा |
| 23. | ,, | राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी-लाल | सूरतगढ़ | 22½ ,, | ब्राह्मण |
| 24. | ,, | रमजू खां पुत्र जुम्मा खां | लालसोट | 25 ,, | मुसलमान |
| 25. | ,, | रिछपाल सिंह पुत्र बनेसिंह | सिकराय | 27 ,, | राजपूत |
| 26. | ,, | विसन सिंह पुत्र श्री भोपतसिंह | लालसोट | 20 ,, | राजपूत |
| 27. | ,, | वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण सेवक | लालसोट | 20 ,, | ब्राह्मण |